

श्रीबीतरागाय नमः ५१२४
त्रितीय

जैन लो [जैन कानून]

लेखक:—

१२३

स्व० श्री० चस्पतराय जैन
वेरिस्टर एट लॉ विद्याबारिधि
(आपके अंग्रेजी जैन लों का हिन्दी अनुवाद)

प्रकाशक:—

मूलचन्द्र किसनदास कापडिया,
दिग्म्बर जैन पुस्तकालय, गांधीघौरा-सूरत १.

दूसरीमार] द्वीर सं० २४९५ सं० २०२६ [प्रति २०००

“जैनमित्र” के ७० वें दर्पके प्राप्तकोंको
स्व० ब्र० शीतलप्रसादजी रमारक
प्रन्थमालाकी ओरसे भेट ।

मूल्य ३-००


Q309Z

670
5125/05



५

५



स्व. ब्र. शीतलप्रसादजी स्मारक ग्रंथमाला नं. २१ का निवेदन

करीब ६०-७० प्रधोंके अनुवादक, टीकाकार व सम्पादक जैनमित्र व बीरके सम्पादक और रातदिन जैनधर्म प्रचारके लिये भ्रमण करनेवाले श्री जैन धर्मसूपण ब्र० शीतलप्रसादजी (लखनऊ नि०) का स्वर्गवास जब ६५ वर्षकी आयुमें बीर सं० २४६८ विक्र० सं० १९९८में लखनऊमें हो गया तब इन्हें जापकी धर्मसेवा व जातिसेवा, जैनमित्रद्वारा कायम याद रखनेको जापके नामकी प्रन्थमाला निकालनेके लिये कमसे कम १००००) की अपील की थी तो उसमें ६०००) करीब आये थे तो भी इन्हें जैसेतैसे प्रबन्ध करके यह प्रन्थमाला आजसे २६ वर्ष पर प्रारम्भ की थी और इससे प्रकाशित प्रन्थ, जैनमित्रके माइक्रोफोन भेट स्वरूप देनेकी योजना की थी, जो परापर चल रही है ए आजतक इस प्रन्थमालासे निम्न छोटे पढ़े २० प्रन्थ प्रकट कर 'जैनमित्र'के प्राइवेट भेट कर चुके हैं

ग्रन्थमालाके प्रकट हुए ग्रन्थ

१-स्वतंत्रताका सोपान ३), २-आदिपुराण छन्द बद्ध ४),
 ३-चन्द्रप्रभुपुराण छन्दबद्ध ५), ४-यशोधरचरित्र ३), ५-सुभीम
 चक्रवर्ति चरित्र ३), ६-नेमिनाथ पुराण ५), ७-परमार्थ चचनिका
 व उपादान निमित्तकी चिट्ठी १), ८-धन्यकुमार चरित्र १),
 ९-प्रभोत्तर श्रावकाचार ४), १०-अमितगति श्रावकाचार ४),
 ११-श्रीपाल चरित्र छन्द बद्ध ३) १२-जैनमित्रका हीरक जयन्ती
 अंक २), १३-धर्म परीक्षा ३), १४-हनुमान चरित्र २) चन्द्रप्रभ
 चरित्र २॥), १६-महावीर चरित्र ३), १७-बां कामताप्रसाद
 जैन ३) १८-नियमसार सटीक ३॥), १९ जैन सिद्धान्त दर्पण ३),
 २०-द्वेजके दुःखद परिणाम नाटक

(इन २० ग्रन्थोंका मूल्य ५६) होते हैं।)

और

यह २१ वाँ ग्रन्थराज जैन लो—जैन कानून

स्व० वेरिस्टर चम्पतरायजी जैन कृत दिया जाता है।
 यह ग्रन्थ वेरिस्टर साहबने लंडन (ईंग्लॅण्ड)में रहकर प्रधम
 अंग्रेजीमें लिखकर ई० सन् १९२६में प्रकट किया था
 (जो आज नहीं मिलता है) तथा उसका हिन्दी अनुवाद
 वेरिस्टर साहबने ही भारत आकर भा० दि० जन परिषद्
 ओफिस विजनौरसे प्रकट करवाया था जो विक जाने पर
 कई वर्षोंसे नहीं मिलता था और इसकी मांग तो चालू ही
 रहती थी।

अतः परिषद्वालोंकी सलाह लेकर हमने यह 'हिन्दी जैन-लो
 (जैन कानून)' दूसरी बार प्रकट किया है और 'जैनमित्र' के
 ७० चर्चके प्राहकोंको भेट दे रहे हैं। अतः ऐसे उत्तम प्रन्थका
 लाभ 'मित्र' के प्राहकोंको निःशुल्क मिलेगा ही। इस प्रन्थकी

कुछ प्रतियां विक्रयार्थी भी निकाली हैं। आशा है कि आवृत्तिका भी शीघ्र ही प्रचार हो जायगा।

ग्रन्थकी उत्तमता


इस प्रन्थमें वैरिस्टर साहबने तीन भाग और १२ परिच्छेदोंमें—दत्तक, विवाह, संपत्ति, दाय, स्वीधन, भरण-पोषण, संरक्षता और रिवाजपर जैन शास्त्रानुसार विधि-विधान दत्ताया है। उसके बाद जैन-प्रन्थराज व्रेकर्णिकाचार, भद्रवाहु संहिता, बर्धमान नीति, इन्द्रनन्दी जिन संहिता के अर्हन् नोति शास्त्रोंके अलाक अर्थ सहित दिये गये हैं तथा अन्तमें “जैन धर्म और डॉक्टर गौड़का हिन्दू कोड”पर विवेचन किया गया है।

सारांश कि यह ‘जैन-लॉ’ प्रन्थ बहुत ही उपयोगी व स्वाध्याय करनेयोग्य होनेसे ही इसने इसे पुनः प्रकट करना उचित समझा है। आशा है इसका अब वाहूल्यतासे प्रचार हो जायेगा।

नोट—वैरिस्टर साहबकी अंग्रेजी के हिन्दी प्रन्थकी प्रस्तावना जैसीकी तैसी इस प्रन्थके प्रारम्भमें दी गई है।

वीर सं० २४९५
सं० २०२६ आषाढ़ }
ता० १-७-६९ }

निवेदक—
मूलचन्द्र किलनदास कापडिया,
—प्रदाशक।



— विषयसूची —

प्रस्तावना—अंग्रेजी व हिन्दी ग्रन्थकी

प्रथम भाग


प्रथम परिच्छेद—दत्तक विधि और पुत्र विभाग		६
द्वितीय „ निघाह	११
तृतीय „ सम्पत्ति	१७
चतुर्थ „ दायभाग	३९
पंचम „ श्री धन	४८
छटा „ भरण पोपण (गुजारा)	५२
सातवां „ संरक्षण	५६
आठवां „ रिवाज	५९

द्वितीय भाग

प्रथमा—त्रिवर्णिकाचार	६२
„ श्री भद्रमाहृ संहिता	६९
„ श्री वर्ढमान नीति	७५
„ इन्द्रनन्दि जिन संहिता	१०५
„ अर्हन् नीति	११७

तृतीय भाग

जैन धर्म और डॉ० गौड़का “हिन्दू कोड”	१४६
-------------------------------------	--------------	-----



असली ग्रंथ 'जैन-लॉ' की प्रस्तावना

जैन-लॉ एक स्वतंत्र विभाग दाय भाग (Gurisprudence) के सिद्धान्तका है। इसके आदि रचयिता महाराजा भरत चक्रवर्ती हैं जो प्रथम तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ स्वामी (ऋषभदेवजी) के बड़े पुत्र थेके।

यह सबका सब एक-दम रचा गया था। इस लिए इसमें बहुचिह्न नहीं पाये जाते हैं जो न्यायाधीशावलन्डित (judge-made-law) नीतिमें मिला करते हैं, चाहे पश्चात् सामाजिक आवश्यकताओं एवं मानवी सम्बन्धके अनुसार उसमें किसी किसी समय पर कुछ थोड़े बहुत ऐसे परिवर्तनोंका हो जाना असम्भव नहीं है जो उसके बास्तविक सिद्धान्तके अधिकृद्ध हों। जैन नीति विज्ञान उपासकाध्ययन शास्त्रमें अन्न था जो अब विलीन हो गया है। वर्तमान जैन-लॉ की आधारभूत अब केवल निम्नलिखित पुस्तकों हैं—

१—भद्रवाहु संहिता, जो श्री भद्रवाहु स्वामी भ्रुतके इलीके समयका जिन्हें लगभग २३०० ईर्ष छुए न होकर बहुत लाल पश्चातका संप्रह किया हुआ प्रन्थ जान पड़ता है तिस पर भी यह कई शताव्दियोंका पुराना है। इसकी रचना और प्रकाश सम्भवतः संवद १६५७-१६६५ विकामी अधिष्ठा १६०१-१६०९ ई० के अन्तरमें होना प्रतीत होता है। यह पुस्तक उपासकाध्ययनके ऊपर निर्भर की गई है इसके रचयिताङ्का नाम दिल्लि नहीं है।

२—अहंकारिता—यह श्वेतान्धरी प्रन्थ है। इसके सम्बादकरा नाम और समय इसमें नहीं दिया गया है किन्तु यह कुछ अधिक कालीन शान नहीं होता है। परन्तु इसके अन्तिम स्तोल्मे

सम्पादकने स्वयं यह माना है कि जैसा सुना है वैसा लिपि चढ़ किया।

३—वर्धमान नीति—इसका सम्पादन श्री अमिताभि आचार्यने लगभग संबद १०६८ बिं ० या १०११ ई० में किया है। यह राजा मुझके समयमें हुए थे। इसके और भद्रबाहु संहिताके कुछ शोक सर्वधा एक ही हैं। जैसे ३०-३४ जो भद्रबाहु संहितामें नम्बर ५५-५९ पर उल्लिखित हैं।

इससे विदित होता है कि दोनों पुस्तकोंके रचनेमें किसी प्राचीन ग्रन्थकी सहायता ली गई है। इससे इस वातका भी पता चलता है कि भद्रबाहु-संहिता यद्यपि वह लगभग ३२५ वर्ष की लिखी है तो भी वह एक अधिक प्राचीन ग्रन्थके आधार पर लिखी गई है जो सम्भवतः ईसकी सत्र के कई शताब्दि पूर्वके समाट चन्द्रगुप्त मौर्यके गुरु स्वामी भद्रबाहुके समयमें लिखी गई होगी, जैसा उसके नामसे विदित होता है। क्योंकि इतने बड़े प्रन्थमें वर्द्धमान नीति जैसी छोटीसी पुस्तकजी प्रति-लिपि किया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

४—इन्द्रनन्दी जिन संहिता—इसके रचयिता वसुनन्दि इन्द्रनन्दि स्वामी हैं। यह पुस्तक भी उपासकाध्ययन अंग पर निर्भर है। विदित रहे कि उपासकाध्ययन अगले लोप हो गया है और अब केवल इसके कुछ उपाङ्ग अवशेष हैं।

५—त्रिवर्णाचार—संबद १६६७ बिं ० के मुताविक १६११ ई० की बनी हुई पुस्तक है। इसके रचयिता भट्टारक सोमसेन स्वामी हैं जो मूल संघकी शाखा पुष्कर गच्छके पट्टाधीश थे। इनका ठीक स्थान विदित नहीं है।

६—श्री आदिपुराणजी—यह प्रन्थ भगवज्जिनसेनाचार्यकृत है

ज्ञे इस अंगके विषयोंकी सूची और वर्णनके निमित्ति रा० व० चा० जुगमन्दिरलाल जैनीकी किताब आउट लाइन्ज आफ जैनिजम देखनी चाहिए।

जो ईस्ती सन्दी नवीं शताब्दीमें हुवे हैं जिसको लंबा लिखा गया है—
१२०० वर्ष हुवे हैं। बर्तमानकालमें इतने ग्रंथोंका पता चला है—
जिनमें नीतिका मुख्यतः वर्णन है। परन्तु इनमेंसे किसीमें भी
सम्पूर्ण कानूनका वर्णन नहीं मिलता है। तोभी मेरा विचार है कि
जो कुछ अङ्ग उपासकाध्ययनका लोप होनेसे बच रहा है वह सब
कानूनकी कुल आदश्यकीय बातोंके लिए यथेष्ट हो सकता है।
चाहे उसका भाव समझनेमें प्रधम कुछ कठिनाद्योंका मामना
करना पड़े। गत समयमें निरन्तर दुर्योगों एवं बाह्य दुराचारोंके
कारण जैन मतका प्रकाश रसातल अथवा अन्धकूरमें छिपगया।

जब अगरेज आये तो जैनियोंने अपने शास्त्रोंको छिपाया प
सरकारी न्यायालयोंमें पेश करनेका विरोध किया। एक सीमा
तक उनका यह कृत्य उचित था क्योंकि न्यायालयोंमें इसी
धर्मके भी शास्त्रोंका कोई मुख्य सम्मान नहीं होता। कभी कभी
न्यायाधीश थाँर प्रायः अन्य कर्मचारी शास्त्रोंके पृष्ठोंके लॉटनेमें
मुंहफा थूक लगते हैं जिससे प्रत्येक धार्मिक हृदयको दुःख
द्वेष होता है। परन्तु इस दुःखका उपाय यह नहीं है कि शास्त्र पेश
न किये जावें। क्योंकि प्रत्येक कार्य समयके परिदर्तनोंका विचार
करते हुए अर्थात् जैन सिद्धांतकी भाषामें द्रव्य, क्षेत्र, दात और
आवकी अपेक्षासे होना चाहिए।

जैनियोंके शास्त्रोंको न्यायालयोंमें प्रविष्ट न होने देनेका परि-
णाम यह हुआ कि अब न्यायालयोंने यह नियंत्रण कर लिया है
कि जैनियोंका कोई नीतिशास्त्र ही नहीं है (गिवसिंह राय बनाम
दाखो १ इस्याहावाद ६८८ मुख्यतः ७०० पृष्ठ और दरनामप्रमाद
७० मण्डलदास २७ कलकत्ता ३७९ पृष्ठ)।

यद्यपि सन् १८७३ ई० में कुछ जैन नीति-शास्त्रोंके नाम
न्यायालयोंमें प्रकट होगये थे (भगवानदास तेजमल ६० राजमल
१०, अमर्द्वार्हकोट रियोर्ट ३४९, ३३५-३५६)। जौर इससे

भी पूर्व सन् १८३३ ई० में जैन नीतिशास्त्रोंका उल्लेख आया है (गोविन्दनाथ राय व० गुलाबचंद ५ स्लेक्ट रिपोर्ट सदर दीवानी अंदालत कलकत्ता पृष्ठ २७६)। परन्तु न्यायालयोंका इसमें कुछ अपराध नहीं हो सकता है। क्योंकि न्यायालयोंने तो प्रत्येक अबसर पर इस घातकी कोशिश की कि जैनियोंकी नीति या कमसे कम उनके रिचाजोंकी जांच की जाय ताकि उन्होंके अनुसार उनके झगड़ोंका निर्णय किया जावे।

सर ई० मौनटेनो स्मिथ महोदयने शिवसिंह राय० व० दालो (१ इलाहाबाद ६८८ P. C.)के सुकदमेमें प्रिवीकॉर्सिलका निर्णय सुनाते समय व्याख्या की थी कि “यह घटना वास्तवमें बड़ी आश्वर्यजनक होती यदि कोई न्यायालय जैनियोंके जैसी बड़ी और धनिक समाजोंको उनके यथेष्ट साक्षी द्वारा प्रमाणित करनु और रिचाजोंकी पावंडीसे रोकती, अगर यह पर्याप्त साक्षियोंसे प्रमाणित हो सके।” प्रेमचंद वेपारा व० हुलासचंद पेपारा १२ बीकली रिपोर्ट पृ० ४९४ में भी जैन नीतिशास्त्रोंका उल्लेख आया है।

अनुमानतः न्यायालयोंके पुराने नियमानुसार पण्डितोंसे शास्त्रोंके अनुकूल व्यवस्था लो गई होगी। यह सुकदमा सन् १८६९ ई० में फेस्ल हुआ था।

हिन्दुओंको भी ऐसा ही भय अपने शास्त्रोंकी मानहानिका था जैसा जैनियोंको, परन्तु उन्होंने बुद्धिमानीसे काम लिया। जैनियोंकी भाँति उन्होंने अपने धर्म-शास्त्रोंको नहीं छिपाया और उनके छपने व छपानेमें बाधक नहीं हुए। जैनियोंकी महासभाने बारम्बार यही प्रस्ताव पास किया कि छापा धर्म चिरद्वंद्व है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब तक लोगोंको यह प्रकट नहीं हुआ कि जैनधर्म वास्तवमें क्या है और क्षब्दसे प्रारम्भ हुआ

और इसकी शिक्षा क्या है; कौन कौनसे नीति और नियम जैनियोंको मान्य हैं तथा उनकी कानूनी पुस्तकें बास्तवमें क्या क्या हैं।

रा० वा० वा० जुगमन्दरलाल जैनी वैरिस्टर-एट-ला मूर्त पूर्व चीफ जज हार्ड्कोर्ट इन्हींने प्रधम बार इस कठिनार्हका अनुभव करके जैन-लॉ नामक एक पुस्तक सन् १९०८ई० में तैयार की जिसको स्वर्गीय कुमार देवेन्द्रप्रसाद जैन आरा-निजामीने १९१६ई० में प्रकाशित कराया। परन्तु यह भी सुयोगद संपादकशो अधिक अवकाश न मिलने एवं जैन समाजके प्रमादके कारण अपूर्ण ही रही और इसके विद्वान् रचयिताने विद्वमान नीति-पुस्तकोंमेंसे कुछके संप्रह करने और उनमेंसे एकके अनुवाद करनेपर ही संतोष किया। किन्तु इसके पश्चात् उन्होंने जैन-मिश्र-मण्डल देहलीकी प्रार्थनापर वर्धमान नीति तथा इन्होंन्हीं जिन संहिताका भी अनुवाद कर दिया है।

इन अनुवादोंका उपयोग मैंने इस प्रन्थमें अपनी इच्छानुसार किया है जिसके लिए अनुवादक महोदयने सुझे मैत्री-भावसे सहर्ष आज्ञा प्रदान की। मगर तो भी जैनियोंने कोई विशेष ध्यान इस विषयकी ओर नहीं दिया। हाँ, सन् १९२१ई० में जब डाक्टर गौड़का हिन्दू-कोड़ प्रकाशित हुआ और उसमें उन्होंने जैनियोंको धर्म-विमुख हिन्दू (Hindu dissenters) लिखा उस समय जैनियोंने उसका कुछ दिरोध किया और जैन-लॉ कमेटीके नामसे अंप्रेजी-भापा-दिपा बच्चीलों, शास्त्र पंडितों और अनुभवी विद्वानोंकी एक समिति ग्रापित हुई जिसने प्रारम्भमें अच्छा लाम किया परन्तु अन्ततः अनुकारणों, जैसे दूर देशांतरोंसे सदस्योंकी एकत्रता घटमात्र होना इत्यादिके उपरिषित होनेसे यह कमेटी भी अपने ददेश्यमें पूरा न कर सकी।

जब यह दशा जैन समाजकी वर्तमान समग्री है तो इसमें

क्या आश्वर्य है कि १८६७ ई० में कलकत्ता हाईकोर्टने जैनियोपर हिन्दू-लॉको लागू कर दिया (महारीप्रसाद बनाम सुसमांत कुन्दन कुंवर ८ वीचो रिपोर्ट पृ० ११६)। छोटेलाल व० शुभ्नलाल (४ कलकत्ता पृ० ७४४); बचेशी व० मक्खनलाल (३ इलाहापाद पृ० ५५); पैरिया अम्मानी व० कृष्ण स्वामी (१६ गद्वास १८२) व० मणिडत्कुमार व० फूलचन्द (५ कलकत्ता वी० नोट्स पृ० १५४) ये सब मुकद्दमे हिन्दू-लॉ के अनुसार हुए और गलत निर्णय हुए क्योंकि इनमें जैन रिवाज (नीति) प्रमाणित नहीं पाया गया और जो मुकद्दमे सही भी फैसल हुए वह भी बास्तवमें गलत ही हुए। क्योंकि उनका निर्णय मुख्य जैन रिवाजोंकी आधानताके साथ (यदि ऐसे कोई रिवाज हो) मिताशरा कानूनसे हुआ न कि जैन-लॉ के अनुसार जैसा कि होना चाहिए था।

इन मुकद्दमोंके पश्चात् जो और मुकद्दमे हुए उनमें भी प्रायः

४ उदाहरणार्थ देखो—

शिवर्सिहराय व० दाखो १ इला० ६८८ प्री० कौ०; अम्मावाई व० गोविन्द २३ वम्बई २५७; लक्ष्मीचन्द बनाम गटीवाई ८ इला० ३१९; आनकचन्द गोलेचा व० जगत सेठानी प्राणकुमारी वीवी १७ कलकत्ता ५१८; सोहना शाह व० दीपालाह पंजाव रिकार्ड १९०२ न० १५; शम्भूनाथ व० ज्ञानचन्द १६ इला० ३७९ (जिसका एक देश सही फैसला हुआ); हरनामप्रसाद व० मणिलदास २७ कल० ३७९; मनोहरलाल व० बनारसीदास २९ इला० ४९५; अशरफी कुँअर व० रूपचन्द ३० इला० १९७; रूपचन्द व० जम्बूसाद ३२ इला० २४७ प्री० कौ०; रूपम व० चुनीलाल अम्बुसेठ १६ वम्बई ३४७; मु० सानो व० मु० इन्द्रानी वहू ७८ इंडियन केसेज (नागपुर) ४६१; मौजीलाल व० गोरी वहू सेकेण्ड अपील न० ४१६ (१८९७ नागपुर जिसका हवाला इंडियन केसेज ७८ के पृ० ४६१ में है)।

यही दशा रही। परन्तु तो भी सरकारका उद्देश्य और न्याया-लयोंका कर्तव्य यही है कि बहु जैन-लोगों या जैन दिवाजोंके अनुसार ही जैनियोंके मुकदमोंका निर्णय करें। यह कोड इसी अभिलाषासे तैयार किया गया है कि जैन-लोगों फिर स्वतन्त्रतापूर्वक एक बार प्रकाशमें आकर कार्यमें परिणत हो सके तथा जैनी अपने ही कानूनके पावन्द रहकर अपने धर्मका समुचित पालन कर सकें।

यह प्रश्न कि हिन्दू-लोगोंकी पावन्दीमें जैनियोंका क्या विगड़ता है उत्पश्च नहीं होता है न होना ही चाहिए

इस प्रकार तो इम यह भी पूछ सकते हैं कि यदि मुख्य-

की इस बातके दिखानेके लिए कि यदि जैनी अपने कानूनकी पावन्दी नहीं करने पायेगी तो किस प्रवारकी हानियाँ उपस्थित होगी एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। जैनियोंमें पुत्रका अधिकार माताके जाधीन रखना गया है जिसकी उपस्थितमें वह विरसा (दाय) नहीं पाता है। यही अपने पतिकी सम्पूर्ण सम्पत्तिकी पूर्ण स्वामिनी होती है। वह स्वतन्त्र होती है कि उसे चाहे जिसको दे डाले। उसको कोई रोक नहीं सकता, मियाद इसके कि उसको छोटे बच्चोंके पालन-पोषणका ध्यान अवश्य रखना होता है। इस उत्तम नियमका यह प्रभाव है कि पुत्रको सदाचार, धीर और आज्ञापालनमें व्याप्ति बनना पड़ता है ताकि माताका उत्तम प्रेरणा रहे। 'पुत्रको रखतन्त्र स्वामित्व माताकी उपस्थितिमें देनेवा यह परिणाम होता है कि माताथी आज्ञा निष्पत्त हो जाती है। जैनियोंमें दोषियोंकी संख्या यम होना जैसा कि अन्य जातियोंकी अपेक्षा बहुमात्रमें है जैन-कानून यनोनेनालोंकी सुदिमत्ताका उद्दलन उदाहरण है। यदि जैनियों पर यह कानून लागू किया जाता है जिसका प्रभाव माताथी बदानको घंट कर देना या उसकी आज्ञाको निष्पत्त देना देना है तो ऐसी दशामें उत्तम उत्तम सदाचारकी आज्ञा नहीं की जा सकती।

मानों और ईसाइयोंके मुकदमे भी हिन्दू नीतिके अनुसार फैसल कर दिये जावें तो क्या हानि है। इस प्रकार किसी अन्य भारतकी नीतिकी पाबन्दीसे शायद कोई व्यक्ति सांसारिक विषयोंमें कोई विशेष हानि न दिखा सके। परन्तु स्वतन्त्रताके इच्छुकोंको रखयं ही विदित है कि प्रत्येक रीति क्रम (system) एक ऐसे उपषिक्षण पर निर्भर होता है कि जिसमें किसी दूसरी रीति क्रम (system) के प्रवेश कर देनेसे सामाजिक विचार और आचारकी स्वतन्त्रताका नाश हो जाता है और व्यर्थ हानि अथवा गड़बड़ीके अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता।

इतना कह देना भी यथेष्ट न होगा कि रिवाजोंके रूपमें ही जैन-नीतिके दद्दे शयोंका पूर्णतया पाठन हो सकता है और इसलिए अब तक जैसा होता रहा है वैसे ही होते रहने दो। क्योंकि प्रत्येक कानूनका जाननेवाला जानता है कि किसी विशेष रिवाजका प्रमाणित करना कितना कठिन कार्य है। सैकड़ों साक्षी और उदाहरणों द्वारा इसके प्रमाणित करनेकी आवश्यकता होती है जो साधारण मुकदमेवालोंकी शक्ति एवं एवं छोटे मुकदमोंकी हैसियतसे बाहर है। और फिर भी अन्यायका पूरा भय रहता है जैसा कि एकसे अधिक अवसरों पर हो चुका है।

समाज भी भयभीत दशामें रहता है कि नहीं मालूम मौखिक साक्षियों द्वारा प्रमाणित होनेवाले रिवाज-विशेष पर अन्यायालयमें क्या निर्णय हो जाय। यदि कहीं फैसला उलटा हो गया तो अशांति और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह (निर्णय) वास्तविक जाति रिवाजके प्रतिकूल हुआ। किसी साधारण मुकदमेमें अन्याय हो जाना यद्यपि दोषयुक्त है किन्तु उससे अधिक हानिकी सम्भावना नहीं है क्योंकि उसका प्रभाव केवल विषक्षियों पर ही पड़ता है। परन्तु साधारण रिवाजोंके सम्बन्धमें ऐसा होनेसे उसका प्रभाव सर्व समाज पर पड़ता

है। इसी प्रकारकी और भी हानियाँ हैं जो उसी समय दूर हो सकेंगी जब जैन-लोंग्स स्वतन्त्रताको प्राप्त हो जायगा।

कुछ व्यक्तियोंका विचार है कि जैन-धर्म हिन्दू-धर्मकी शाखा है। और जैन-नीति भी वही है जो हिन्दुओंकी नीति है। यह लोग जैनियोंको धर्म-विमुख हिन्दू (Hindu dissenters) मानते हैं। परन्तु बातविक्ता सर्वधा इसके विपरीत है।

यह सत्य है कि हिन्दू-लोंग्स और जैन-लोंग्स में अधिक समानता है तो भी यदि आर्योंका स्वतन्त्र कानून कोई हो सकता है तो जैन-लोंग्स ही हो सकता है। कारण कि हिन्दू-धर्म जैन-धर्मका स्रोत फिसी प्रकारसे नहीं हो सकता वरन् इसके विरुद्ध जैन-धर्म हिन्दू-धर्मका सम्भवतः मूल हो सकता है। क्योंकि हिन्दू-धर्म और जैन-धर्ममें ठीक वही सम्बन्ध पाया जाता है जो विज्ञान और काव्य-रचनामें हुआ करता है। एक वैज्ञानिक है दूसरा काव्यकारयुक्त। इसमेंसे पहिला कौन हो सकता है और पिछला कौन इसका उत्तर टामस कारताइलके कथनानुसार यों दिया जा सकता है कि विज्ञान (science) का सद्गुरु काव्य-रचना (allegory) से पूर्व होता है।

भावार्थ—पहिले विज्ञान होता है और पीछे काव्य-रचना।

जैनी लोग धर्म-विमुख हिन्दू (Hindu dissenters)

छः देशो रचयिताकी बनाई हुई निम्न पुस्तकें—

१. वी आफ नालेज (Key of Knowledge)
२. प्रैक्टिकल पाथ (Practical Path)
३. कोनडलोएन्स लॉक ओपोजिट्स (Confluence of Opposites ch. IX)
४. हिन्दू उत्तरार्द्ध (Permanent History of Bharatavarsha)
५. राष्ट्राचार्यकी रचित आत्मरामाद्य तथा हिन्दू प्रैक्टिकल कॉलेज भारतवर्ष (Permanent History of Bharatavarsha) ।

नहीं हो सकते हैं। जब एक धर्म दूसरे धर्म से पुथक् होकर निकलता है तो उनके अधिकांश सिद्धान्त एक ही होते हैं। अन्तर केवल दो घार वातोंका होता है। अब यदि हिन्दू मतको अलंकारयुक्त न मानकर जैन मतसे उसकी तुलना करें तो बहुतसे अन्तर मिलते हैं। समानता केवल थोड़ीसी ही वातोंमें है। सिवाय उन वातोंके जो लौकिक व्यवहारसे सम्बन्ध रखती हैं। यहाँ तक कि संस्कार भी जो एकसे मालूम पढ़ते हैं वास्तवमें उद्देश्यकी अपेक्षा भिन्न हैं ध्यानपूर्वक देखा जाय। जैनी जगतको अनादि मानते हैं; हिन्दू ईश्वर-कृत। जैन मतमें पूजा किसी अनादि निधन स्वयंसिद्ध परमात्माकी नहीं होती है वरन् उन महान् पुरुषोंकी होती है जिन्होंने अपनी उद्देश्य-सिद्धि प्राप्त कर ली है और स्वयं परमात्मा बन गये हैं।

हिन्दू मतमें जगद्-स्वामी जगद्-जनक एक ईश्वरकी पूजा होती है। पूजाका भाव भी हिन्दू मतमें वही नहीं है जो जैन मतमें है। जैन मतकी पूजा आदर्श पूजा (Idealatory), है। उसमें देवताको भोग लगाना आदि कियाएँ नहीं होती हैं, न देवतासे कोई प्रार्थना की जाती है कि हमको अमुक वस्तु प्रदान करो। हिन्दू मतमें देवताके प्रसन्न करनेसे अर्थ सिद्ध मानी गई है।

शास्त्रोंके सम्बन्धमें तो जैन-धर्म और हिन्दू-धर्ममें आकाश पातालका अन्तर है। हिन्दुओंका एक भी शास्त्र जैनियोंको मान्य नहीं है और न हिन्दू ही जैनियोंके किसी शास्त्रको मानते हैं। लेख भी शास्त्रोंके विभिन्न हैं। चारों वेद और अठारह पुराणोंका जो हिन्दू मतमें प्रचलित हैं कोई अंश भी जैन मतके शास्त्रोंमें सम्मिलित नहीं है, न जैन मतके पूज्य शास्त्रोंका शोई अंग स्पष्ट अथवा प्रकट रीतिसे हिन्दू शास्त्रोंमें पाया जाता है। जिन क्रियाओंमें हिन्दू और जैनियोंकी समानता पाई जाती है वह केवल

सामाजिक किया है। उनका भाव भी जहाँ कहीं वह धार्मिक सम्बन्ध रखता है एक दूसरेके विपरीत है। साधारण सम्बन्धों सम्बन्धी समानता विविध जातियोंमें जो एक-साथ रहती सहवीचली आई है, हुआ ही करती है।

मुख्यतः ऐसी दशामें जब कि उनमें विवाहादिक सम्बन्ध भी होते रहें जैसे हिन्दू और जैनियोंमें होते रहे हैं। कुछ सामाजिक व्यवहार जैनियों, हिन्दुओं और मुसलमान इत्यादिमें एकसे पाये जाते हैं। परन्तु इनका कोई मुख्य प्रभाव धर्म-सम्बन्धी विषयों पर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राजाज्ञों और वडे पुरुषोंकी देखादेखी भी बहुतसो बातें एक जातियी दूसरी जातिमें ले ली जाती हैं। आपत्ति-काढ़में धर्म और प्राणरक्षाके निमित्त भी धार्मिक कियाज्ञोंमें बहुत कुछ परिवर्तन फरना पड़ता है।

गत समयमें भारतवर्षमें हिन्दुओंने जैनियों पर बहुतसे अत्याचार किये। जैन श्रावकों और साधुओंसे घोर दुःख पहुँचाये और उनका प्राणघात तक किया। ऐसी दशामें जैनियोंने अपनी रक्षार्थ ग्राहणीय लोभकी शरण ली और सामाजिक विषयोंमें ग्राहणोंको पूजा पाठके निमित्त बुलाना आरम्भ किया।

१ स्वयं भद्रवाहु संदित्सके एक दूहरे अप्रकाशित भागमा निम्न श्वेत इस विषयकी स्पष्टतया दर्शाता है—

जैं किञ्चिव उपादम् अण विन्द्यं च लक्षणादेहे ।

दविष्णु देव शुद्धं गावी भूमिति विष्णु देवाण ॥ ४ ॥ ११२ ॥

भावार्प—जो कोई भी आपत्ति वा दृष्टि वा पटे हो तो उस उम्मद ग्राहण देखताओंको शुद्धि, गज और पृथ्वी दान देना चाहिए। ऐसे प्रकार उसकी शांति हो जाती है।

मोट—जैनियों पर हिन्दुओंके अत्याचारका दर्शन बहुत अपानी पर आया है। निम्नांकित छेत्र एक हिन्दू मन्दिरके स्तम्भ पर हैं जो

वह रिवाज अभी तक प्रचलित है और अब भी विवाहादिक संस्कारोंमें ब्राह्मणोंसे काम लेते हैं। परन्तु धर्म सम्बन्धी विवाह निःशान्त पृथक हैं। उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। अनभिज्ञ तथा अर्थविज्ञ पुरुषोंने आरम्भमें जैन-धर्मको बौद्ध-धर्मकी शाखा स्वरूप लिया था किन्तु अब इस धर्ममें कदाचित ही कोई पढ़ता हो। अब इसको हिन्दू मतकी शाखा सिद्ध करनेको कुछ बुद्धिमान उतारू हुए हैं, सो यह धर्म भी जब उच्च कोटिके बुद्धिमान इस ओर ध्यान देंगे शीघ्र दूर हो जायगा।

हिन्दुओंकी जैनियोंके त्रितीय गत समयकी स्पर्धा और अन्यायका उचलन्त उदाहरण है (देखो Studies in South Indian Jainism part II pages 34-35) :—

“ सरसेलमके स्तम्भ-लेख सम्बन्धी विवरणसे स्पष्टतया प्रकट है कि हिन्दुओंने जैनियों पर किस किस प्रकार अन्याय किये जिससे उस देशमें अन्तः जैनधर्मका अन्त हो गया। वह स्तम्भ-लेख वास्तवमें शिवोपासक हिन्दुओंका ही है। संस्कृत भाषामें भलिख अज्ञनके मन्दिरके मण्डपके दायें और बायें तरफ स्तम्भों पर यह एक लम्बा लेख है जिसमें उल्लिखित है कि सं० १४३३ प्रजोत्पत्ति माघ वदी १४ सोमवारके दिन सन्तके पुत्र राजा लिङ्गने, जो भक्त्योन्मत्त शिवोपासक था, सरसेलमके मन्दिरमें बहुत सी भेट चढाई। इसमें इस राजाका यह कार्य भी सराहा गया है कि उसने कतिपय इवेताम्बर जैनियोंके सिर काटे। यह लेख दो प्रकारसे विचारणीय है। प्रथम यह कि इससे प्रकट होता है कि अंध्र देशमें इसाकी भ्यारहवीं शताब्दिके प्रथम चतुर्थ भागमें शिवमतानु-वार्यी जैनियोंके साथ शत्रुता रखते थे। यह शत्रुता सोलहवीं शताब्दिके अंथम चतुर्थ भाग तक जानी दुश्मनी बन गई। द्वितीय यह कि दक्षिण भारतमें इवेताम्बर सम्प्रशायको भी दहाँके शिवोपासक लोग ऐसा सम्प्रदाम बनपालते थे जिसका अन्त कर देना शैवोंको असीष था। ”

नीतिके सम्बन्धमें भी जैनियों और हिन्दुओंमें दड़े दड़े अन्तर हैं। जैनियोंमें दत्तक पारलौकिक सुख प्राप्त करनेके बहुतेक्षयसे नहीं लिया जाता^१। पुत्रके होनेसे कोई मनुष्य पुण्य पापका भागी नहीं होता^२। बहुतसे तीर्थकर पुत्रवान् न होकर भी परम पूज्य पदको प्राप्त हुए। इसके विपरीत बहुतसे मनुष्य पुत्रवान् होते हुए भी नरकगामी होते हैं। न तो जैनधर्मका यह उपदेश है न हो सकता है कि कोई अपनी क्रियाओं या दानादिसे किसी मृतक जीवको लाभ पहुँचा सकता है।

पिण्डदानका शब्द जहाँ कहीं जैन नीति शाखोंमें मिलता है उसका बही अर्थ नहीं है जो हिन्दुओंके शाखोंमें पाया जाता है कि जैनियोंने यह शब्द अत्याचारके समयमें ब्राह्मण जातिके प्रसन्नतार्थ अपनी कुछ कानूनी पुस्तकोंमें बढ़ा लिया।

जैन-लोगों में पिण्डदानका अर्थ शब्दार्थमें लगाना होगा। जैसे सपिण्डका अर्थ शारीरिक अथवा शरीर सम्बन्धी है उसी प्रकार पिण्डदानका अर्थ पिण्डका प्रदान फरना, अथवा वीर्यदान फरना, भावार्थ पुत्रोत्पत्ति फरना है जिसके हारा पिण्ड अर्थात् शरीरकी उत्पत्ति होती है।

जैन-सिद्धांतके अनुसार पिण्डदानका इसके अतिरिक्त और कोई ठीक अर्थ नहीं हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अर्हत्वातिमें जो श्वेतांघर सम्प्रदायका एक मात्र नीति-सम्बन्धी अन्ध है पिण्डदानका उल्लेख फहीं भी नहीं आया है।

क्रियोंके अधिकारोंके क्रियमें भी जैन-लोग और हिन्दू-लोग में बहुत अंतर है। जैन-लोग के अनुसार क्रियां दायभाग्यी

(१) देखो शिवपुमार शं० ८० जीवराज २५ छं० ८० नी० नोट्स २७३ मानकचन्द्र बनाम मुजालात १५ पश्चाद रेकाट १९०९-४ दंडिदन केसेज ८४४; दर्पगाननीति २०।

पूर्णतया अधिकारिणी होती है। हिन्दू-लों में उनको केवल जीवन पर्यन्त (life estate) अधिकार मिलता है। सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व हिन्दू-लों के अनुसार पुरुषों ही को मिलता है। पत्नी पूर्णतया अर्धाङ्गिनीके रूपमें जैन-लों में ही पाई जाती है। पुत्र भी उसके समक्ष कोई अधिकार नहीं रखता है। जैन-लों में लड़की के बल बाचा (पितामह) की सम्पत्तिमें अधिकारी है। पिता की निजी स्थावर सम्पत्तिमें उसको केवल गुजारेका अधिकार प्राप्त है। और अपने जङ्गम द्रव्यका पिता पूर्ण अधिकारी है जाहे जिस प्रकार व्यय करे।

इसके अतिरिक्त हिन्दू-लों में अविभाजित दशा की प्रशंसा की गई है। जैन-लों में उसका निपेध न करते हुए पृथकूताका आप्रह है ताकि धर्मकी वृद्धि हो। जैन-लों में अविभाजित सम्पत्ति भी सामुदायिक द्रव्य (tenancy in common)के रूपमें है न कि भिताक्षराके अनुसार अविभक्त सम्पत्ति (Joint estate) के तीर पर। यदि कोई पुत्र धर्मभ्रष्ट एवं दुष्ट वा ढोठ है और किसी तरहसे न माने तो जैन नीतिके अनुसार उसको घरसे निकाल देनेकी आज्ञा है परन्तु हिन्दू-लों के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकारके अन्य भेदात्मक विषय हैं जो हिन्दू-लों और जैन लों के अवलोकनसे स्वयं ज्ञात हो जाते हैं। इसलिए यह कहना जैनधर्म हिन्दू धर्मकी शाखा है और जैन लों, हिन्दू ला समान हैं, नितान्त मिथ्या है।

अन्तिम सङ्कलित भागमें मैंने वह निवन्ध जोड़ दिया है जो डॉ गौड़के हिन्दू कोड़के सम्बन्धमें लिखा था। परन्तु उसमेंसे वह भाग छोड़ दिया है जिसका वर्तमान विषयसे कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उसमें कुछ ऐसे विशेष नोट बढ़ा दिये गये हैं जिनसे इस बातका ऐतिहासिक ढंगसे पता लगता है कि जैनियों पर हिन्दू लों को लागू करनेका नियम कैसे स्थापित किया गया।

अन्ततः मैं उन विनयोन्मत्त धर्म-प्रेमियोंसे जो अभी तक शास्त्रोंके छपानेका विरोध करते चले आते हैं अनुरोध करूँगा कि अब वह समय नहीं रहा है कि एकदिन भी और हम अपने शास्त्रोंको छिपाये रहें। यदि उनको शास्त्र सभाके शास्त्रोंको मन्दिरसे ले जाकर न्यायालयोंमें प्रविष्ट करना चाहिए नहीं है। (जिसको मैं भी अनुचित समझता हूँ) तो उनको शास्त्रोंको छपाना चाहिए ताकि छापेकी प्रतियोंका अन्य प्रत्येक स्थान पर प्रयोग किया जा सके, और जैन-धर्म, जैन-इतिहास और जैन-लोगों के संवंधमें जो विवरणियां संसारमें फैल रही हैं दूर हो सकें।

उन्दन	}	चम्पतराय जैन,
४-६-२६		वैरिस्टर-एट-ला, विद्यावारिधि।

हिन्दी अनुवादकी प्रस्तावना

जैन-लॉ की असली प्रस्तावना अंग्रेजी पुस्तकमें लिखी जा चुकी है, जिसका अनुवाद इस पुस्तकमें भी सम्मिलित है। हिन्दी अनुवादके लिए साधारणतः किसी पुस्तक मूर्मिकाकी आवश्यकता न थी किंतु क्षिप्य आवश्यक बातें हैं जिनका उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। और इस कारण उनको इस मूर्मिकामें लिखा जाता है—

(१) जैन-लॉ इस समय न्यायालयोंमें अमान्य है, परन्तु वर्तमान न्यायालयोंकी न्याय-नीति यही रही है कि यदि जैन-लॉ पर्याप्त विश्वस्त रूपसे प्रमाणित हो सके तो वह कार्य-रूपमें परिणत होना चाहिए। यह विषय अंग्रेजी मूर्मिका व पुस्तकके तृतीय भागमें सष्ट कर दिया गया है।

(२) पिछले पचास वर्षोंकी असन्तुष्टताके समयका चित्र भी तृतीय भागमें मिलेगा। जैन-लॉके उपस्थित न होनेके कारण प्रायः न्यायालयोंके न्यायमें भूल हुई है। कहीं कहीं रिवाजके रूपमें जैन-लॉ के नियमोंको भी माना गया है; अन्यथा हिन्दू-लॉ हीका अनुकरण कराया गया है। इस असन्तुष्टताके समयमें यह असंभव नहीं है कि कहीं कहीं विभिन्न प्रकारके व्यवहार प्रचलित हो गये हों।

(३) अब जैनियोंका कर्तव्य है कि तन, मन, धनसे चेष्टा करके अपने ही लॉका अनुकरण करें और सरकार व न्यायालयोंमें उसे प्रचलित करावें। इसमें बड़े भारी प्रयासकी आवश्यकता पड़ेगी। अनायास ही यह प्रधा नहीं दूट सकेगी।

कि जैनी हिन्दू डिस्चेन्टर हैं और हिन्दू-लोके पावन्द हैं जब-तक वह कोई विशेष रिवाज सदित न कर दें। इसके सिया कुछ ऐसे मनुष्य भी होंगे जो जैन-लोके प्रचारमें अपनी हानि समझेंगे। और कुछ लोग तो योंही 'नवीन' आंदोलनके विरुद्ध रहा करते हैं। ये गुलामीमें आनन्द माननेके लिये प्रस्तुत होंगे। किन्तु इन दोनों प्रकारके भ्राताशयोंकी संख्या कुछ अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ऐसे सज्जन बहुतसे निकलेंगे जिनके लिए यह विषय अधिक मनोरंजक न हो। यदि सर्व जैन जाति अर्थात् दिग्म्बरी, श्वेतांबरी और स्थानकवासी तीनों सम्प्रदाय मिलकर इस घातकी चेष्टा करेंगे कि जैन-लोक प्रचलित हो जाय तो कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि क्यों ऐसा न हो, यद्यपि प्रत्यक्षतया यह विषय आसानीसे सिद्ध न होगा।

(४) यदि हम निम्नलिखित उपायोंका अवलम्बन करें तो अनुमानतः शीघ्र सफल हो सकते हैं—

- (क) प्रत्येक सम्प्रदायको अपनी अपनी समाजोंमें प्रशमनः इस जैन-लोके पक्षमें प्रताव पास फराने चाहिए।
- (ख) फिर एक स्थानपर प्रत्येक समाजके नेताओंकी एक सभा करके उन प्रत्तावोंपर स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।
- (ग) जो सज्जन किसी कारणसे जैन-लोके नियमोंको अपनी इच्छाओंके विरुद्ध पावें वे अपनी इच्छाओंसे पूर्वी वसीयतके द्वारा दर सकते हैं। इस भाँति पर्यंत और जातिकी इतन्द्रता भी घटी रहेगी और उत्तम मानसिक इच्छाकी पूर्ति भी हो जायगी।
- (घ) मुश्दमेवाजी की सूतमें प्रत्येक सर्वे जैनीषांको घंसार

भ्रमणसे भयभीत और मोक्षका जिज्ञासु है यही दृत्तव्य है कि वह सांसारिक धन सम्पत्तिके लिए अपनी आत्माको मलिन न करे और दुर्गतिसे भयभीत रहे। यदि किसी स्थान पर कोई रीति यथार्थमें जैन-लों के लिखित नियमके बिरुद्ध है तो सष्ठ शब्दोंमें कहना चाहिए कि जैन-लों तो यही है जो पुस्तकमें लिखा हुआ है किन्तु रिवाज इसके बिरुद्ध है। और उसको प्रमाणित करना चाहिए।

इस पर भी यदि कोई सज्जन न मानें तो उनकी इच्छा। दिन्तु ऐसी अवश्यमें किसी जैनीको उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। न उनको असत्यके पक्षमें कोई साक्षी हो मिलना चाहिए वरन् जो जैनी साक्षीमें उपस्थित हो उसको साफ साफ और सत्य सत्य हाल प्रकट कर देना चाहिए। और सत्य बातको नहीं हुएगा चाहिए। जब उभय पक्षके गवाह स्पष्टतया सत्य बातका पक्ष लेंगे तो फिर किसी पक्षकी हठधर्मी नहीं चलेगी। चिचार होता है कि यदि इस प्रकार कार्यवाही की जायगी तो जैन-लों की स्वतन्त्रताकी फिर एक बार स्थिति हो जायगी।

(५) इस जैन-लों में बतेमान जैन शास्त्रोंका संग्रह, विना इस विचारके कि ये दिगम्बरी वा श्वेताम्बरी सम्प्रदायके हैं, किया गया है। यह हर्षकी बात है कि उनमें परस्पर मतभेद नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था (कानून) सब ही सम्प्रदायबालोंको मान्य हो सकती है। और किसीको इसमें विरोध नहीं होना चाहिए।

(६) जैन-लों और हिन्दू-लों (मिताक्षरा) में विशेष मिलता यह है कि हिन्दू-लों में समिलित-कुलमें ज्ञाइन्टइस्टेट (Joint estate) और सरवाइवरशिप (survivorship) का नियम है। जैन-लों में ज्ञाइन्ट टेनेन्सी (Joint tenancy) है। इनमें भेद यह है कि ज्ञाइन्ट इस्टेटमें यदि कोई सहभागी मर जाय तो उसके उत्तराधिकारी दायाद नहीं होते हैं, अवशिष्ट भागियोंकी ही जायदाद रहती है, और हिसोंका तखमीना चटवारेके समय तक नहीं हो सकता है। परन्तु ज्ञाइन्ट टेनेन्सीमें (survivorship) सरवाइवरशिप सर्वथा नहीं होता।

एक सहभागीके मर जाने पर उसके दायाद उसके भागके अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हिन्दू-लों में खानदान मुद्रिका मिताक्षराकी दशमें मृत भ्राताकी विधवाकी कोई हैसियत नहीं होती है और वह केवल भोजन वस्त्र पा सकती है।

जैन-लों में वह मृत पुरुषके भागकी अधिकारिणी होती चाहे उसकी विभक्ति हो चुकी या नहीं हो चुकी हो। पुत्र भी जैन-लों के अनुसार केवल पैतामणिक सम्पत्तिमें विताष्ठा सहभागी होता है और अपना भाग विभक्त कराकर प्रभकु एवं सकता है। किन्तु विताष्ठी मृत्युके पश्चात् वह उसके भागको माताकी उपस्थितिमें नहीं पा सकता; माताकी मृत्युके पश्चात् उस भागको पायेगा।

अरतु हिन्दू-लों में खोदा कोई अधिकार नहीं है। पति मरा और वह भित्तारिणी हो गई। पुत्र चाहे जबड़ा निरन्तर चाहे चुरा माताको हर समय उसके सम फौदीक्षा दीक्षीके द्वारा दाएँ

पसारना और गिड़गिड़ाना पड़ता है। वहुतेरे नये नवाब भोग-विलास और विषय सुखमें घरका धन नष्ट कर देते हैं। वेश्याओं उनकी धन-सम्पत्ति द्वारा आनंद करती हैं और उसको जलैब व्यय करती हैं। माता और पत्नी घरमें दो पेसेकी भाजीको आकिंचन बैठी रहती हैं। यदि भाई भतीजोंके हाथ धन लगा तो वे काहेको मृतककी विधवाकी चिन्ता करेंगे और यदि करेंगे भी तो टुकड़ों पर बसर करायेंगे।

यदि सौभाग्यवश पति कहीं पृथक् दशामें मरा तो विधवाको संपत्ति मिली किन्तु वह भी हीन हयाती रूपमें। कुछ भी उसने धर्म कार्य वा आचरणकाके निमित्त व्यय किया और मुकदमा छिड़ा। रोज इसी भाँतिके सहस्रों मुकदमे न्यायालयोंमें उपस्थित रहते हैं जिनसे कुटुम्ब व्यर्थ ही नष्ट होते हैं और परस्पर शत्रुता बंधती है। जैन-डॉ में इस प्रकारके मुकदमे ही नहीं हो सकते।

पुत्रकी उपस्थितिमें भी विधवाका मृत पतिकी सम्पत्तिको स्वामिनीकी हैंसियतसे पाना वास्तवमें अत्यन्त लाभदायक है। इससे पुत्रको व्यापार करनेका साहस होता है और वह आलस्य और जड़तासे बचता है। इसके सिवा उसको सदाचारी और आज्ञाकारी बनना पड़ता है। जितना धन विषय सुख और हरामखोरीमें नये नवाब व्यय कर देते हैं; यदि जैन-डॉ के अनुसार सम्पत्ति उनको न मिली होती तो वह सर्वथा नष्ट होनेसे बच जाती। यही कारण है कि जैनियोंमें सदाचारी व्यक्तियोंकी संख्या अन्य जातियोंकी अपेक्षा अधिकतर पाई जाती है। यह विचार, कि पुत्रके न होते हुए विधवा धन अपनी पुत्री और उसके पश्चात् नाती अर्थात् पुत्रीके पुत्रको दे देगी, व्यर्थ है।

हिन्दू-लों में भी यदि पुत्र नहीं है और संपत्ति - विभाग्य है तो विधवाके पश्चात् पुनर्मी और उसके पश्चात् नाती ही पाता है। पतिके कुटुम्बके लोग नहीं पाते हैं वरन् हिन्दू-लों के अनुसार तो नाती ऐसी विधवाकी संपत्तिको पावेगा ही क्योंकि विधवा पूर्ण स्वामिनी नहीं होती है वरन् केवल यादजीवन अधिकार रखती है। यदि वह इच्छा भी करे तो भी नातीको अनधिकृत करके पतिके भाई भतीजोंको नहीं दे सकती। इसके बिट्ठ जैन-लों में विधवा सम्पत्तिकी पूर्ण स्वामिनी होती है। पुनर्मी या नातीका कोई अधिकार नहीं दोता। अतः यदि उसके पतिके भाई भतीजे उसको प्रसन्न रखते और उसका आदर और विनय करें तो वह उनको सदका सब धन दे सकती है।

इस कारण जैन-लों की विशिष्टता सूखंद्र कान्तियुक्त है। इसमें विरोध करना मूर्खताका कारण है। यह भी ज्ञात रहे कि यदि कहीं ऐसा प्रकरण उपस्थित हो कि पुरुषको अपनी खी पर विश्वास नहीं है तो उसका भी प्रवन्ध जैन-लों में मिलता है। ऐसे अबसर पर वसीयतके द्वारा जार्य करना चाहिये और खेच्छानुकूल अपने धनका प्रवन्ध कर देना चाहिए।

यदि कोई खी दुराचारिणी है तो वह अधिकारिणी नहीं हो सकती है। यह स्पष्टतया जैन लोंमें दिया हुआ है। नेरे विचारमें यदि ध्यानसे देखा जायगा तो सम्भविते नए होनेश भय नये नवायोंसे इतना अधिक है कि जैन-लों के रचयिताज्ञोंसे आक्रोशका अबसर नहीं रहता है।

असु जो सज्जन अपने धर्मसे प्रेम रखते हैं और उसके रघातन्त्रयको नए करना नहीं चाहते हैं और जितको जैनी होनेका गौठ दे उनके लिये यही बाधश्यक है कि वे अपनी शक्ति भर दें। इस बातकी दृष्टि कि बिट्ठ तथा एनिदारण,

[२८]

अजैन पानूनोंकी दासतासे जैन-लों को मुक्त करा दें। गुडामीमें आनन्द माननेवाले सजनोंसे भी मेरा अनुरोध है कि वे आखें खोलकर जैन-लों के लाभोंको समझें और व्यर्थकी बातें बनाने वा कलम चलानेसे निवृत्त होवें।

—सन् १९२८]

—सी० आर० जैन (चम्पतराय जैन)





The Jain Law

जैन—लॉ (जैन कानून)

प्रथम भाग—प्रथम परिच्छेद

दत्तक विधि और पुत्र विमाग

यों कहने को लोग यहुत प्रकारके सम्बन्धियोंसे पुत्र (१) शब्दसे सम्बोधित कर देते हैं। परन्तु कानूनके अनुसार पुत्र हो दी प्रकारके माने गये हैं (१) औरस (२) दूसरा दत्तक (३)।

औरस पुत्र विवाहिता खोसे उत्पन्न हुए हो, और दत्तक जो गोद लिया हो उसे कहते हैं। सर्व पुत्रोंमें औरस और दत्तक

१. जैसे सहोदर (लघु भान), पुत्रका पुत्र पाला युवा ददा इत्यादि (देसो भद्रशाहु चंदिता ८८-८३; वर्षमान नीति २-४; इन्द्र० जि० ८० ३५-३४; शह० ६१-७१; विराणचर १। १; नीतिकाव्यामृत अथाव. ३१)। इनमें पही वही विरोध भी पाया जाता है जो अनुमानहो कानूनको कार्य अर्थात् पठने लियनेके बारें हो गया है। क्षेत्रिक वास्तव-रत्नना कानून लियनेके लिए उचित नीति नहीं है।

२ देसो उपर्युक्त प्रमाण न० १।

ही मुख्य पुत्र गिने गये हैं। गौण पुत्र जब गोद लिये जावें तभी पुत्रोंकी भांति दायाद हो सकते हैं अन्यथा अपने वास्तविक सम्बन्धसे यदि वह अधिकारी हों तो दायाद होते हैं जैसे छबु भ्राता। औरस और दत्तक दोनों ही सपिण्ड गिने जाते हैं और इसलिए पिण्डदान करनेवाले अर्थात् वंश चलानेवाले साने गये हैं। शेष पुत्र यदि अपने वास्तविक सम्बन्धसे सपिण्ड हैं तो सपिण्ड होंगे अन्यथा नहीं।

दत्तक पुत्रमें वह पुत्र भी सम्मिलित है जो कीत कहलाता है जिसका अर्थ यह है कि जो मोल लेकर गोद लिया गया हो। जिस शाख (३) में कीतको अनधिकारी माना है वहाँ तात्पर्य केवल मोल लिये हुए वालक्से है जो गोद नहीं लिया गया हो। नीतिवाक्यामृत (४) में जो पुत्र गुप्त रीतिसे उत्पन्न हुआ हो अथवा जो फेंका हुआ हो वह भी अधिकारी तथा पिण्डदानके योग्य (कुलके चलानेवाले) माने गये हैं, परन्तु वास्तवमें वे औरस पुत्र ही हैं। किसी कारणसे उनकी उत्पत्तिको छिपाया गया या जन्मके पश्चात् किसी हेतु-विशेषसे उनको पृथक्कर दिया गया था।

चारों चर्णोंमें एक पिताकी सन्तान यदि कई एकत्र (शामिल) रहते हों और उनमेंसे एकके ही पुत्र हो तो सभी भाई पुत्रवाले कहलावेंगे (५) इस प्रश्नका कि क्या वह अन्य भाई अपने लिए पुत्र गोद ले सकते हैं कोई उत्तर नहीं दिया गया है। परन्तु यह स्पष्ट है कि यदि वह एकत्र न रहते हों तो उनको पुत्र गोद लेनेमें कोई बाधा नहीं है। और इस कारणसे कि विभागकी मनाही नहीं है और वह चाहे जब अलग-अलग

३. नी० वा० अ॒श्वाय ३१ ।

४. " " " " ।

५. भद्र संहि० ३८, अ॒ह० १०० ।

हो सकते हैं यह परिणाम निकलता है कि उनको गोद लेनेकी मनाही नहीं है। हिन्दू-लॉर्डों भी ऐसा ही नियम था (देखो मनुस्मृति ९—१८२) परन्तु अब इसका कुछ व्यवहार नहीं है (देखो गोड़का हिन्दू कोड द्वितियावृत्ति पृ० ३२४) । यदि कोई व्यक्ति विना गोद लिए मर जाय तो दूसरे भाईका पुत्र उस मृतकके पुत्रकी भाँति अधिकारी होगा ।

यदि किसी पुरुषके एकसे अधिक खियाँ हों और उनमेंसे किसी एकके पुत्र हो तो वह सब खियाँ पुत्रवती समझी जावेगी (६) । उनको गोद लेनेका अधिकार नहीं होगा (७) । ज्योंकि खियाँ अपने निमित्त गोद नहीं ले सकती हैं केवल अपने मृतक पतिके ही लिए ले सकती हैं । और केवल उसी दशामें जब कि वह मृतक पुत्रवान् न हो । वह एक स्त्रीका लड़का उन सबके धनका अधिकारी होगा (८) ।

कौन गोद ले सकता है

औरस पुत्र यदि न हो (८) या मर गया हो (९) तो पुरुष अपने निमित्त गोद ले सकता है (१०) या औरस पुत्रको उसके दुराचारके कारण निशाल दिया हो और पुत्रत्व तोड़ दिया गया हो तो भी गोद लिया जा सकता है (११) ।

यदि पुत्र अविकाहित मर गया हो तो उसके लिए गोद नहीं लिया जा सकता (९) अर्थात् उसके पुत्रके तौर पर

६. भद्र० संहिता १९; अर्द० १८ ।

७. „ „ ४०; „ १८ ।

८. „ „ ४१; „ ८८—८९; अर्द० ३१—३२ ।

९. „ „ ५९; द० नी० ३२ ।

१०. „ „ ४१; अर्द० ८८—८९; द० नी० ३२ ।

११ अ० नी० ८८—८९ ।

नहीं लिया जा सकता । दत्तक पुत्रको यदि चारित्र्यप्रष्टाके फारण निकाल दिया गया हो तो भी उसके बजाय दूसरा लड़का गोद लिया जा सकता है (१२) ।

यदि पति मर गया हो तो विधवा भी गोद ले सकती है (१३) । विधवाको अनुमतिकी आवश्यकता नहीं है (१४) । यदि वो विधवा हों तो वही विधवाको छोटो विधवाकी अनुमतिके बिना गोद लेनेका अधिकार प्राप्त है (१५) । सास वहू दोनों विधवा हों तो विधवा वहू गोद ले सकती है (१६) । वशर्ते कि दो वहने पाया हो जो उसी दशामें सम्भव है जब पुत्र पिताके पश्चात् मरा हो । अभिप्राय यह है कि जायदाद जिसने पाई है वही गोद ले सकता है । जिसने जायदाद विरसेमें नहीं पाई है वह गोद लेकर वारिस जायजको वरसेसे महरूम नहीं कर सकता । विधवा वहू सासकी आङ्गासे गोद लेवे (१७) । परन्तु यह भी उपदेश मात्र है न कि लाजमी शर्त मालूम पहती है सिवाय उस अवस्थाके जब कि सास जायदादकी अधिकारिणी है । ऐसी दशामें उसकी अनुमतिका यही अभिप्राय

१२. वर्ध० २८; अर्ह० ८८-८९ ।

१३. „ २८ व ३०; , ५७ व १३२; भद्र० ७५ ।

१४. अशरफी कुँवर व० स्वरूपचन्द, ३० इलाहाबाद १९७। शिवकुमार व० ज्योराज २५ कल० वीकली नोट्स २३७ P.C.। ज्योराज चनाम शिवकुवर इ० केसेज़ ६६ पृ० ६५। मानकचन्द व० मुन्नालाल, ९५ पञ्चाव रिकार्ड १९०९ इ० =४ इ० के० ८४४। मनोहरलाल व० चनारसीदास २९ इला० ४९४।

१५ अशरफीकुँवर व० रूपचन्द ३० इलाहाबाद १९७, अमावा व० महदगौडा २२ वर्ष्वर्ह० ४१६।

१६. भद्र० ७५; अर्ह० ११०।

१७. भद्र० ११६।

होगा कि उसने विरसेसे हाथ खींच लिया और दत्तक पुत्र वह जायदाद पावेगा । दत्तक पुत्रके अविवाहित मर जाने पर उसके लिए कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता है (१८) । उसकी विधवा माता उसका धन जामाताको दे दे वा विरावरीके भोजन वा धर्म कार्यमें स्वेच्छानुसार लगावे (१९) । अभिप्राय यह है कि उसके विरसेकी अधिकारिणी उसकी विधवा माता ही होगी जो सम्पूर्ण अधिकारसे उसको पावेगी । वह विधवा अपने निमित्त दूसरा पुत्र भी गोद ले सकती है (२०) अर्थात् अपने पतिके लिए (२१) उस मृतक पुत्रके लिए नहीं ले सकती है । एक मुख्दमेमें, जिसका निर्णय हिन्दू-लौके अनुसार हुआ, जैन विधवाका पहिले दत्तक पुत्रके मर जाने पर दूसरा पुत्र गोद लेनेका अधिकार ठीक माना गया (२२) । दत्तक लेनेकी सब बणीको आज्ञा है (२३) । घम्बर्ह प्रान्तके एक मुख्दमेमें जिसका निर्णय रिवाजके अनुसार सन् १८९६ईमें हुआ जिसमें पिताकी जीवन अवस्थामें पुत्रके मर जानेसे सर्व सम्पत्ति उस मृतक युवकी विधवाओंने पाई, परन्तु यदी विधवाने पुत्र गोद ले लिया, इसे न्यायालयने उचित ठहराया यद्यपि छोटी विधवाकी विना सम्मति यह कार्य हुआ था (२४) ।

कौन दत्तक हो सकता है

जिसके बारण मनुष्य सपुत्र कहलाता है अर्थात् प्रथम पुत्र

१८. भद्र० ५९; अह० १२१-१२२ व १२४; वर्ष० ३०-३२ ।

१९. भद्र० २८; अह० १२३; वर्ष० ३३-३४ ।

२०. वर्ष० ३४ और देखो प्रिया लग्नानी ८० इण्डियानी ८० अदरास १८२ । २१. अह० १२४ । २२. लक्ष्मीचन्द व गटडाई ८० इलाहांधार ३११ । २३. अह० ८६ । २४. लग्नाया ८० भरद गोदा २२ वर्ष० ४१८ और देखो शुंभर ८० रुक्मन्द ३० इला० १९७ ।

गोद नहीं देना चाहिए (२५) क्योंकि प्रथम पुत्रसे ही पुरुष पुत्रवाला (पिता) कहा जाता है (२६)। संसारमें पुत्रका होना बड़ा आनन्ददायक समझा गया है (२७)। पुण्यात्माओंके ही बहुतसे पुत्र होते हैं जो सब मिलकर अपने पिताकी सेवा करते हैं (२८)। हिन्दू-लौकी भाँति अनुमानतः यह मनाही आवश्यकीय नहीं है और रिवाज भी इसके अनुसार नहीं है (२९)।

लड़का गोद लेनेवाली माताकी उम्रसे बड़ी उम्रका नहीं होना चाहिए (३०)। कोई बन्धन कुंचारेपनकी जैन-लौक में नहीं है (३१)।

देवर, पतिके भाईका पुत्र, पतिके कुटुम्बका बालक (३२), पुत्रीका पुत्र (३३) गोद लिये जा सकते हैं। परन्तु उक्त क्रमकी अपेक्षासे गोद लेना श्रेष्ठतर होगा (३४)। इनके अभावमें पतिके गोत्रका कोई भी लड़का गोद लिया जा सकता है (३४)। बड़ी आयुका, विवाहित पुरुष तथा संतानवाला भी

२५. अर्ह० ३२। २६. भद्र० ७। २७. भद्र० १ अर्ह० १२।
२८. अर्ह० १३। २९. गौड़का हिन्दू कोढ़ द्वितीयावृत्ति ३८२।

३०. भद्र० ११६ मगर देखो मानकचन्द्र व० मुन्नालाल ९२ पञ्चाव रेकार्ड १९०९८४ इंडियन केसेज्ज ८४४। ३१ इन्द्र० ११।

३२. इन्द्र० ११ मगर देखो मानकचन्द्र व० मुन्नालाल ९५ पञ्चाव रें० १९०९=४ इ० कें० ८४४ (निस्कृत देवरके गोद लेनेके)।

३३. होमावाई व० पंजियावाई ५ वी० रि० १०२ प्री० कौ० शिवसिंहरायं व० दाखी १ इला० ६८८ प्री० कौ०।

३४. अर्हक्षेत्रि ५५—५६।

गोद लिया जा सकता है (३५)। वृद्धी और बहिनके पुनर्जन्म की भी गोद लेनेकी आवश्यकता है (३६)।

गोद लेनेकी विधि

वास्तवमें गोदमें देना आवश्यक है (३७) परन्तु यदि घट असम्भव हो तो किसी अन्य प्रकारसे देना भी यथेष्ट होता (३८)। किन्तु दे देना आवश्यक है (३९)। इसका लेख भी यधासंभव होना चाहिए और रजिस्टरी होना चाहिए। प्राप्ति-काल दत्तक लेनेवाला पिता मन्दिरमें जाकर द्वारोद्धारण फरके श्री तीर्थकरदेवकी पूजा फरे और दिनमें कुदुम्य एवं विरादरीके लोगोंको इकट्ठा फरके उनके सामने पुत्र-जन्मका उत्सव मनावे और सब आवश्यक संस्कार पुत्र-जन्मकी भाँति फरे। इससे प्रकट होता है कि श्रीतीर्थकरदेवकी पूजा और वास्तवमें गोदमें दे देना अत्यन्त आवश्यक जाते हैं। परन्तु रियाजके अनुसार

३५. हसन अली घ० नागामल १ इला० २८८। मानस्करन्द घ० मुजालाल १५, पदाव रे० ११०९-१२ इण्डिन नेश्य० ८४४; मनोहरलाल घ० यनारसीदास २१ इला० ४९५; अदारफी कुंबर घ० रुपनन्द ३० इला० १९७; जहनादाई घ० जहारमल ४६ इण्डिन के० ८१।

३६. लक्ष्मीनन्द घ० गढ़० ८ इला० ३११, हसन अली घ० नागामल १ इला० २८८।

३७. भद्र० ४९-५१; अह० ५९-६०; गौडा हिन्दू घोड घ० घ० ३९६।

३८. शिव कुंबर घ० जीवराज २५, बल० दौ०नी० ३७३, श्री० कौ०।

३९. " " " " " " ।

जमनादाई घ० लुहारमल ५६ इण्डिन के० ८१, जीवराज घ० शिव-कुंबर ११ इण्डिन के० ६५।

यदि वात्तव्यमें गोदमें दे दिया गया है तो वह भी अनुमान्तः यथेष्ट माना जाय। हिन्दू-लोके अनुसार पुत्रके माता पिताके अतिरिक्त और कोई उसका सम्बन्धी गोद नहीं दे सकता। परन्तु जैन-लोकमें ऐसा कोई प्रतिबन्धक नियम नहीं है। जैन नीतिके अनुकूल अनाथ भी गोद लिया जा सकता है (४०)। यदि पुत्र वयभ्राप (वालिग) हो तो उसकी सम्मति वा छोटी अवस्थामें उसके किसी सम्बन्धीकी सम्मति भी पर्याप्त होगी (४१)। यदि माता और कुटुम्बी अन सहमत हों तो पुत्र गोद दिया जा सकता है (४२)।

जब कोई विधवा गोद ले तो उस विधवाको चाहिए कि सर्व सम्पत्तिका भार अपने दत्तक पुत्रको सौंप दे और स्वभं धर्म-ज्ञायमें संलग्न हो जाय (४३)।

दत्तक पुत्र लेनेका परिणाम

दत्तक पुत्र और स पुत्रके समान ही होता है (४४)। मता पिताके जीवन पर्यन्त दत्तक पुत्रको कोई अधिकार उनकी और ऐचामेहिक (मौखिकी अर्थात् वावाकी) सम्पत्तिको बेचने वा गिरवी रखनेका नहीं है (४५)।

यदि दत्तक पुत्र अयोग्य (कुचलन) हो या सदाचारके नियमोंके विरुद्ध कार्य करने लगे या धर्म-विरुद्ध हो जाय और

४०. गौड़का हिन्दू कोड द्विंद्र इव ३६७। पुरुषोत्तम वा वेनी-चन्द २३ वम्बद लॉ रिपोर्टर ३२७=६१ इन्ड के० ४९२।

४१ मानकचन्द वा० मुक्तालाल ९५ पञ्चाव रे० १९०९=४ इन्ड० के० ४४।

४२. अशरफी कुंभर वा० फृपचन्द ३० इला० १९७।

४३. भद्र० ५५ और ६६।

४४. अह० ५८।

४५. भद्र० ६०।

किसी प्रकार न माने, तो उसे न्यायालय द्वारा चाहे वह विवाहित हो अथवा अविवाहित हो घरसे निकाल दे और न्यायालयके द्वारा उससे पुत्रत्व सम्बन्ध छोड़ दे । (४६) । फिर उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा (४७) । इससे यह प्रकट है कि जेन-लॉ में पुत्रत्व तोड़नेशा (declaratory) मुद्रणमा ही सकता है । उस मुकदमेशा फैसला बरते समय प्राकृतिक न्यायको लक्ष्य रखता जायगा । अर्द्धीतिके शब्द इस विषयमें इतने विशाल हैं कि उसमें औरस पुत्र भी आ जाता है (४८) ।

यदि दत्तक पुत्र मातापिताकी प्रेमपूर्वक सेवा करता है और उनका आज्ञाकारी है तो वह औरसके समतुल्य ही समझा जायगा (४९) ।

यदि दत्तक लेनेके पश्चात् औरस पुत्र उत्पन्न हो जाय तो दत्तको चतुर्थ भाग सम्पत्तिका देवर पृथक् दर देना चाहिए (५०) ।

परन्तु यह नियम तभ ही लागू होगा जप वह पुत्र पिताकी सर्वर्णी खीसे उत्पन्न हो । असर्वर्णी खीकी सन्तान केवल गुजारेंसी अधिकारी है, दाय भागकी अधिकारी नहीं है (५१) । परन्तु यह विषय कुछ अस्पष्ट है क्योंकि अनुमानतः यहीं असर्वर्णी

४६. भद्र ५२—५४; वर्ष ० २५—२९; अर्द्ध ० ८८—८१ ।

४७ , , ५४; , , ८३; , , ८० ।

* Declaration—सचना घोषणा ।

४८. अर्द्ध ० ८६—८८ और ९५ ।

४९ , , ५८ ।

५०. भद्र ९३—९४; वर्ष ० ५—६; अर्द्ध ० ६३—६८ । इसमें मुख्योलाल अम्बुद्धोठ १६ दर्शक ३४४ ।

५१. अर्द्धीति ८६; वर्ष ० ४ ।

शब्दका अर्थ शूद्रा स्त्रीका है । क्योंकि जैन नीतिमें उच्च जातिके पुरुषकी सन्तान, जो शूद्र स्त्रीसे हो, गुजारे मात्रकी अधिकारी है । अनुमानतः रचयिताके विचारमें केवल यह विषय था कि वैश्य पिताके एक वैश्य वर्ण और दूसरी शूद्र वर्णकी ऐसी हो स्थियां हों और दत्तक लेनेके पश्चात् उस पिताके पुत्र उत्पन्न हो जाय तो यदि यह पुत्र वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न हुआ है तो दत्तक पुत्रको सम्पत्तिका चतुर्थ भाग दिया जायगा और शेष औरस पुत्र लेगा, परन्तु यदि पुत्र शूद्रा स्त्रीसे उत्पन्न हुआ है तो वह दत्तक पुत्रको अनधिकारी नहीं कर सकेगा केवल गुजारा पावेगा जो उसे जैन-रॉके अनुसार प्रत्येक द्रश्मामें मिलता ।

पगड़ी बांधनेके योग्य औरस पुत्र ही होता है (५२) । परन्तु यदि औरस पुत्रके उत्पन्न होनेसे प्रथम ही दत्तक पुत्रके पगड़ी बांध दी गई है तो औरस पुत्रके पगड़ी नहीं बंधेगी, किन्तु दोनों समान भागके अधिकारी होंगे (५२) ।

औरस तथा दत्तक दोनों ही प्रकारके पुत्र यदि माताकी आज्ञाके पालनमें तत्पर, विनीत एवं अन्य प्रकार गुणवान् हों और विद्योपार्जनमें संलग्न हों तो भी वे साधारण कुल-व्यवहारके अतिरिक्त कोई विशेष कार्य माताकी इच्छा तथा सम्मतिके बिना नहीं कर सकते (५३) । यह नियम पुत्रकी नावालगीके सम्बन्धमें लागू होता मालूम पड़ता है अथवा उस सम्पत्तिसे लागू है जो माताको दाय भागमें मिली है जिसके प्रबन्ध करनेमें पुत्र स्वतन्त्र नहीं है । अन्य अवस्थाओंमें यह नियम परामर्श तुल्य ही है (५४) ।

५२. भद्र० ९३—९४; वर्ष० ५—६; अह० ६७—६८ ।

५३. वर्ष० १८—१९; अह० ८३—८४ ।

५४. अह० १०४ ।

द्वितीय परिच्छेद—विवाह

पुरुषको ऐसी कन्यासे विवाह करना चाहिए जो उसके गोत्रकी न हो वरन् किसी अन्य गोत्रकी हो परन्तु उस पुरुषकी जातिकी हो और जो आरोग्य, विद्यावती, शोलवती हो और उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हो (१)। वर भी बुद्धिमान्, आरोग्य, दृष्टि कुलीन, रूपवान् और सदाचारी होना चाहिए (२)। जिस कन्याकी जन्मराशि पतिकी जन्मराशि से छठी या आठवीं न पढ़ती हो ऐसी कन्या बरने योग्य है (३)। उसको पतिके वर्णसे विभिन्न वर्णकी नहीं होना चाहिए (४)। कन्या रूपवती हो तथा आयु और डीलडौलमें बरसे न्यून हो (५)। परन्तु यह कोई आवश्यक नियम नहीं है। गोत्रके विषयमें नियम प्रतिवन्धक (लाजिमी) है (६)। बुआकी लड़की, गामाकी लड़की और सालीके साथ विवाह करनेमें दोष नहीं है (७)। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है और इस विषयमें स्थानीय रिवाजका ध्यान रखना होगा (८)। मौसीकी लड़की अधिका सासूकी वहिनसे विवाह करना मना है (९)। गुरुकी पुत्रीसे भी विवाह अनुचित

(१) वैवर्णनाचार अध्याय ११ श्लोक ३।

(२) " " " ४।

(३) " " " ३५।

(४) " " " ३६, १०।

(५) " " " ३८, १३४।

(६) " " " ३७।

(७) " " ११—१७; मोमदेव नीति (ऐसा बालारेखी-गातुल सम्बन्धः)।

(८) प्र० अ० ११ श्लो० १०।

है (९) यदि विवाहका इकरार हो चुस्त है और लड़कीके पश्चवाले उसपर कार्यवद्ध न रहें तो वह हर्जा देनेके जिम्मेदार हैं (१०)। यही नियम दूसरे पक्षवालों पर भी अनुमानतः लागू होगा। परन्तु अब इन विषयोंका निर्णय प्रचलित कानून अर्थात् ऐक्ट मुआहिदे (दि इन्हियन बौन्टी कट ऐक्ट) के अनुसार किया जायगा। यदि विवाहके पूर्व कन्याका देवलोक हो जाय तो सर्वा काटकर जो कुछ उसको समुरालसे मिला था (गहना आदि) लौटा देना चाहिए (११)। और उसे अपने भाईके या ननिहालसे मिला हो वह उसके सहोदर भाइयोंको दे देना चाहिए (११)।

जैन-नीतके अनुसार उच्च वर्णवाला पुरुष नीच वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता है (१२)। परन्तु शूद्र खीसे किसी उच्च वर्णवाले पुरुषकी जो सन्तान होगी तो वह सन्तान पिताकी सम्पत्ति नहीं पावेगी (१३)। केवल गुजारे, मात्रकी अधिकारी होगी (१४)। अथवा वही सम्पत्ति पावेगी जो उनके पिताने अपनी जीवनावस्थामें उन्हें प्रदान कर दी हो (१५)। शूद्र पुरुषको केवल अपने वर्णमें अर्थात् शूद्र खीसे विवाह करनेका अधिकार है (१६)। श्री आदिपुराणमें ऐसा नियम दिया हुआ है—

“शूद्रा शूद्रेण वोढव्यं नान्यातां न्वांच नैगमः।

वहेत्सवां तेच राजन्माः वा द्विजन्मःत्रकृचिच्छताः ॥”

पर्व १६, २४७ इलोक।

(९) „ „ „ „ ४०।

(१०) अहं २७। (११) „ १०।

(१२) अह० ८—४०; भद्र० ३२—३३; इन्द्र० ३०—३१।

(१३) „ ३९—४१; इ० न० ३२।

(१४) „ ४०—४१; भद्र० ३५—३६।

(१५) भद्र० ३५; इन्द्र० ३२—३४।

(१६) अह० ४४।

इसका अर्थ यह है कि पुरुष अपनेसे नीचे बर्णकी कल्यासे विवाह कर सकता है। अपनेसे ऊंचे बर्णकी खोसे नहीं कर सकता। इस प्रकार व्रात्यग चारों वर्णकी त्रियां, ऋत्रिय तीन वर्णकी, वैश्य दो दर्णकी, और शूद्र केवल एक वर्णकी अर्थात् स्ववर्ण खोका पाणिप्रहण कर सकता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम पूर्व समयमें प्रचलित था। पश्चात्में व्रात्यग पुरुषका शूद्र खो से विवाह करना अनुचित समझा जाने लगा।

परत्परं त्रिवर्णानां विवाहः पंक्तिभोजनम् ।

कर्तव्यं न च शूद्रैस्तु शूद्राणां शूद्रकैः सहः ॥

९/२५६ ॥ (१७) ।

विवाहोंके भेद

व्रात्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राज्ञापत्य विवाह यह चार धर्मविवाह कहलाते हैं (१८) और असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह यह चार अधर्म विवाह कहलाते हैं (१९)।

बुद्धिमान् घरको अपने घर पर दुलाकर बहुमूल्य आमृपणों आदि सहित दून्या देना व्रात्य विवाह है (२०)। ध्रीजिनेन्द्र भगवानकी पूजा करनेवाले सहधर्मी प्रतिप्राचार्यको पूजाकी समाप्ति पर पूजा करनेवाला अपनी फल्गा दे दे तो यह देव विवाह है (२०)। यही दोनों उत्तम प्रकारके विवाह गाने गये हैं क्योंकि इनमें घरसे शादीके घटलेमें कुछ लिया नहीं

१७. पर्म उपह शादकानार मेयारी रक्षित १५०५ इ०

(१५६९ विक्रम संदर्भ) ।

१८. श्री० अ० ११ इलोक ७० ।

१९. " " " ७१ ।

२०. श्री० अ० इलोक ७२ ।

आता । कन्याके वस्त्र या कोई ऐसी ही मामूली दामोंकी बस्तु वरसे लेकर धर्मानुकूल विवाह कर देना आप विवाह है (२१) ।

कन्या प्रदानके समय “तुम दोनों साथ साथ रहकर स्वधर्मका आचरण करो” ऐसे वचन कहकर विवाह कर देना प्राजापत्य विवाह कहलाता है (२२) । इसमें अनुमानतः वरकी औरसे कन्याके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट होती है और शायद यह भी आवश्यकीय नहीं है कि वह कुंआरा ही हो (२३) । कन्याको मोल लेकर विवाह करना असुर विवाह है (२४) । कन्याऔर वरका स्वयं निजेच्छानुसार माता पिताकी सम्मतिके बिना ही विवाह कर लेना गान्धर्व विवाह है (२५) । कन्याको वरजोरीसे पकड़कर विवाह कर लेना राक्षस विवाह है (२६) । अचेत, असहाय, या सोती हुई कन्यासे भोग करके विवाहना पैशाच विवाह है (२७) यह सबसे निकृष्ट विवाह है ।

आजकल केवल प्रथम प्रकारका विवाह ही प्रचलित है; शेष सब प्रकारके विवाह बन्द हो गये हैं । श्रीआदिपुराणके अनुसार स्वयंवर विवाह जिसमें कन्या स्वयं वरको चुने सबसे उत्तम माना गया है । परन्तु अब इसका भी रिवाज नहीं रहा ।

विधवाविवाह

विधवा विवाह उत्तरीय भारतमें प्रचलित नहीं है । परन्तु

२१. ब्रै० अध्याय ११ इलोक ७३ ।

२२. „ „ „ ७४ ।

२३. गुलाबचन्द सरकार शास्त्रीका हिन्दू-लॉ ।

२४. ब्रै० अध्याय ११ इलोक ७५ ।

२५. „ „ „ „ ७६ ।

२६. „ „ „ „ ७७ ।

२७. „ „ „ „ ७८ ।

बरार और आस-पासके प्रांतोंमें कुछ जातियोंमें होता है जैसे सेतवाल। पुराणोंमें कोई उदाहरण विधवा विवाहका नहीं पाया जाता है किन्तु शास्त्रोंमें कोई आज्ञा या निपेघ त्यष्टः इस विषयके सम्बन्धमें नहीं है। परन्तु त्रिवर्णचारके कुछ श्रेक ध्यान देने योग्य हैं (२८)। इसलिए विधवा विवाह सम्बन्धी मुकदमोंका तिर्णय देशके व्यवहारके अनुसार ही किया जा सकता है।

विवाहविधि

बागदान, प्रदान, वरण, पाणिपीड़न और सप्तपदी विवाहके विधानके पांच अङ्ग हैं (२९)।

बागदान (engagement) अधवा सगाई उस इकरारको एहते हैं जो विवाहके पूर्व दोनों पक्षोंमें विवाहके सम्बन्धमें होता है। प्रदानका भाव वरकी ओरने गहना इत्यादिका कन्याको भेंट रूपसे देनेका है।

वर्ण कन्यादानलो कहते हैं जो कन्याका पिता वरके निमित्त दरता है। पाणिपीड़न या पाणिप्रदणका भाव दाख मिटानेसे है। (क्योंकि विवाहके समयपर वर और कन्याके हाथ मिटाये जाते हैं)। सप्तपदी भौवरोंको कहते हैं। कन्यादान पिताको दरना चाहिए, यदि वह न हो तो वाधा, भाई, चाचा, पिता, गोपका कोई व्यक्ति, गुरु, जाता, मामा कमशः इस कार्यको दरे (३०)। यदि कोई न हो तो कन्या स्वयं अपना विवाह दर सदृशी है (३१)। यिना सप्तपदीके विवाह पूर्ण नहीं ममका सा सफलता (३२)।

(२८) वृ० भ० ११ इ०० २० और २४।

(२९) वृ० द० अ० अ० ११ इ०० ४१।

(३०) वृ० भ० ११ इ०० ८२।

(३१) " " " " ८३।

(३२) " " " " १०२।

सप्तपदीके पूर्व और पाणिप्रहणके पश्चात् यदि वरमें कोई जाति-दोष मालूम हो जाय या वर दुराचारी विदित हो तो कन्याका पिता उसे किसी दूसरे वरको विवाह सकता है (३३)। इस विषयमें कुछ मतभेद जान पड़ता है क्योंकि एक श्लोकमें शब्द पतिसंगसे पहले लिखा है (३४)। जैन-नीतिके अनुसार एक पुरुष कई छियोंसे विवाह कर सकता है अर्थात् एक श्रीकी उपस्थितिमें दूसरी श्रीसे विवाह कर सकता है (३५)। विवाहके पश्चात् सात दिन तक वर और कन्याको ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करना चाहिए। पुनः किसी तीर्थ शेवती यात्रा करके किसी दूसरे स्थानपर परस्पर विहार करें और भोग-विलास (honey moon) में अपना समय वितावें (३६)।

(३३) „ „ „ „ १७४।

(३४) „ „ „ „ १७५।

(३५) „ „ „ „ १७६ व १९७ व १९९ व २०

(३६) आदिपुराण अ० ३८ „ १३१—१३३।



तृतीय परिच्छेद-सम्पत्ति

जैन-लोके अनुसार सम्पत्तिके स्थावर और जड़म दो भेद हैं । जो पदार्थ अपनी जगह पर स्थिर है और हलचल नहीं कर सकता वह स्थावर है, जैसे गृह, बाग इत्यादि; और जो पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानमें सुगमतापूर्वक आ जा सकता है वह जड़म है (१) । दोनों प्रकारकी सम्पत्ति विभाजित हो सकती है । परन्तु ऐसा अनुरोध है कि स्थावर द्रव्य अविभाजित रखने जायँ (२) । क्योंकि इसके कारण प्रतिप्रा और स्थामित्र पने रहते हैं (देखो अर्हन्नीतिं श्लो० ५) ।

दाय भागकी अपेक्षा सप्रतिवन्ध और अप्रतिवन्ध दो प्रकारकी सम्पत्ति मानी गई है । पहिले प्रकारकी सम्पत्ति वह है जो स्वामीके सरण पश्चात् उसके घेटे, पीतोंको सन्तानकी सीधी रेखामें पहुँचती है । दूसरी वह है जो सीधी रेखामें न पहुँचे बरन् चाचा, ताऊ इत्यादि कुद्रव्य सम्बन्धियोंसे मिले (३) ।

सम्पत्ति जो विभाग योग्य नहीं है

निम्न प्रकारकी सम्पत्ति भाग योग्य नहीं है—

१—जिसे पिताने अपने निजो मुख्य गुणों या पराक्रम द्वारा प्राप्त किया हो; जैसे राज्य (४) ।

२—ऐत्रिक सम्पत्तिशी सद्यायता विना जो द्रव्य विसीने

१. भद्र० १४—१५; अर्ह० ३—४ ।

२. भद्र० १६ और ११३; अर्ह० ५ ।

३. अर्ह० २; इन्द्र० २ ।

४. भद्र० १०० ।

विद्या आदि गुणों द्वारा उपार्जन किया हो, जैसे, विद्या-ज्ञान द्वारा आय (५)।

३—जो सम्पत्ति किसीने अपने मित्रों अथवा अपनी खीके घन्धुज्जनोंसे प्राप्त की हो (६)।

४—जो खानोंमें गढ़ी हुई उपचरण हो जावे अर्थात् दफीना आदि (७)।

५—जो युद्ध अथवा सेवा-कार्यसे प्राप्त हुई हो (८)।

६—जो साधारण आमूषणादिक पिताने अपनी जीवना-वस्थामें अपने पुत्रों वा उनकी लियोंको स्वयं दे दिया हो (९)।

७—खो-धन (१०)।

८—पिताके समयकी दूधी हुई सम्पत्ति जिसको किसी भाईने अविभाजित सम्पत्तिकी सहायता चिना प्राप्त की हो (१० अ)। परन्तु स्थावर सम्पत्तिकी दशामें वह पुरुष जो उसे प्राप्त करे केवल अपने सामान्य भागसे चतुर्थ अंश अधिक पावेगा (११)।

५. भद्र० १०२ और १०३; वर्ध० ३७—३८, अह० १३३—१३५; इन्द्र० २१।

६. भद्र० १०२; अह० १३३—१३५; वर्ध० ३७—३८।

७. , १०२।

८ वर्ध० ३७—३८; अह० १३३—१३५।

९ अह० १३२।

१०. भद्र० १०१; वर्ध० ३९—४५; इन्द्र० ४७—४८; अह० १३६—१४३।

(१० अ) वर्ध० ३७—३८; अह० १३३—१३५।

११. इन्द्र० २० (मित्राक्षरा लॉ का भी यही भाव है)।

विभाग

हिन्दू-लोके विरुद्ध जैन-लोके विभागको उत्तम बतलाता है क्योंकि उससे धर्मकी वृद्धि होती है और प्रत्येक भाईको पृथक् पुरबकृ धर्म-लाभका शुभ अवसर प्राप्त होता है (११ अ) ।

विभागयोग्य जो सम्पत्ति नहीं है उसे छोड़कर शेष सब प्रकारकी सम्पत्ति नीति और मुख्य रिकाजके अनुसार (यदि कोई हो) दायादोंमें विभक्त हो सकती है (१२) ।

पिताकी जो सम्पत्ति विभागयोग्य नहीं है उसको केवल सबसे बड़ा पुत्र हो पावेगा (१३) । वह पुत्र जो चोरी, विषय-सेवन अथवा अन्य व्यसनोंमें लिप्त है और अत्यन्त दुराचारी है अदालतके द्वारा अपने भागसे वंचित रखदा जा सकता है (१४) । पिताकी उपार्जित सम्पत्ति जैसे राज्यादि, जो उपेत्र पुत्रको मिली है, उसमें छोटे भाइयोंको, जो विद्याध्ययनमें संलग्न हों, कुछ भाग गुजारे निमित्त मिलना चाहिए (१५) । परन्तु शेष (विभागयोग्य) सम्पत्तिमें अन्य सब भाई समान भागके अधिकारी हैं जिससे वे व्यापार आदि व्यवसाय कर सकते हैं (१६) ।

पिताकी जीवन-अवस्थामें विभाग

चायाकी सम्पत्तिमेंसे पुत्रोंको, उनकी माताओंको और पिताको समान भाग मिलने चाहिए (१७) । परन्तु यदि सम्पत्ति चायाकी

(११ अ) भद्र० १३ ।

१२. इन्द्र० ४५; भद्र० ४ ।

१३. भद्र० १०० ।

१४. अद्व० ८६—८७ और १२० ।

१५. भद्र० ९८ ।

१६. भद्र० ९९ ।

१७. अद्व० २७ ।

नहीं है और पिता की ही स्वयं उपार्जित है तो पुत्रों को कोई अधिकार विभाजित करने का नहीं है । जो कुछ भाग पिता प्रसन्नतापूर्वक पुत्र को पृथक् करते समय दे उसे उसीपर संतोष करना चाहिए (१८) ।

माता की जीवनावस्थामें जिस द्रव्यकी वह स्वामिनी है उसको भी पुत्र के बल उसकी इच्छानुसार ही पा सकते हैं (१८) ।

माता पिता की मृत्युके पश्चात् विभाग

पिता की मृत्युके पश्चात् सब भाई पैत्रिक (वापकी) सम्पत्तिको समानतः बांट लें (१८) । प्रथम ऋण चुकाना चाहिए (यदि कुछ हो) तत्पश्चात् शेष सम्पत्ति विभक्त करना उचित है (१९) ।

ज्येष्ठांसी

जैन-नीतिमें सबसे प्रथम उत्पाण हुए पुत्र का अधिकार कुछ विशेष माना गया है (२०) । बावाकी सम्पत्ति के अतिरिक्त पिता की स्वयं उपार्जित सम्पत्तिको ज्येष्ठ पुत्र ही पायेगा । अन्य लघु पुत्र अपने ज्येष्ठ भ्राताको पिता के समान मानकर उसकी आज्ञामें रहेंगे (२१) । यह नियम राज्य अथवा बड़ी बड़ी रियासतोंसे लागू होगा । परन्तु खजायादिकी अवस्थामें जो छोटे भाई अपने बड़े भाई की आज्ञाका पालन करते रहेंगे उनके निर्वाह आदिका दायित्व बड़े भाई पर होगा । यह तो कानूनी परिणाम ही होता है ।

विभाग के समय सम्पत्तिको अपेक्षासे कुछ भाग (जैसे दशांश) ज्येष्ठ भ्राताके निमित्त पृथक् कर दिया जावे; शेष सम्पत्ति सब

१८. भद्र० ४, अष्ट० ८; अर्ह० १५ ।

१९. भद्र० १११; अर्ह० १६ ।

२०. „ ६ ।

२१. „ ५ ।

भाइयोंमें समानतः विभाजित की जावे । इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र, और भाइयोंके समान भाग पायगा और उनसे कुछ अधिक ज्येष्ठांसीके उपलक्ष्में भी पावेगा (२२) । यदि अन्य भाई जयश्राप नहीं हैं तो वे बड़े भाईकी संरक्षकतामें रहेंगे और उनकी सम्पत्तिकी देखभाल और सुव्यवस्थाका भार भी ज्येष्ठ भाई पर होगा (२३) । बाबाकी सम्पत्ति सब भाइयोंमें घराघर बराघर बँटनी चाहिए (२४) । बाबाकी सम्पत्तिका भाग भीढ़ियोंकी अपेक्षासे होगा, भावार्ध-पुत्रोंकी गणनाके अनुसार । यौव्र अपने अपने पिताओंके भागको समानस्वर्येग बांटेंगे (२५) ।

यदि कोई मनुष्य विभागके पश्चात् मर जाय और कोई अधिक करीबी-चारिस न छोड़े तो उसका हिसाब उसके भाई भतीजे पावेंगे (२५ अ) ।

यदि विभक्त हो जानेके पश्चात् पुनः सब भाई एकत्र हो जावें और फिर विभाजित हों तो उस समय ज्येष्ठांसीका एक नहीं माना जायगा (२६) ।

यदि दो पुत्र एक समय उत्पन्न हुए हों तो उनमेंसे जो प्रथम उत्पन्न हुआ है वही ज्येष्ठ समझा जायगा (२७) । यदि प्रथमोत्पन्न पुत्री हो तत्पश्चात् पुत्र हुआ हो तो पुत्र ही ज्येष्ठ माना जायगा (२८) ।

२२ भद्र० १५ ।

२३ अर्द० २१ ।

२४ इन्द्र० २४ ।

२५ अर्द० ९९ ।

(२५ अ) श० नी० ५२; और देसो अर्द० ९०—९१ ।

२६. भद्र० १०४—१०५ ।

२७. " २२; अर्द० २९ ।

२८. " २३; " ३० ।

गोधन अर्थात् भाय भैंस धोड़ा इत्यादि विभागयोग्य हैं। परन्तु यदि कोई भागी पुरुष उनके रखनेके योग्य न हो तो उसका भाग भी दूसरे भागी निःसन्देह ले लें (२९)। अनुमानतः इस नियम पर चर्तमानकालमें जब कि गोधनका मूल्य अति अधिक हो गया है व्यवहार नहीं हो सकेगा। शायद पूर्व समयमें यह नियम उस दशामें लागू होता था जब कोई भागी किसी चतुष्पदको खिलाने और रखनेमें असमर्थ होता था तो उसके बदलेमें किसीसे कुछ याचना किये बिना ही अपने भागका परित्याग कर देता था। ऐसी दशामें उस भागका मूल्य देनेका दायत्व यों ही किसी पर न हो सकता था।

दामादकी अयोग्यता

निम्नलिखित मनुष्य दायभागसे बच्चित समझे गये हैं—

१—पैदायशी नपुंसकता या ऐसे रोगका रोगी जो चिकित्सा करनेसे निरोग नहीं हो सकता (३०)।

२—जो सब प्रकारसे सदाचारका विरोधी हो (३१)।

३—उन्मत्त, लँगड़ा, अन्धा, रजील (क्षुद्र=नीच), कुब्जा (३२)।

४—जातिच्युत, अपाहिज, माता पिताका घोर विरोधी, मृत्युनिकट, गूंगा, बहरा, अतीब कोधी, अङ्गहीन (३३)।

ऐसे व्यक्ति केवल गुजारेके अधिकारी हैं, भागके नहीं (३४)। परन्तु यदि उनका रोग शान्त हो गया है तो वह अपने

२९. भद्र० १८।

३०. „ ६९; अह० ९२, ९३; इन्द्र० ४१-४२ वर्ध० ५२; ५३।

३१. इन्द्र० ४५।

३२. भद्र० ७०; अह० ९३-९४; इन्द्र० ४१-४२, वर्ध० ५३।

३३. अह० ९२-९३; इन्द्र० ४१-४२ व ४५।

३४. „ ९; „ १०, ४१-४२ व ४३।

भागके अधिकारी हो जायेंगे (३५)। नहीं तो उनका भाग उनकी पत्नियों या पुत्रोंको यदि वे योग्य हों पहुंचेगा (३६)। यो पुत्रीके पुत्रको मिलेगा (३७)। दायभागकी अर्थार्थताका यह भाव नहीं है कि मनुष्य अपनी निजी सम्पत्तिसे भी वंचित कर दिया जाने (देखो भद्रपाद० १०३)।

जिस पुरुषको दायभाग लेनेकी इच्छा न हो उसको भी भाग न मिलेगा (३८)। और जो पुरुष मांसादिक अभक्ष्य प्रदण करता है वह भी भागसे वंचित रहेगा (३९)। इस वात्सा अनुमानतः निर्णय न्यायालयसे ही होगा और सम्भव है कि वर्तमान दशामें यह नियम परामर्श रूप ही माना जावे।

साधुका भाग

यदि कोई पुरुष विभाजित होनेसे पूर्व साधु होकर चला गया हो तो उसी धनको छोड़कर, सम्पत्तिके भाग उसी प्रकार लगाने चाहिए, जैसे उसकी उपरियतिमें होते और उसका भाग उसकी पत्नीको दे देना चाहिए (४०)। यदि उसके एक पुत्र ही है तो वह स्वभावतः अपने पिताके स्थानको प्रदण करेगा। यदि कोई व्यक्ति अविवाहित मर जावे अर्थात् साधु हो जावे तो उसका भाग उसके भाई भतीजोंको यक्षायोग्य मिलेगा (४१)।

यदि वह विभाग होनेके पश्चात् नृत्यको प्राप्त हो तो उसका

३५. अद० ८४; इन्द० ४३।

३६. „ ९४।

३७. इन्द० ४४।

३८. इन्द० १०।

३९. „ ४२।

४०. भद्र० ८४; यर्द० ४८; भद्र० ९०।

४१. अद० ९१।

भाग भाई भतीजे समान रूपसे लेंगे (४२)। भद्रबाहु संहिताके अनुसार वहिन भी भागकी अधिकारिणी है (४२)। परन्तु अनुमानतः इस श्रोकका अर्थ कुंआरी वहिनसे है जिसके विवाहका दायित्व भाइयों पर ही है। उसका भाग भी उसके आताओंके समान ही दताया गया है जो निसन्देह पद्यरचनाकी आवश्यकताओंके धारणवश है। क्योंकि अन्यथा वहिनका भाग भाईके समान होना नियम-विरुद्ध है। वहुत सम्भव है कि यह माप उसके विवाह-व्ययके निमित्त जो द्रव्य पृथक् किया जावे उसकी अन्तिम सीमा हो।

विद्याध्ययन एवं विवाह निमित्त लघु आताओंके अधिकार

छोटे भाइयोंका विवाह करके जो धन वचे उसे मत्र भाई समान बांट लें (४३)। इस विषयमें विवाहमें विद्यापठन भी अर्हज्ञीतिके शब्दोंके विस्तृत भावोंकी अपेक्षा सेमिलित है (४३)।

माताके अधिकार

यदि पिताकी मृत्यु पश्चात् बांट हो तो माताको पुत्रके समान भाग मिलता है (४४)। वास्तवमें उल्लेख तो यह है कि उसे पुत्रोंसे कुछ अधिक मिलना चाहिए जिससे वह परिवार और कुटुम्बकी रिधतिको बनाये रखें (४५)। इस प्रकार यदि ४ पुत्र और एक विघ्वा जीवित हैं तो मृतककी सम्पत्तिके ५ समान भाग किए जायेंगे जिनमेंसे एक माताको और शेष चार मेंसे एक एक प्रत्येक भाईको मिलेगा। माताको कितना अधिक दिया जाय इसकी सीमा नियत नहीं है। परन्तु अर्हज्ञीतिमें इस प्रकार उल्लेख है

४२. भद्र० १०६; वर्ध० ५२।

४३. वर्ध० ७; अर्ह० २०।

४४. भद्र० २१; वर्ध० १०; इन्द्र० २७।

४५. „ २१; „ १०; अर्ह० २८।

कि पिताके मरणके पश्चात् यदि बांट हो तो प्रत्येक भाई अपनेर भागमें से आधा आधा माताको देवें (४६) ।

इस प्रकार यदि चार भाई हैं तो प्रत्येक भाई चार आना हिस्सा पावेगा और माताका भाग चार आनेके अर्धभागका चौंगुना होगा अर्थात् $2 \times 4 = 8$ आना होगा । पिताजी जीवनावस्थामें माताको एक भाग बांटमें भिन्नना चाहिये (४७) । पुत्रोत्पत्ति होनेसे माता एक भागकी अधिकारिणी हो जाती है (४८) । माताका वह भाग उसके मरण पश्चात् सब भाई परपर समानतासे बाँट लें (४९) ।

बहिनोंका अधिकार

बहिनोंके पश्चात् जो सम्पत्ति पिताने दीड़ी है उसमें भाई और कुँवारी बहिनको समान भाग पानेका अधिकार है । यदि दो भाई और एक बहिन है तो सम्पत्ति तीन समान भागोंमें बटेगी (५०) । बड़ा भाई छोटी बहिनका, छोटे भाईकी भाँति, पालन परे (५१), और उचित दान देकर उसका विवाह करे (५२) । यदि ऐसी सम्पत्ति बचे जो बांटने योग्य न हो तो उसे बड़ा भाई ले लेवे (५३) । यह अनुमान होता है, कि बहिनका भाग केवल विवाह एवं गुतारे निमित्त दखला गया है, अन्यथा भाईकी उपरिधितमें बहिनका कोई अधिकार नहीं हो

४६. अर्ह० २८।

४७. अर्ह० २७।

४८. इन्द्र० २५।

४९. भद्र० २१; दर्घ० १०; अर्ह० २८।

५०. इन्द्र० २७-२९।

५१. „ २८।

५२. „ २९।

५३. „ ३०।

सकता। यदि विभक्त होनेके पश्चात् कोई भाई मर जाय तो उसकी पैत्रिक सम्पत्तिको उसके भाई और वहिन समान बांट लें (५४)। ऐसा उसी दशामें होगा जब मृतकने कोई विधवा या पुत्र नहीं छोड़ा हो। यहाँ भी वहिनका अर्थ कुँवारी वहिनका है जिसके विवाह और गुजारेका भार पैत्रिक सम्पत्ति पर पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका यह दायत्व सप्रतिवन्ध दायभागकी दशामें मान्य नहीं हो सकता अर्थात् उस संपत्तिसे लागू नहीं हो सकता जो चाचा ताऊसे मिली हो (५४)।

विधवा भावजका अधिकार

विधवा भावज अपने पतिके भागको पाती है और उसको अपने पतिके जीवित भाइयोंसे अपना भाग पृथक् कर लेनेका अधिकार है (५५)। यदि वह कोई पुत्र गोद लेना चाहे तो ले सकती है (५६)। परन्तु ऐसे भाईकी विभागका जो पहिले ही अलग हो चुका हो विभागके समय कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई भाई साधू होकर अथवा सन्यास लेकर चला गया है तो उसका भाग विभागके समय उसकी स्त्री पावेगी (५७)।

विभाग एवं पुनः एकत्र होनेके नियम

एक भागाधिकारीके पृथक् हो जानेसे सबकी पृथक्ता हो जाती है (५८)। विभाजित होनेसे पूर्व सब भाई सम्मिलित समझे जाते हैं (५८)। परन्तु विभाग पश्चात् भी जितने

५४ भद्र० १०६।

५५ अ० १३१; व वीसनमल घ० हर्षचन्द्र (अवघ) सेलेक्ट केसेज नं० ४३ प० ३४।

५६. अ० १३१।

५७. भद्र० ८५; वर्ध० ४८ अ० ९०।

५८. अ० १३०।

५८ अ० १३०।

भाई चाहें फिर सम्मिलित हो सकते हैं (५९)। विभाग पश्चात् यदि कोई भाई और पैदा हो जाय जो विभाग समव माताके गर्भमें था तो वह भी एक भागका अधिकारी है और विभाग पश्चात्के जाय व्यवहा हिसाब लगाकर उसका भाग निर्धारित होगा (६०)। सामान्यतः उन पुत्रोंको जो विभाग पश्चात् उत्पन्न हुए हों कोई अधिकार पुनः विभाग करनेका नहीं है। वह केवल अपने पिताका भाग पा सकते हैं (६१)। हिन्दू-लोगोंमें विभाग समय यदि पिताने अपने निमित्त कोई भाग नहीं लिया है और उसके पश्चात् पुत्र उत्पन्न होवे जिसके पालन-पोषणका कोई आधार नहीं हो तो वह पुत्र अपने पृथक् हुए भाइयोंसे भाग पानेका अधिकारी है (६२)। अतु-मानतः जैन-नीतिमें भी हन्द्रनन्दि जिन संहिताके २६ वें श्लोकका यही आश्रय है, विशेष कर जब उसको २७ वें श्लोकके साथ पढ़ा जावे। दोनों श्लोकोंको एक-साथ पढ़नेसे ऐसा ज्ञात होता है कि इनका सम्बन्ध ऐसी दशासे है कि जब पिताने अपनी सम्पत्ति कुछ अन्य जनोंको दे दी है और शेष अपने पुत्रोंमें विभक्त कर दी है।

अन्यान्य वर्णोंकी त्रियोंकी सन्तानमें विभाग

यदि व्यापार विता है और चारों वर्णोंसे उसकी मियाँदें तो

५९. भद्र० १०४—१०५।

६०. अर्ह० ३७; हन्द० ३६।

६१. , ३६; भद्र० १०९।

६२. गौडका हिन्दू-कोड द्वि० २० पृ० ५५२; गदार २० गोपालराव २३ घट्टर्ह ६३५; नेगामा २० मुजली स्वाभी २० मद्रास ३५; कुछ अंशोंमें इस समतिकी पुष्टि प्रीती ३० के खंडला मुहम्मदार दिल्लीन्द० २० असमेदा ६ इल० ५६० विशेषतः ५७४—५७५। पृष्ठे होती है।

शुद्राके पुत्रको हिस्सा नहीं मिलेगा (६३) । परन्तु शेष तीन वर्णोंकी सन्तानमें इस प्रकार विभाग होगा कि ब्राह्मणीके पुत्रको चार भाग, अत्राणीके पुत्रको तीन भाग और वैश्याणीके पुत्रको दो भाग मिलेंगे (६४) । भद्रवाहु संहिता और अर्हश्रीति, दोनोंमें, ऐसा उल्लेख है कि विभाज्य सम्पत्तिके दस समान भाग करने चाहिए जिनमेंसे चार ब्राह्मणीके पुत्रको, तीन अत्राणीके पुत्रको, दो वैश्याणीके पुत्रको देने चाहिए और एक अवशिष्ट भाग धर्मकार्यमें लगा देना चाहिए (देखो भद्रवाहु संहिता ३३ और अर्हश्रीति ३८, ३९) ।

यदि क्षत्रिय पिता हो और उसके अत्राणी और वैश्याणी तथा शूद्राणी तीन छिंगाँ हों तो शूद्राणीके पुत्रको कुछ भाग नहीं मिलेगा । क्षत्राणीके पुत्रको दो भाग और वैश्याणीके पुत्रको एक भाग मिलेगा (६५) । अर्धात् क्षत्राणी और वैश्याणीके पुत्रोंमें क्रमसे दो और एककी निस्वत्तमें सम्पत्तिके भाग कर दिये जाएँगे । जैन-लौकिक अनुसार उच्च वर्णके पुरुष द्वारा जो शूद्रासे युत हो उसे भाग नहीं मिलता है (६६) । केवल वह गुजारा पानेका अधिकारी है (६७) । या जो कुछ उसका पिता अपनी जीवनवस्थामें उसको दे गया हो वह उसको मिलेगा (६८) । इन्द्रनन्दि जिन, संहिताका इस द्विषयमें कुछ मतभेद है (देखो श्लोक ३०-३१) । वह ब्रह्मण पितासे जो पुत्र ब्राह्मगो क्षत्राणी और वैश्याणीसे हों उनके भागोंके विषयमें भद्रवाहु व अर्हश्रीतिसे

६३ भद्र० ३१-३३; अर्ह० ३८-३९ ।

६४ भद्र० ३१-३३; अर्ह० ३८-३९; इन्द्र० ३० ।

६५ अर्ह० ४०; भद्र० ३५ ।

६६. „ ३९-४१; भद्र० ३६; इन्द्र० ३२ ।

६७. „ ३९-४१; „ ३६ ।

६८. भद्र० ३५ ।

सहमत है (देखो इलोक ३०)। परन्तु दूसरे इलोक्षण यह उल्लेख है कि अत्रिय पिताके अव्याणीसे उत्पन्न हुए पुत्रको तीन भाग और वैश्याणीके पुत्रको दो भाग मिलेंगे, और वह भी उल्लेख है कि वैश्य माता पिताके लड़के दो दो भागोंके और शूद्र माताके लड़के एक भागके अधिकारी हैं (देखो इलोक ३१)। यदि यही अर्थ ठीक है तो इससे विदित होता है कि शूद्रा माताकी सन्तान भी भागाधिकारी कभी गिनी गई थी। अन्यान्य वर्णमें पारस्परिक विवाहका कम हो जाना इस मतभेदका कारण हो सकता है। या शूद्रोंके जातिभेदके कारण हो सकता है। परन्तु सबवं जिन संहिता ही में शूद्र स्त्री की सन्तानका अन्तः दायसे अधित किया जाना ३२ वें इलोकमें मिलता है। वैश्य पिताके पुत्र जो सर्वां स्त्री से हों पिताजी सब सम्पत्ति पावेंगे (६९)। यदि शूद्रासे कोई पुत्र हो तो वह भागाधिकारी न होगा (७०)। शूद्रा पिता और शूद्रा माताके पुत्र अपने पिताकी सम्पत्ति घरावर घरावर पावेंगे (७१)।

दासीपुत्रोंके अधिकार

जैन-नीतिमें दासीपुत्रोंका कोई अधिकार नहीं है (७२)। परन्तु वे गुजारेके अधिकारी हैं (७३)। और जो वापने उन्हें अपनी जीवनावध्यामें दे दिया है वह उनका है (७४)। उद्द चण्डालों भाईको चाहे वह छोटा ही हो और यदि एक्से अधिक

६९. भद्र० ४१; भद्र० ३६।

७०. „ ४१; , ३६।

७१. „ ४५; „ ३७।

७२. भद्र० ३४; और देखो अम्बादाई २० गोविन्द २१ उम्बर० २५७।

७३. भद्र० ४३।

७४ , ४२।

हों तो सब उच्च वर्णवाले भाइयोंको मिलकर उनके पालन पोषणका प्रबन्ध करना चाहिए (७५) ।

यदि किसी शूद्रके दासीपुत्र उत्पन्न हो तो वह विवाहिता स्त्रीके पुत्रसे अर्ध भाग पायेगा (७६) । इससे यह अनुमान होता है कि विवाहिता स्त्रीके पुत्रके अभावमें शूद्रका दासीपुत्र ही उसकी सर्व सम्पत्तिका अधिकारी हो जायगा । उच्च जातियोंमें दासीपुत्रका कोई भाग दायमें नहीं रखा है (७७) ।

अविभाजित सम्पत्तिमें अधिकार

आभूपण, गोधन, अनाज और इसी प्रकारकी सर्व जङ्गम सम्पत्तिका मुख्य स्वामी पिता है (७८) । परन्तु स्थावर सम्पत्तिका जूर्ण स्वामी न पिता होता है न पितामह (७९) । अर्थात् उनको उसके वेचनेका अधिकार नहीं है । इसका कारण यह है कि जिस मनुष्यने संसारमें खानेवाले पैदा किये हैं वह उनके पालन पोषणके आधारसे उनको वंचित नहीं कर सकता ।

पितामहके जीवन-कालमें उसकी स्थावर सम्पत्तिको काई नहीं ले सकता । परन्तु जङ्गम द्रव्य आवश्यकतानुसार कुछमत्रका प्रत्येक व्यक्ति व्यय कर सकता है (८०) । यदि कोई व्यक्ति अपनी पैत्रिक सम्पत्तिमेंसे अपनी बहिन या भानजको कुछ देना चाहे तो उसका पुत्र उसका विरोध कर सकता है (८१) ।

७५. भद्र० ३४ ।

७६. अह० ४५ ।

७७. अभ्यावाई च० गोविन्द २३ वस्त्रई २५७ ।

७८. इन्द्र० ४; अह० ६ ।

७९. , , ४; , , ६ ।

८०. , , ५ ।

८१. भद्र० ९१ ।

पुत्रकी सम्मतिके बिना पैत्रिक सम्पत्तिके देनेका अधिकार पिताको नहीं है (८२) । वाचाकी अविभाजित सम्पत्ति भ्रातृ-बंगोकी सम्मतिके बिना किसीको नहीं दी जा सकती है (८३) । न वह पुत्री हीहित्र, वहन, माता अथवा स्त्रीके किसी संबंधील्ले ही दी जा सकती है (८४) । स्वावर सम्भति और मदेशी भी जो किसी मनुष्यने पुत्रोत्पत्तिके पूर्व प्राप्त किये हैं, पुत्र होनेके पश्चात उनको बेच या दे नहीं सकता है (८५) । क्योंकि सब चालक जो उत्पन्न हुए हैं या गर्भमें हैं चाहे वे भाग करानेके अधिकारी हों या न हों उसमेसे भरण पोषणका सब अधिकार रखते हैं (८६) ।

हिन्दू-कानूनके अनुसार जब पुत्र चालिन (वयःप्राप्त) हो जाय तो वह पिताकी स्वयं उपार्जित सम्पत्तिमेंसे भरण-पोषणका अधिकार नहीं माँग सकता, यद्यपि पैत्रिक सम्भतिमें उसे ऐसा अधिकार है (८७) । यही आश्रय जैन-कानूनका भी है । क्योंकि पिताकी सम्भतिमें भी उसकी मृत्यु पश्चात् पुत्र सदा ही अविकारी नहीं होते, किन्तु विधवा माता और कभी कभी ज्येष्ठ भाई ही उसको पाता है । कुटुम्बकी सब धावर सम्भति जात या अजात पुत्रोंके या दूसरे उन मनुष्योंके होते हुये जिनकी अपना भरण पोषण पानेका अधिकार है, धार्मिक दार्या, तीर्थयात्रा

८२. भद्र० ९१—९२; सद० ९६ ।

८३. अद० ९६; वर्ष० ४९—५१ ।

८४. वर्ष० ४९—५१ ।

८५. इन्द० ६; सद० = ।

८६. अद० ९—१० ।

८७. गौड़का हिन्दू कोट ट्रिं १० प० ४७२; लम्बा इन्द० १० अप० ११ मद० ११ ।

व मित्रोंके सहायतार्थ भी नहीं दो जा सकतो (८८)। यदि कोई अन्य विरोधी न हो तो खोको विरोध करनेका अधिकार है, चाहे सम्पत्ति किसी अच्छे कार्यके लिए दे दी जाय या अन्य प्रकारसे (८९)। क्योंकि कौटुम्बिक सम्पत्तिसे उचित प्रकारसे भरण वोषण पानेका उसका भी अधिकार है।

माता, पिता, भाई आदि सब मिलकर सम्पत्ति पृथक् कर सकते हैं (९०)। यदि पुत्र वयःप्राप्त न हो तो पिता योग्य आवश्यकताके लिए उसे (सम्पत्तिको) बेच सकता है या दे सकता है (९१)। जो सम्पत्ति माताने पितासे विस्तरमें पाई हो उसमें भी ऐसा ही समझना चाहिए। संतानकी नाबालगीमें माताको भी सम्पत्तिके पृथक् करनेमें वही वाधाएँ पड़ती हैं जो पिताको होती है (९२)। लिभाजित तथा अलिभाजित दोनों प्रकारकी सम्पत्तियोंमेंसे धार्मिक एवं कौटुम्बिक आवश्यकताओंके लिए पुत्रोंकी सम्पत्ति विना भी पिताको व्यय करनेका अधिकार है (९३)।

पितामहकी सम्पत्तिमें, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, पिता और पुत्र समानाधिकारी है (९४)। पिताकी सम्पत्तिका, पौत्रके न होनेपर, पुत्रको पूर्ण अधिकार हैं और जिस भांति वह चाहे उसे व्यय कर सकता है (९५)। क्योंकि ऐसा करनेसे

८८ इन्द्र० ७-८। जो सम्पत्ति माताको पितासे मिली हो उसमें भरण वोषण पानेका पुत्रको अधिकार है (देखो अर्ह० १२६)।

८९. वर्ध० ५१; अर्ह० ९६।

९०. इन्द्र० ८-९।

९१. अर्ह० ११।

९२. भद्र० ६२।

९३. अर्ह० ९७; इन्द्र० २५।

९४. इन्द्र० २।

उसे रोकनेवाला कोई नहीं है (९५)। जो जङ्गम द्रव्य मात्राने पुत्रको व्यापार या प्रबन्ध करनेके लिए दिया हो उसे व्यय कर डालनेवा पुत्रको अधिकार नहीं है (९६)। माता पिताके जीवनमें दत्तक पुत्रको उनकी अधिका वावाकी होनों प्रकारकी सम्पत्तिको पृथक् घरनेका कोई अधिकार नहीं है (९७)। और स पुत्रके सम्बन्धमें भी यही नियम है (९८)। परन्तु वावाकी सम्पत्तिमें पुत्रोंको विभाग करनेका अधिकार है (९९) पुत्र ही या न हों पिताको अधिकार है कि अपनी मृत्युके पश्चात् अपनी विधवाके निमित्त तथा सुप्रबन्धार्थ किसी अन्य पुरुष द्वारा अपनी निजी सम्पत्तिका दसीयतके तीरपर प्रबन्ध करावे (१००)।

विभागके पश्चात् प्रत्येक भागको अपने भागके सुनितकिल (व्यय) करनेका अधिकार है (१०१)। विधवा भी उस सम्पत्तिको जो अपने पतिसे पाई हो, चाहे जैसे व्यय कर सकती है, कोई उसको रोक नहीं सकता (१०२)। पति मरणके पश्चात् यदि सास या श्रमुरने उसको पुत्र गोद ले दिया है (तो जबतक वह दत्तक पुत्र यवःप्राप्त न हो) वह योर्य आवश्यकताओं अर्थात् व्यापिक कार्यों और कीटुमिश्रक भरण पोषणके लिए सम्पत्तिको खर्च व्यय कर सकती है (१०३)।

९५ भद्र० ९२।

९६ भद्र० ६४।

९७ वर्ष० ४७।

९८. „ १५; अर्द० ८५।

९९ देसी विभाग प्रकरण।

१००. वर्ष० २०-२१; अर्द० ४६—४८।

१०१. भद्र० ६२; अर्द० १२५।

१०२. अर्द० ११५ व ११५।

१०३. भद्र० ११३ व ११७ वर्ष० ४४।

यदि पितामहके जीवनमें पौत्र मर जाय तो उसकी सम्पत्तिमें उसकी विधवाको, सास और श्वसुरके होते हुए कोई अधिकार नहीं है (१०४)। श्वसुरकी सम्पत्तिमें भी विधवा पुत्रवधूको सासके होते हुए कोई अधिकार नहीं है (१०५)। वह जायदादके व्ययका अधिकार नहीं रखती है किन्तु केबल रोटी कपड़ा पा सकती है (१०६)। तिस पर भी श्वसुर और सास चाहें तो पुत्रवधूको दत्तक लेनेकी आज्ञा दे सकते हैं (१०७)।

विधवा पुत्रवधू उस सम्पत्तिको, जो उसके पतिने अपने जीवनकालमें माता पिताको दे दी है, नहीं पा सकती है (१०८)। चाहे उसको अपना निर्वाह उस थोड़ीसी सम्पत्तिमें ही करना पड़े जो उसके पतिने उसको दे दी थी (१०९)। क्योंकि भद्र पुरुष उस सम्पत्तिको वापिस नहीं मांगा करते हैं जो किसीको दे दी गई हो (११०)।

यदि श्वसुर पहिले मर जाय और पीछे पति मरे तो विधवा चहू अपने पतिकी पूर्ण सम्पत्तिकी स्वामिनी होगी (१११)। परन्तु उसको अपनी सासको और कुदुम्बको गुजारा देना उचित है

१०४. भद्र० ६३ व ११३—११४।

१०५. वर्ध० ३५; अर्ह० १०८; जनकुरी व० दुधमल ५७ इ० केसेज २५७।

१०६. भद्र० ६३; अर्ह० १०२—१०३ व १०८।

१०७. भद्र० ११६—११७; वर्ध० ३५—३६, ५६।

१०८. अर्ह० ११२; भद्र० ११५; वर्ध० ४५।

१०९. भद्र० ११५; वर्ध० ४५।

११०. „ ६८; इन्द्र० २६—२७।

१११. „ ६५।

(११२) । ऐसी दशामें सास दत्तक पुत्र नहीं ले सकती है (११३)। क्योंकि उस समय सम्पत्तिकी स्वामिनी पुत्रवधू है, न कि साम (११४)। श्रसुरकी उपार्जित सम्पत्तिमें या बाबाकी सम्पत्तिमें जो श्रसुरके अधिकारमें आई हो विधवा पुत्रवधूको व्यवहा अधिकार नहीं है (११५), परन्तु अपने मृत पतिकी स्वयं प्राप्त की हुई सम्पत्तिकी व्यवहार कर देनेका अधिकार है (११६)। श्रसुरके मर जाने पर विधवा पुत्रवधूका पुत्र अपने पितामहकी सम्पत्तिका स्वामी होता है विधवा पुत्रवधूको केवल गुज्जारेका अधिकार है (११७)। इसलिए यदि पितामहके जीवनशाहमें मर गया हो तो विधवा माता अपने श्रसुरकी सम्पत्तिको अपने पुत्रकी सम्मति विना व्यवहार नहीं कर सकतो (११८)।

विवाहिता पुत्रीका अपने भाइयोंकी उपत्यकिमें पिताकी सम्पत्तिमें कोई भाग नहीं है (११९)। जो कुछ उसके पिताने विवाहके समय उसको दे दिया हो वही उसका है (११९)। विवाहिता लड़कियाँ अपनी अपनी माताज्ञोंके खीधनको पाती हैं (१२०)। पुत्रीके अभावमें दीहित्री और उसके भी अभावमें पुत्र माताके खीधनका अधिकारी होता है (१२१)। अविवाहिता

११२. भद्र० ६३, ६५; ७७।

११३. ;, ७५।

११४. भद्र० ७६।

११५. ,, ६१; लर्द० १०१—१०२।

११६. लर्द० १०२।

११७. ,, १०३।

११८. ,, १०९।

११९. भद्र० २०; लर्द० २६।

१२०. इन्द्र० १४।

१२१. ,, १५।

पुत्री, एक हो या अधिक, भाइयोंकी सम्पत्तिमें से गुजारे और विवाह-व्ययके अतिरिक्त भाग पानेकी अधिकारी नहीं है (१२२) ;

विभागकी विधि

प्रथम ही तीर्थकर भगवानकी पूजा (मन और भावोंकी शुद्धताके निमित्त) करना चाहिए । इसके पश्चात् कुछ प्रतिप्रित मनुष्योंके समक्ष अविभाजित सम्पत्तिका अनुमान कर लेना चाहिए और उसमेंसे पुत्रका भाग निकाल देना चाहिए (१२३) । इसी प्रकार अन्य भाग भी लगा लेने योग्य हैं । यदि पिता ने स्वार्थवश या द्वेष भावसे अपनी खियोंके या अयोग्य दायादेंके स्वत्वोंकी ओर ध्यान नहीं दिया है, या विभागमें कोई अन्याय किया गया है तो वह अमान्य होगा (१२४) । परन्तु विभाग धर्मानुकूल किया गया है तो वह मान्य होगा, चाहे किसीको कुछ कम ही मिला हो (१२५) । वास्तवमें विभाग अधर्म और अन्यायसे न होना चाहिए (१२५) । ऐसे पिताका किया हुआ विभाग अयोग्य होगा जो अत्यन्त अशान्त, क्रोधी, अति बृद्ध, कामसेवी, व्यसनी, असाध्य रोगी, पागल, जुआरी, शराबी आदि हो (१२६) । यदि बड़ा भाई विभाग करते समय कुछ सम्पत्ति कपट करके छोटे भाइयोंसे छिपा ले तो वह दण्डनीय होगा और अपने भागसे बच्चित किया जा सकता है (१२७) । यदि भाइयोंमें सम्पत्ति

१२२. भद्र० १९; वर्ध० ९; अर्ह० २५ ।

१२३. त्रैव० अध्याय १२ श्लो० ६ ।

१२४. इन्द्र० ११-१२ ।

१२५. अर्ह० १७ ।

१२६. „ १८-१९ ।

१२७. भद्र० १०७; अर्ह० ११९ ।

विभागके विषयमें ज्ञानदा हो तो नियमानुसार न्यायालय अधिकार पंचायत द्वारा निर्णय करा लेना चाहिए (१२८)। यदि विभागके विषयमें कोई सन्देह उत्पन्न हो (जैसे कौन कौनसी जायदाद किस किस अधिकारीने पाई) तो ऐसी दशामें पञ्चों या न्यायालयके समक्ष मौखिक अधिकार लिखित साक्षी द्वारा निर्णय करा लेना चाहिए (१२९)। प्रथम ऋण चुक्षा देना चाहिए, या ऋण चुकानेके लिए प्रवध करके शेष सम्पत्तिके भाग कर लेना चाहिए (१३०)। बल्कि, आमूषण, खत्तियाँ और इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुएँ विभाज्य नहीं हैं (१३१)। ऐसी वस्तुओंका भी, जैसे कुछों भाग तहीं करना चाहिए (१३२)। मवेशियोंका पूरा पूरा भाग करना चाहिए न कि दुकड़ों या हिस्सोंमें (१३३)। भाग फरनेसे पूर्व छोटे भाइयोंका विवाह कर देना उचित है या उनके विवाह निमित्त धनका प्रवन्ध करके विभाग करना चाहिए (१३४)। यदि एक या अधिक छोटी वहिनें हों तो प्रत्येक भाईको अपने भागका चतुर्थांश उनके विवाहके लिए अलग निकाल देना चाहिए (१३५) वर्धमान तीति और अर्द्धतीतिमें यह नियम है। भद्रवाहु संहितामें भी ऐसा ही नियम है परन्तु उसमें केवल सहोदर वहिनोंका उल्लेख है (१३६)। यदि किसी भनुष्यने

१२८ अर्द० १४।

१२९. " १२९।

१३०. भद्र० १११; अर्द० १६।

१३१. भद्र० ११२।

१३२. ,, ११२; इन्द्र० २२।

१३३. ,, ११२।

१३४. अर्द० ७; अर्द० २०।

१३५. .. ९; .. २० २५।

१३६. भद्र० ११।

कौटुम्बिक स्थावर सम्पत्तिको जो पिताके समयमें जाती रही हो पुनः प्राप्त कर लिया हो तो उसको अपने साधारण भागसे अधिक चतुर्थ भाग और मिलना चाहिए (१३७)। परन्तु ऐसी दशामें वह समस्त जङ्गम सम्पत्तिका स्वामी होगा (१३८)। किसी भागाधिकारीके गहने कपड़े और ऐसी ही दूसरी वस्तुएँ बांटी नहीं जायेंगी (१३९)। भाग इस प्रकारसे करना चाहिए कि किसी अधिकारीको असंतोष न हो (१४०)। यदि कोई भाई संसार त्याग करके साधू हो जाय तो उसका भाग उसकी खीको मिलेगा (४१)।

जब कोई मनुष्य संसार त्यागना चाहे तो उसे सबसे प्रथम तीर्थकर देवकी पूजा करनी उचित है। पुनः प्रतिष्ठित पुरुषोंके सामने अपनी सर्व सम्पत्ति अपने पुत्रको दे देनी चाहिए। या वह अपनी सम्पत्तिके तीन वरावर भाग कर सकता है जिनमेंसे एक भाग धार्मिक कार्य तथा दानादिकके लिए दूसरा परिजनोंके निवाहिके लिए निश्चित करके तीसरा भाग सब पुत्रोंमें वरावर वरावर बाँट दे (१४२)। उसको यह भी उचित है कि अपने बड़े पुत्रको छोटे पुत्रोंका संरक्षक नियुक्त कर दे (१४३)।

१४७. इन्द्र० २०; यह नियम मिताक्षरोंमें पाया जाता है।

१३८. वर्ध० ३७—३८; अर्ह० १३४—१३६।

१३९. इन्द्र० २१।

१४०. ,, ३९; अर्ह० १४।

१४१. अर्ह० ९०; भद्र० ८४; वर्ध० ४८।

१४२. त्रैव० अध्याय १२ श्लोक १३—१९।

१४३०. ,, „ १२ „ १६—१८।

चतुर्थ परिच्छेद-दाय

जैन-लॉ के अनुसार दायादका क्रम निम्न प्रकार है—

- (१) विधवा ।
- (२) पुत्र ।
- (३) आतं ।
- (४) भतीजा ।
- (५) सात पीढ़ियोंमें सदसे निकट मूर्खण्ड (१) ।
- (६) पुत्री ।
- (७) पुत्रीका पुत्र ।
- (८) निकटवर्ती वन्धु ।
- (९) निकटवर्ती गोत्रज (१४ पीढ़ियों तक) ।
- (१०) ज्ञात्या ।
- (११) राजा ।

यह क्रम इन्द्रनन्दि जिन संहितामें दिया गया है (देखो श्लो० ३५-३८)। वर्धमान नीतिमें भी यही क्रम फुल संक्षेपसे दिया है (देखो श्लो० ११-१२)। इन्द्रनन्दि जिन संहितामें यन्हु गोत्रज ज्ञात्याङ्क और राजाको लौकिक रिवाजके अनुपार दायाद माना है (देखो श्लोक ३७-३८)। इसी पुस्तकके लोक १७-१८में भी दायादका क्रम थोड़ेसे हेर केर और संक्षेपसे बताया है।

१ सपिण्डका अर्थ सात पीढ़ियों तकके सम्बन्धीये हैं ।

क्षेत्र ज्ञात्या (आत्माले) का भाव अनुमानतः ऐसे मुश्यमा भी हो सकता है जो माता द्वारा सम्बन्ध रखता हो। शारण कि प्रारम्भमें ज्ञातिका अर्थ माताके पक्षका था जैसा कि युलचा अर्थ पिताके उत्तरस्था था ।

वह इस प्रकार है—१-सबसे बड़ी विधवा, २-पुत्र, ३-सर्वर्णा मातासे उत्पन्न भतीजा, ४-दोहिता, ५-गोत्रज, ६-मृतककी जातिका कोई छोटा बालक (२) (जिसे उसके पुत्रकी विधवा दत्तक लेवे)। अर्हस्त्रीति इस क्रमसे पूर्णतया सहमत है (देखो श्लो० ७४-७५)। उसका क्रम इस प्रकार है—प्रथम विधवा, पुनः पुत्र, पुनः भतीजा, पुनः सपिण्ड, पुनः दोहिता, पुनः बन्धुका पुत्र, फिर गोत्रज, इन सबके अभावमें ज्ञात्या, और सबके अंतमें राजा दायाद होता है।

दायादोंमें खोका रथान पुत्रसे पहिले है (३)। खोकी संपत्तिका, जो खोधन न हो, प्रथम दायाद उसका पति किर पुत्र (४) होता है। पुत्रके पश्चात् उसके पतिसे भाई भतीजे (स्वयं उसके नहीं) क्रमसे दायाद होते हैं (५)। निकटवर्ती दायादके होते दूरवर्तीको अधिकार नहीं है; अतएव भाईका सङ्घाव भतीजोंको दायेभागसे वंचित कर देता है (६)। इसी नीतिसे मृतका पिता भाईसे पहिले दायजा अधिकारी होगा, जैसे हिन्दू-लोंमें भी वताया है। पुत्र शब्दमें कानूनी परिभाषाके अनुसार पात्र और अनुमानतः परपौत्र भी अन्तर्गत हैं (७), जैसा हिन्दू लोंमें भी है (देखो सुन्दरजी दामजी व० दाहीबाई २९ बस्त्रई ३१६)।

२. इसका शब्दार्थ भाव ७ वर्षकी आयुके पतिके छोटे भाईका है। ऐसा ही भाव अर्हस्त्रीतिमें मिलता है देखो अर्हस्त्रीति श्लो० ५६ (जहाँ दत्तकका सम्बन्ध है)

३ भद्र० ११०; अर्ह० ११२।

४ अर्ह० ११५-११७; भद्र० १७।

५. „ ११५-११७; भद्र० १७; और देखो अर्ह० ५५ जहाँ विधवाके भाईके पुत्रको गोद लेनेका भावार्थ पतिके भतीजेका है।

६. इन्द्र० ३६। ७. अर्ह० १७; इन्द्र० २५।

यदि पुत्र अपने पिताके शरीक है और सम्पत्ति बाबाकी है तो उसमें उसका अधिकार है। विभागके पञ्चात् विभाजित पिताकी सम्पत्तिका माताके होते हुए वह स्वामी नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी माता ही उसकी अधिकारिणी होगी। यदि माता पिता दोनों मर जावे तो औरस वा दत्तक जैसा पुत्र हो वही दायाधिकारी होगा (८) ।

किसी मनुष्यके बिना पुत्रके मर जाने पर उसकी विधवा उसकी सम्पत्तिकी सम्पूर्ण अधिकारिणी होगी (९) । चाहे

८. भद्र० ३० ।

९ भद्र० ९५; बद्र० ११५ व १२५; तथा निम्नलिखित नंबरों—

क—मदनजी देवचन्द ब० त्रिगुवन वीरचन्द १२ द० के०

८९२=वर्षद्वे लॉ रिपोर्टर १३ प० ११२१ ।

ख—मदनजी ब० त्रिगुवन ३६ वर्षद्वे ३९६ ।

ग—शिम्भुनाथ य० ज्ञानचन्द १६ इला० ३७१; यम्भु इयु
मुकदमेमेआपने पतिकी सम्पत्तिकी वह पूर्ण स्वामीना परार
दी गई थी, न कि बाबाकी सम्पत्तिकी । इस मुकदमेए
उल्टेख १६ इ० के० पू० ५३९=२४ इ० ला० ल०
पू० ७५१ पर आया है ।

घ—धीतनमल व० हर्षचन्द (सन् १८८१) सिलेक्ट देवेज
४३ (अवध)

ङ—यिहारीकाल ब० सुखबासीलाल (सन् १८६५का अप्राप्तिग
फैसला) उल्लिखित सिलेक्ट देवेज अवध पू० ३४ व ६
एन० दबल्यु० पी० हार्सोर्ट रिपोर्ट ३९२—३९४ इसमें
मह निर्णय हुआ है कि विपदाको परिवी अटिभासिक
मौहसी (बाबाकी) सम्पत्तिके, पतिके भाइयोंदे विदेशमें की
वेचनेका अधिकार है ।

च—दून राज द० भवानी (दन् १८८४ अप्राप्तिग) द० ३०

सम्पत्ति विभाजित हो चाहे अविभाजित हो (देखो इन्द्रनन्दि जिनसंहिता श्लोक १५)। पतिके भागकी पुत्रकी उपस्थितिमें भी वह पूर्ण स्वामिनी होती है (देखो अर्द्धश्रीति ५४)। यदि श्वसुर पहिले मर जाय और पतिका पीछे कालान्त हो तो वह अपने पतिकी सम्पूर्ण सम्पत्तिकी अधिकारिणी होगी (१०)। यदि वह पुत्रीके प्रेमवश पुत्रको गोद न ले और पुत्रीको अपनी दायाद नियुक्त करे तो उसके मरने पर उसकी सम्पत्तिकी अधिकारिणी उसकी पुत्री होगी, न कि उस (बिधवा) के पतिके कुटुम्बी जन। और उस पुत्रीकी मृत्युके पश्चात् भी वह सम्पत्ति उसके कुटुम्बी—

अवध प० ३४में इसका उल्लेख है। इसमें कारं दिया गया है कि पुराने रिवाज और विरादरीके व्यवहारके अनुसार विधवाका मौख्यी अभिभाजित स्थावर धन पर अपने पतिकी ज़ज्जम सम्पत्तिके अनुसार ही पतिके समान पूर्ण अधिकार होता है।

छ—शिवसिंह राय व० सु० दास्तो ६ एन० डब्ल्यु० पी हा० रि० ३८२ और अपीलका फैसला १ इला० पु० ६८८ प्री० व०० जिसमें सम्बन्ध पतिकी निजी सम्पत्तिका है।

ज—हरनाम राय व० मण्डलदास २७ कल० ३७९। इसमें पतिकी निजी सम्पत्तिका सम्बन्ध है। परन्तु अदालतने पतिकी निजी सम्पत्ति और मौख्यी जायदादमें भेद मानना अस्वीकार किया।

झ—सोमचन्द्र सा० व मौतीलाल सा० इन्दौर हाईकोर्ट इच्छाई सु० न० ६ सन् १९१४ जो मि० जुगमन्दरलाल जैनीके जन लो में छपा है।

झ—मौजीलाल व० गोरी वहू, अप्रकाशित, उल्लिखित ७८ इण्ड० के० ४६१-४६२, किन्तु इसमें वेवाको पतिकी निजी सम्पत्तिकी पूर्ण स्वामिनी माना है।

१०. भद्र० ६५।

जनोंको नहीं पहुँचेगी किन्तु उसके पुत्रको मिलेगी, यदि पुत्र न हो तो उसके पतिको (११) ।

इसका कारण यह है कि पुत्री भी पूर्ण अधिकारिणी ही होती है; भावार्थ जब वह मरती है तब उत्तराधिकार उससे प्रारम्भ होता है और सम्पत्ति उसके कुटुम्बमें रहती है, अर्थात् जिस कुटुम्बमें वह व्याही है, पुनः उसके माता पिताके कुटुम्बयोंको नहीं बौटती (१२) ।

जमाई, भाज्ञा और सास जैन-लॉ में उत्तराधिकारी नहीं हैं (१३)। व्यभिचारिणी विधवाका कोई अधिकार दायका नहीं होता केवल गुजारा पा सदती है (१४)। जैन-लॉ में लड़केकी वह भी दायाद नहीं है (१५) ।

जिस व्यक्तिके और कोई दायाद न हो; केवल एक पुत्री छोड़कर मरा हो तो अपने पिताकी सम्पत्तिकी वह पूर्ण स्वामिनी होगी (१६)। उसके मरनेपर उसके अधिकारी, उसके पुत्रादि, उस सम्पत्तिके अधिकारी होंगे (१७)। यदि किसी ननुप्यन्दे कोई निकट अधिकारी नहीं है केवल दोहिता हो तो उसकी पूर्ण सम्पत्तिका अधिकारी दोहिता होगा, क्योंकि नाना और

११. भद्र० ९५-९७; अर्द० ११५-११७ ।

१२. भद्र० ९७; अर्द० ११७; पन्नु देखो लोटेलाल व० उन्नूलाल, ४ बल० ७४८ श्री० बौ० सिरमें हिन्दू-यों के अनुमार दूसरी भांतिका निर्णय हुआ ।

१३ अर्द० ११८ ।

१४. " ७६ ।

१५. वर्ध० ३५; अर्द० १०८, जनकूरी व० दुर्गमल ४३; इन्द० के० २५२ ।

१६. भद्र० २४; अर्द० ३२ ।

१७. " २४; " ३२ ।

दोहिते में शारीरिक सम्बन्ध है (१८)। माता का स्त्री-धन पुत्री को मिलता है चाहे विवाहिता हो (१९) वा अविवाहिता (२०)। इस विषय में भद्रवाहु संहिता और अर्हस्त्रीति में कोई मतभेद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अर्हस्त्रीति की नियत अविवाहित पुत्री को वंचित रखने की नहीं हो सकती है जब कि अविवाहित पुत्री को विवाहित पुत्री के मुकाबले में सब जगह प्रथम स्थान दिया गया है। अविवाहित पुत्री का स्त्री-धन उसकी मृत्यु होने पर उसके भाई को मिलता है (२१)। विवाहिता पुत्रियाँ अपनी अपनी माताओं का स्त्री-धन पाती हैं (२२)। यदि कोई पुत्री जीवित न हो तो उसकी पुत्री और उसके अभाव में मृतक स्त्री का पुत्र अधिकारी होगा (२३)। विवाहिता पुत्री के स्त्री-धन का स्वामी उसके पुत्र के अभाव में उसका पति होता है (२४)। स्त्री-धन के अतिरिक्त विधवा की अन्य सम्पत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होगा (२५)। यदि एक से अधिक विधवाएँ हो तो उन सबकी सम्पत्ति का अधिकारी (उनके पतिका) पुत्र होगा (२६)। यह पूर्व कथन किया जा चुका है कि यदि विधवा अपनी प्रिय पुत्री के स्नेह वश दत्तक न ले तो उसकी सम्पत्ति की अधिकारिणी वह पुत्री होगी न कि उसके पति के भाई भतीजे (२७)। यह

१८. अर्ह० ३३—३४; भद्र० २७—२८।

१९. „ ३५; भद्र० २७।

२०. भद्र० २७।

२१. अर्ह० १२८।

२२. इन्द्र० १४।

२३. „ १५।

२४ भद्र० २९; वर्ष० १३; अर्ह० ३५।

२५. „ २१; „ १०; „ २८।

२६. „ ४०।

२७. „ ९६—९८; अर्ह० ११५—११७।

अधिकार वसीयतके रूपमें है जिसके बमूजिव विधवा अपनी सम्पत्तिकी अधिकारिणी किसी पुत्री-विशेषज्ञो चनाती है । क्योंकि विधवा जैन-नीतिके अनुसार पूर्ण स्वामिनी होती है और वह अपनी सम्पत्ति चाहे जिसको अपने जीवन-आलमें तथा मृत्यु-पश्चात्के लिए दे सकती है । जैन फानूनके अनुसार स्त्री-धनके अतिरिक्त स्त्रीकी सम्पत्ति उसके भाई भतीजों या उनके सम्बन्धियोंको नहीं मिलती है किन्तु उसके पति के भाई भतीजोंको मिलती है (२८) । यह नियम भद्रवाहु लंहितादे अध्ययन करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि जिसके अनुसार पुत्रीके दायाद नियुक्त किये जाने पर पति के भाई भतीजे दायसे विकृत हो जाते हैं (२९) ।

विभाजित भाईके मरने पर उसकी विधवा लधवा पुत्रके अभाव में उसकी सम्पत्ति उसके शेष भाइयोंमें वरावर वरावर बाँट ली जायगी (३०) । परन्तु यदि पुत्र होगा तो वही अधिकारी होगा (३१) । यदि उसने कोई निवट-सम्बन्धी नहीं छोड़ा है तो उसकी सम्पत्तिका अधिकार पूर्वीकृत क्रमानुसार होगा । (३२) ।

यदि किसी मनुष्यके पुत्र नहीं है तो जायदाद प्रथम उसकी विधवाको, पुनः मृतककी माताको (यदि जीवित हो) मिलेगी (३३) । भावार्थ यह है कि पुत्रके पश्चात् माता अधिकार-क्रमानुसार दूसरी उत्तराधिकारिणी है । अर्थात् विधवा और पुत्र

२८. अर्थ० ८१—८२ ।

२९. भद्र० ९६—९७ ।

३०. इन्द्र० ४० ।

३१. „ ३५; वर्ष० ११; अर्थ० ७४ ।

३२. „ ४१ ।

३३. भद्र० ११०; अर्थ० ११२ ।

दोनोंके अभावमें सम्पत्ति मृतककी माताको मिलेगी (३४)। यदि विधवा शीलबती है तो उसके पुत्र हो या न हो वह अपने पतिशी सम्पत्तिकी पूर्ण अधिकारिणी होगी (३५)। दायभागकी नीति जो किसी व्यक्तिकी मृत्यु पर लागू होती है वही मनुष्यके लापता, पागल और संसार-विरक्त हो जाने पर लागू होती है (३६)। जब किसी व्यक्तिका कुछ पता न चले तो उसकी सम्पत्तिकी व्यवस्था वर्तमान समयमें सरकारी कानून-शहादतके अनुकूल होगी, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका सात वर्ष तक कुछ पता न लगे मृतक मान लिया जाता है। केवल असाध्य पागलपनेकी दशामें ही अधिकारका प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, किन्तु पागलकी व्यवस्था अब सरकारी कानून ऐक्ट नं० ४ सन् १९१२के अनुसार होगी। और पागलके जीवन कालमें दाय अधिकार प्राप्त करनेका प्रश्न नहीं उठेगा।

दाय-सम्बन्धी सर्ववादविवाद विषय कानून या स्थानीय रिवाजके अनुसार (यदि कोई हो) न्यायालयों द्वारा निर्णय करा लेने चाहिए जिससे पुन झगड़ा न होने पावे (३७)।

यदि किसी पुरुषके एकसे अधिक स्त्रियाँ हों तो सबसे बड़ी विधवा अधिकार पाती है और कुटुम्बका भरण-पोषण करती है (३८)। परन्तु यह नियम स्पष्ट नहीं है; अनुमानतः यह नियम राज्य एवं अन्य अविभाज्य सम्पत्ति सम्बन्धी होता प्रतीत है कि सब विधवाएँ अधिकारी हों और प्रबन्ध करने के उस-

३४. भद्र० ११०; अर्ह० ११२।

३५. वर्ध० १४; „ ५४।

३६. अर्ह० ५३ व ९९।

३७. इन्द्र० ३७-३८।

३८. „ १७।

समय तक बढ़ी विधवा करे जब तक कि वह सब एक दूसरेसे राजी रहें ।

यदि किसीकी अनेक क्रियोंमेंसे किसीके पुत्र हो तो वह सबका अधिकारी होगा (३९) । अर्धांश वह अपनी माता अथवा सौतेली सब माताओंकी सम्पत्तिको जब जब वह मरेंगी पावेगा (४०) ।

राजाका कर्तव्य

यदि किसी मनुष्यका उत्तराधिकारी ज्ञात न हो तो राजाको तीन वर्ष पर्यन्त उसकी सम्पत्ति सुरक्षित रखनी चाहिए, और यदि इस वीचमें कोई व्यक्ति उसको आकर न मांगे तो उसे खबर ले लेना चाहिए (४१) । किन्तु उस दृढ़यको धार्मिक कायोंमें खर्च कर देना चाहिए (४२) । इन्द्रनन्दि जिन सहितामें वह नियम व्राणीय सम्पत्तिके सम्बन्धमें उल्लिखित है (४३) । क्योंकि व्राणीणकी सम्पत्तिको राजा प्रहण नहीं फर सकता है (४४) । परन्तु वर्धमान नीतिमें यह नियम सर्व बर्णोंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें है कि राजाको ऐसा धन-धर्म कायोंमें लगा देना उचित है (४४) । तात्पर्य यह है कि व्राणीणकी सम्पत्तिको उसकी विधवा वा अन्य दायादोंके अभावमें कोई व्राणीग ही प्रहण कर सकेगा (४५) ।

३९. अद० ४०; अह० ९८ ।

४०. अह० ९८ ।

४१. वर्ष० ५७; इन्द० ३९ ।

४२. अह० ७४-७५; वर्ष० ११-१२ ।

४३. इन्द० ३९ ।

४४. वर्ष० १२; इन्द० ३९ ।

४५. इन्द० ४० ।

पञ्चम परिच्छेद—स्त्री-धन

तिस्तनलिखित पाँच प्रकारकी सम्पत्ति स्त्री-धन होती है (१) —

१-अध्यग्नि—जो कुछ अग्नि और ब्राह्मणोंकी साक्षीमें लड़कीको दिया जाता है, अर्थात् वह आमूल्य इत्यादि जो पुत्रीको उसके माता-पिता विवाह समय देते हैं (२) ।

२-अध्याहवनिक—(लाया हुआ) जो द्रव्य वधू अपने पिताके घरसे अपने पिता और भाइयोंके सम्मुख लावे (३) ।

३-प्रीतिदान—जो सम्पत्ति श्वसुर और सासु वधूको विवाह-समय देते हैं (४) ।

४-औदयिक (सौदयिक)—जो सम्पत्ति विवाहके पश्चात् माता पिता या पतिसे मिले (५) ।

५-अन्वाध्येय—जो बस्तुएँ विवाह-समय अष्टनी या पतिके कुदुम्बकी लियोंने दी हैं (६) ।

१. भद्र० १०; वर्ष० ३९—४५ ।

२. „ ८५; „ ४०; अह० १३८ ।

३. „ ८६; „ ४१; „ १३९ ।

४. „ ८७; „ ४२; „ १४० ।

५. „ ८८; „ ४३; „ १४१ ।

६. „ ८९; „ ४४; „ १४२ ।

संत्रेपतः वधूको जो कुछ विवाह समय मिलता है वह सब उसका स्त्री-धन है (७) ।

और विवाहके पश्चात् सब कपड़े और गहने जो उसके उसके कुटुम्बीजन या श्वसुरके परिवारजन देते हैं वह सब स्त्री-धन है (८) । इसी भाँति गाढ़ी और घोड़े जौ भाँतिके पदार्थ भी स्त्री-धन है (९) । जो कुछ गहने, कपड़े कोई खो अरने लिए अपने विवाहके समय पाती है और सब जंगम सम्पत्ति जो पति उसको दे वह सब उसका स्त्रीधन है (१०) । और यह स्वयं ही उसकी स्वामिनी है (११) । किन्तु वह किसी स्वावर-सम्पत्तिकी स्वामिनी नहीं है जो उसे उसके पतिने दी हो (१२) । यदि पतिने कोई गहने उसके लिए बननेको दे दिए हों जिनके बननेके पहिले वह (पति) मृत्युको प्राप्त हो जाय तो वह भी उसका स्त्री-धन होंगे (१३) । क्योंकि पति यदि दृढ़य उसको दे देता और वह स्त्री स्वयं गहने बननेको देती तो वही उसकी स्वामिनी होती न कि पति ।

स्त्री-धन पैत्रिक सम्पत्तिकी भाँति विभाग योग्य नहीं है (१४) । पिताके किसी कुटुम्बीको कोई ऐसी बखु पुनः प्रदण नहीं करती वाहिए जो उन्होंने विवाहिता पुत्रीको दे दी हो या सो

७. वर्ष० ३९—४०; अर्द० १३६—१३७; इन्द० १६।

८. अर्द० १३६—१३७।

९. इन्द० ४७।

१०. वर्ष० ५४; इन्द० १।

११. अर्द० १४२—१४४; वर्ष० ४५।

१२. इन्द० ३।

१३. अर्द० १४४।

१४. अर्द० १५१—१४४; इन्द० ४८।

उसके अधिकारके द्वारा से उसको मिली हो (१५)। अकालके समय अधिकार धार्मिक आवश्यकताओंके अतिरिक्त और समयपर उसके स्त्री-धनको कोई अर्थात् पति भी नहीं ले सकता (१६)। धार्मिक कार्योंमें दिनचर्याकी पूजा इत्यादि सम्मिलित नहीं है। उससे केवल उस आवश्यकताका अर्थ है जो जाति वा धर्मपर आई हुई आपत्तिके टालनेके निमित्त हो। पत्नीका स्त्री-धन पति उस समय भी ले सकता है जब वह कारागारमें हो (१७)। परन्तु वह स्त्री-धनको उसी दशामें ले सकता है जब उसके पास कोई और सम्पत्ति न हो (१८)। तो भी यदि पति स्त्री-धनको लेनेपर वाध्य हो जावे और उसको वापिस न दे सके तो वह उसे पुनः देनेके लिए वाध्य नहीं है (१९)।

स्त्रीको अपने स्त्री-धनके व्यय करनेका अपने जीवनमें पूर्ण अधिकार है (२०)। वह उसको अपने भाई-भतीजोंको भी दे सकती है (२१)। ऐसा दान साक्षी द्वारा होना चाहिए (२१)। परन्तु यह नियम आवश्यकीय नहीं है। यदि इस विषयपर कोई झगड़ा उठे तो उसका निर्णय पंचायत या न्यायालय द्वारा होगा (२२)।

स्त्रीके मरण पश्चात् उसका स्त्री-धन उसके निश्चिट संबंधियों अर्थात् पुत्रा, दोहिता और दोहित्रियोंके अभावमें उसके पुत्रको

१५ अहॽ० ८१ ।

१६. भद्र० ९०; वर्ध० ४५-४६ ।

१७. अहॽ० १४६ ।

१८ „ १४५ ।


१९. वर्ध० ४६, अहॽ० १४५ ।

२०. इन्द्र० ४९-५१ ।

२१. „ ४९-५० ।

२२. , ५०-५१ ।

मिलेगा और उसकी बहिनकी पुत्रीको भी मिल सकता है (२३)। यदि खो संतान-हीन मर जाय तो उसका धन पति को मिलेगा (२४)। विवाहिता पुत्रियाँ अपनी-अपनी माताओं के स्त्री-धन को पाती हैं (२५)। विवाहिता स्त्रीका स्त्री-धन उसके पिता तथा पिता के कुटुम्बी जनों को नहीं लेना चाहिए (२६)।



२३. इन्द० १५ व ४६।

२४. भद्र० २६; वर्य० १३।

२५. इन्द० १४।

२६. अद्द० ८१।

ષष્ઠ પરિચ્છેદ—ભરણ-પોષણ (ગુજારા)

નિમત્તાદ્વિતી મનુષ્ય ભરણ-પોષણ પાનેકે અધિકારી હૈને—

૧—જીવીત તથા સૂતક વાળક (૧), અર્બત્ત જીવિત વાળક ઔર સૂતક પુત્રોની સન્તાન તથા વિઘવાએં, યદિ કોઈ હોંને।

૨—વહ મનુષ્ય જો ભાગાધિકાર પાનેકે અયોગ્ય હોંને (૨)।

૩—સત્ત્રસે વડે પુત્રકે સમ્પત્તિ પાનેકી અવસ્થામે અન્ય પરિવાર (૩)।

૪—અવિવાહિતા પુત્રિયાં ઔર વહિને (૪)।

૫—વિભાગ હોનેકે પશ્ચાત્ ઉત્પન્ન હુએ ભાઈ જવ કિ પિતાકી સમ્પત્તિ પર્યાપ્ત ન હો (૫)। પરન્તુ ઐસી દશામેં કેવળ વિવાહ કરા દેને તક કા ભાર વડે ભાઇયોં પર હોતા હૈ। વિવાહમેં સ્વભાવતઃ કુમાર અવસ્થાકા વિદ્યાધ્યયન ઔર ભરણપોષણ ભી શામિલ સમજના ચાહિએ।

૬—વિઘવા વહુએં ઉસ અવસ્થામે જવ વહ સદાચારિણી ઔર શીલવતી હોંને (૬)।

૧. અર્દો ૬।

૨. „ ૬; ભદ્રો ૭૦; ઇન્દ્રો ૧૩-૧૪, ૪૩; વર્ધો ૫૩।

૩. , ૨૪; .. ૧૦૦।

૪. ભદ્રો ૧૬; ઇન્દ્રો ૨૬; વર્ધો ૬।

૫. „ ૧૦૬।

૬. અર્દો ૭૭।

७—ऐसी विधवा माता जिसको व्यभिचारके कारण दायभाग नहीं मिला हों (७) ।

८—तीनो उच्च वर्णोंके पुरुषोंसे जो शूद्र लोके पुत्र हों (८) ।

९—माता (९) और पिता उच्च चह दायभागके अयोग्य हों (९) ।

१०—दासीपुत्र (१०) ।

सम्पत्ति पानेवालेका कर्तव्य है कि वह उन मनुष्योंका भरण पोषण करे जो गुजारा पानेका अधिकारी हों (११) । सामान्यतः सब वज्रे चाहे वह उत्पन्न हो गये हों अथवा गर्भमें हों और सब मनुष्य जो कुटुम्बसे सम्बन्ध रखते हैं, कौटुम्बिक सम्पत्तिमेंसे भरण-पोषण पानेके अधिकारी हैं (१२) । और परिवारकी पुत्रियोंके विवाह भी उसी सम्पत्तिसे होने चाहिए (१३) । वयः प्राप्त पुत्र भरण-पोषणके अधिकारी नहीं हैं चाहे वह उत्कर्षद्वारा हों (१४) । जो युवतियां विवाह द्वारा अपने परिवारमें आ जाएं (अर्थात् वहुएं) वह सब भरण-पोषण पानेका अधिकार रखती हैं, चाहे उसके सन्तान हो अथवा न हो; परन्तु उसी अवश्यमें कि उनके पति सम्मिलित रहते हों (१५) । यदि

७ अ० ७६ ।

८. .. ६६; व० ४ ।

९. भद्र० ६५ व ७७; और वद प्रमाण जो दायभागमें वंचित रहनेके सिलसिलेमें दर्ज हैं ।

१०. इन्द्र० ३५; अ० ४३; भद्र० ३४ ।

११. „ १३—१४; भद्र० ७४ व ८८ ।

१२. अ० १० ।

१३. इन्द्र० २६; अ० २०; भद्र० २६ व १०९; व० ८ ।

१४. ऐमचन्द्र पिपारा व० दुलालचन्द्र पिपारा १२ दिली रिवेर ४६४ ।

उनमेंसे कोई व्यभिचारिणी है तो घरसे निकाल दी जायगी (१६)। किन्तु यदि विधवा माता व्यभिचार सेवन करती है तो भी उसके पतिके भाई-भतीजे और पुत्र पर उसके भरण-पोषणका दायित्व होगा; परन्तु वह दायकी भागी न होगी (१७)।

माताके गुजारेमें वह व्यय भी सम्मिलित होगा जो उसे धार्मिक क्रियाओंके लिए आवश्यक हो (१८)। भावार्थ तीर्थयात्रा आदि धार्मिक आवश्यकताओंके लिए पुत्र तथा विधवा पुत्रबधूसे, जिसके हस्तगत सम्पत्ति हो, विधवा माता खर्च पानेकी अधिकारिणी है।

पुत्रियोंके विवाह-व्ययकी सीमाके सम्बन्धमें कुछ मतभेद हैं जो अनुमानतः इस कारणसे है कि कोई नित्य और अविचल नियम इस विषयमें नियुक्त नहीं हो सकता जिसका व्यवहार प्रत्येक अवस्थमें हो सके। भद्रघाहु संहिताके अनुसार सब भाईयोंको अपने अपने भागका चतुर्भांश सहोदर वहिनोंकी शादीके लिये अलग निकाल देना चाहिए (१९)। वर्धमान नीति तथा अहंकारिति दोनोंमें यही नियम मिलता है (२०)। परन्तु इन्द्रनन्दि जिन संहिताके अनुसार यदि दो भाई और एक अविवाहिता वहिन हों तो दायसम्पत्तिके तीन समान भाग करने चाहिए (२१)।

१५ अह० ७७ ।

१६. „ ७७ ।

१७. „ ७६ ।

१८. भद्र ७७ ।

१९. „ १६ ।

२०. वर्ध० ६; अह० २५ ।

२१. इन्द्र० २६ ।

यदि यह भाग समान है तो पुत्रीको सर्व सम्पत्तिका एक तिहाई मिलेगा । परन्तु इसका आशय यह मालूम पड़ता है कि विवाहके व्यवहा अनुमान सामान्यतः इसके द्वी सीमान्तर होगा । दासीपुत्रोंके भरण-पोषणकी सीमा उनके पिताकी सम्पत्ति पर है जबतक वह जीवित है (२२) और पिताके पञ्चाश्व वह असली पुत्रोंसे अर्धभाग तक पा सकता है, यदि रिताने उसके गुजारेका कोई अन्य प्रबंध न कर दिया हो (२३)

यदि किसी विधवाने कोई पुत्र गोद लेन्दर उसीको अधिकार दे दिया है तो वह गुजारा पाने तथा दत्तको कुमाराकाशमें उसकी संरक्षिका होनेकी अधिकारिणी होगी (२४) । पुत्र भी मातासे गुजारेका अधिकारी है (२५) यह अनुमानतः तभी होगा जब कि पिताकी सम्पत्ति माताने पाई हो । तो भी सट्ट-च्यवहारके अनुसार माता अपने बच्चोंका भरण पोषण करनेपर आश्र्य ही है, यदि वह ऐसा करनेकी सामर्थ्य रखती हो ।

२२. इन्द० ३४ ।

२३. .. ३४—३५ ।

२४. शिवमिह राय ब० दाखो ६ एन० दख्लु० पी० हाईस्टर रिपोर्ट ३८२ ।

२५ अर्द० १२६ ।

सप्तम परिच्छेद—संरक्षता

जो पुत्र पुत्रियाँ वरःप्राप्न नहीं हैं उनकी संरक्षकताके अधिकारी नीचे लिखे मनुष्य क्रमानुसार होंगे (१)।

१-पिता । २-पितामह । ३-भाई । ४-बचा । ५-पिताका गोत्रज । ६-धर्मगुरु । ७-नाना । ८-मामा ।

यह क्रम विषाइके सम्बन्धमें है (१)। बड़े भाइयोंके साथ लेटे भाइयोंसे रहनेकी काज्ञा है (२) और बड़े भाईका कर्तव्य है कि पिताके समान उनके साथ व्यवहार बरे (३)। विभाग होनेके पश्चात् भी यदि कोई भाई उत्पन्न हो जाय तो वडे भाइयोंको उसका विवाह करना चाहिये (२४)। छोटी वहिनीोंकी खंरक्षणता, उनके विवाहित होने तक, पिताके अभावमें, बड़े भाइयोंको प्रस होती है (५)।

यदि किसी विवाहिता पुत्रके शिक्षके कुटुम्बमें उसकी रक्षा और उसकी सम्पत्तिशी देखभाल करनेवाला कोई न हो तो उसके पिताके कुटुम्बका कोई आदमी संरक्षक होगा (६)। यदि माता जीवित है और कोई छोटी छड़की या छड़का उसके साथ और अपने अन्य भाइयोंसे पृथक् रहता हो या और भाई

१ बैव० अध्यात्र ११ श्लोक ८२ ।

२. भद्र० ५, अर्द० २४ ।

३. १, १० , २४ ।

४. .. १०३ ।

५ वर्ध० ९; भद्र० ११; इन्द्र० ८, अर्द० २० ।

६. अर्द० ८२ ।

न हों तो उसकी संरक्षका उसकी माताको प्राप्त होगी (३) ।

यदि उन्मत्तता, असाध्य रोग, ज्ञासेव या इसी प्रकारके किसी अन्य कारणवश कोई विधवा अपनी सम्पत्तिकी रक्षा करनेके अयोग्य हो तो उसकी रक्षा उसके पतिका भावें, भतीजा या गोत्रज और उनके अभावमें पढ़ोसी फरेगा (४) । परन्तु अप असमर्थ और रक्षकका विषय सरकारी कानून गार्डियन्ज एण्ट चार्टर्ज ऐक्ट के अनुसार निर्णय होगा । पागलोंका कानून असमर्थ और अयोग्य मनुष्योंके फोर्टका कानून तथा इसी प्रकारके विषय सम्बन्धी कानून भी अपने अपने सौके पर लागू होंगे ।

जैन-र्खोंमें इस अधिकारको स्वीकार किया गया है कि कोई मनुष्य अपने जीवन-फालमें वसीअन द्वारा अपनी सम्पत्तिसा कोई प्रबन्धक नियत फर दे जो उसकी विधवा एवं उपकी सम्पत्तिकी रक्षा करे (९) । ऐसा नियुक्ति-पत्र साक्षियोंद्वारा पंचों या सरकारसे रजिस्टरी कराना चाहिए (१०) । यदि सिपुर्दार सम्पत्तिके स्थानीकी मृत्युके पश्चात् विश्वसयती हो जावे तो विधवाको अधिकार होगा कि अदालतद्वारा उसे पुभक्ष करा दे और उसके स्थान पर अन्य पुरुषोंनियुक्त परा दे (११) । वर्धमान नीतिके अनुसार वह स्वयं भी उस प्रबन्धकही जगह अपनी सम्पत्तिका प्रबन्ध घर सज्जती है (१२) । प्रबन्धकका घर्तव्य है कि वह सम्पत्तिकी देखभाल पूर्ण साथपानीसे

३. वर्ष० १८; अर्द० ८३—८४ ।

४. अर्द० ७८—८० ।

९. ,,, ४६—४८; वर्ष० १६—१७ व २०—२१ ।

१०. ,,, ४७; वर्ष० २०—२१ ।

११. अर्द० ४६—५०; भद्र० ७१—७२ ।

१२. वर्ष० २२—२३; भद्र० ७३—७४ का लागत भी ऐसा ही आन पड़ता है ।

करे ताकि सम्पत्ति सुरक्षित रहे और परिवार-जनोंका निर्बाह
भली भौंति हो सके (१३) । यदि विधवाने प्रबन्ध-कार्यका
दायत्व स्वयं अपने ऊपर ले लिया है तो उसको (नियुक्ति-पत्र
या वसीयतके अनुमार) उस सम्पत्तिको दान करने, गिरवी
रखने तथा वेच देनेजा आवश्यकतानुसार अधिकार होगा (१४) ।
यदि कोइ औरस या दत्तक पुत्र हो तो वह उसके इस प्रकार
सम्पत्तिको व्यय करनेमें वाधक नहीं हो सकता (१५); क्योंकि
विधवाको वह सब सधिकार हैं जो सिपुर्ददारको होते, तथा
उसको धार्मिक कार्यों अथवा व्यापार सम्बन्धी आवश्यकताओंमें
उस सम्पत्तिको दानकर देने, गिरवी रखने और वेचनेका
अधिकार प्राप्त है (१६) ।

अष्टम परिच्छेद-रिवाज

रिवाज कई प्रकारके होते हैं—साधारण व विशेष, अर्थात् जातीय, कौटुम्बिक और स्थानीय। प्रत्येक गुरुद्देशमें इनको गवाहोंसे सावित करना पड़ता है। कौटुम्बिक रिवाजके सावित करनेके लिए वही प्रमाणित साक्षीकी आवश्यकता होती है। आजकल कानूनके अनुसार न्यायालयोंमें जैन-जातिके मनुष्योंके झगड़े रिवाज-विशेषके अनुसार निर्णय किये जाते हैं (१)। रिवाज-विशेषके अभावमें हिन्दू-कानून लागू होता है (२)। हिन्दू-कानूनका वह भाग जो द्विजोंके लिए है जैनियोंके लिए लागू माना गया है (३)। अस्वर्वाह प्रान्तमें एक मुकुदमेमें एक मृतक पुरुषकी बरसीके सम्बन्धमें भी हिन्दू-कानून लागू किया गया था यद्यपि बरसीका जैन-जातिमें रिवाज नहीं है और वह जैन सिद्धांतके नितान्त बाहर व विरुद्ध है। परन्तु उस मुकुदमेमें विधवा एक और दूसरी और मृतकका अल्प-बयसक पुत्र था और सम्पत्ति प्रवन्धकके प्रवन्धमें भी और सब पक्षोंने स्वीकार कर लिया था कि उनके मुकुदमेसे हिन्दू-कानून लागू होता है (४)। धर्म-परिवर्तनका, खर्षादि किसी

१. शिवसिंह राय व० मु० 'दातो १ इला० ६८८ प्री० दौ०; मानकचन्द गुलेचा व० अगतसेटानी प्राणकुमारी दीदी १७ कल० ५१८।

२. अम्बाकाई व० गोविन्द २३ यमर्दि २५७; दाँटेलाल व० प्रभ्नूलाल ४ कल० ७४४ प्री० की० और देसो लन्द सुपर्से शिला पट्टिए उल्लेख किया जा चुका है।

३. अम्बाकाई व० गोविन्द २३ यमर्दि २५७।

४. सुन्दरजी दामजी व० दाही बाई २९ यमर्दि ३१८=६ यमर्दि लॉ-रिपोर्टर १०५२।

जैनीके हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लेनेसे उसके स्वत्वों पर कोई असर नहीं पड़ता (५)। एक मुख्दमेमें, जो तख्तोरमें हुआ था, लहां एक जैन विधवाने जिनके कुटुम्बोंजन किसी समयमें हिन्दू-थे अपने पतिकी आज्ञाके विना पुत्र गोद ले लिया था, वह निर्णय हुआ था कि हिन्दू-कानून लागू होता है और दत्तक नीति-विरुद्ध है (६)। यह मुख्दमा एक पहिले मुख्दमेसे इस कारण असहधर्मी करार दिया गया था कि उसमें धर्म-परिवर्तन-मुकदमा चलनेसे मैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुका था और अनुमानतः उससे भी पहिले हो चुका था जब कि हिन्दू-लों का वह भाग जो उस रथानपर मुख्दमेके समय चालू था, रचा गया होगा (७)। वंगात्के एक पुराने मुख्दमेमें हिन्दू-कानूनका स्थानीय नियम जैनियोंका लगू किया गया था, अर्थात् हिन्दू-कानूनकी वह शाखा जिसका उस स्थानमें रिवाज था जहाँ सम्बत्ति बाकै भी जैनियोंको लागू की गई थी (८)। परन्तु इसके पश्चात् एक और मुख्दमेमें, जिसका जुड़ेशल क्षमिश्र नागपुरने निर्णय किया, इस फैसलेका अर्थ यह समझा गया कि स्थानीय नियम उसी अवस्थामें लागू होगा जब कि किसी दूसरे नियम या कानूनका होना प्रमाणित न हो (९)।

अब यह नियम सिद्ध हो गया है कि एक स्थानका रिवाज दूसरे स्थानके रिवाजको प्रमाणित करनेके लिए सावित किया

५. मानकचन्द गुलेचा व० ज० से- प्राणकुमारी १७ कल० ४१८।

६. पेरिया अम्मानी व० कृष्णस्वामी १६ मदरास १८२।

७. रिद्धचरण लाल्ला व० सूजनमल लाल्ला ९ मद० ज्युग्मिट्ट २१।

८. महावीरप्रसाद व० मुँ कुन्दन कुँभर ८ वीक्ली रिपोर्टर ११६; उसका प्री कौं का फैसला नं० २१ वीक्ली रिपोर्टर पृ० २१४ और उसके पश्चात्के प्रधों पर दिया है (दुर्गप्रसाद व० मु० कुन्दन कुँवर)।

९. जंकूरी व० बुद्धमल ५७ इंडिं के० २५२।

जा सकता है और प्रासंगिक विषय है (१०)। यह भी माना जायगा कि हिन्दुओंकी भाँति जैनी लोग भी एक स्थानसे दूसरे स्थानको अपने रीति-रिवाज साथ ले जाते हैं, जब तक कि यह न दिखाया जाय कि पुराने रिवाज छोड़कर स्थानीय रिवाज प्रदण कर लिये गये हैं (११)।

रिवाज प्राचीन, निश्चित; व्यवहृत और उचित होने चाहिए। सदाचारके प्रतिकूल, सरकारी कानूनके विरुद्ध और सामाजिक नीति (public policy) के द्वारा रिवाज उचित नहीं समझे जायेंगे। गवाहोंकी निजी सम्पत्तिकी अपेक्षा उद्दरण्डों और आपडेवाले गुकदमोंके फैसलोंका मूल्य रिवाजको सावित करनेके लिए अधिक है। ऐसा रिवाज जो न्यायालयोंमें बार बार प्रमाणित हो चुका है कानूनका अंश बन जाता है और प्रत्येक सुहृदमें सुस्के सावित करनेकी आवश्यकता नहीं रहती है (१२) :

१०. हरनामप्रसाद व० मडिलदास २७ कल १७९; अमादाद २० गोविन्द २१ बम्बई १५७।

११. यंकुरी व० बुद्धमल ५७ इंडिया के० २५२; अमादाद २० गोविन्द २१ बम्बई १५७।

१२. मु० सानो व० मु० इन्द्राणी वहू ७८; इंडिया के० ४६१ नामुर।

द्वितीय भाग

त्रैवर्णिकाचार-ग्यारहवाँ अध्याय

अन्यगोत्रभवां कन्यामनातङ्गं सुलक्षणाम् ।

आयुषमतोंगुणाद्यां च विशुद्धतां वरेद्वरः ॥ ३ ॥

जो अन्य गोत्रकी हो, रोगरहित हो, उत्तम लक्षणोंवाली हो, वीर्य आयुवाली हो, उत्तम गुणोंसे भरी पुरी हो और अपने पिता द्वारा दी जावे, ऐसी कन्याके साथ विवाह करे ॥ ३ ॥

वरोऽपि गुणवान् श्रेष्ठो दीर्घायुर्दर्शिवर्जितः ।

सुकुली तु सदाचारी गृद्धतेऽसौ सुरूपकः ॥ ४ ॥

वर भी गुणवान्, श्रेष्ठ, दीर्घ आयुवाला, निरोगी, उत्तम कुरुका, सदाचारी और रूपवान् होना चाहिए ॥ ४ ॥

पादेऽपि मध्यमा यस्याः क्षिति न स्फुशति यदि ।

द्वो पुरुषावतिक्रम्य सा तृतीये न गच्छति ॥ २० ॥

जिसके पैरकी चिचली ऊँगली जमीनपर न टिकती हो तो समझना चाहिए कि वह दो पुरुषोंको छोड़कर तोसरेके पास नहीं जायगी ॥ २० ॥

यस्यास्त्वानामिक हस्ता तां विदुः कलहप्रियाम् ।

मूर्मि न त्युशते वस्याः खादते सा पतिद्रव्यम् ॥ २४ ॥

जिसके पैरकी अनामिका ऊँगली छेटी हो वसे कलहकारिणी समझो और उसकी वह ऊँगली यदि जमीन पर न टिकती हो तो समझो कि वह कन्या दो पतियोंको खायगी ॥ २४ ॥

इत्थं लक्षणसंयुक्तां पठष्टराशिवर्जिताम् ।

बर्णविरुद्धासंत्यक्तां सुभगां कन्यकां चरेत् ॥ ३५ ॥

जो ऊपर वहे हुए शुभ लक्षणोंसे युक्त हो, पतिकी जन्म-
राशिसे जिसकी जन्म-राशि छठबां या आठबां न पड़ती हो,
और जिसका वर्ण पतिके वर्णसे विरुद्ध न हो, ऐसी सुभग
कन्याके साथ विवाह करना चाहिए ॥३५॥

रूपवती स्वजातीया स्वतोलृष्टन्यगोत्रजा ।

भोक्तुं भोजयितुं योग्या कन्या वहृकुद्भिनी ॥३६॥

जो रूपवती हो, अपनी जातिकी हो, वरसे आयु और
आरीरमें छोटी हो, दूसरे गोत्रकी हो; और जिसके हुटुम्हमें
बहुतसे छो-पुरुष हों, ऐसी कन्या विवाहके योग्य होती है ॥३६॥

सुतां पितृप्वसुश्चैव निजमातुलकन्यकाम् ।

स्वसारं निजभार्यायाः परिणेता न पापभाक् ॥३७॥

बूझाकी लड़कीके साथ, मामाकी कन्याके साथ और
सालीके साथ विवाह करनेवाला पातकी नहीं है ॥३७॥

नोट—आजकल इस कायदे पर स्थानीय रिवाजके अनुसार
अमल हो सकता है। इसलिए सोमदेवनीतिमें कहा है कि “देश-
कालपेशो मातुलसम्बन्धः” “अर्थात् मामाकी लड़कीसे विवाह
देश और कालके रिवाजके मुताविक द्वी होता है।

पुत्री मातृभगिन्याश्च खगोत्रजनिताऽपि वा ।

श्वभूष्वसा तथैतासां बरीता पातकी रमृतः ॥ ३८ ॥

अपनी मौसीकी लड़की, अपने गोतकी लड़की अपनी सासही
वहनके साथ विवाह करनेवाला पातकी माना गया है ॥ ३८ ॥

स्वयवसोऽधिकां वर्षेण्ठातां वा शरीरतः ।

गुणपुत्री वरेन्नैव मातृवत्परिकीर्तिता ॥ ४० ॥

अपनेसे उमरमें बढ़ो हो, अपने शहीरसे ऊँची हो तथा
गुरुकी पुत्री हो तो इनके साथ विवाह न करे। क्योंकि ये
माताके समान मानी गई हैं ॥४०॥

वारदानं च प्रदानं च वरणं पाणिपीडनम् ।

सप्तपदीति पञ्चाङ्गो विवाहः परिकीर्तिः ॥४१॥

वारदान, प्रदान, वरण, पाणिप्रहण और सप्तपदी, ये
विवाहके पांच अंग कहे गये हैं ॥४१॥

नोट—वारदान सगाईको कहते हैं, प्रदान जेवर और कपड़े
षगरहका वरका तरफसे कन्याको भेंट करना होता है। वरण
धर और कन्याले वंशका वर्णन है जो विवाहके समय होता
है। पाणिप्रहण या पाणिपीडन हाथ मिलानेको कहते हैं और
सप्तपदी भाँवर है।

त्राहो देवस्तथा चार्षः प्राजापत्यस्तथा५५पुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाश्चाष्टमोऽवर्मः ॥ ७० ॥

त्राय विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य
विवाह, ये चार धर्म विवाह हैं। और आसुर विवाह, गान्धर्व
विवाह, राक्षस विवाह और पैशांच विवाह, ये चार अधर्म
विवाह हैं। एवं विवाहके आठ भेद हैं ॥ ७० ॥

आच्छाद्य चार्हयित्वा च भुतशोलभते रथम् ।

आहूय दानं कन्यायाः त्राहो धर्मः प्रकीर्तिनः ॥ ७१ ॥

विद्वान और सदाचारी वरको रथयं बुडाफर उसके और
कन्याको बहुमूल्य आमूर्त्य पहनाफर कन्या देनेको त्राहविवाह
कहते हैं ॥७१॥

यहे तु वितते सम्यक् जिनाचार्यार्कम् कुर्वते ।

अलंकृत्य सुतादानं दैषो धर्मः त्रचक्ष्यते ॥ ७२ ॥

नवम परिच्छेद—त्रैवर्णिकाचार

जिन-पूजा रूप महान् अनुष्ठानकी समाप्ति होने पर जिनार्दा करानेवाले साधर्मी पुरुषको बस्त्र-आमृषणोंसे विमृष्टित इरके कन्याके देनेको दैव विवाह कहते हैं ॥ ७२ ॥

एक बस्त्रयुगं द्वे वा बरादादाय धर्मतः ।

कन्यां प्रदानं विधिवदार्थे धर्मः स उच्यते ॥ ७३ ॥

एक या दो जोड़ी बस्त्र बरसे कन्याको देनेके लिए धर्म निमित्त लेकर विधिपूर्वक कन्या देना आर्प विवाह है ॥ ७३ ॥

नोट—कहीं कहीं ‘बस्त्रयुगं’ के बजाय ‘गोमिथुनं’ का पाठ भी आया है जिसका अर्थ एक गाय और बैलका है ।

सहोभौ चरतां धर्ममीति तं चानुभाष्य तु ।

कन्याप्रदानमध्यन्वयं प्राज्ञापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ७४ ॥

‘तुम दोनों साथ-साथ सद्वर्मका आचरण करो’, केवल ऐसे आशीर्वादके साथ कन्याके द्याह देनेको प्राज्ञापत्य विवाह कहते हैं ॥ ७४ ॥

तातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यामै चैव शक्तिः ।

कन्यादानं यत्क्रियते चासुरो धर्म उच्यते ॥ ७५ ॥

कन्याके पिता आदिको कन्याके लिए यक्षाशक्ति धन देवर कन्या लेना आसुर विवाह है ॥ ७५ ॥

स्वेच्छायाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाङ्ग वरस्य च ।

गान्धर्वः स तु बिहीयो मैथुन्यः दामसम्भवः ॥ ७६ ॥

वर और कन्याका अपनी इच्छापूर्वक परतपर लाभिग्रनादि रूप संयोग गान्धर्व विवाह है । यह विवाह कन्या और वरकी अभिभाषणसे होता है । अतः यह मैथुन्य—दामसोगके लिए होता है ॥ ७६ ॥

हत्वा भित्वा च छित्वा च क्रेशन्तीं रुदन्तीं गृहात् ।

प्रसन्न कन्याहरणं राक्षसो विधिरुचयते ॥ ७७ ॥

कन्याके पक्षके लोगोंको मारकर, उनके अङ्गोपाङ्गोंको छेदकर, उनके प्राकार (परकोटा) डुर्ग आदिको तोड़-फोड़कर चिछाती हुई और रोती हुई कन्याको जबर्दस्तीसे हरण करना राक्षस विवाह है ॥ ७७ ॥

सुप्रां भन्तां प्रमन्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः कथितोऽष्टमः ॥ ७८ ॥

सोई हुई, नशोसे घूर, अपने शीलकी संरक्षासे रहित कन्याके साथ एकान्तमें समागम करके विवाह करना पैशाच विवाह है जो पापका कारण है । यह आठवीं किसमका विवाह है ॥ ७८ ॥

पिता पितामहो भांता पितृव्यो गोत्रिणो गुरुः ।

मातामहो सातुलो वा कन्याया वान्धवाः क्रमात् ॥ ८२ ॥

पिता, पितामह, भाई, पितृव्य (चाचा), गोत्रज मनुष्य, गुरु, माताका पिता और मामा ये कन्याके क्रमसे वन्धु (बली) हैं ॥ ८२ ॥

पित्र्या ददात्रभावे तु कन्या कुर्यात्स्वयं नरम् ।

इत्येवं केचिद्राचार्याः प्राहृष्टहति सङ्कटे ॥ ८३ ॥

विवाह करनेवाले पिता, पितामह आदि न हों, तो ऐसी दशामें कन्या स्वयं अपना विवाह करें । ऐसा कोई-कोई आचार्य कहते हैं । यह विधि महासंक्षिप्तके समय समझना चाहिए ॥ ८३ ॥

तावद्विवाहो नैव स्याद्यावत्सप्तपदी भवेत् ।

तस्मात्सप्तपदी कार्या विवाहे मुनिभिः स्मृता ॥ १०५ ॥

जब तक सप्तपदी (भाँवर) नहीं होती तब तक विवाह हुआ नहीं कहा जाता । इसलिए विवाहमें सप्तपदी अवश्य होनी चाहिए, ऐसा मुनियोंका कहना है ॥ १०५ ॥

नोट—सप्तपदी जिसका अर्थ सात पद या सात बार प्रहण

करनेका है, पवित्र अग्निके गिर्द सात बार फेरे लेनेको कहते हैं। अग्नि वैराग्यका रूपक है, इस कारण सप्तपदीका गृहार्थ यही है कि जिससे दूल्हा-दुल्हिनके हृदयपर यह बात सात मर्त्या, आने पूरे तौरसे, अंकित कर दी जावे कि विवाहका उसकी अभिप्राय धर्म-साधन है न कि विषय सेवन।

चतुर्थी मध्ये ज्ञायन्ते दोषा यदि वरस्य चेद् ।

दत्तामपि पुनर्दद्यात्पिता ऽन्यस्मै विदुर्वृष्टाः ॥१७३॥

चौथीमें यदि कोई दोष वरमें मालूम हो जायें तो वी दूर्द कन्याको भी उसका पिता किसी दूसरे वरको दे, ऐसा वुढ़ि-मानोंका मत है ॥१७४॥

प्रबरैक्यादिदोषः स्युः पतिसङ्गादधो यदि ।

दत्तामपि हरेदद्यादन्यस्मा इति केचन ॥१७५॥

अथवा किन्हां-किन्हाँ ऋषियोंका ऐसा भी मत है कि यदि पतिसंगसे प्रबरैक्यादि दोष मालूम हो तो कन्यादाता पन्यासो चस वरको न देकर किसी अन्य वरको दे ॥१७५॥

कलौ तु पुनरुद्धाहं वर्जयेदिति गाल्घः ।

फस्मश्चिदेश इच्छन्ति न तु सर्वत्र केचन ॥१७६॥

गालघ ऋषि कहते हैं कि फलियुगमें पुनर्विवाहका निर्णय है। इसके अतिरिक्त यह किसी-किसी दशावें ही होता है, मर्यादा नहीं होता ॥१७६॥

अप्रजां दशमें वर्षे स्त्रीप्रजां दूदशे ल्यजेत् ।

मृतप्रजां पञ्चदशे सप्तस्त्वश्रियदादिनीम् ॥१७७॥

दसवें वर्षे तक जिस दौके संतान न हो तो उसके दोते दूस दूसरा विवाह दरे। जिसके केरल कन्याएं ही दोतो दों तो बारह वर्षके बाद दूस। विवाह दरे, जिसके संतान दोषे न र जाती हो उसके हंते दूर १५ वर्षके बाद फिर विवाह दरे।

और अविवादिनीकी उपस्थितिमें तत्काल दूसरा विवाह करे ॥ १९७ ॥

सुरूपां सुप्रजां चैव सुधगामात्मनः प्रियाम् ।
धर्मानुचारिणीं भार्या न त्यजेद् गृहसंदूत्रती ॥१९९॥

रूपवती, पुत्रवती, भाग्यशालिनी, अपनेको प्रिय और धर्मानुचारिणी भार्याके होते हुए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए ॥१९९॥

अकृत्वाऽर्कविवाहं तु तृतीयां यदि चोद्धरेत् ।
विधवा सा भवेत्कन्या तस्मात्कार्यं विचक्षण ॥२०४॥

अर्कविवाह किये विदून तीसरा विवाह समझदार मनुष्यको नहीं करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जावेगा तो कन्या विधवाके समान होगी ॥२०४॥

दशम परिच्छेद-दायभाग

श्री भद्रवाहुसंहिता

सैसृतों पुत्रसद्वावो भवेदानन्दकारकः ।
यदभावे वृथा जन्म गृद्धते दत्ततो नरेः ॥ १ ॥

अर्थ—संसार में पुत्रका सद्वाव (होना) ऐसा आनन्दकारक है कि, जिसके अभाव में जन्म ही व्यर्थ समझा जाता है । इसलिए और स पुत्रके अभाव में मनुष्ण दत्तक पुत्र प्रहण करते हैं ॥ १ ॥

बहवो भ्रातरो यस्य यदि स्युरेकमानसाः ।

महत्पुण्यप्रभावोऽयमिति प्रोक्तं गद्विष्मिः ॥ २ ॥

अर्थ—यदि किसीके बहुतसे भाई एक चित्तदाले हों तो इसको उसके बड़े भारी पुण्यका प्रभाव समझना चाहिये, ऐसा महर्षियोंने कहा है ॥ २ ॥

पुण्ये न्यूनेभ्रातरस्ते दुद्वन्ति धनलोभतः ।

आपत्तौ तद्विवृत्यर्थं दायभागो निरूप्यते ॥ ३ ॥

अर्थ—पुण्यके न्यून होने पर वे बहुतसे भाई भनके लोभके परम्पर द्वाह भावको प्राप्त होते हैं, अर्थात् आपत्ति में लहरते हाथहरते हैं । ऐसी आपत्तिमें उसके (वैर भावके) निदारण करनेके लिए यह दायभाग निरूपित किया जाता है ॥ ३ ॥

पित्रोरुदृर्घ्वं भ्रातरस्ते समेत्य इसु पैदुरुम् ।

दिमजेरन् समं सर्वे जीवतो पितॄरिच्छया ॥ ४ ॥

अर्थ—माता-पिताटी मृत्युके पश्चात् वे सब भाईं पैत्रिक सम्पत्तिको एकत्र करके बरावर-बरावर बॉट लें । परन्तु उनके जीते जी पिताके इच्छानुसार ही प्रहण करें ॥ ४ ॥

ज्येष्ठ एव हि गुह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः ।
अन्येतदनुसारित्वं भजेयुः पितरं यथा ॥ ५ ॥

अर्थ—विताका सम्पूर्ण धन ज्येष्ठ (बड़ा) पुत्र ही प्रहण करता है; शेष छोटे पुत्र उस अपने बड़े भाईयों पिताके समान मानके उसकी आज्ञामें रहते हैं ॥ ५ ॥

प्रधभोत्पत्तपुत्रेण पुत्री भवति मानवः ।
पुनर्भवन्तु कतिचित्सर्वस्याधिपतिर्महान् ॥ ६ ॥

अर्थ—प्रथम उत्पत्त हुए पुअसे मनुष्य पुत्री * अर्थादि पुत्रवान् होता है, और पीछेसे कितने ही पुत्र क्यों न पैदा हों परन्तु उन सबका अधिपति वह बड़ा पुत्र ही कहलाता है ॥ ६ ॥

यस्मिन् जाते पितुजन्म सफलं धर्मजे सुते ।
पापित्वमन्यथा लोका बदन्ति महदद्वृतम् ॥ ७ ॥

अर्थ—जिस धर्मपुत्रके उत्पत्त होनेसे पिताके जन्मको लोक सफल कहते हैं उसीने न होनेसे उसको पापी कहते हैं । यह बड़ा आश्चर्य है ॥ ७ ॥

पुत्रेण स्यात्पुण्यवन्त्वमपुत्रः पापभुग्वेद ।
पुत्रवन्तोऽत्र दृश्यन्तेषामराः कण्याचकाः ॥ ८ ॥

* ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव ।

—मनुस्मृति अ० ९, इलो० ६

पूर्वजेन्तु पुत्रेण अपुत्रः पुत्रवान् भवेत् ।

—अहजीति इलो० ३३ ।

द्वास्तीर्थकृतोऽपुत्रा पञ्चकल्याणभागिनः ।

देवेन्द्रपूज्यपादाद्वजा लोकत्रयविद्वोक्तिः ॥१॥

अर्थ— अनेक लोग इस लोकमें पुत्रदे पुण्यदान कहे जाते हैं और पुत्रहीन पापी कहे जाते हैं। परन्तु बहुतेरे पुढ़दान नीच और दाने माँगते हुए देखे जाते हैं, तथा पुत्र रहित पञ्चकल्याणके भागी देवेन्द्रोंसे पूज्य हैं चरणकमल जिनके और तीन लोकके देखनेवाले तीर्थकर भी देखे जाते हैं ॥८—९॥

ज्येष्ठोऽविभक्तभ्रातृत् वै पितेव परिपाटयेद् ।

तेऽपि तं भ्रातरं ज्येष्ठं जीनीयुः पितृदत्सदा ॥१०॥

अर्थ— ज्येष्ठ भाईको चाहिएके कि अपने अविभक्त अर्थात् एकत्र रहनेवाले भाईयोंका पिताके समान पाठन करे और एन भाईयोंको भी चाहिए कि ज्येष्ठ भाईको सदैव पिताके समान मानें ॥१०॥

यद्यपि भ्रातृणामेकचित्तत्वं पुण्यप्रभावस्तथापि ।

धर्मवृद्धपौ पृथग्भवत्तमपि योज्यम् ॥११॥

मुनीनामाहारदानादिना सर्वेषां पुण्यमागित्याद् ।

भोगमूमिजन्मरूपफलप्राप्तिः स्यात्तदेवाह ॥१२॥

अर्थ— यद्यपि भाईयोंका एकचित्तत्व होना पुण्यका प्रभाप है, तथापि धर्मकी वृद्धिके लिए पृथक्-पृथक् होना भी योजनीय है। क्योंकि मुनियोंके आहार दानादिके द्वारा जो पुण्य होगा उसके

क्षे पितेव पालयेत्पुत्रावज्येष्ठो भ्रातृन् नयवीयसः ।

पुत्रवशपि वर्तेरञ्ज्येष्ठ भ्रातरि पर्मतः ॥

— मनुस्मृति श० ९ इति० ८।

विभक्ताभिभतान्वै भ्रातृञ्ज्येष्ठः पितेव सः ।

पालयेत्पुत्रोऽपि तं ज्येष्ठं सेवन्ते पितरं तथा ॥

— अर्हतीति इति० ९२।

सब भाई पृथक्कु-पृथक्कु भागी होंगे, जिसके कि फल-रूप भोग-भूमिमें जन्मकी प्राप्ति होती है ॥११-१२॥

विभक्ता भ्रातरो भिन्नास्तिष्ठन्तु सपरिच्छदाः ।

दानपूजादिना पृण्यं वृद्धिः संजायतेतराम् ॥१३॥

अर्थ—विभक्त हुए भाई अपने-अपने परिवारके सहित भिन्न-भिन्न रहें, क्योंकि दान, पूजा आदि कार्योंसे विशेष पुण्यवृद्धि होती है ॥१३॥

तद्द्रव्यं द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जङ्घमं तथा ।

स्थानादि स्थावरं प्रोक्तं यदन्यत्र न गम्यते ॥१४॥

अर्थ—यह द्रव्य, जिसका दायभाग किया जाता है, दो प्रकारका कहा गया है, एक स्थावर (गैरमन कृचा) और दूसरा जंगम (मन कूटा) । जिस द्रव्यका गमन अन्यत्र न हो सके, अर्थात् जो कहीं जा न सके, जैसे कि स्थानादि, उसे स्थावर कहते हैं ॥१४॥

जङ्घमं रौप्यं गाङ्गेयं भूषा वस्त्राणि गोपनम् ।

यदन्यत्र परेणापि नीयते ऋग्यादिकं तथा ॥१५॥

अर्थ—और जो अन्यत्र भी पहुँचाया जा सके जैसा कि चाँदी, सोना, मूषण, बघ, गोधन (गाय भैंस आदि चौपाये) और दास-दासी आदि, सो सब जङ्घम द्रव्य है ॥१५॥

स्थावरं न विभागाह् नैव वार्या विक्लवना ।

स्थास्याम्यत्र चतुष्पादेवात्र त्वं तिष्ठ मदग्रहे ॥१६॥

अर्थ—स्थावर द्रव्य विभाग करनेके योग्य नहीं हैं^{३४} । उसके विभाग करनेकी कल्पना नहीं करनी चाहिए । “यहाँ पर चतुर्थ

^{३४} न विभज्यं न विक्रेयं स्थावरं न कदापि हि ।

प्रतिष्ठाजनकं लोके आपदाकालमन्तरम् ॥

आगमें मैं रहूँगा, और इस घरमें तुम रहो ” ऐसा भाइयोंको
अवन्ध कर लेना चाहिए ॥ १६ ॥

सर्वे पि भ्रातरो व्येष्ठं विभक्ताजन्ममा तथा ।
किञ्चिदंश च व्येष्ठाय दत्तवा कुर्याः समाशनम् ॥ १७ ॥

अर्थ— सब भाई अपने बडे भाईको पहिले अविभक्त जन्म
उव्यमें से कुछ अंश देकर फिर शेष सम्पत्तिको सब निलक्ष
बराबर-बराबर बांट लें ॥ १७ ॥

गोधनं तु समं भक्त्वा गृहे युते निजेन्ठया ।

कश्चिद्वर्तु न शक्तश्चेदन्यो गृहल्यसंशयम् ॥ १८ ॥

अर्थ— गोधन (अर्थात् गाय महिलादि जातवरों) को अपने-
अपने इच्छानुसार बराबर भाग करके ले लें, और यदि भागाधि-
कारियोंमें से कोई धारण करनेमें समर्थ न हो तो उस गोधनको
दूसरा भागी वेखटके प्रहृण कर ले ॥ १८ ॥

भ्रातृणां यदि कन्या स्यादेकं व्यायः सहोदरैः ।

स्वांशात्सर्वेस्तुरीयांशमेकीकृत्य विवाह्यते ॥ १९ ॥

अर्थ— यदि भाइयोंकी सहोदरी एक अधिका वहुतमी दन्या
हो तो सब भाइयोंको अपने-अपने भगवान्में चौथा-चौथा भाग
एकत्र करके कन्याओंका विवाह कर देना च हिए ॥ १९ ॥

उदायास्तु न भागोऽति किञ्चिद् अत्रुसमक्षतः ।

विवाहकाले यत्पित्रा दत्तं तस्यास्तदेव दि ॥ २० ॥

अर्थ— भाइयोंके समक्ष विवाहिता दन्याका पिताजी संपत्तिमें
कुछ भी भाग नहों है। विवाहकालमें पिताने उसे जो दे दिया
हो वही उसका है ॥ २० ॥

सहोदरैर्निजाम्बाया भगस्सम उदाहृतः ।

साधिको व्यष्ट्वारार्थं सृती सर्वेऽशभागिनः ॥ २१ ॥

अर्थ—माताका भी भाइयोंके साथ समान भाग कहा गया है और इसके अतिरक्त व्यवहार-साधनके लिए माताको कुछ अधिक और भी देना चाहिए । माताके मरनेपर उसके धनके सब भाई समानांश भागी होते हैं ॥ २१ ॥

एककाले युगोत्पत्ति पूर्वजस्य हि ज्येष्ठता ।

विभागसमये प्रोक्तं प्राधान्यं तस्य सूरिमिः ॥ २२ ॥

अर्थ—एक कालमें दो पुत्रोंकी उत्पत्तिमें पूर्वजके, अर्धादि जो पहिले निर्गत हुआ हो उसे ही, उपर्युक्ता होती है और विभागके समय आचार्योंने उसीका प्राधान्य कहा है ॥ २२ ॥

यदि पूर्वं सुता जाता पश्च त्पुत्रश्च जायते ।

तत्र पुत्रस्य ज्येष्ठत्वं न कन्याया जिनागमे ॥ २३ ॥

अर्थ—यदि पूर्वमें लड़की उत्पन्न हो और पीछे पुत्र उत्पन्न हो तो भी जैन-शास्त्रमें लड़का ही बहा माना गया है न कि लड़की ॥ २३ ॥

यस्यैकपुत्रो निष्पत्ता परं संतत्यभावतः ।

सा तत्सुतो वाऽधिपतिः पितृद्रव्यस्य सर्वतः ॥ २४ ॥

अर्थ—जिसके केवल एक पुत्री ही उत्पन्न हो और अन्य संतानका अभाव हो, तो वह पुत्री और उस पुत्रीका पुत्र (अर्धादि दौहित्र) उस पिताके द्रव्यके सर्वतः स्थामीक्ष्ण होते हैं ॥ २४ ॥

नोट—निष्टटवर्ती दायादोंके अभावमें ही लड़की और उसका लड़का वारिस होते हैं ।

वक्ष्यमाण निदानानामभावे पुत्रिका सता ।

दाये वा पिण्डदाने च पुत्रेदौहित्रकाः समाः ॥ २५ ॥

क्षेयस्यैकस्यां तु कन्यायां जातायां नान्यसन्तसिः ।

प्राय तं तस्याश्चाधिपत्यं सुतानास्तु श्रुतस्य च ॥

अर्थ—उन मियमोंके अभावमें जो ज्ञाने कहे जावँगे पुत्रके सहश पुत्रिका मानी गई है और दायभाग तथा पिण्डदान (सन्तति-सञ्चालन)के लिए पुत्रोंके समान दौहित्र माने गये हैं ॥ २५ ॥

नोट—यह नियम (फायदे) इस पुस्तकमें नहीं मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि यह शास्त्र अधूरा है और किसी बड़े शास्त्रके आधार पर लिखा गया है। परन्तु विसर्जन कानून वर्षमाननीति आदि अन्य शास्त्रोंमें दिया हुआ है।

आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ।

तस्यामात्मनि तिष्ठत्यां कथमन्यो धनं द्वरेत ॥ २६ ॥

अर्थ—आत्म-स्वरूप पुत्र होता है और पुत्रके समान पुत्री है, तो फिर उस आत्मरूप पुत्रोंकी उपस्थितिमें दूसरा कोई धनका हरण कैसे कर सकता है ? ॥ २६ ॥

उद्धानुदाऽथवा कन्या मातृद्रव्यस्क भागिनी ।

अपुत्रपितृद्रव्यस्याधिपो दौहित्रको भवेत् ॥ २७ ॥

अर्थ—माताके द्रव्यकी भागिनी कन्या होती है, चाहे वह विवाहित हो अथवा अविवाहित, और पुत्र-रहित पिताके द्रव्यका अधिकारी दौहित्र होता है ॥ २७ ॥

न विशेषोऽस्मिन् पौत्रदौहित्रयोः स्मृतः ।

पित्रोरेकत्रसम्बन्धाज्ञातयोरेकदेहतः ॥ २८ ॥

अर्थ—(क्योंकि) इस लोकमें माता-पिताके एकत्र सम्बन्धसे उत्पन्न हुए एक देह रूप जो पुत्र और पुत्री हैं, उनसे उत्पन्न हुए पौत्र और दौहित्रमें कुछ विशेषता (अर्थाद् भेद) नहीं जानना चाहिए ॥ २८ ॥

उद्धपुत्रत्यां परेतायामपुत्रायां च सत्यतिः ।

स ऋधनत्य द्रव्यस्याधिपतित्तत्यतिः सदा ॥ २९ ॥

अर्थ—यदि विवाहिता पुत्री जिःसन्तान मर जावे तो उसके द्रव्यका मालिक उसका पति ही होगा ॥ २९ ॥

तयोरभावे तत्पुत्रो दत्तको गात्रियः सति ।

पितृद्रव्याधिपः स्याद्वै गुणवान् पितृभक्तिमान् ॥ ३० ॥

अर्थ—पति-पत्नी दोनोंके मरने पर पितामें भक्ति करनेवाला गुणवान् पुत्र औरस हो अथवा दत्तक हो पिता के सम्पूर्ण द्रव्यका मालिक होता है ॥ ३० ॥

ब्रह्मणक्षत्रियविशां ब्राह्मणेन विवाहिता ।

कन्यासख्तपुत्राणां विभागोऽयं वुधैः सृतः ॥ ३१ ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंकी कन्याओंका यदि ब्रह्मणके साथ विवाह किया जावे तो उनमें पैदा हुए पुत्रोंका भाग पिता सम्बन्धी द्रव्यमें इस प्रकार बुद्धिमत् पुरुषोंने कहा है—॥३१॥

पितृद्रव्यं जंगमं वा स्थावरं गोघनं तथा ।

विभव्य दशधा सर्वं गृहीयुः सर्वं एकतः ॥ ३२ ॥

विप्राजस्तुर्यभागान्वै त्रोन्मागान् क्षत्रियासुतः ।

द्वौ भागौ वैश्यज्ञो गृह्णादेकं धर्मं नियोजयेत् ॥ ३३ ॥

अर्थ—पिता के जंगम तथा गोघनादिक और स्थावर द्रव्यमें उस भाग लगाकर आइयोंको इस प्रकार लेना चाहिए कि ब्रह्मणीसे उत्तराश हुए पुत्रोंको चार भाग, क्षत्रियादे उत्तराश हुएको तीन भाग, और वैश्य माँ से उत्तराश हुएको दो भाग, तथा अवशिष्ट एक भाग धर्मार्थं नियुक्त वर्ते ॥ ३२—३३ ॥

यद्गोहैं दासदास्यादिः पालनीयो यवीयसा ।

सर्वे मित्रित्वा वा कुर्यान्शुक्तिवन्धनम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—गुहमें जो दासीसे उत्पन्न हुए पुत्र हों तो उनका पालन छोटे भाईको करना चाहिए अथवा सब भाई मिलकर अज्ञ-बस्त्रका प्रबन्ध करें ॥ ३४ ॥

क्षत्रियस्य सर्वणिजोऽद्विभागी वैश्यजोऽद्विवः ।

तुर्यशभागी शूद्राजः पितृदत्तांशुकादिभृत् ॥ ३५ ॥

अर्थ—क्षत्रिय पितासे सर्वणि खो (क्षत्रिय) से उत्पन्न हुए पुत्रको पिताके द्रव्यका अर्धांश तथा वैश्याज पुत्रको चतुर्थांश मिलना चाहिए, और शूद्रासे उत्पन्न हुए जो पुत्र हैं वह जो द्रव्य (अज्ञ-बस्त्रादिक) उसको उसके पिताने दिया है उनीका स्वामी हो सकता है (अधिक नहीं) ॥ ३५ ॥

वैश्यस्य हि सर्वणिजः सर्वस्वामी भवेत्सुतः ।

शूद्रपुत्रोऽन्नवासोर्ह इति वर्णव्रये विधिः ॥ ३६ ॥

अर्थ—वैश्यका वैश्य स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र ही सर्व संभवितिका अधिकारी हो सकता है, शूद्रासे उत्पन्न हुआ लड़का केवल अज्ञ-बस्त्रका ही अधिकारी है। इस प्रकार वर्णव्रयकी विभागकी विधि है ॥ ३६ ॥

शूद्रस्यैकसर्वणिजा एको द्वी वाऽधिका अवि ।

समांशभागिनः सर्वे शतपुत्रा भवन्त्यपि ॥ ३७ ॥

अर्थ—शूद्र पिताके शूद्रा खोसे उत्पन्न हुए पुत्र एक, दो तथा शत भी हों तो वे समभागके अधिकारी हैं ॥ ३७ ॥

एकपितृजन्मारुणं पुत्रश्चैकस्य जायते ।

तेन पुत्रेण ते सर्वे वृद्धेः पुत्रिण ईरिताः ॥ ३८ ॥

अर्थ—पिताके उत्पन्न हुए पुत्रोंमेंसे यदि किसी एकके पुत्र हो तो उस पुत्रसे सभी पुत्र पुत्रकाले समझे जाते हैं, ऐसा उपरिभानोका कथन है ॥ ३८ ॥

कस्यचिद् बहुपतीषु द्वोका प्रजनयेत्सुतम् ।

तेन पुत्रेण महिलाः पुत्रवत्यः सृताः बुधैः ॥ ३९ ॥

अर्थ—यदि किसी पुरुषकी बहुत खियोंमें से किसी एकके पुत्र हो तो वे सभी खियाँ उस पुत्रके कारण पुत्रवती समझनी चाहिए, बुद्धिमानोंकी ऐसी आज्ञा है ॥ ३९ ॥

तासां सृतौ सर्वधनं गृहोयात्सुत एव हि ।

एको भगिन्यभावे चेत्कन्यैकस्याः पतिर्वैसोः ॥ ४० ॥

अर्थ—उन सब सियोंके मरने पर उनका धन वह पुत्र लेता है और जब एक भी द्वो उसके पिताकी न रहे तो वह पिनाका कुछ धन लेता है ॥ ४० ॥

औरसेऽसति पितृभ्यां प्राज्ञौ वै दत्तकः सुतः ।

सोऽप्यौरस्य इव श्रीत्या सेवां पित्रोः करोत्यसौ ॥ ४१ ॥

अर्थ—अपने अप्नसे चत्पन्न हुआ पुत्र यदि न हो तो माता-पिताको दत्तक पुत्र लेना चाहिए, क्योंकि दत्तक पुत्र भी माता-पिताकी सेवा प्रीतिपूर्वक करता है ॥ ४१ ॥

अपुत्रो मानवः द्वी वा गृहोयादत्तपुत्रम् ।

पूर्वं तन्मातृपित्रादेः ससाक्षिलेखनं स्फुटम् ॥ ४२ ॥

अर्थ—निःसन्तान द्वी अथवा पुरुष पुत्र गोद लेते हैं । प्रथम ही उसके माता-पिताके हस्तसे साक्षीपूर्वक लेख लें ॥ ४२ ॥

स्वकीयभ्रातृज्ञातीयजनसाक्षियुतं मिथः ।

कारयित्वा राजसुद्राङ्कितं भूपाधिकारिभिः ॥ ४३ ॥

कारयेत्पुनराहूय नरनारीः कुटुम्बिकाः ।

वादिवनृत्यगानादिसंगलाचारपूर्वकम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—परस्पर अपने भाई-बन्धु और जातीय पुरुषोंके साक्षी नहित (लेखको) राजाके कार्यमारी पुरुषोंसे राजा की मुद्रासे

चिह्नित कराकर तत्पञ्चत्र अपने कुटुम्बके नर-नारियोंको घुलाकर
मङ्गलाचारपूर्वक वादित्र नृत्य गान आदि करावे ॥४३—४४॥

द्वारोद्वाटनसत्कर्म कुर्वन्ति श्रीजिनालये ।

पृतकुम्भं स्वस्तिकं च जिनाग्रे स्थापयेद् गुरुम् ॥४५॥

अर्थ—और श्रीजिनचैत्यालयमें जाकर द्वारोद्वाटन आदि
सत्कार वरें तथा श्रीजिनेन्द्र देवकी प्रतिमाके आगे पृतकुम्भ
स्वस्तिक आदि रखवें ॥४५॥

चत्तरीयमधोवलं दत्वा व्याघुष्ट्य मन्दिरम् ।

स्वं समागत्य नृस्त्रिभ्यरस्ताम्बूलं श्रीफलादिवम् ॥४६॥

स्त्रीभ्यश्च कञ्चुकीर्दयात्कुंकुमालक्षपूर्विकाः ।

अशनं कारयित्वा वै जातकर्मकियां चरेत् ॥४७॥

अर्थ—फिर श्रीमन्दिरजीमें धोती-दुपट्टा पूजाके निमित्त दे,
एण्टा बजावे और अपने घर आकर पुरुष-छियोंको ताम्बूल,
श्रीफल आदि दे तथा छियोंको कुंकुमादि-संयुक्त कनुकी (झाँगी
भोती) दे और भोजन कराकर जात-कर्म नामक किया (जन्म-
संस्कार) करे ॥४६—४७॥

परे भ्रात्रादिभिर्नीतिं मुकुटं श्रीफलादिवम् ।

एकद्वित्रिषुकुरोऽपि सुद्रा रक्षेत्पिता शिशोः ॥४८॥

अर्थ—बालकका पिता दूसरे भाई दगैरह शुद्धिश्वर्णं द्वारा
दाये गये मुकुट, श्रीफलादिक तथा एक दो तीन चार आदि
सुद्रा (रपये) ले ले ॥४८॥

व्यवहारानुसारेण दानं प्रहणमेव च ।

प्रत्यकर्मणि संजातेऽयं पुत्रोऽयेति दृश्यते ॥४९॥

अर्थ—इस प्रकार अपने कुलादि व्यवहारके उचित देना-लेना
अब हो जावे तब “इसका यह पुत्र है” ऐसा कहा जावा है ॥४९॥

तदैव राज्यकर्मादिव्यपारेपु प्रधानताम् ।

प्राप्नोति भूमिप्रामादिवस्तुष्वपि कृतिं पराम् ॥५०॥

अर्थ—और उसी समय उस पुत्रको राज्यकर्मादि व्यापारोंमें
प्रधानता तथा भूमिप्रामादि वस्तुओंमें अधिकार मिलता है ॥५०॥

स्वामित्वं च तदा लोकव्यवहारे च मान्यताम् ।

तत्संस्कारे कृते चैव पुत्रिणौ पितरौ स्मृतौ ॥५१॥

अर्थ—और तभी लोकके व्यवहारमें स्वामित्व तथा मान्यता
होती है । और पुत्रके जन्म-संस्कार करने पर ही माता-पिता
दोनों पुत्रवाले कहे जाते हैं ॥५१॥

दत्तकः प्रतिकूलः स्याद् पितृभ्यां प्राग्मृदूक्तिः ।

बोधयेत्तं पुनर्दर्पाद् ताहशो जनकस्त्वरम् ॥५२॥

तत्पित्रादीन् तदुद्धान्तं ज्ञापयित्वा प्रबोफयेत् ।

भूयोऽपि ताहशश्चैव वन्धुमूपाधिकारिणाम् ॥५३॥

आज्ञामादाय गृहतो निष्कास्यो ज्ञार्भकस्त्वरम् ।

न तन्नियोगं भूपाद्याः शृणवन्ति हि कदाचन ॥५४॥

अर्थ—यदि दत्तक पुत्र माता-पिता की आज्ञा से प्रतिकूल हो
जावे तो वे उसको कोमल वचनोंके द्वारा समझावें; यदि न
समझे तो पिता उसको धमकाके समझावें। इस पर भी यदि
न समझे, तो उसके पूर्व माता-पिता से उसका अपराध कहकर
समझावें। यदि फिर भी वह जैसाका तैसा ही रहे, तो अपने
कुटुम्बीजनोंकी तथा राजाके अधिकारियोंकी आज्ञा लेकर उसे
घरसे निकाल देना चाहिए। इसके पश्चात् उसके अधिकारकी
प्रार्थना राजा स्वीकार नहीं कर सकता ॥५२—५४॥

दत्तपुत्रं गृहीत्वा या रथाधिकारं प्रदाय च ।

जन्मसे रथाधरे याऽपि स्थानुं रथं वर्मेवत्मनि ॥५५॥

दशम परिच्छेद-दायभाग ।

अर्थ—खी दत्तक पुत्रको लेहर और उसको समृण अविज्ञान देहर आप धर्म-कार्यमें संलग्न होनेके निसित ज़ज्ज्ञम तथा स्थावर द्रव्य उसको सौंप देती है ॥ ५५ ॥

पुनः स दत्तको क्षल्लिधिं प्राप्य मृतो यदि ।

भर्तुद्रव्यादि यत्नेन रक्षयेत् रत्नन्यकर्मतः ॥ ५६ ॥

अर्थ—पुनः काल-लिधिके बश यदि वह पुत्र विना विवाह ही मर जावे तो भर्तके द्रव्यकी ओरी आदिसे रक्षा करनी चाहिए ॥ ५६ ॥

न तत्पदे कुमारोऽन्यः स्थापनीयो भवेत्पुतः ।

प्रेतेऽनृदे न पुत्रस्याङ्गाऽस्ति श्रीजिनशासने ॥ ५७ ॥

अर्थ—उस पुत्रका मरण हो जाने पर पुनः उस कुमारके पद पर दूसरे किसीको स्थापित करनेकी आङ्गा श्रीजिनशासनमें नहीं है, यदि वह कुँचारा मर जावे ॥ ५७ ॥

सुतासुतसुतात्मोय भागिनेयेभ्य इच्छया ।

देयाद्वर्मेऽपि जामात्रेऽन्यस्मै वा ज्ञातिभोजने ॥ ५८ ॥

अर्थ—उस (मृतक पुत्र)के द्रव्यको दोहिता, दोदिती, भानजा, जगाई तथा किसी अन्यको दे सकते हैं तथा जातिके भोजन धर्मवा धर्म-कार्यमें लगा सकते हैं ॥ ५८ ॥

स्त्रयं निजास्पदे पुत्रं स्थापयेच्चेन्मृतप्रजाः ।

युक्तः परमनृदस्य पदे स्थापयितुं न हि ॥ ५९ ॥

अर्थ—यदि पुत्र मर गया हो तो उपनी जगह पर पुत्र स्थापन वरनेकी आङ्गा है, परन्तु अविविदित पुत्रके स्थान पर स्थापन नहीं कर सकते हैं ॥ ५९ ॥

पित्रोः सत्वे न शक्तः न्याद स्थावरं ज़ज्ज्ञम तथा ।

विविक्षियं गृहीतु वा कर्तुं पैतामहं च सः ॥ ६० ॥

अर्थ—माता-पिताके होते हुए इत्तक पुत्रके उनके स्थावर व जग्नम द्रव्यको मिरवी रखने तथा वेचनेका अधिकार नहीं है ॥६०॥

घैतामहकमायाते द्रव्येऽनभिकृतिः स्मृता ।

श्वशुरत्य निजे कृत्ये व्ययं कर्तुं च सर्वथा ॥ ६१ ॥

अर्थ—श्वशुरकी पैदा की हुई सम्पत्तिमें और उसमें जो उसके पुरुषोंसे मिली है विधवा घूँको निजी कार्योंके लिये व्यय करनेका क्षोई अधिकार नहीं है ॥ ६१ ॥

सुताज्ञया बिना भक्तेऽभक्ते तु धर्मंकर्मणि ।

मैत्रज्ञातिब्रतादौ तु व्ययं कुर्याद्यधोचितम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—(पिता) सुतकी आज्ञाके विना ही विभगकी हुई व्यथवा अविभक्त द्रव्यका व्यय (खर्च) मित्रादि सम्बन्धी जातिब्रतादिकोंमें दर सकता है ॥ ६२ ॥

तमृतौ तु स्त्रियश्चापि व्ययं वर्तु मशक्तता ।

भोजनांशुकमात्रं तु गृह्णयाद् वित्तमासतः ॥ ६३ ॥

अर्थ—उसके मर जाने पर उसकी स्त्रीको लायदादके पृथक् कर देनेका अधिकार नहीं है । वह केवल भोजन-दखलके बास्ते हैसियतके मुताबिक हो सकती है ॥ ६३ ॥

नोट—यहाँ पर रचयिताके विचारमें यह बात है कि पुत्र पिताजी जीवित छवस्थामें मर गया है, इसलिए “उसके मर जाने-पर” का अभिप्राय ‘हड़केके मर जानेका’ है ।

सर्वद्रव्याभिकारस्तु व्यवहारे सुतस्य वै ।

न व्ययीकरणे रिक्षस्य हि मांत्रसमक्षकम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण द्रव्यका अधिकार व्यवहार करनेमें पुत्रको है, परन्तु माताकी उपस्थितिमें खर्च करनेका नहीं ॥ ६४ ॥

दशम परिच्छेद-दायभाग ।

सुते प्रेते सुतवधूर्भृत्सर्वस्वहारिणी ।

श्रवा सह क्रियतन्त्रालं माध्यथ्येन हि स्थीयते ॥ ६५ ॥

अर्थ—पुत्रके मर जाने पर भर्ताके सम्पूर्ण द्रव्यजी मालिक
भुवकी खी होती है, परन्तु उनको चाहिए कि वह उपती इन्द्रिय
(साम) के साथ कुछ काल पर्यन्त विनयपूर्वक रहे ॥ ६५ ॥

रक्षन्ती शयनं भर्तुः पालयन्ती कुटुम्बम् ।

स्वधर्मनिरता पुत्रं भर्तुस्थाने नियोजयेत् ॥ ६६ ॥

अर्थ—त्रिघचर्य ब्रतको धारण करती हुई, तथा उनने धर्ममें
तत्पर, कुटुम्बका पालन करती हुई, अपने पुत्रको भर्ताके स्थान
पर अर्थात् भर्ताके द्रव्यका अधिकारी नियुक्त करे ॥ ६६ ॥

न तत्र श्वश्र्यत्किञ्चिद्देदनधिकारतः ।

नापि पित्रादिलोकानामधिकारोऽस्ति सर्वथा ॥ ६७ ॥

अर्थ—पुत्रको भर्ताकी जगहमें नियोजित उननेमें उसकी
सासको रोकनेवा कुछ अधिकार नहीं है, और उसके माता-
पिता आदिको भी कुछ अधिकार नहीं है ॥ ६७ ॥

दत्तं चतुर्विधं द्रव्यं नैव गृह्णन्ति पांत्तमाः ।

अन्यथा सकुटुम्बागते प्रयान्ति नरकं ततः ॥ ६८ ॥

अर्थ—उत्तम पुरुष चारों प्रकारके दिए दूष द्रव्यतो पिर
भ्रहण नहीं करते । ऐसा करनेसे वे कुटुम्बके साथ नरकके पाथ
होते हैं ॥ ६८ ॥

बहुपुत्रयुते प्रेते भ्रातृपु छीवतादियुक्ते ।

स्याद्येत्सर्वे समान्भागाग्रदद्युः पैतृशादनाद् ॥ ६९ ॥

अर्थ—बहुत पुत्रोंसे छोड़कर पिताके मर जाने पर यदि उन
आइयोंमेंसे कोई नपंसकता आदि दोष सहित हो, तो उसदो
पिताके द्रव्यमेंसे समान भाग नहीं मिल सकता है ॥ ६९ ॥

पञ्चरुन्मत्तकुवान्धस्वलकुठजजडास्तथा ।

एतेऽपि भ्रातृभिः पोष्या न च पुत्रांशभागिनः ॥ ७० ॥

अर्थ—यदि भ्रातृयोंमें से कोई लङ्गड़ा, पागल तथा उन्मत्त, कुवीब, अन्धा, खल (दुष्ट), कुचड़ा तथा सिढ़ी हो वे तो अन्य भ्रातृयोंको अन्न-वस्त्र से उसका पोषण करना चाहिए। परन्तु वह पुत्र भागका मालिक नहीं हो सकता ॥ ७० ॥

मृतवधवाधिकारीशो बोधितव्यो मृदूक्तिः ।

न मन्येत पुरा भूपामात्यादिभ्यः प्रशोधयेत् ॥ ७१ ॥

भूयोऽपि तावशः स्याज्ञेदमात्याज्ञानुसारतः ।

पुरातनो नूतनो वा निष्कास्यो गृहतः स्फुटम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—मृत पतिकी विधवा छो अपने द्रव्यके अधिकारीको कोमल वचनसे समझावे, यदि नहीं माने तो राजा, मन्त्री आदिकोंके समक्ष उसको समझावे। यदि फिर भी नहीं समझे तो मन्त्रीकी आज्ञा लेकर पुराना हो या नवीन हो उसे घरसे निकाल दे ॥ ७१-७२ ॥

रक्षणीयं प्रयत्नेत भविंव स्वं कुलस्त्रिया ।

कार्यतेऽन्य जनैर्योग्यैर्व्यवहारः कुलागतः ॥ ७३ ॥

अर्थ—अपने पतिके समान कुलीन लोकों अपने द्रव्यका यत्नपूर्वक रक्षण करना चाहिए और कुलकमके अनुसार अपने व्यवहारको भी दूसरे योग्य पुरुषों द्वारा चलाना चाहिए ॥ ७३ ॥

कुर्यात् कुदुम्बनिर्वाहं तन्मिषेण च सर्वधा ।

येन लोके प्रशंसा स्याद्वन्वृद्धिश्च जायते ॥ ७४ ॥

अर्थ—इसी प्रकारसे उसे चाहिए कि सर्वधा कुदुम्बका निर्वाह करे; जिससे लोकमें कीर्ति और धनकी वृद्धि हो ॥ ७४ ॥

ग्राह्यः सद्गोत्रजः पुत्रो भर्ता इव कुलस्त्रिया ।

भर्तुस्थाने नियोक्तव्यो न श्रव्या स्वपतेः पदे ॥ ७५ ॥

अर्थ—भर्ताके समान वह कुछीन ज्ञी किसी भ्रेष्ट गोत्रमें पैदा हुए पुत्रको लेकर पतिकी गही पर नियुक्त करे । उपके पतिके द्विष उसकी सासको गोद लेनेकी आज्ञा नहीं है ॥ ७५ ॥

शक्ता पुत्रबधूरेव व्ययं कुतुं च सर्वथा ।

न श्वश्वारचाधिकारोऽत्र जैनशाखानुसारतः ॥ ७६ ॥

अर्थ—खर्च करनेका अधिकार भी सर्वथा पुत्रकी वधूको ही है । किन्तु जैन-सिद्धान्तके अनुसार उसकी सासको नहीं है ॥ ७६ ॥

कुर्यात्पुत्रबधूः सेवां श्वश्रोः पतिरिव स्वयम् ।

सापि धर्मे व्ययं त्विच्छेदव्यात्पुत्रबधूर्वसु ॥ ७७ ॥

अर्थ—उसको चाहिए कि जिस प्रकार उसका पति सेवा करता था उसी प्रकार श्वश्रू (सास) की सेवा करे । यदि सासको अर्म-कार्य करनेकी इच्छा हो तो उसको धन भी दे ॥ ७७ ॥

औरसो दत्तको मुख्यौ क्रीतसौतसहोदराः ।

तथैवोपनतश्चैव इमे गौणा जिनागमे ॥ ७८ ॥

अर्थ—जैन शाखके अनुसार पुत्रोंमें औरस और दत्तक गुण्य हैं । और क्रीत, सौत, सहोदर और उपनत गौण हैं ॥ ७८ ॥

दायादाः पिण्डवाइचैव इतरे नाधिकारिणः ।

औरसः रब्धिणां जातः प्रीत्या दत्तश्च दत्तकः ॥ ७९ ॥

अर्थ—यही दायाद हैं और पिण्डदान कर सकते हैं (अर्दांद नस्त चला सकते हैं) । इनके अतिरिक्त और कोई न दायाद हैं और न नस्त पदा सकते हैं । जो अपनी बां से उत्पन्न दृश्य हो वह औरस है; जो प्रीतिपूर्वक गोद दिया गया हो वह दृत्तक है ॥ ७९ ॥

द्रव्यं दत्त्वा गृहीतो यः स क्रीतः प्रोक्ष्यते तुथेः ।

सौतश्च पुत्रतनुजो लघुभ्राता सहोदरः ॥ ८० ॥

अर्थ—जिसको रुपया देकर गोड़ लिया हो वह कीत है, ऐसा बुद्धिमानोंका कथन है। जो लड़केका लड़का अर्थात् पोता हो वह सौत है, और माँ-जाये छोटे भाईका नाम सहोदर है ॥ ८० ॥

मातृपितृपरित्यक्तो दुःखितोऽस्मितरां तव ।

पुत्रो भवामीति वदन् विज्ञेष्वपनतः स्मृतः ॥ ८१ ॥

अथ—जिसको माँ चापने छोड़ दिया हो और जो दुःखी फिरता हुआ आकर यह कहे कि “मैं पुत्र होता हूँ” उसको बुद्धिमान उपनत बताते हैं ॥ ८१ ॥

सृतपित्रादिकः पुत्रः समः कृत्रिम ईरितिः ।

पुत्रभेदा इसे प्रोक्ताः मुख्यगौणेतरादिकः ॥ ८२ ॥

अर्थ—कृत्रिम वह पुत्र होता है जिसके माता-पिता मर गए हो और जो (अपने) पुत्रके सदृश हो। इस प्रकार मुख्य, गौण और अन्य पुत्रोंकी श्रेणी है ॥ ८२ ॥

तत्राद्यौ हि स्मृतौ मुख्यौ गौणाः कीतादयस्त्वयः ।

तथैचोपनताद्याऽच्च पुत्रवल्गा न पिण्डदाः ॥ ८३ ॥

अर्थ—इनमेंसे प्रधमके दो (अर्थात् औरस और दत्तक) मुख्य हैं। फिर तीन (अर्थात् कीत, सौत, सहोदर) गौण हैं, और उपनत और कृत्रिमकी गिनती लड़कोंमें होती है परन्तु वे नस्ल नहीं चला सकते हैं ॥ ८३ ॥

मुक्त्युपायोद्यतश्चैकोऽविभक्तेषु च भ्रातृपु ।

स्त्रीधनं तु परित्यज्य विभजेरन् समं धनम् ॥ ८४ ॥

अर्थ—यदि विभागके पूर्व ही कोई भाई मुक्ति प्राप्त करनेके निमित्त साधु हो गया हो तो स्त्री-धनको छोड़कर सम्पत्तिमें सबके बराबर भाग लगाने चाहिए ॥ ८४ ॥

विवाहकाले पितृभ्यां दत्तं बद्धपणादिकम् ।

तदध्यग्रिकृतं प्रोक्तमग्निप्राणसाक्षिं म् ॥ ८५ ॥

अर्थ—विवाह समयमें जो माता-पिताने मूरणादिक इच्छा अन्ति और ब्राह्मणोंकी साक्षीमें दिया हो वह अप्रप्रिय जाता है ॥ ८५ ॥

यत्कन्यया पितुर्गौदानीतं शूषणादिकम् ।

अध्यह्निकं प्रोक्तं पितृभ्रातृसमक्षकम् ॥ ८६ ॥

अर्थ—जो धन पिताके घरसे कन्या पिता व भाईजोके सामने दिया हुआ लावे उसको अध्याह्निक अर्धांत लाया हुआ इहते हैं ॥ ८६ ॥

प्रीत्या यदीयते सूषा श्वेता वा श्वशुरेण वा ।

मुखेक्षणद्वयप्रदणे प्रीतिदानं समृतं दुधैः ॥ ८७ ॥

अर्थ—जो धन-बस्त्रादि श्वशुर तथा सासने मुखदिखाई तथा पादप्रहणके समय प्रीतिपूर्वक दिया उसको चुद्धिमन् लोग प्रीतिदान कहते हैं ॥ ८७ ॥

आनीतमूढकन्यामिद्र्वयमूपांशुकादिकम् ।

पितृभ्रातृप्रतिभ्यश्च समृतमौदयिकं दुधैः ॥ ८८ ॥

अर्थ—विवाहके पश्चात् पिता, भाई, पतिसे जो धन, भूषण, बस्त्रादि मिले वह श्रीदयिक कहा जाता है ॥ ८८ ॥

परिकमणकाले यद्वेगरत्नांशुकादिकम् ।

दम्पते कुलवामाभिरन्वादेयं समृतं दुधैः ॥ ८९ ॥

अर्थ—विवाह समयमें अपने पति तथा पतिके कुलकी दियों (कुदुम्बी खियों) से जो धन आया हो वह अन्वादेय है ॥ ८९ ॥

एवं पञ्चविधं प्रोक्तं श्रीवन्नं सर्वसम्मतम् ।

न केनापि कदा प्राद्यं शुभिर्हाऽपद्वृपावते ॥ ९० ॥

अर्थ—इन पांच प्रकारोंकी सम्पत्ति स्त्री-धन होती है। इसको दुर्भिक्ष, आपत्ति अथवा धर्म कार्यको छोड़कर किसीका लेना चचित नहीं है ॥ ९० ॥

पैतामहधनात्किञ्चिद्वातुं बाव्यति सप्रज्ञाः ।

भगिनीभागिनेयादिभ्यः पुत्रस्तु निषेधति ॥ ९१ ॥

अर्थ—बावाके द्रव्यमेंसे यदि कोई वयक्ति अपनी भगिनी या भानजे आदिको कुछ देना चाहे तो उसका पुत्र उसको रोक सकता है ॥ ९१ ॥

बिना पुत्रानुमत्या वै दातुं शक्तो न वै पिता ।

मृते पितरि पुत्रस्तु ददत्केन निरुद्ध्यते ॥ ९२ ॥

अर्थ—पुत्रकी सम्पत्ति बिना पिताको निःपन्देइ जापद इके दे छालनेका अधिकार नहीं है, और पिताके मरनेपर पुत्र देता हुआ किससे रोका जा सकता है? ॥ ९२ ॥

गृहीते दत्तके पुत्रो धर्मपत्न्यां प्रजायते ।

स एवोष्णीषबन्धस्य योग्यः स्यादत्तकस्तु सः ॥ ९३ ॥

चतुर्धार्शं प्रदाप्यैव मिन्नः कार्योऽन्यसाक्षितः ।

प्रागेवोष्णीषबन्धे तु जातोऽपि समभागमवेद ॥ ९४ ॥

अर्थ—दत्तक पुत्र लेनेके पश्चात् यदि औरस पैदा हो तो वही शिरोपाह बन्धनके योग्य है। दत्तकको चतुर्थ भाग देकर गवाहोंके समुख अलग कर देना चाहिए। यदि औरस पुत्र उत्पन्न होनेसे पूर्व ही शिरोपाह बन्ध गया हो तो दत्तक समान भागका भोक्ता होता है ॥ ९३-९४ ॥

पतेरप्रजसो मृत्यौ तद्द्रव्याधिवर्तिर्वधूः ।

दुहितृप्रेमतः पुत्रं न गृहोयात्कदाचन ॥ ९५ ॥

न ज्येष्ठैवरसुता दायभाग विकारिणः ।

तन्मृतौ तत्सुता मुख्या सर्वद्रव्याधिकारिणी ॥ ९६ ॥

अर्थ—मर्दके निःसन्तान मर जाने पर उसकी विधिवा उसकी सम्पत्तिकी स्वामिनी होती है । यदि वह अपनी पुत्रीके विशेष प्रेमके कारण कोई लड़का गोद न ले तो उसके मरनेपर उसके नेट देवरोंके पुत्र उसके मालिक नहीं हो सकते किन्तु उसकी मुख्य पुत्री ही अधिकारिणी होती है ॥ ९५—९६ ॥

नोट—यह मसला वसीअतका है जिसके द्वारा माता अपनी पुत्रीको अपना बारिस नियत करती है । यह वसीअत जबानी इसकी है ।

तन्मृतौ तत्पतिः स्वःमो तन्मृतौ तत्सुतादिकाः ।

न वितृभ्रातृतज्ञानामधिकारोऽत्र सर्वत्र ॥ ९७ ॥

अर्थ—उस पुत्राके मरनेपर उसका पति उसका बारिस होगा । उसके भी मरनेपर उसके पुत्रादि मालिक होंगे । परन्तु उसके पिताके भाई आदि की सन्तानका कुछ अधिकार नहीं है ॥ ९७ ॥

प्रेते पितरि यत्किञ्चिद्दनं ज्येष्ठस्त्रागतम्

विद्य ध्ययतशीलानां भागस्तत्र यच्चियम् ॥ ९८ ॥

अर्थ—पिताके मरनेपर बड़े भाईके हाथ जो द्रव्य आया है उसमें विद्याके पठनमें संलग्न छोटे भाइयोंका भी भाग है ॥ ९८ ॥

नोट—यह रक्षा छोटे भाइयोंके गुजाराके निमित्त है जो विद्योपार्जनमें संलग्न हों ।

अविद्यानां तु भ्रातृणां व्यापारेण धनार्जनम् ।

पैतृयं धनं परित्यज्याऽयत्र सर्वे समांशिनः ॥ ९९ ॥

अर्थ—विद्या रहित भाइयोंको व्यापारसे धनको उपार्जन नहीं होता चाहिए, और पिताके धनको छोड़कर शेष द्रव्यमें सबका समान भाग होना चाहिए ॥ ९९ ॥

नोट—पिताके धनसे अभिप्राय पिताके अविभाग योग्य वर्सासे है (देखो आगामी श्लोक)। शेष सम्पत्ति वह है जो विभाग योग्य है।

पितृद्रव्यं न गृहीयात्पुत्रेष्वेक्ष उपार्जयेत् ।

मुजाभ्यां यश भाव्यं स्यादागतं गुणवत्तया ॥ १०० ॥

अर्थ—गुणोंसे एकत्रित किया हुआ अविभाज्य जो पिताका द्रव्य है, उसे सब लड़के बांट नहीं सकते हैं। उसको केवल एक ही लड़का लेगा और वह अपने बाहु-बलसे उसकी बृहि करेगा ॥ १०० ॥

पत्याङ्गनायै यद्यत्तमलङ्कारादि वा धनम् ।

तद्विभाज्यै न दायादैः प्रान्ते नरकभीठभिः ॥ १०१ ॥

अर्थ—पतिने स्त्रीको ओऽलंकारादि अथवा धनादि दिया हो उसका, नरकसे भयभीत दायादों (विभाग लेनेवालों) को, विभाग नहीं करना चाहिए ॥ १०१ ॥

येन यत्स्वं खनेर्लेघ्यं विद्या लब्धभेव च ।

मैत्रं स्त्रोपक्षलोकाच्चागतं तद्वज्यते न कैः ॥ १०२ ॥

अर्थ—जो द्रव्य किसीको खानसे मिला हो, अथवा विद्या द्वारा मिला हो, मित्रसे मिला हो, अथवा स्त्री-पक्षके मनुष्योंसे मिला हो, वह भागके योग्य नहीं है ॥ १०२ ॥

बहुपुत्रेष्वशक्तेषु प्रेते पितरि यद्यनम् ।

येन प्राप्तं स्वशक्तया नो तत्रस्याद्वागक्षल्पना ॥ १०३ ॥

अर्थ—बहुतसे अशक्त (अयोग्य) पुत्रोंमेंसे पिताके मर जाने पर जो किसीने अपने पौरुषसे धन एकत्रित किया हो उसमें भाग क्षल्पना नहीं है ॥ १०३ ॥

पित्रा सर्वे यथ द्रव्यं विभक्तास्ते निजेच्छया ।

एकत्रीकृत्य तद्वद्रव्यं सह कुर्वन्ति जीविकाम् ॥ १०४ ॥

विभजेरन् पुनर्द्रव्यं समांशैभ्रातरः स्वयम् ।

न तत्र ज्येष्ठांगस्यापि भागः स्याद्विप्सो यतः ॥ १०५ ॥

अर्थ— वे पुत्र जिन्हें पिताने कुछ-कुछ द्रव्य देकर अपनी इष्टासे जुड़े कर दिये हों और वे जो द्रव्यको इच्छा कर साध निष्ठकर हीं जीविका करते हों अपने आप समान भाग एवं द्रव्यका विभाग करें। उसमें वडे पुत्रको अधिक भाग नहीं निष्ठ सकता ॥ १०४-१०५ ॥

जाते विभागे बहुपु पुत्रेष्वेको मृतो यदि ।

विभजेरन् समं रिक्थं सभगिन्यः सदोदराः ॥ १०६ ॥

अर्थ— विभाग हो जाने पर बहुत पुत्रोंमेंसे यदि एकला भरन हो जाय तो भाई और वहन उसका समान भाग कर सकते हैं ॥ १०६ ॥

नोट— वहिनको यहाँ पर हिस्सा उसके विवादके खर्चके लिए दिया गया है, क्योंकि वह वारिस नहीं है।

निष्ठुते लोभतो ज्येष्ठो द्रव्यं भात्तु यक्षीयसः ।

बद्रते राजदण्डयः स्याद् स भागाद्दी न जातुचित् ॥ १०७ ॥

अर्थ— लोभके बश होकर व्येष्ठ भाई द्रव्यको हिपावे और यदि छोटे भाइयोंको ठगे तो राजा द्वारा दण्ड देने योग्य है, वह अपना भाग भी नहीं पा सकता ॥ १०७ ॥

सूतादिव्यसनासक्ताः सर्वे ते भ्रातरो धनम् ।

न प्राप्नुवन्ति दण्डयाश्च प्रत्युनो धर्मविच्छयताः ॥ १०८ ॥

अर्थ— धर्मको छोड़कर चृतादि व्यसनोंमें यदि कोई भाई आसक हो जावे तो उसको धन नहीं मिल सकता, प्रत्युन वह इष्टके योग्य है ॥ १०८ ॥

विभागोत्तरजातरतु पैत्र्यमेव लभेद्दनम् ।

तदल्पं चेद्विषादं तु फारवन्ति सदोदराः ॥ १०९ ॥

अर्थ—विभागके पश्चात् जो पुत्र उत्पन्न हो वह पिता के भागका द्रव्य ही ले सकता है। अधिक नहीं। यदि वह बहुत छोटा हो तो उसका विवाह उसके भाइयोंको करना चाहिए ॥१०९॥

पुत्रस्याप्रजसो द्रव्यं गुह्यायात्तद्वयः स्वयम् ।

तस्यामपि मृतायां तु सुतमाता धनं हरेद ॥ ११० ॥

अर्थ—स्वपुत्रोत्पत्तिके बिना ही यदि पुत्र मर जाय तो उसके द्रव्यको उसकी स्त्री ले। उसके भी मर जाने पर पुत्रकी माता ले ॥ ११० ॥

ऋणं दत्त्वाऽवशिष्टं तु विभजेरन् यथाविधिः ।

अन्यथोपार्ज्यते द्रव्यं पितृपुत्रैः ससाहसैः ॥ १११ ॥

अर्थ—ऋण देकर जो बचा हो उसका यथाविधि विभाग चर्तव्य है; यदि कुछ न बचे तो पिता और पुत्रोंको साहसपूर्वक कमाना चाहिए ॥ १११ ॥

कूपालङ्कारवासांसि न विभाज्यानि कोविदैः ।

गोधनं विषमं चैव मन्त्रिदूतपुरोहिताः ॥ ११२ ॥

अर्थ—कूप, अलङ्कार, वस्त्र, गोधन, तथा जन्य भी मन्त्री द्वृत, पुरोहितादि विषय व द्रव्योंका विभाग विद्वानोंको करना नहीं चाहिए ॥ ११२ ॥

पुत्रश्चेज्जीवतोः पित्रोमृतस्तन्महिला वसौ ।

पैतामहे नाधिकृता भर्तृवच्च पतिब्रता ॥ ११३ ॥

भर्तृमञ्चकरक्षायां नियता धर्मतत्परा ।

सुतं यचेत श्वश्रू हि विनयानतमस्तका ॥ ११४ ॥

अर्थ—पिता—माता के जीते ही पुत्र मर गया हो तो उसकी सुशला स्त्री का पैतामहके धनपर अधिकार नहीं हो सकता, किन्तु पतिब्रता, भर्ता के शयनका रक्षण करती, धर्मतत्पर, विनयसे मस्तक नीचा वर श्वश्रूसे पुत्रकी याचना करे ॥ ११३—११४ ॥

नोट—पोतेकी विधवा अपने श्वसुरके पिताके धनकी बारिस नहीं है ।

स्वभर्तृद्रव्यं श्वसुरश्वथ्रभ्यां स्वकरे यदा ।

स्थापित चेष्ट शक्ताप्तुं पतिदत्तेऽधिकारिणी ॥ ११५ ॥

अर्थ—अपने पतिका द्रव्य भी जो श्वसुर और श्वथ्रको दे देया गया हो उसे वह नहीं ले सकती; केवल पतिसे लब्ध इयकी ही वह अधिकारिणी है ॥ ११५ ॥

नोट—अभिप्राय उस धनसे जो पतिने अपने माता पिताको डाला है, क्योंकि यह बापस नहीं होता है ।

प्राप्नुयाद्विववा पुत्रं चेदगुहीयात्तदाङ्ग्रा ।

तद्वंशजच्छ स्वर्वघुं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥ ११६ ॥

अर्थ—विधवा स्त्री यदि श्वथ्रकी आङ्गासे छोई लड़का गोदा तो अपने वंशके, अपनेसे छोटे, सर्वलक्षण संयुक्त, ऐसे पुत्रको सकती है ॥ ११६ ॥

जिनोत्सवे प्रतिष्ठादौ सौहृदे धर्मकर्मणि ।

कुटुम्बपालने शक्ता नान्यधा साऽधिकारिणी ॥ ११७ ॥

अर्थ—जिनेन्द्रके उत्सव, प्रतिष्ठादि, जानि सम्पन्नी, धर्म-र्मादि, कुटुम्ब-पालन आदि कार्योंमें (लड़केरी) नियमा नयन र सकती है । दूसरे प्रकारमें अधिकार नहीं है ॥ ११७ ॥

नोट—यहां संकेत ऐसी विधवा घटकी खोर है जिसको इका गोद लेनेकी आङ्गा उसकी सासने दे दी है । जाताधा रिणाम यह है कि सम्पत्ति दादीकी न रद्दपर पोतेकी ही जाती । सर्वके बारेमें जो दिदायत फानूनके इम गोदमें है उसका अध्यय ऐसे समयसे है जब कि दिपदा घट ल्यने दरम्ह पुनर्दी ॥ त ए जायदादकी बलिया (संरक्षिका) हसीनी नान्दादिनीमें हो ।

जेन कानून ।

इति संक्षेपतः प्रोक्तो दायभागविधिर्मया-

पासकाध्ययनात्सारमुद्वृत्य क्लेशहानये ॥ ११८ ॥

एवं पठित्वा राज्यादिकर्म यो वा करिष्यति ।

लोके प्राप्त्यति सत्कीर्ति परत्राऽप्यति सद्गतिम् ॥ ११९ ॥

अर्थ— इस प्रकार संक्षेपसे उपासकाध्ययनसे सार हेतु
क्लेशकी हानिके लिए दायभाग मैंने कहा है। इसे पढ़कर यदि
कोई राज्यादि कार्योंको करेगा तो इस लोकमें कीर्ति तथा पर-
क्लोकमें सद्गतिको प्राप्त होगा ॥ ११८-११९ ॥



श्रीवद्मान-नीति

प्रणम्य परया भक्त्या वर्धमानं जिनेश्वरम् ।

प्रजानामुपकाराय दायभागः प्रवद्यते ॥ १ ॥

अर्थ—वकृष्ट भक्तिसे श्रीवद्मान जिनेश्वरको नमस्कार कर प्रजाके उपकारके लिए दायभागका स्वरूप कहता है ॥ १ ॥

औरसो निजपनीजस्तस्मो दत्तः स्मृतः ।

इमौ मुख्यौ पुनर्देत्त कीतसौतसहोदराः ॥ २ ॥

इमे गौणाश्च द्विहोया जैनशास्त्रानुसारतः ।

इतरे नैव दायदाः पिण्डदाने कदाचन ॥ ३ ॥

स्तवज्ञे त्पौरसे पुत्रे चतुर्थांश्चराः सुनाः ।

सबणां असदर्णास्ते मुक्तयाच्छादनभागितः ॥ ४ ॥

अर्थ—निज पत्नीसे उत्तराख लड़ा औरस पुत्र है और उसीकी भाँति दत्तक (अर्थात् दिया हुआ, गोद लिया हुआ) लड़का होता है । यह दोनों पुत्र मुख्य हैं । फिर दूसरे, ग्रीत, चौत और सहोदर जैन-शास्त्रके अनुसार गौण पुत्र हैं । इनके अतिरिक्त कोई पुत्र दायाद नहीं है, और न पिण्डदान कर सकते हैं (अर्थात् नरल नहीं जला सकते हैं) । जीरस पुत्रके उत्तराख होनेपर यदि उस पिताके बर्णकी मातासे उत्तराख हुआ है (गोदके) पुत्रयों जीवार्थ भाग दिया जाता है । यदि उसीख पुत्र अन्य बर्णकी मातासे उत्तराख हुआ है तो उस केवल रीटी-उपदा जाता है ॥ २-४ ॥

नोट—अन्य दर्शके अभिप्राय यहां केवल शूद्राणी कीसे है ।

गृहीते दत्तके पुत्रे भर्तैपत्न्यां प्रजायते ।

य एवोल्लीरहन्तस्य गोदयः स्यादत्तहर्षु चः ॥ ५ ॥

चतुर्थांशं प्रदाप्यैत्र मिश्रः कार्योऽन्यसाक्षितः ।
प्रागेवोष्णीपवन्धे तु जातोऽपि समभागयुक् ॥ ६ ॥
(देखो भद्रवाहुसंहिता श्लो० ९३-९४) ॥ ५-६ ॥

असंस्कृतं तु संस्कृत्य भ्रातरो भ्रातरं पुनः ।
शेषं विभज्य गृहीयुः समं तत्पैतृकं धनम् ॥ ७ ॥

अर्थ—भाइयोंमें जो भाई अविवाहित हो उसका विवाह करके
पीछे अवशिष्ट धनका सब भाई समान भाग कर लें ॥ ७ ॥

पित्रोरुद्धर्वं भ्रातरस्ते समेत्य वसु पैतृः ।
विभजेरन्समं सर्वं जीवतो पितुरिच्छया ॥ ८ ॥
(देखो भद्रवाहुसंहिता श्लोक ४) ॥ ८ ॥

अनूढा यदि कन्या स्यादेकावहोः सहोदरैः ।
स्वांशात्सर्वे तुरीयांशमेकीकृत्वा विवाहयेत् ॥ ९ ॥
(देखो भद्रवाहुसंहिता श्लोक १९) ॥ ९ ॥

सहोदरैर्निजांचाया भागः सम उदाहृतः ।
साधिकं व्यवहारार्थं मृतौ सर्वेऽशभागिनः ॥ १० ॥
(देखो भद्रवाहुसंहिता श्लोक २१) ॥ १० ॥

पत्नीपुत्रौ भ्रातृजाश सपिण्डस्तत्सुतासुतः ।
बान्धवो गोत्रजा ज्ञात्या द्रव्येशा द्वात्तरोत्तरम् ॥ ११ ॥
तदभावे नृयो द्रव्यं धर्मकार्यं प्रवर्त्तयेत् ।
निष्पुत्रस्य मृतस्यैव सर्ववर्णेष्वर्यं क्रमः ॥ १२ ॥

अर्थ—कोई पुरुष मर जाय तो उसके धनके मालिक इस
क्रमसे होते हैं—स्त्री, पुत्र, भतीजा, सपिण्ड, पुत्रीका पुत्र, बन्धु,
गोत्रज, ज्ञात्या । इन सबके अभावमें राजा उस धनको धर्म-कार्यमें
छोड़ा दे । यह नियम सब वज्रोंके ढिए है ॥ ११-१२ ॥

उठपुड़यां परेतायामपुत्रायां च तत्पतिः ।

स ल्लोधनाय द्रव्यस्याधिपतिश्च भवेत्सदा ॥ १३ ॥

(देखो भद्रचाहुसंहिता २९) ॥ १३ ॥

पत्युर्धनहरी पत्नी या स्याच्चेद्रवर्णिनी ।

सर्वाधिकारं पतिबद् सति पुत्रेऽशब्दाऽपति ॥ १४ ॥

अर्थ—विधषा खी पतित्रता हो तो पतिके सम्पूर्ण धनकी मामिनी होगी । उसको पतिकी भाँति पूरा अधिकार प्राप्त होता है चाहे लड़का हो या न हो ॥ १४ ॥

पितृद्रव्यादिवस्तूनां मत्तुश्चत्वे सुतस्य हि ।

सर्वथा नाधिकारोऽस्ति दानदिक्यकर्मणि ॥ १५ ॥

अर्थ—माताके होते हुए इत्तक अधिवा आत्मज पुत्रको पिताकी रथावर जग्नम वस्तुके दान करने वा चेचनेका सर्वथा अधिकार नहीं है ॥ १५ ॥

योऽप्रजा व्याधिनिर्मग्नश्चैकाकी ऋगादिमोहितः ।

स्वकीय व्यवहारार्थं कल्पयेलेखपूर्वकम् ॥ १६ ॥

अधिकारिणमन्यं वै ससाक्षिं ल्लोमनोनुगम् ।

कुरुद्रव्यविशुद्धं च धनिनं सर्पसम्मतम् ॥ १७ ॥

अर्थ—संतान रहित अकेला पुरुष व्याधि आदि रोगसे दुःखित होकर खं के मोहवश (अर्थात् उसके इन्तिजामके लिए) यदि अपने पतके प्रशन्धार्थ विसी प्राणोंको प्रशन्धकर्ता यनाना चाहे तो लिखित लेख द्वारा गपादोंके समक्ष ऐसे प्राणीको नियत कर सकता है कि जो लिखनेवालेकी खीकी आशा पालनेवाला है, जो जाति और गुरुकी अपेक्षा दूष है, जो धनवान् है और जो सभको मान्य है ॥ १६-१७ ॥

ओरसो दत्तको वाऽपि कुर्यात्सर्म कुलागतम् ।

विशेषं तु न कुर्याद्वे मातुराहां विना सुधीः ॥ १८ ॥

शक्तिचैन्मातृभक्तोऽपि विनयी सत्यवाक्शमी ।
सर्वसचांतहरो मार्नी विद्याध्ययनतत्त्वरः ॥ १९ ॥

अर्थ—और स तथा दत्तक पुत्र माताकी आङ्गाके अनुकूल
चलनेवाला, योग्य, शान्तिवान्, सत्यवक्ता, विनयवान्, मातृभक्त,
विद्याध्ययन-तत्पर इत्यादि गुण-युक्त हो तो भी कुलागत व्यवहारके
अतिरिक्त विशेष कार्य माताकी आङ्गा विना नहीं कर सकता
है ॥ १८-१९ ॥

गृहीतदत्तकः स्वीयं र्ज वितप्राप्तसंशशः ।
परो चा कृतसन्त्वेत्वं दत्त्वा स्वगृहसाधने ॥ २० ॥
क्षासौरंडदशं बन्धुभूयाग्निकृतिसाक्षिवम् ।
व्ययं नियोजयेत्सद्यः प्रायाद्भूयः प्रसुतां ॥ २१ ॥
प्राप्ताधिकारः पुरुषः प्रतिकूलो भवेद्यदि ।
मृतपत्नी तद् दाय लेखभर्तृकृतं ततः ॥ २२ ॥
स्वयंकुलागतं चान्यनरैः रीत प्रचालयेत् ।
पतिस्थापितसर्वस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ २३ ॥

अर्थ—यदि किसी व्यक्तिने पुत्र गोद लिया है और उसको
आपनी जिन्दगीका भरोसा नहीं है तो उसको चाहिए कि वह
आपने राजनानकी रक्षा की गरज से लेखद्वारा किसी व्यक्तिको
आपनी जायदादका प्रबन्धकर्ता नियत कर दे ॥ २० ॥

विराटरीके लोगों और राजाके समक्ष दस्तावेज (लेख) लिख
देनेके पश्चात् अपनी जायदादकी आमदना उसके सपुर्द कर दे
फिर यदि वह मर जावे और वह रक्षक उसकी विधवाके प्रतिकूल
हो जावे तो वह विधवा उसको हटाकर उस लेखके अनुसार
जायदादका कुलके व्यवहारके अनुकूल प्रबन्ध करे और अपने
प्रयत्नसे उसकी रक्षा करे ॥ २१-२३ ॥

तन्मिषेणैव निर्बाहं कुर्यात्सा स्वजनस्य हि ।
कुर्याद्वर्मज्ञातिकृत्ये स्वतूनामधिविक्ये ॥ २४ ॥

अर्थ—उससे अपना निर्बाह करे और अपने कुटुम्बका पालन वरे । धर्म-शार्य तथा ज्ञान-शार्योंके इए विधवा स्त्रीको अपने पतिवा धन खर्च बरने तथा गिरवी रखने या वेचनेका अधिकार है ॥ २४ ॥

प्रतिकूलो भवेत्पुत्रः पितृभ्यां यदि सर्वथा ।
तस्मिवादेनसमाहूय वोधयेव मृदुक्तिनः ॥ २५ ॥

पुनश्चापि स्वयं दर्पददुर्ज्ञोक्त्या हि ताह्वशः ।
तापयित्वा सुनन्दातं वद्युभूषाधिकारिणः ॥ २६ ॥

तदाज्ञां पुनरादाय निष्कास्यो गृहतो ध्रुवम् ।
न तत्तद्वज्ञारसंवादः श्रोतव्यो राजपञ्चमिः ॥ २७ ॥

पुनश्चान्यशिशुं भर्तुः स्थाने संयोजयेद्वधूः ।
सर्ववर्णपु पुत्रो वै सुखाय गृह्णते यतः ॥ २८ ॥

यिपरीतो भवेद्वत्सः पित्रा निःसार्यते ध्रुवम् ।
विवाहितोऽपि भूपाज्ञापूर्वकं जनसाक्षितः ॥ २९ ॥

अर्थ—इत्तक पुत्र यदि माता-पिता से प्रतिकूल हो जाय तो उसके असली माता-पिता को बुझाकर उसको नमीके साथ समझावे ॥ २५ ॥

यदि किर भी वह दुष्टा अवादा गत्वा के कारण न समझे तो उससे नाता तोड़कर भाई-बन्धुओं और राजा और राज-वर्मचारियोंकी आज्ञा लेकर उसको घर से निशान दे । फिर राजा और पंघ द्वेष उसकी फरया । नहीं सुन सकते । इसके पश्चात् वह औरत (दत्तक पुत्रकी माता) दूपरा पुत्र गोद ले सकता है । वर्योंकी सब धर्णीमें पुत्र सुखके छिर हो दिशा जाता है ॥ २६-२८ ॥

गोदका पुत्र यदि प्रतिकूल हो जाय तो, ज्ञाहे वह विवाहित हो, राजा और बन्धुजनकी साक्षीसे निःसन्देह पिता उसके घरसे निकाल सकता है ॥ २९ ॥

दत्तपुत्रं गृहीत्वा यः स्वाधिकारं प्रदत्तवान् ।

जङ्गमे स्थावरे वाऽपि स्वातुं स्वं धर्मेवर्त्तमनि ॥ ३० ॥

(देखो भद्रवाहुसंहिता ५५) ॥ ३० ॥

पुनः सो दत्तकः काललिंघं प्राप्य मृतो यदि ।

भर्तु द्रव्यादि यत्नेन रक्षयेत् स्तैन्यकर्मतः ॥ ३१ ॥

(देखो भद्रवाहुसंहिता ५६) ॥ ३१ ॥

न तत्पदे कुमारोऽन्यः स्थापनीयो भवेत्पुनः ।

प्रेतेऽनुदे न पुत्रस्याज्ञाऽस्मि श्रीजैनशासने ॥ ३२ ॥

(देखो भद्रवाहुसंहिता ५७) ॥ ३२ ॥

सुतासुतसुतात्मोयभापिनेयेभ्य इच्छया ।

देयाद्वामैऽपि जासात्रेऽन्यस्मै वा ज्ञातिभोजने ॥ ३३ ॥

(देखो भद्रवाहुसंहिता ५८) ॥ ३३ ॥

स्वर्गं निजास्पदे पुत्रं स्थापयेच्चेन्मृतप्रजा ।

युक्तं परमनृदस्य पदे स्थापयितुं न हि ॥ ३४ ॥

(देखो भद्रवाहुसंहिता ५९) ॥ ३४ ॥

श्वशुररथापिते द्रव्ये श्वश्रूसत्वेऽध्यवा वधूः ।

नाधिकारमवाप्नोति सुकृत्याच्छादनं मंतरा ॥ ३५ ॥

दत्तगृहादिकं कार्यं सर्वं श्वश्रूमनोनुगम ।

करणीयं सदा वध्वा श्वश्रूमातृसमा यतः ॥ ३६ ॥

अर्थ—सासके होते हुए मृत पुत्रकी वधूको श्वशुरके द्रव्यमें भोजन—वस्त्रादिके व्यतिरिक्त और कुछ अधिकार नहीं है। पुत्रको

गोद लेकर उसको उचित है कि वह सब कार्य मासकी आज्ञाके
अनुकूल करे, क्योंकि सास माता समान होती है ॥ ३५-३६ ॥

पितृद्रव्याविनाशेन यदन्यतस्वयमर्जितम् ।

मंत्रमौद्धाहिकं चैवान्यदूधातुणां न तद्वेत्र ॥ ३७ ॥

पितृक्रमागतं द्रव्यं हृतमप्यानयेत्परैः ॥

दाकादेष्यो न तद्व्याद्विघ्या तद्वयेत्र च ॥ ३८ ॥

अर्थ—अनेक भाइयोंमेंसे एक भाई पिताके द्रव्यको विनाश
न करता हुआ स्वयं चाकरी, युद्ध विद्या हारा धन उर्गार्जन करे
वा विवाहमें या मित्रमें पावे अधिवा पिताके समयका हूँचा हुआ
थन तिज पराक्रमसे निकाले उसमें किसीका कुछ भाग न
शोगा ॥ ३७—३८ ॥

विवाहकाले पतिना पितृपितृव्यधानृभिः ।

मात्रा वृद्धभगिन्या वा पितृश्वस्त्रा यदर्जितम् ॥ ३९ ॥

चन्द्रमूषणपात्रादि तत्सर्वं खाधन मतम् ॥

तनुं पञ्चविधं प्रेक्षं विवाहसमयदितम् ॥ ४० ॥

अर्थ—विवाहके समय, पति तथा पतिके पिता तथा पिता-
चाचा, भाई, माता, वृद्ध भगिनी अथवा युद्धाने वस्त्र-आमृषण
पात्रादि जो दिया दह सव स्त्री-थन अधिग्रहि है । यह पांच
प्रकारका होता है । विवाहके दिनका दिया होता है ॥ ३९-४० ॥

पितृगुहात्पृनर्मीन पन्नाया भूषणादितम् ॥

अध्यात्मिकं प्रेक्षं भावृष्ट्युपमक्षयम् ॥ ४१ ॥

अर्थ—जो वस्त्र-आदि पिताके पासे रहता भाई-पन्नुजनके
समुख लाये वह अध्यात्मिक छहताता है ॥ ४१ ॥

दत्तं प्रेत्या च यस्माद्वा भूषणादि अशुरेण वा ।

मुखेश्वणांघिपटणे प्रीतिदानं लहुन्यते ॥ ४२ ॥

अर्थ—सास-ससुरने जो कुछ मुखदिखाई अथवा पांच पढ़नेके समय प्रीतिपूर्वक दिया हो वह श्रीतिदान स्त्रीधन है ॥४३॥

उद्यया कन्यया चैवं यत्तु विनुग्रहात्तथा ।

भ्रातुः सकाशादादत्तं धनमौदयिकं समृतम् ॥ ४३ ॥

अर्थ—विवाहके विष्णे माता-पिताके रिश्टेदारोंसे जो कुछ मिला हो वह अौदयिक है ॥ ४३ ॥

दिवाहे सति यदत्तमंशुकं भूषणादिकम् ।

कन्याभर्तुं कुलस्त्रीभिरन्वाधेय तदुच्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो कुछ गहना इत्यादि पतिके कुदुम्बकी स्त्रियोंसे विवाहके समय प्राप्त हुआ हो वह अन्वाधेय कहलाता है ॥ ४४ ॥

एवं पञ्चदिधं प्रोक्तं स्त्रीधनं सर्वसम्मतम् ।

न केनापि वदा ग्राह्यं दुर्भिक्षाऽपद्रवृष्टिः दृते ॥ ४५ ॥

अर्थ—यह पांच प्रवारका स्त्रीधन है । इसको दुर्भिक्ष, कड़ी आपत्तिके समय अथवा धर्म-कार्यके अतिरिक्त कोई नहीं ले सकता है ॥ ४५ ॥

दूर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ प्रतिरोधके ।

गृही स्त्रीधनं भर्ता न स्थियै दातुमर्हति ॥ ४६ ॥

अर्थ—दुर्भिक्षमें, धर्म-कार्यमें, रोगकी दशामें, (व्यापार आदिकी) बाधाओंके दूर करनेके लिए यदि भर्ता स्त्रीधनको व्यय कर दे तो उसको लौटानेकी आवश्यकता नहीं ॥ ४६ ॥

पित्रोः सत्वे न शक्तः स्यात्स्थावरं जगमं तथा ।

विविक्यं प्रहीतुं वा वतुं पैतामहं च सः । ॥ ४७ ॥

(देखो भद्रवाहुसंहिता ६०) ॥ ४७ ॥

मुक्त्युपायोद्यतश्चैको विभक्तेषु च श्रान्तपु ।

स्त्रीधनं तु परित्यज्य विभजेन्समं धनम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—यदि बांटके पूर्व भाईयोंसे कोई भाई साधु हो या है तो स्त्रीधनको छोड़कर और सब द्रव्यके समान भाग आये जावेंगे ॥ ४८ ॥

अप्रजाइचेत्स्वद्रव्याद्यद्विनीपुत्रिनत्सुनाद् ।

मातृवंधुजनांश्चेव तथा स्त्रीपक्षज्ञानपि ॥ ४९ ॥

विभक्तादविभक्ताद्वि द्रव्यात्किञ्चिच्च दित्सति ।

तद्भ्रातुरो निपेद्वारो भवेयुरतिक्षेपिताः ॥ ५० ॥

अर्थ—यदि किसी व्यक्तिके पुत्र न हो और वह अपनी उम्पत्तिको अपनी बहन या बेटी या उनके पुत्रोंको देना चाहे या गाता अथवा खीं के कुटुम्बके लोगोंको देना चाहे तो चाहे वह उम्पत्ति विभक्त हो अथवा अविभक्त हो उसके भाई उसमें उत्तर द्वारा सकते हैं, यदि वह उससे अति असंतुष्ट हो ॥ ४९-५० ॥

यथेतेपु न कोऽप्यस्ति स द्रव्यं च यथेच्छया ।

सुपथे कुपथे वापि शित्सन्दध्वा निवार्यते ॥ ५१ ॥

अर्थ—यदि किसीके भाई न हों तो उसकी खीं भी उनको दायदादके दूर फरते समय, चाहे वह अच्छे कार्यके लिए हो गा वुरेके लिए, रोक सकती है ॥ ५१ ॥

येषां विभक्तद्रव्याणां मृते व्येष्टं कनिष्ठके ।

भ्रातरस्तद्युताद्यैव सोदरात्समांशिनः ॥ ५२ ॥

अर्थ—बांटके पश्चात् यदि अनेह भाईयोंसे बड़ा छोटा होई एक गर जाय तो उसका धन उसके बोय सब भाई वा भाईयोंके पुत्र समान भागमें बांट लें ॥ ५२ ॥

पंगुरंपरिच्छित्यश्च पतितङ्गोदरोगिणः ।

जहोन्मत्तौ च व्रतांगः पोषणीयो हि भ्रातृभिः ॥ ५३ ॥

अर्थ—लगडे, अन्धे, रोगी, नपुंसक, पागल, अङ्गहीन भाईका पालन-पोषण शेष भाइयोंको करना चाहिए ॥ ५३ ॥

पत्थ्रौ जीघति यः स्त्रीभिरकंकारो धृतो भवेद् ।

न तं भजेरन्दायादाः भजमानाः पतन्ति ते ॥ ५४ ॥

अर्थ—पतिके होते हुये जो स्त्री जितने आभूषण धारण करती रहती है उसकी बांट नहीं होता है । अगर कोई उसकी भी बांट करें तो वे नीच समझें जावेंगे ॥ ५४ ॥

स्त्रभतृद्रव्यं श्वशुरश्वश्रम्यां त्वकरे यदा ।

स्थापितं चेन्न शक्तापुं पतिदत्तेऽधिकारिणी ॥ ५५ ॥

प्राप्नुयाद्विधवा पुत्रं चेदगृह्णोयात्तदाज्ञया ।


तद्वंशजं च स्वलघुं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥ ५६ ॥

(देखो भद्रबाहु संहिता ११५-११६) ॥ ५५-५६ ॥

राजा निःस्वामिकं रिकथ मात्रददृः सुतिधायेत् ।

स्वाम्यासुतत्रशक्तस्तत्परस्तु नृपः प्रसुः ॥ ५७ ॥

अर्थ—जिस धनका कोई स्वामी निश्चर न हो उसको राजा तीन बर्ष तक सुरक्षित रखें; (यदि उस समय भी) कोई उद्धरण न हो तो उसको राजा स्वयं प्रहण करे ॥ ५७ ॥



इन्द्रनान्द जिनसंहिता

पणमिय वीर जगेंद्र णाडण पुराक्यं महाघम्म ।

सउवासुज्ज्ञशणग दायविभागं समासदो दोत्ये ॥ १ ॥

अर्थ—श्री महावीर स्वामी (वर्षमान जिनेन्द्र) को नमस्कार करके और उपासदाध्ययनसे प्रथम बहा हुआ धर्म ज्ञानके उसीके अनुकूल संक्षेपसे मैं दायभाग स्वृृङ्गा ॥ १ ॥

पुत्तो पित्त धणेदि घबहारे जं जहाय लप्पेहि ।

पातो दायविभागो अप्पडि बहोस पडिक हो ॥ २ ॥

अर्थ—पुत्र पिताके धनको घबहारसे इच्छासुमार दरतता है । पाता उसका प्राप्त करता है चाहे वह अप्रतिबन्ध हो चाहे सप्तिवन्ध ॥ २ ॥

शीबदु भत्ता जं धणु णिय भड़तं सं पहुच भं दिणं ।

भृजीय भावरं विणु उहेश्वु सातस्त भोयरिह ॥ ३ ॥

अर्थ—और जो कि स्वामी (पनि) ने अपने जीते नवभार्या (निज खी) को ज़ंगम धन (माल मनकूला) प्रेमसे दिया हो वह उसको इच्छासुमार भोग सकता है, परन्तु स्थावर जाय-दायको नहीं ॥ ३ ॥

रण धण धण जाई नवधम्म इवे पढू पिदा मुक्त्वो ।

थावर धणस्म सवधम्म इत्थि पिदा पिदा महागावि ॥ ४ ॥

अर्थ—सर्व रत्न, मवेशी, धान्य आदिका स्वामी एव्य पिता है, परन्तु सम्पूर्ण स्थायर भनसा स्वामी पिता या पितामह नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

मंदे पितामहे जे धावर यथूण कोदि चंदिटदूँ ।

जं जाभरण बत्यं जहेश्वु त विभायरिह ॥ ५ ॥

अर्थ—पितामह (दादा वा बापा) की जिन्दगीमें स्थावर धनको कोई नहीं ले सकता । परन्तु सब लोग अपने अपने आभरण वस्त्र उसमेंसे यथायोग्य पावेंगे ॥ ५ ॥

पुत्ताभावेपि पिदा उत्ताजियं ज धर्णं त्वविकेदुं ।
सकोणावि यदुरदंवा थावर धर्णं तदा पेयं ॥ ६ ॥

अर्थ—पिताने पुत्रके अन्मसे प्रथम भी जो स्थावर द्रव्य स्वयं उपार्जन किया हो उसको भी यह वेच नहीं सकता है ॥ ६ ॥

जादा वा यि अजादा बाला अणाणिणो वा पिसुणा वा ।
इत्थ कुङ्गम्बवरगो जत्तायां धर्मम् किचाम्म तजणे ॥ ७ ॥

एयो विवक्षियं वा कुजादाणं हि थावर सुवत्यु ।
मादा पिदा हु भावय जेढुं भाव गदुंगं पुणो अण्णो ॥ ८ ॥

सच्चे सम सगा हुय तण्हं कलहो नसं होई ।

मादा सुदृश्यछयावा विग्गा भागं सु भाय णामितं ॥ ९ ॥

गिणूदादि लंवडोचिहु बुत्थो रुग्नोरु गयछहो कामी ।

दूदो वेस्सासत्तो गिणहइ भायं जहोचियं तथध ॥ १० ॥

अर्थ—जात तथा अजात पुत्रों, नावालिंग और अयोग्य व्यक्तियोंके होते हुए कोई भी यात्रा, धर्म-कृत्य, गित्र जनके चास्ते स्थावर धनको विक्रय अधिया दे नहीं सकता है । माता, पिता, इयेष्ट भ्राता और अन्य कुटुम्बियों अर्द्धादि दायादोंकी सम्मतिसे विक्रय कर सकते हैं । इस तरहसे इगडे नहीं होंगे । यदि माता स्वेच्छासे विभाग करे तो सब उचित भाग पाते हैं ।

यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है या असाध्य रोगका रोगी है अथवा कोई बांछा रहित, कामा, द्यूत (जुबारी), बेश्यासक्त है तो वह अपनी जरूरत भरके लिए भाग पावेगा ॥ ७-१० ॥

अत्थय सब्द सर्वसा सर्वसिया अंगणाहु संकुजा ।

जणये णगो विभाऊ अरम्मदे वलये कक्षाकुरथ ॥ ११ ॥

जहचेदु करिज तहा अपभाण होइसबवत्थ ।

सन विसणा सेबी विसयी कुट्ठो हु वादि उ विमुहो ॥ १२ ॥

गुह मत्थय विमुहो विय अहियारी णेष रारि सो होइ ।

जिट्ठो गिष्ठेइ धण जं विहुणिव जणय तज्जणय जण ॥ १३ ॥

रक्षेइ तं कुडंघो जह पितरौ तह समग्राई ।

उठाहु जादुहिदरो णिय णिय मार्य स धणस्त मायरहा ॥ १४ ॥

तह भावेतम्स सुया तह भावे णिय सु उ वाचि ।

अविभत्त विभत्त धण मुकखे साहोइ भामिणी तत्थ ॥ १५ ॥

अर्थ—सब शेष पुत्र ममान भाग लें और धर्मभार्या भी पुत्रोंके ममान भाग लें; इस प्रकार (भाग) चक्षित है । (इसके विपरीत) अन्याय या किसी पुत्रकृ छमिप्रायमें भी विभाग नहीं करना चाहिए । यदि ऐसा विभाग किया गया है, तो वह सब जगद् अनुचित ठहरेगा । जो पुत्र सभ कुर्यमनास्त्क, विषयी, कुषी, अविय गुरु विमुख हो वह विभागका अधिकारी न होगा । ज्येष्ठ पुत्र विता व वितामहात् विर्मा पाता है । जिस प्रकारसे गाता-पिता कुटुम्बकी दक्षा करते हैं, वैसे ही ज्येष्ठ पुत्रको करनी चाहिये; और सब परिवार भी उमड़ो दैमा ही माने । यदि कोई विवादिता पूछो हो तो वह अपनी नाताके धनकी अधिकारिणी होगी । यदि उमड़ा (प्रतीक्षा) अभाव हो तो उमड़ा पुत्र, उमड़ा भी अभाव हो तो उमड़ा अपना पुत्र अधिकारी होगा । जो धन वैटा हो या न वैटा हो उस धनकी सुन्दर अधिकारिणी धर्मभार्या होता है ॥ ११-१५ ॥

भत्तरि णटुडे विगडे पायाइ सुठगा गद्ले वा ।

खेतं खलु धण वा धणु दुरय चतुर्पंच चादि ॥ १६ ॥

जेडा भायरिहा सा सा या कुदुम्ब सुपालेई ।

पुत्रकुहुंवजो वा मज्जोङ्गाः दुसुसंकित वणो ॥ १७ ॥

तहवि अभावे दोहित तस्स अहावे हि गोदोय ।

तस्स अहावे देउर सतवारिस प्प माणयं खेयं ॥ १८ ॥

अर्थ—जब कोई मनुष्य लापता हो जाय या मर जाय या चातादि रोगसे ग्रस्त (चावला) हो जाय तब क्षेत्र, मकान, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पदकी मालिक उनकी उपेत्र भार्या, जो कुदुम्बका पालन करेगी, होगी । उसके अभावमें पुत्र, फिर सर्वर्ण माता-पितामें उत्तम भतीजा, इनके भी अभावमें दाहिता, उसके अभावमें गोत्री, (यह भी नहीं तो) भर्ताज्ञा छोटा भाई सात वर्षकी वयका ॥ १६-१८ ॥

नोट—भर्ताके सात वर्षका उम्रके छोटे भाईका भाव ऐसे बच्चेसे है जो पतिके छोटे भाईके सदृश है और जिसके मृतक पुत्रकी बधू दत्तक बनावे ॥

बूढ़ं वा अब्बूढ़े गिणाहिया पंचजग सक्खी ।

जो एगुद्धरेहिय कसदो भूमिदु पुव्वणद्वाई ॥ १९ ॥

तुरियं भायं दिणगय लहुदिय अणगोहु सद्वस्स ।

णिय जणय धण ज विहु णियवदव्वमघादए इतं इव्वं ॥ २० ॥

दायादेउ ण दिल्लई विजालद्वं धणं जंहि ।

जइ दिण्ण धणं जं विहु भूमणवत्थादियं व जं अणं ॥ २१ ॥

अर्थ—विवाहित हो आधबा अविवाहित कैसा ही हो उसको अव्वजनोंकी साक्षी से (गोद) लेना चाहिए । जो व्यक्ति पूर्व गई हुई जमीनवो फिर अपने पराक्रमसे प्राप्त करे तो उसको उसका चतुर्धाश मिलेगा । शेष और दायाद पावेंगे । पितके द्रव्यसे निज द्रव्य समझके, और विदून उसको बाधा पहुँचाये या कम

किये, जो रक्षा कर चांगे ले ऐसी सम्पत्तिको अन्य दायार्दोंको न दे; और जो विद्यासे धन उपार्जन करे तथा जो निजको भिला हो अथवा आमृषण-बछादि और इसी प्रकारकी और वस्तुओंको भी न दे ॥ १९-२१ ॥

गिणहेदि ण दायादा पडति णरये ण हा चावि ।

गियकारिय कूवाइय भूपण बत्युग घणोवि ॥ २२ ॥

गिय एवहि दोई यहू अण्णेये तस्स दायदा णोवि ।

पोयाहु वितदव्यं गिय यं च इवजियं तहा णेयं ॥ २३ ॥

अर्थ—उपर्युक्त धनको और दोई दायद नहीं ले सकता, जो लेगा वह नरकमें पड़ेगा । और जो किसीने स्वयं कूर, मूपण, बछ वनाया हो और गोधन तथा इसी तरहकी अन्य सम्पत्ति जो किसीने प्रस की हो वह स्वयं उसीकी होती है । उसमें दोई भागी नहीं होते हैं । इसी तरहसे समझ लेना चाहिए कि पोतेने पिताका जो द्रव्य फिर प्राप्त किया हो उसका अथवा अपनी स्वयं पैदा की हुई जायदादका वही मालिक होता है ॥ २२-२३ ॥

गिय वित्तमहे जे दव्ये भावजन णोछिया सुहवे ।

धण्णं जं अविद्यं तहेव तं समंसमं णेयं ॥ २४ ॥

अर्थ—पितामहके द्रव्यका विभाग माता और भाईयोंकी आपाके अनुकूल होता है । जो धन वेटा नहीं है वह इसी तौरसे समानांश योटने योग्य है ॥ २४ ॥

धाइणिवं द्वावर सामित दुणह लत्य सरसम्मि ।

जोद सुद बिमाउ णेडहि सखणजगिय यहु सरिसो ॥२५॥

अर्थ—पूर्णी (और पितामहके और स्वावर धन) में पिता व पुत्रका अधिकार समान है; और यदि भाग ले चुक्नेके

पश्चात् सर्वा भार्याका पुत्र उत्पन्न हो तो वह भी पुनः सम्पूर्ण अंताओंके समान भाग लेनेका अधिकारी होगा ॥ २५ ॥

पुत्रं पच्छाजादे विभक्तं जो सद्ब्रं संगाही ।

लीचटु पिष्ठधणोवि हु जाम्ह जहातहादिण्ण ॥ २६ ॥

येह विसादो तत्थहु गिणहु जहुणावरेण एतत्थ ।

पञ्चत्ताये जणये भाया समभाइणी हवेतत्थ ॥ २७ ॥

अर्थ—पुत्र उत्पन्न होने पर, उस जायदादमें जो उसके यैदा होनेसे पहले बैट गई है हवदार हो जाता है। अपने जीते जी पिताने चाहे जिस तरह पर अपना धन चाहे जिस किसीको दे दिया हो, उसमें उज्ज फरना अनुचित है, और वह किसीको नहीं लेना चाहिए। पिताके पांचवें आश्रमको चले जाने पर, अर्थात् मर जाने पर, माता भी जायदादमें वराघरकी हडदार हो जाती है ॥ २६-२७ ॥

भाया भयणी दोविय संभज्ञा दायभाग दो सरिसा ।

भायरि सु पहाडेविय लहु भायर भायणी हु संकखा ॥ २८ ॥

अर्थ—भाई—वहिन दोनों जायदादको समान बांट लें। वडे भाईको उचित है कि छोटे भाई और वहिनकी रक्षा करे ॥ २८ ॥

दत्ता दाण विसेसं भइणीउ पारिणे दंडशा ।

दो पुत्ता एय सुदा घणं विभवज्जति हा तहाभाये ॥ २९ ॥

सेसं जेढो लादिहु जहा रिण जो तहा गिण्हे ।

सुदाहु वंभजा जे चड तिय दुगुणप्रभाइणो णेया ॥ ३० ॥

अर्थ—दहेज देकर वहिनका विवाह कर देना चाहिए। अगर दो लड़के और एक लड़की हो तो सम्पत्तिके तीन भाग करने चाहिए। उससे जो बचे उसको बड़ा भाई ले, जिससे क्रृपा न लेना पड़े। यह जान लेना चाहिए कि ब्राह्मण पिताके पुत्र, शूद्राणी माताकी सन्तानके अतिरिक्त जो ब्राह्मणी, क्षत्राणी,

वैश्याणी माताभौंसे उत्पन्न हुए हों वह क्रमशः ४, ३, २,
भागके अधिकारी होते हैं ॥ २९-३० ॥

खत्तिय सुहा जेया तिय दुगुणाप्प भाइणो जेया ।

सुहजु सुहा दुगुदुग भायरिहा वैस्म सुहजा इके ॥ ३१ ॥

अर्थ—अत्रिय (पिता)के पुत्र ३; वैश्य (पिता)के २; और शूद्रके
एक भागके अधिकारी, माताके वर्णकी अपेक्षाएँसे, होंगे ॥ ३१ ॥

तिय बण्णज जादोबिहु सुहो खित्तं ण लहड सद्यत्थ ।

उरस णिये पयणीउ दत्तो भाइज दोहिया पुत्तो ॥ ३२ ॥

गोदज वा खेतुबभव पुत्तारा देहु दायादा ।

बण्णीणोपच्छष्टणे पच्छष्टणो घाणो पुग्गम्बदोशुत्तो ॥ ३३ ॥

अर्थ—चाहे तीनों बर्णोंके पितासे दी क्यों न उत्पन्न हों तो
भी शूद्राणी माताके पुत्र पिताकी सम्पत्तिको सर्वथा ही नहीं
पाते हैं । और स (जो अर्थपत्तीसे उत्पन्न हुआ है), गोद, निया
हुआ पुत्र, भतीजा, दोहिता, गोत्रज, थेत्रज (जो उसी कुलमें
पैदा हुआ हो), यह लक्षके निसन्देश दायाद हैं । कुँवारीजा पुत्र,
निज पत्तीका पुत्र (जो छिपी रीतिसे पैदा हुआ हो, या जो
खुले छिनाजे उत्पन्न हुआ हो), कृत्रिम, जो लेकर पाला गया हो,
ऐसी औरतका पुत्र जिसका दूसरा विचार हुआ है, और गोद

+ इस यातको एगानमें १० से हुए कि धन्विय गोन दर्योंमें विद्युत
कर सकता है और यावा क्षपने वर्णमें और अन्य संस्कृत दर्योंमें विद्युत
हो वर्णोंमें और शुद्ध एक ही वर्णमें लग्याएँ जाये ही वर्णमें । यह
विद्युत होता है कि इस इलोकया और इसमें विद्युत की दैवती राजद
यही अर्थ हो कि धन्विय विद्युतीय भिद्ध-भिद्ध वर्णोंदी विद्युती रौप्याद
(शूद्राणीके लक्ष्योंको उद्देश) क्रमशः २ और ३ भाग दर्योंकी दौड़
वैस्मके पुत्र समान (२ और ३) भाग पायेने (शूद्राणीका लक्ष्य वह
जही पायेगा); और शुद्धके लक्ष्ये एक-एक भाग दर्योंके विद्युत
दिल्लीमें पायेने ।

दूसरा विवाह हुआ है, और छोड़ दिया हुआ बच्चा जो पुत्रकी भाँति रखा गया हो ॥ ३२—३३ ॥

ने पुत्ता पुत्तक्षणा दायादा पिण्डदाणेवं ।

सुहा उ दासीं विहु जादो गिय जणय इच्छिया भागी ॥ ३४ ॥

अर्थ—यह पुत्र तुल्य हैं। परन्तु यह दायादा या पिण्डदाता नहीं हैं। शूद्रा दासीसे जो पुत्र उत्पन्न हो उसका पिताके धनमें पिताकी इच्छानुसार ही भाग होता है ॥ ३४ ॥

पितृ गये परत्योये अद्वं अद्वं सहणहुते सद्वे ।

दायादा के के विहु पठम भजा तदो दुपुत्तोहि ॥ ३५ ॥

अर्थ—यदि पिता मर जाय तो वह (दासीपुत्र) आधा भाग लेगा। और दायदा कौन हो सकते हैं? प्रथम धर्मपती, फिर पुत्र ॥ ३३ ॥

पच्छादु भायराते पच्छातह तस्मुदाणेया ।

पच्छा तहा स विंडा तहा सुपुत्ती तहा सुतज्जेत ॥ ३६ ॥

अर्थ—फिर भाई, फिर भतीजे, फिर सपिण्ड, तत्पश्चत् पुत्री और उसके बाद पुत्रीका पुत्र ॥ ३६ ॥

अण्णो इकोविवंधुवि सुगोयेजा जाइ जो हु दद्वेण ।

तस्मवि लोय पमाणं रायपमाणं हेवइ जं पत्तं ॥ ३७ ॥

अर्थ—इनके पश्चत् कोई बन्धु, फिर कोई गोत्रीय, फिर कोई जातीय सृतक्के धनका स्वामी, लोक-अथवा राज्य-नियमानु-कूलसे हो सकता है ॥ ३७ ॥

दत्ते तस्मिण कलहो सुसिच्छदो धम्मसूरिहि णिच्चं ।

दिण्म परायपेत्त ससरिक्यं णो केवेह कलहोय ॥ ३८ ॥

अर्थ—उत्त प्रकार दाय अधिकारमें कलह न होगा; ऐसा धर्मचार्योंने सदा के लिये निश्चय किया है। राज्यनीति व लोक-व्यवहारके अनुसार दायके निर्णय करनेमें विवाद न होगा ॥ ३८ ॥

द्विं दायभाग-इन्द्रतन्दि जिनसंहिता ।

सच्चं सववस मदं जहा तहा दाय भायमिम ।

सच्चेसि हि अहावे पुहणिवो वित्त वंभ दिणा ॥ ३९ ॥

अर्थ—यांट इस प्रकारसे करनी चाहिए जो सबको स्वीकृत हो और जो सबके फायदेके लिए हो । इन (उपर्युक्त) दायादोंके अभावमें धनका स्वामी राजा होगा, परन्तु ब्राह्मणके धनका नहीं ॥ ३९ ॥

वंभस्प जं धणं चिहु तस्महु भजाहि विमणा छणे ।

जिट्ठांठ गयेहु मायरि तहिय कणिट्ठे विमत्त म द्वये ॥ ४० ॥

अर्थ—यह निश्चय है कि ब्राह्मणके धनकी अधिकारियों उसकी स्त्री होगी और उसके अभावमें कोई ब्राह्मण हो स्वामी होगा । और उपेष्ठ भाईकी मृत्युपर उसके होटे भाई उसका धन यांट लें ॥ ४० ॥

सोयरवंधु वगो गेहदु तेसि धणं कम पो ।

पडिको पंग् वदिरे उम्मत्तो मंद कुञ्ज अंयोय ॥ ४१ ॥

विमर्द जडोय कोटी नूंगो नगोय पवहूयो ।

विमणा अभक्तभोई पदेसि भाग जुगदो णतिथ ॥ ४२ ॥

भुत्ति यसण जणिता परंदु जस्मा विद्ममादि ।

मंतो सहाई शुद्धा एदेसि भाग जोगदा अतिथ ॥ ४३ ॥

अर्थ—यदि उमके दोई भाई-पन्नुजन (चारिय) नहीं हैं तो उमके दायाद उपर्युक्त कामानुसार होंगे । पनित, पगु, विदिर, उम्मत्त, नपुंसक, कुषदा, अनरा, विदयी, पागल, छोटी, नूंगा, रोगी, घेरी, सप्तकुञ्जसनी, अभक्तयभोजी, ऐसा वर्णिय भाग नहीं पाता । भाजनघरसे उनका भरण-पोषण खरना चाहिए । और यदि वे मन्द्रादिसे जन्मे हो जायें तो उनमें दाय-जारिहारही योग्यता होती है ॥ ४१-४३ ॥

एदसि वि सुदा अवि दुहिरा जो सद्व गुण सुदोय ।

होइहु भाय सु जुगा णियधमरदा जणाहु सव्वेसिं ॥ ४४ ॥

अर्थ—यदि यह (अयोग्य व्यक्ति) अच्छे न हो सके तो उनके दोहितेको जो सर्वगुणशुद्ध हों (करीबी दायादोंके अभावमें) उनका हिस्सा मिलेगा । यह समझ लेना चाहिए कि इन सबको धर्ममें संलग्न रहना चाहिए ॥ ४४ ॥

जहकालं जहखेतं जहाविहिं तेसि समभाऊ ।

चिशीया णिवदसा षडितलाये तहेव बोढन्ना ॥ ४५ ॥

अर्थ—धनका भाग यथाकाल, यथाक्षेत्र, नियमानुकूल समभागमें कर देना चाहिए । जो सर्वथा सदूङ्यवहारके प्रतिकूल चले वह भागका अधिकारी न होगा, (और), जो मातापिताके विरोधी हैं वह भी दायके हक्कदार न होंगे ॥ ४५ ॥

पुव्वहु तहा सुद कमसो भायस्स भाइयो होई ।

इत्थिय धण खु दिण्ण पाणिगइणस्स कालये सद्वं ॥ ४६ ॥

अर्थ—पूर्व खो, फिर पुत्र, यह कमशः दायके भागी होंगे । जो विवाहके समय मिले वह सब खोधन है ॥ ४६ ॥

माया पिया भयिण्णा पिच्चसुसायेहि संदिण्ण ।

मूमण वत्थ हयादिय सद्वं खलु जाण इत्थिधण ॥ ४७ ॥

अर्थ—माता, पिता, भ्राता, बुआ (पिताकी भगिनी) आदिते जो आभूषण, खस्त घोडे आदि दिये हों सो सब (खोधन) है ॥ ४७ ॥

तम्हि धणम्हय भाउ णहि एयसावि दायस्स ।

साप्पयाइ णिप्पयाइहिं हचे विसेसोय मादुये समर्य ॥ ४८ ॥

अर्थ—उसे (खोधन) में किसी दायादका कुछ अधिकार नहीं । छो सप्रज्ञा (पुत्रवती) अप्रज्ञा (अपुत्रवती) दो भेदवाली होती है ॥ ४८ ॥

तत्त्वासुय भद्रणिसुया ण कोवि तस्सा गिबारउ होई ।
जो सुद भाइ भतिज्जउ सक्खीकिय जं परस्सु धणदिणं ॥४९॥
तम्हि कोउ जिमिढ्हा ण होइ किसु चा विसेसेण ।
साक्खी विणाय दिणं ण धणं तस्मापि होइ गिविवदो ॥ ५० ॥
जादे दिग्बविवादे तस्सेव धणं धुवं होई ।
एवं दायविभायं जहागमं मुणिवरेहि गिद्धुं ॥ ५१ ॥

अर्थ—(लोधतज्जा सप्तज्ञा माताकी शृङ्खु पर) उपर्याप्त
अधवा भानजा (मालिक हांगा) । उनजो कोई रोक नहीं सकता ।
अपुत्रा (अप्रजा) के मालिक भतीजे (भाईके पुत्र) होने ।
गवाहोंही साक्षीमें जो धन किसीको दिया जावे उसमें कोई
उच्छ नहीं कर सकता है । इससे अधिक कशा हो सकता है ।
जो धन साक्षी विना किसीको दिया जावे वह उपर्याप्तभी
नहीं होता है । विभागके पञ्चात् यदि इषाड़ा हो तो वह जायदाद
देनेवाले ही की ठहरेगो । इस प्रकारसे दाय व विभाग ग्रामसु-
सार मुनियोंने घर्णत किया है ॥ ४९-५१ ॥

तं खु बवहारादो इयलोयमवंहि णादव्यं ।
धम्मो दुविहो सावय आवारो धम्म पृथग्न षट्टमं ॥ ५२ ॥

अर्थ— यह दायभागके नियम इस लोहके बवहारामध्ये जानना
चाहिए । धर्म ही प्रशारका है—एक आदक धर्म जो दि धर्म
है और गुदस्थधर्मपूर्वक हाता है ॥ ५२ ॥

दुदिड चउ पलुतो मूलं पादितगमड मीरो ।
भरहे कोसलदेसे साक्षेये रिमहेव जिणाडो ॥ ५३ ॥
आदो तेगेड रस्मदि भूमे रयणा मसुदिडा ।
सरस सुदेण च पद पवटिया भरटराय रंगेन ॥ ५४ ॥

आयार-दाण दंडा दायविभाया समुदिष्टा ।

बसुण्डि इंद्रण दिहि रचिया सा संहिदा पमाणाहु ॥ ५५ ॥

अर्थ—दूसरा धर्म उनके लिए है जो ब्रतोंको पालते हैं। पवित्रताकी वृद्धि ही जिनका आश्रय है। भरतक्षेत्रके कोशल देशमें और अयोध्या नगरीमें श्रीऋषभदेव उत्पन्न हुए। उन्होंने कर्मभूमिकी रचनाका उपदेश दिया था। उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीने आचार, दान, दण्ड, दाय और विभागके नियम बनाये थे। वही बसुनन्दि इन्द्रनन्दिने संहितामें कहा है स्त्रे प्रमाण है ॥ ५३-५५ ॥



अहेन्नीति

लक्ष्मणातनयं नत्वा चुसदिन्द्रादिसेवितम् ।
गेयामेयगुणाविष्टुं दायभागः प्रस्तृप्रते ॥ १ ॥

अर्थ—(माता) लक्ष्मणाराजीके पुत्र (श्रीचन्द्रप्रसु स्वामी) को नमस्कार करके जिनको सम्पूर्ण प्रकारके इन्द्रादि देव प्रणाम करते हैं और जो सर्वगुणालंकृत हैं दायभागका अध्याय रचा गया है ॥ १ ॥

स्वस्तदत्त्वापादनं दायः स तु द्वैविध्यमनुते ।
आज्ञः सप्रतिबन्धश्च द्वितीयोऽप्रतिबन्धकः ॥ २ ॥

अर्थ—जिसके द्वारा सम्पत्तिमें अधिकारका निर्णय हो वह दाय है । यह दो प्रकारका है । एक सप्रतिबन्ध, दूसरा अप्रतिबन्ध ॥ २ ॥

दायो भवति द्रव्याणां तदद्रव्यं द्विविधं स्मृतम् ।
स्थावरं जङ्घमं चैव स्थितिमत्त स्थावरं सतम् ॥ ३ ॥
गृहमूल्यादिमत्तूनि स्थावराणि भवन्ति च ।
जङ्घमं स्वर्णरौप्यादि चत्प्रयोगेन गच्छति ॥ ४ ॥

अर्थ—दायक सम्पन्ध द्रव्यसे होता है । द्रव्य दो प्रकारका है । एक स्थावर दूसरा जङ्घम । जो पदार्थ स्थिर हों—जैसे भूमि, पुरुषादी इत्यादि—वह सब स्थावर है । सर्वे—चांदी इत्यादि जो पृथक् हो सके तो जङ्घम है ॥ ३-४ ॥

न विभव्यं न चिक्रेयं स्थावरं च कदापि हि ।
प्रतिष्ठाजनके लोके आपदादालमन्तरा ॥ ५ ॥

अर्थ—स्थावर धनको जिसके कारण इस दोकमें प्रतिष्ठा होती है किसी सूखतमें भी आपत्ति-आलके अतिरिक्त बांटना अथवा बेचना नहीं चाहिए ॥ ५ ॥

सर्वेषां द्रव्यजातानां पिता स्वामी निगद्यते ।

स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥ ६ ॥

अर्थ—सर्व प्रकारके द्रव्यका पिता स्वामी कहा जाता है । परन्तु स्थावर द्रव्यके स्वामी न पिता होता है न पितामह ही ॥ ६ ॥

जीवत्पितामहे ताते दातुं नो स्थावरे क्षमः ।

तथा पुत्रस्य सङ्गावे पितामहसृतावपि ॥ ७ ॥

अर्थ—बावाकी जिन्दगीमें पिताको स्थावर वस्तुओं दे देनेका अधिकार नहीं है । इसी प्रकार पुत्रकी उपस्थितिमें पितामहके न होते हुए भी स्थावर वस्तुको पिता दूसरेको नहीं दे सकता ॥ ७ ॥

पिता स्वोपार्जितं द्रव्यं स्थावरं जङ्गमं तथा ।

दातुं शक्तो न विक्रेतुं गर्भस्थेऽपि स्तनंधये ॥ ८ ॥

अर्थ—पुत्र यदि गर्भमें हो अथवा गोदमें हो तो पिता अपना स्वयं उपार्जन किया हुआ स्थावर-जङ्गम दोनों प्रकारका धन किसीको दे या बेच नहीं सकता है ॥ ८ ॥

अज्ञाता अथवा हीनाः पितुः पुत्राः सदा मुवि ।

सर्वेस्वाजीविकार्थं हि तस्मिन्नशहराः स्मृताः ॥ ९ ॥

अर्थ—पुत्र अज्ञानी, मूर्ख, अंगहीन, आचारभ्रष्ट भी हो तो भी अपनी रक्षा व गुजारेके लिए पिताके द्रव्यमें भागका अधिकारी है ॥ ९ ॥

बाला जातारतथाऽजाता अज्ञानात्य शबा अपि ।

सर्वेस्वाजीविकार्थं हि तस्मिन्नशहरा स्मृताः ॥ १० ॥

द्विं दायभाग-अर्हत्रीति ।

अर्थ—जो धालक उत्पन्न नहीं हुआ है तथा उत्पन्न हो रहा है और जो बुद्धिरहित है अथवा जो उत्पन्न होकर मर गया है (भावार्थ मृतक पुत्रकी मन्तान), ये सब अपनी-अपनी जीविकाके लिए उस धनके उत्तराधिकारी हैं ॥ १० ॥

अप्राप्तव्यवहारेषु तेषु माता पिता तथा ।

कार्यं त्वावश्यके कुर्यात्तस्य दानं च विक्रयम् ॥ ११ ॥

अर्थ—पुत्र रोजगार न जानते हों (भावार्थ नाजालिंग हों) तो उनके माता-पिता किसी आवश्यकताके समय अपनी स्थावर दरहुओ बेच सकते हैं और पृथक् कर सकते हैं ॥ ११ ॥

दुःखामारे हि संसारे पुत्रो विश्रामदाययः ।

यस्माद्वते मनुष्याणां गार्हस्थ्यं च निरर्थकम् ॥ १२ ॥

अर्थ—दुःखके स्थान-रूपी इम संसारमें पुत्र विश्रामको देनेवाला है । विना पुत्रका घर निरर्थक है ॥ १२ ॥

यस्य पुण्यं वलिष्ठ स्यात्तम्य पुत्रा अनेकशः ।

संभृतेऽन्त्रं तिष्ठन्ति वित्रोत्सेवामु तत्पराः ॥ १३ ॥

अर्थ—जिस मनुष्यका पुण्य यज्ञान् है उसके दृढ़ पुत्र होते हैं, और सब आपसमें शानिल रहकर सूर्य माता-पिताकी खेदा करते हैं ॥ १३ ॥

त्रोभादिवारणाज्ञाते पर्वी तेषां परस्परम् ।

व्याध-नुधारिभिः पार्वी दायभागदिवारणा ॥ १४ ॥

अर्थ—यदि लोभके फारण भाई-भाईमें एकदृ दरमद हो जाय तो द्रव्यकी खोट व्याधानुकूल रहनी पाइए ॥ १४ ॥

पित्रोत्पार्जु पुष्पणां भागः सम सदाहृतः ।

तथोर्यगतमे नूर्तं भवेद्यागारुदिव्यद्वया ॥ १५ ॥

अर्थ—माता-पिता के मरने पश्चात् पुत्रों का समान भाग होता है। परन्तु माता-पिता में से कोई जीवित हो तो बटवारा उसकी इच्छानुसार होता है ॥ १५ ॥

विभक्ता अविभक्ता वा सर्वे पुत्राः समांशतः ।

पित्रोऋणं प्रदत्त्वैव भवेयुभीभागिनः ॥ १६ ॥

अर्थ—पृथक् हो जाथवा शामिल सब पुत्र पिता-माता के कलगके बराबर बराबर भाग में देकर हिस्से के हकदार होते हैं ॥ १६ ॥

धर्मतद्वेत्पिता कुर्यात्पुत्रान् विषमभागिनः ।

प्रमाणवैपरीत्ये तु तत्कृत्याप्रमाणता ॥ १७ ॥

अर्थ—धर्मभाव से पिता अपना द्रव्य पुत्रों को न्यून विक भी दे दे तो अयोग्य नहीं, परन्तु विषपरीत बुद्धि से दे तो वह नाजायज होगा ॥ १७ ॥

व्यप्रचित्तोऽतिवृद्धिच व्यभिचाररतस्तु यः ।

द्यूतादिव्यसत्त्वसत्त्वो महारोगसमन्वितः ॥ १८ ॥

उन्मत्तश्च तथा कुद्रुः पक्षपातयुतः पिता ।

नाधिकारी भवेद् भागकरणे धर्मवर्जितः ॥ १९ ॥

अर्थ—अत्यन्त व्यग्र चित्तवाला, अत्यन्त वृद्ध, व्यभिचारी, जुआरी, खोटे चाल-चलनवाला, पागल, महारोगी, कोध में भरा हुआ, पक्षपाती पिता का किया हुआ विभाग धर्मनुकूल न होने के कारण मान्य नहीं है ॥ १८—१९ ॥

असंस्कृता चेऽनुजास्तान् संस्कृत्य भ्रातरः स्वयं ।

अवशिष्टं धनं सर्वे विभजेयुः परस्परम् ॥ २० ॥

अर्थ—पिता की सम्पत्ति में से बच्चों (पिता के लड़के-लड़कियों) के संस्कारों के पश्चात् शेष को सब भाई बैट लें ॥ २० ॥

नोट—यहां पर “संस्कार” शब्दमें शिक्षा, विवाह आदि शामिल हैं ।

अनुज्ञानां त्वयुत्वे तु सर्वथाप्यग्रजो धनम् ।

मवै गृहति तत्पैद्यं तदा तान्पाल्येत्सदा ॥ २१ ॥

अर्थ—छोटे भाई बालक हो तो बड़ा भाई पिताके सम्पूर्ण सम्पत्तिको निज हाथमें रखकर उनका पालन पोषण करे ॥ २१ ॥

निभक्तानविभक्तान्वे भात्तन् उप्रेष्टः पितेव सः ।

पालवेत्तेऽपि तज्जेष्ट संवैन्ते पितरं यथा ॥ २२ ॥

अर्थ—जुदा हो गये हों अथवा शामिल रहते हो छोटे भाईयोंको बड़े भाईको पिताके समान मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए और बड़ा भाई उनको पुत्रके समान समझकर उनका पालन करे ॥ २२ ॥

पूर्वजे तु पुत्रेण अपुत्रः पुत्रश्चान् भद्रेत् ।

ततो न देयः स्तेऽन्यमै कुदुम्बा धर्षतिर्यतः ॥ २३ ॥

अर्थ—पथम जन्मे हए पुत्रसे अपुत्र मनुष्य सपुत्र कहलाता है । इसान्तर वयेष्ट पुत्र किसीको (दत्तन) देना उचित नहीं, क्योंकि वह कुदुम्बका अधिपति होता है ॥ २३ ॥

व्येष्ट एव हि गृह शात् पञ्चय धनमशेषतः ।

शेषास्तद्युपारित्वं भजेयुः पि रं यथा ॥ २४ ॥

अर्थ—व्येष्ट पुत्र पिताका सब धन स्वधीन करे और व्येष्ट भाई पिता समान समझकर उसकी आज्ञानुकूल चलते रहें ॥ २४ ॥

एतानेका च चेत्कन्या पित्रोस्त्वर्धं मिता तदा ।

स्वांशत्पुत्ररुरीयांशं दत्त्वाऽवश्यं विवाहयेत् ॥ २५ ॥

अर्थ—एक या अधिक भगिनी पिताके मरे पश्चात् कुंबारी हों तो उनको सब भाई अपने अपने भागका चतुर्थांश लागाकर व्याह दें ॥ २५ ॥

विवाहिता च या कन्या तस्या भागो न कर्हिचित् ।

पित्रा प्रीत्या च यदत्तं तदेवास्या धनं भवेत् ॥ २६ ॥

अर्थ—जिस कन्याका व्याह हो गया हो उसको पिताके द्रव्यमें भाग नहीं होगा । पिताने जो कुछ उनको दिया हो वही उसका धन है ॥ २६ ॥

यादतांशेन तनया विभक्ता जनकेन तु ।

तावतैव विभागेन युक्ताः कार्यं निजलियः ॥ २७ ॥

अर्थ—पिताको अपनी बियोंको पुत्रोंके समान भाग देना चाहिए ॥ २७ ॥

पितुरुद्धर्वं निजाम्नायाः पुत्रैर्भागश्च सार्थकः ।

लौकिक व्यवहारार्थं तन्मृतौ ते समांशिनः ॥ २८ ॥

अर्थ—यदि पिताके मरनेके पश्चत् बाट हो तो पुत्रोंको चाहिए कि अपनी माताको आधा-आधा भाग लोक-व्यवहारके लिए दें और उसके मरनेके पीछे उस धर्मको सम भानोंमें बांट लें ॥ २८ ॥

पुत्रयुग्मे समुत्पन्ने यस्य प्रथमनिर्गमः ।

तस्यैव ज्येष्ठता हेया इत्युक्तं जिनशासने ॥ २९ ॥

अर्थ—दो पुत्र एक गर्भसे हों तो जो पुत्र प्रथम पैदा हो वही ज्येष्ठ पुत्र है । ऐसा जैन शासनका वचन है ॥ २९ ॥

दुहितापूर्वमुत्पन्ना सुतः पश्चाद्वेद्यदि ।

पुत्रस्य ज्येष्ठता तत्र कन्याया न कदाचन ॥ ३० ॥

अर्थ—प्रथम कन्या जन्मे फिर पुत्र, तो भी पुत्र ही ज्येष्ठका इकदार होगा, कन्या ज्येष्ठ नहीं हो सकती ॥ ३० ॥

यस्यैकस्यां तु कन्यायां जातायां नान्यसंततिः ।

प्राप्तं तस्याश्वाधिपत्यं सुतायासु सुतस्य च ॥ ३१ ॥

अर्थ—जिस मनुष्यके कंघल एक कन्या हो और कुछ सन्तान न हो तो उसकी मृत्युके पश्चात् उसके धनके मालिक पुत्री-दोहिते होंगे ॥ ३१ ॥

आत्मैव जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ।

तत्प्रामात्मनि तिष्ठत्यां कथमन्यो धनं द्वरेत् ॥ ३२ ॥

(देखो भद्रवाहृसंहिता २६) ॥ ३२ ॥

गृहाति जननी द्रव्यं मृता च यदि कन्यका ।

पितृद्रव्यमशेषं हि दौहित्रः सुतां द्वरेत् ॥ ३३ ॥

अर्थ—च्याही हुई कन्या माताका द्रव्य पाती है, इसलिए अपका पुत्र (अर्थात् दोहिता) उसके पिताका द्रव्य लेता है ॥ ३३ ॥

पीत्रदौहित्रयोर्मध्ये भेदोऽस्ति न हि क्षेत्र ।

तयोर्देहेन सम्बन्धं पित्रोर्देहस्य सर्वधा ॥ ३४ ॥

अर्थ—पीत्र और दोहिता (कन्याका पुत्र) में कुछ भेद नहीं है । इन दोनोंके शरीरोंमें माता पिताके शरीरका सम्बन्ध है ॥ ३४ ॥

विद्वाहिता च या कन्या चेन्मृताऽपत्यवर्जिता ।

तदा तदयुम्नज्ञातस्याधिष्ठितस्तप्तिर्भवेत् ॥ ३५ ॥

अर्थ—च्याही हुई कन्या जो सन्तान दिना मर जावे तो उसके धनका मालिक उसका पति है ॥ ३५ ॥

विभागोक्तरज्ञातस्तु पुत्रः विवेशभाग भवेद् ।

नापरेभ्यस्तु आत्मयो विभक्तेभ्योऽशमालुपद् ॥ ३६ ॥

अर्थ—शैट दो जानेके पश्चात् जो पुत्र उत्पन्न हो यह पिताका हिस्सा पाता है । और अपने जुदे भाइयोंमें हिस्सा नहीं पा सकता है ॥ ३६ ॥

पितृसूर्ध्वं विभक्तेषु पुत्रेषु यदि सोदरः ।

जायते दद्विभागः च्यादादव्यविद्योपिषेठ ॥ ३७ ॥

अर्थ—बैंटके पश्चात् पिता मर जावे और फिर एक और आई जन्मे जो बैंटके बक्त पेटमें था तो वह जायदादमें बासकरी व खर्चका हिसाब लगाकर भाग पाता है ॥ ३७ ॥

त्राहणस्य चतुवर्णः स्त्रियः सन्ति तदा वसु ।

विभज्य दशधा तज्जन् चतुखिद्वयंशभागिनः ॥ ३८ ॥

अर्थ—यदि किसी त्राहणकी चार स्त्री चार वर्णकी हों तो उसके धनके १० भाग करने चाहिए और उनमें से त्रहणीके पुत्रको ४ क्षत्रियोंके पुत्रको ३ वैश्याणीके पुत्रको २ भाग देने चाहिए ॥ ३८ ॥

कुर्यात्पिता वशिष्टं तु भागं धर्मं नियोजयेत् ।

शूद्राजातो न भागहो भोजनांशुक्लमंतरा ॥ ३९ ॥

अर्थ—शेषका एक भाग धर्म-कार्यमें लगा देना चाहिए। शूद्रा स्त्रीका पुत्र रोटी कपड़ेके अतिरिक्त माग नहीं पा सकता है ॥ ३९ ॥

क्षत्राजातः सर्वण्यामर्थंभागी विशात्मजाव ।

जातस्तुर्यंशभागी स्याच्छूद्रोत्पन्नोऽप्नवस्त्रभाक् ॥ ४० ॥

अर्थ—क्षत्रिय पिताके क्षत्रिय स्त्रीके पुत्रको पिताका आधा और वैश्य स्त्रीके पुत्रको चौथाई धन मिलेगा। उसका शूद्रा स्त्रीसे उत्पन्न हुजा पुत्र केवल भोजन और वस्त्रका ही अधिकारी होगा ॥ ४० ॥

वैश्याजातः सर्वण्यां पुत्रः सर्वपतिर्भवेत् ।

शूद्राजातो न दायादो योश्यो भोजनवाससाम् ॥ ४१ ॥

अर्थ—चेष्टा पिताका सर्वण स्त्रीका पुत्र पिताका सर्व धन लेता है। उसका शूद्रा स्त्रीका पुत्र वारिस नहीं है, अतः वह केवल भोजन वस्त्रका आधिकारी है ॥ ४१ ॥

वर्णत्रये कदा दासीवर्णशूद्रात्मजो भवेत् ।

जीवत्तातेन यत्तस्मे दत्तं तत्तस्य निश्चनम् ॥ ४२ ॥

मृते पितरि तत्पुत्रैः कार्यं तेषां हि पालनम् ।
निवधश्च तथा कार्यस्तात्तं येन स्मरेद्धि सः ॥ ४३ ॥

अर्थ—तीन (उच्च) वर्णों के पुरुषोंके पास वैठी हुई शूद्र वर्णकी स्त्रीसे जो पुत्र उत्पन्न हों उसको पिता अपने लीबन-ज्ञालमें जो कुछ दे उसके बहु निश्चय मालिक होंगे । पिताके मरे पीछे उक्त शासीपुत्रोंके तिर्चाइके लिए वन्दोवस्त वर देना चाहिए जिससे कि वह पिताको याद रखें ॥ ४२-४३ ॥

शूद्रस्य स्त्री भवेच्छूद्रा नान्या तज्जातसूनवः ।
यावन्तस्तेऽखिला नूनं भवेयुः समभागिनः ॥ ४४ ॥

अर्थ—शूद्र पुरुषकी स्त्री शूद्रा होती है अन्य वर्णकी नहीं होती । उस स्त्रीके पुत्र पिताके धनमें वरावर भागके अधिकारी होंगे ॥ ४४ ॥

दास्यां जातोऽपि शूद्रेण भागभाकु पितुरिच्छया ।
मृते तातेऽर्धभागी स्यादूढाजो भ्रातृभागवः ॥ ४५ ॥

अर्थ—शूद्रसे दासीके पेटसे जो पुत्र जन्मे उसको पिताके धनपा पिताके इच्छानुसार भाग मिलता है । और पिताके गरनेके आद बहु विवाहिता धीधीके पुत्रसे आधा भाग प्राप्तेता अधिकारी होता है ॥ ४५ ॥

जीडनाशाविनिर्मुक्तः पुत्रयुक्तोऽभाव एवः ।
सपत्नीषः स्वरक्षार्थमधिकारपदं नरम् ॥ ४६ ॥

दत्तवा लेखं सनामाहूँ राजाहासाविनिरुतम् ।
कुलीनं धनिनं गान्यं स्थापयेद स्त्रीमनोऽनुगम् ॥ ४७ ॥

प्राप्याधिकारं पुरुषः परासौ वृहनामहे ।

भवेष्टप्रतिकूलश्च मृतवध्वा: कथंचन ।

तदा सा विधवा सद्यः कृतन्म तं मदाकुलम् ॥ ४९ ॥

भूपाङ्गापूर्वकं कृत्वा स्वाधिकारपदच्युतम् ।

नरैरन्यैः स्वविश्वरतैः कुलरीति प्रचालयेत् ॥ ५० ॥

अर्थ— ऐसा शख्स जिसको रोगके बढ़ जानेसे जीनेकी आशा न रही हो चाहे वह पुत्रवान् हो अथवा न हो, परन्तु उसके हो, वह अपने धनकी रक्षाके लिए ऐसे व्यक्तियों जो कुछीन और द्रव्यवान् हो एक लेख द्वारा जिस पर राजाकी आङ्गा हो और गवाहोंकी साक्षी हों रक्षक नियत करे। स्वामीकी मृत्यु पश्चात् यदि वह रक्षक उसके द्रव्यको खा जाय या नष्ट करे अथवा उसकी विधवाके प्रतिकूल हो जावे तो वेवाको चाहिए कि तत्काल राजाकी आङ्गा लेकर ऐसे विश्वासपात्र कृतन्म पुरुषको अधिकाररहित कर किसी अपने विश्वासपात्र दूसरे मनुष्यसे कुलरीत्यानुसार काम लेवे ॥ ४९—५० ॥

तद्द्रव्यमतियत्नेन रक्षणीयं तया सदा ।

कुटुम्बश्य च निर्वाईस्तन्मिषेण भवेद्यथा ॥ ५१ ॥

सत्यौरसे तथा दत्ते सुविर्नातेऽथवासति ।

कार्ये सावश्यके प्राप्ते कुर्यादानं च विक्रयम् ॥ ५२ ॥

अर्थ— उस (विधवा) को द्रव्यकी बड़े यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाचित है। जिससे उसकी (विधवाकी) चतुराईसे कुटुम्बका पालन हो। और स पुत्र हो अथवा विनयवान् दत्तक पुत्रके होते हुए और पुत्रके अभावमें भी वह विधवा खो आवश्यकताके समय पतिके धनमेंसे दान कर सकती है जो वेच सकती है ॥ ५१—५२ ॥

भ्रष्टे नष्टे च विहिते पत्यौ प्रब्रजिते मृते ।

तस्य निःशेषवित्तस्याधिष्ठा स्याद्वर्वणिनी ॥ ५३ ॥

अर्थ—पति लापता हो जाय या मर जाय या बाला हो जाय या दीशा लेकर त्यागी हो जाय तो उसके सब घनवी रकामिनी उसकी स्त्री होगी ॥ ५३ ॥

कुटुम्बपालने शक्ता ज्येष्ठा या च कुचलना ।

पुत्रस्य सत्वेऽपत्वे च भ्रष्टवत्मादिकारिणी ॥ ५४ ॥

अर्थ—कुटुम्बका पालन प्रत्यनेमें समर्थ एही विधवा, पुत्र हो तब भी और न हो तब भी, पतिके घनवी उसके ही दुल्हन अधिकारिणी होती है ॥ ५४ ॥

आतुर्व्यं तदभावे तु रब्दकुटुम्बस्तमन्तं तथा ।

असंकृणं संकृतं च तदसत्वे मुनादुनम् ॥ ५५ ॥

वंधुजं तदभावे तु तमिषानति गोत्रवृक्ष ।

तस्यासत्वे लघुं सप्रवर्पसांयं तु देवदम् ॥ ५६ ॥

दिधष्टा रब्दौरसाभावे गृहीत्वा दत्तरीनिनः ।

अधिकारपदे भर्तुः स्थापयेत्पञ्चसादितः ॥ ५७ ॥

अर्थ—ओरत पुत्रके अभावमें विधवाएँ आठिंवे दि वट पांच साक्षियोंके समक्ष दत्तक विधिके कानूनात इन्हें पुत्र गोद लेकर उसहो अपने घनवा रखायी गयाये । प्रदम भनाउंहे भाईदा पुत्र, यदि वह न हो तो पतिके कुटुम्बका पालक पर्हे वहके संस्कार द्वारा एही पाहे नहीं, यह भी न हो यो निज वस्त्राता पव (दोहिता), फिर विसी रान्धुपा पुत्र, उपके शाद विहे गोदवा कोई लड़का, उसके अभावमें यार बर्द्धी राजता देखत इनका पुत्र घनाया जा सकता है ॥ ५८—५९ ॥

अर्थ— दत्तक पुत्र गोद क्लेनेवाले माता पिताकी सेवामें तत्पर हो और भक्तियुक्त बिनयवान् हो तब औरसके समान समझा जाता है ॥ ५८ ॥

अग्रजा मनुजः खी वा गुहो यद्यदि दत्तकम् ।

तदा तन्मातृपित्रादेलेख्यं बध्वादिसाक्षियुक्त ॥ ५९ ॥

राजमुद्रांकितं सम्यक् कारयित्वा कुटुम्बजान् ।

ततो ज्ञातिजनांश्चैचाहृय भक्तिसमन्वितम् ॥ ६० ॥

सधवा गीतनूर्यादिमंगलाचारपूर्वकम् ।

सत्वा जिनालये कृत्वा जिनाप्रे स्वस्तिकं पुनः ॥ ६१ ॥

प्राभृतं च यथाशक्ति विधाय स्वगुरुं तथा ।

गत्वा दत्तवा च सदानं व्याघ्रुद्वय निजमन्दिरम् ॥ ६२ ॥

आगत्य सर्वलोकेभ्यस्तांवूलश्रीफलादिकम् ।

दत्तवा सत्त्वार्थस्थादीत् वस्त्रालं शायरणादिभिः ॥ ६३ ॥

आहूतस्वीयगुरुणा कारयेऽज्ञातकर्म सः ।

ततो जातोऽस्य पुत्रोऽयमिति लोकैनिंगद्यते ॥ ६४ ॥

अर्थ—निःसंतान (अपुत्र) पुरुष वा खी किसी बालकको दत्तक पुत्र बनावे तो उसके कुटुम्बीजनोंकी गवाही करावें और राजाकी मुहर करा ले । और भक्तिपूर्वक बन्धुजन तथा अन्य सम्बन्धियोंको बुलावे । सुहागिनी स्त्रियां मंगलगान करें तथा अन्य प्रकारके मंगलकार्य हों, बाजा बजाते गाते जिनालयमें जायें और भगवान्के सम्मुख स्वतिक रखकर यथाशक्ति द्रव्य भेट छढ़ा स्वगुरुकी बन्दना कर सुपात्रोंको दान दे । फिर घर आये एकत्रित हुए बन्धुजनोंके सम्मानार्थ ताम्बूल और श्रीफल तथा निज भगिनियोंको बख्तामूषण दे सत्कार करे । अपुत्रे गुरुको बुलाकर उससे विधि-

पूर्वेक जानिकर्म करावे । किर वह प्रविष्ट होता दि वह पुन
इनका है ॥ ६४-६५ ॥

तदेवापणभृत्युप्रमप्रभुनिर्ममु ।

अधिकारमवाप्नोति राजार्थ्येऽदर्थं पूनः ॥ ६६ ॥

अर्थ—इस पर (दत्तक पुन्र) दुष्टत, पृथ्वी, मरण, गर्भ
आदिके कामोंमें अधिभार प्राप्त करता है ॥ ६५ ॥

स्वर्णाद्यर्थोत्तमोत्तमो तुर्यगार्दी भवत्यति ।

भोजनाशुद्धानार्दी असदर्थात्मनेत्यतः ॥ ६६ ॥

अर्थ—दत्तक पुन्र जिये पश्चात् सर्वर्ण सर्वमें लौग्न पुन्र
उत्तमा हो तो दत्तको खीर्यार्दी भाग मिले, परन्तु उत्तर उत्तरी
खीर्यमें पुन्र जन्मे तो वह केवल भोजन बनाता हो अधिकारी
होता है ॥ ६६ ॥

नोट—यहाँ वाँडा मन्त्र के इन चूम दशादे मिलित होता
है जब-हि वैश्य रित के वैश्य और शूद्रा हो गयी ही मिलते
हैं । अब यदि वैश्याश्वर्ये पुन्र उत्तम हो तो दत्तको १ भाग
कुरु भनता मिलेगा । श्रेष्ठ सब खीर्यमें पुन्र पाएंगा । जीर्द जो
शूद्रासे हो तो वह दत्तक सर्व सम्पत्ति पाएंगा ।

गुणिते दत्तके जाने और सार्वार्द्ध दत्त्यगम् ।

दत्ताप्यभवत्यति नहि दत्ताग्न र्वद्यता ॥ ६७ ॥

अर्थ—यदि किमीते दत्तक पुन्र के हितो हो तो और यह
और स पुन्र उत्तम हो तो एगड़ी वैश्यनेता अधिकारी लौग्न
पुन्र हो दोगा । दत्तक पुन्र हो पगड़ी वैश्यनेता र्वद्यता अधिकार
नहीं है ॥ ६७ ॥

तूर्यगंगी प्रदायैष दत्तः पार्णः पृष्ठकृ गदा ।

पूर्वमेव प्लीपवन्धे यो जातः स समाप्तमातु ॥ ६८ ॥

अर्थ—इस समय दत्तक पुन्रको खीर्यार्दी भाग देखत अलग
कर देता चाहिए । यदि दत्तक पुन्रको पहिले पगड़ी खीर्द ही गर्भ

हो और उसके बाद औरस पुत्र उत्तराश हो तो औरस पुत्र उसके समान अधिकारका भागी है ॥ ६८ ॥

औरसो दत्तश्चैव मुस्यौ क्रीतः सहोदरः ।

दौहित्रश्चेति कथिताः पञ्चपुत्रा जिनागममें ॥ ६९ ॥

अर्थ—औरस और दत्तक यही देनों मुख्य पुत्र होते हैं; मोलका लिया, सहोदर, दौहिता यह गौण हैं यही पाँच प्रकारके पुत्र हैं जो जिनागममें वहे हैं ॥ ६९ ॥

धर्मपत्न्यां समुत्पन्न औरसो दत्तश्चस्तु सः ।

यो दत्तो मातृपितृभ्यां प्रीत्या यदि कुटुम्बज्ञः ॥ ७० ॥

क्रयकीतो भवेत्कीतो लघुश्राता च सोदरः ।

सौतः सुतोऽद्वश्चेति पुत्रा दायहराः स्मृताः ॥ ७१ ॥

अर्थ—जो अपनी धर्मपत्नीसे उत्तराश हुआ हो वह औरस वहलाता है; और जो अपने कुटुम्बमें उत्तराश हुआ हो और उसके माना पिताने प्रेमपूर्वक दे दिया हो वह दत्तक पुत्र वहलाता है। जो मूल्य देकर लिया हो वह क्रात ह। छोटा भाई सहोदर है। पुत्रीका पुत्र सौत (दौहित्र) है। ये पाँच प्रकारके पुत्र उत्तराधिकारी (धनके भागीदार) कहते हैं ॥ ७०-७१ ॥

पौनर्भवश्च कानीनः प्रच्छुष्णः क्षेत्रजस्तथा ।

कृत्रिमश्चोपविद्वश्च दत्तश्चैव सहोटजः ॥ ७२ ॥

अप्यावमी पुत्रकल्पा जैने दायहरा नहि ।

मतान्तरीयशास्त्रेषु कलिपताः स्वार्थसिद्धये ॥ ७३ ॥

अर्थ—ऐसी स्त्रीका पुत्र जिसका दूसरा विवाह हुआ हो, कन्याका पुत्र, छिनालेका पुत्र, नियोगसे पैदा हुआ पुत्र (क्षेत्रज), जिसे लेकर पाला हो (कृत्रिम), त्यागा हुआ बालक, जो स्वयं आ गया हो, मात्राके साथ (विवाहके प्रहलेके गर्भके फल-स्त्ररूप)

आया हुआ पुत्र, इनमेंसे कोई भी जैन यत्क्रमुकार दायके अधिकारी नहीं है। अन्य सतके यत्क्रमें इनकी शायदीपुत्र माना है ॥ ७२—७३ ॥

पत्नी पुत्रश्च अनुव्याः सप्तिष्ठत्र हुदितः ।
वन्धुज्ञो गोत्रजत्रैव व्यामी व्यादुत्तरोत्तम् । ७४ ॥
तदभावे च यातीयाभवभावे भद्रोमुत्ता ॥
तद्वन सफलं कार्यं धर्ममर्मं प्रदय च ॥ ७५ ॥

अर्थ—लो पुत्र, भाईका पुत्र, यत्क्रम वही नहीं वर्गज, दोहिता, वन्धुका पुत्र, गोत्रज, और इनके अभावमें हात्या: वह क्रमशः एक दूसरेके धरणावर्में उत्तरोत्तर दायमानी हींगे। इन सबके अभावमें राजा मृत्युके धनदो दिमी धर्मार्थमें हमार सफल बना दे ॥ ७४ - ७५ ॥

प्रतिकृता कुशीला च निर्वात्या दिव्यस्थिति ॥
उयेप्रदेवरतत्पुत्रैः कृत्वाऽन्नदिनिष्टम्यतम् ॥ ७६ ॥

अर्थ—यदि दिव्यवा कुशाभ्यके प्रतिकृत उपनेत्रालो और कुशीला है तो उसके पदिकं भाई भतीजीं यहिए हि उसके गुजारेका प्रश्नाभ परके उसकी प्रसन्नि निराम है ॥ ७६ ॥

कुशीलाप्रज्ञमः पोष्या योगितः स्माप्युत्तमः ।
प्रतिकृता च निर्वात्या दुःखाला दयमित्यापि ॥ ७७ ॥

अर्थ—जो छिंगं कुशील दो हितका आनन्द लगाता ही और जिनके दोही सन्नाम न हों ऐसी मिथ्योंसा प्रबन्ध प्राप्त दरना चाहिए। जो दयमित्यापितो है, उसे उपनामी है और प्रतिकृत है उन्हें निराम देना चाहिए ॥ ७७ ॥

भूत वेशादिविक्षिप्तायुपद्यापिसमन्वया ।
यातादिदूषिताला च सूर्योदायस्तुरापितः ॥ ७८ ॥

मदान्धा स्मृतिहीना च धनं स्वीयं कुटुम्बदम् ।
 त्रातुं नहि समर्था या सा पोष्या व्येष्टिदेवरैः ॥ ७९ ॥
 भ्रातृजैश्च सपिङ्गैश्च बन्धुभिर्गोत्रजैस्तथा ।
 ज्ञातिजै रक्षणीयं तद्वनं चातिप्रयत्नतः ॥ ८० ॥

अर्थ—भूतादिक बाधाके कारण जो विधवा वावली हो, जो अत्यन्त रोगी हो, जो फालिजके रोगमें मुक्तिला हो, गृही व अन्धी हो, जो साफ साफ बेल नहीं सकती हो, जो मानके मदसे उन्मत्त हो, जो स्मरण शक्तिमें असमर्थ हो और इस कारण अपने कुटुम्ब व धनकी भी रक्षा न कर सके, ऐसी खोके धनकी रक्षा कमपूर्वक उसके पतिके भाई, भतीजे, सात पीढ़ी तकके वंशियोंको तथा चौदह पीढ़ी तकके वंशियों तथा और जातिबालोंको यत्नपूर्वक करनी चाहिए ॥ ७८-८० ॥

यच्च दत्तं स्वकन्यायै यज्ञामातृकुलागतम् ।
 तद्वनं नहि गृहीयात् कोऽपि पितृकुलोद्धवः ॥ ८१ ॥
 किन्तु त्राता न कोऽपि स्यात्तदा तातधनं तथा ।
 रक्षेत्स्या मृतौ तच्च धर्ममार्गे नियोजयेत् ॥ ८२ ॥

अर्थ—जो द्रव्य कन्याको (खुद) दिया हो या जो उसको उसकी ससुरालसे मिला हो उसको कन्याके मैकेबालोंको नहीं लेना चाहिए । किन्तु यदि उसका कोई रक्षक न रहे तो उस समय उस पुत्रीकी तथा उसके धनकी रक्षा करे और मरनेपर उस धनको धर्म-मार्गमें लगा देवे ॥ ८१-८२ ॥

आत्मजो दत्रिमादिश्च विद्याभ्यासैकतत्परः ।
 मातृभक्तियुतः शान्तः सत्यवक्ता जितेन्द्रियः ॥ ८३ ॥
 समर्थो व्यसनापेतः कुर्याद्रोतिं कुलागताम् ।
 कतुं शक्तो विशेषं नो मातुराज्ञा विमुच्य वै ॥ ८४ ॥

अर्थ—ओरस हों चाहे दक्षक पुत्र हों जो दिन ध्याममें
तत्पर हों, माताजी भक्ति दरनेवाले हों, शनिवित हों, सभ
चोटनेवाले चितेन्द्रिय हों, इनवो चाहिए कि अपनी उक्त्यनुभाव
कुलामानायके अनुकूल काम करें; परन्तु उनको शोष चिराय शर्ये
माताजी आव्वाका उल्लङ्घन करके दरनेसा अधिकार नहीं
है ॥ ८३-८४ ॥

पितुर्मातुर्द्वयोः सत्वे पुत्रैः चतुर्व न शक्यते ।

वित्रादिवन्तुजातानां सदथा द्राजविक्षये ॥ ८५ ॥

अर्थ—माता पिता दोनोंके जीवने पुत्र भित्रै धनदो यान
नहीं दर लवता है और न बेच सकता है ॥ ८५ ॥

पितृभ्यां प्रतिकृतः स्यात्पुत्रो दुष्टर्मनोपनः ।

जातिधर्माचारभष्टेऽयण व्यमनवन्वरः ॥ ८६ ॥

न वोधितोऽपि सद्वाक्यैसत्यज्ञेददुर्भवति चर्दि ।

तदा तदूरुच्चमाल्याय जातिराज्यापिश्चारितम् ॥ ८७ ॥

तदीयतां गृहीत्वा च सर्वैः कार्यैः गृहाप्रदिः ।

तस्माभियोः पुत्रापि ग्रीतुं योग्यो न वर्तिष्ठित ॥ ८८ ॥

अर्थ—पापके उदयसे यदि पुत्र माता पिताजी आहा न स ने
और कुटुम्बी मर्यादके दिलाक लगे या दुराधारी हो ऐर
गामतेसे समझनेपर युते आदर्शेषों नहीं हों जो साजा ऐर
कुटुम्बके सोगोंसे फरयाद फरयाद करनी आहासे उपर्योग नसे
निकाल देना चाहिए । फिर उसकी भितायत एही नहीं युक्ती जा
सकेगी ॥ ८६-८८ ॥

पुत्रीकृत्य धापनीयोऽन्यो दिम्बः सुपुर्वद्वादः ।

विधीयते सुवार्थं द्वि चतुर्वर्णेषु सम्भविः ॥ ८९ ॥

अर्थ—उसके भवानमें दिम्बी छान्डे कुरके धावरी धावित
करना चाहिए, क्योंकि सब एगोनि सुखान सुखडे दिव ती
द्वौती है ॥ ८९ ॥

परिव्रज्या गृहीतैकेनाविभक्तेषु बन्धुयु ।

विभागकाले तद्वागं तत्पत्ती लातुमर्हति ॥ १० ॥

अर्थ—यदि सब भाई मिलकर रहते हैं और उनका विभाग नहीं हूँगा है और ऐसी दशामें यदि कोई भाई दीक्षा ले ले तो विभाग बरते समय उसके भागकी अधिकारिणी उसकी स्त्री होगी ॥ १० ॥

पुत्रस्थीवर्जितः कोऽपि मृतः प्रब्रजितोऽथवा ।

सर्वे तद्भ्रातरस्तस्य गृहीयुस्तद्वन्नं समस् ॥ ११ ॥

अर्थ—जो पुरुष पुत्र या स्त्रीको छोड़े विना मर जाय अथवा साधू हो जाय तो उसका धन उसके शेष भाई व भाईके पुत्र सम भाग बाँट ले ॥ ११ ॥

उन्मत्तो व्याधितः पंगुः पंढोऽन्धः पतितो जडः ।

स्त्रस्ताङ्गः पितृविद्वेषी मुमूर्पुर्वधिरस्तथा ॥ १२ ॥

मूर्वश्च म तृविद्वेषी महाकोधी निरिन्द्रियः ।

दोषस्त्वेन न भागार्हाः पोपणीयाः स्वभ्रूभिः ॥ १३ ॥

अर्थ—पागल, (असाध्य रोगका) रोगी, लंगड़ा, नपुंसक, अन्धा, पतित, मूर्ख, कोही, अङ्गहीन, पिताका द्वेषी, मृत्युके निवट, चहरा, मूक (गूँगा), मातासं द्वेष करनेवाला, महाकोधी, इन्द्रियहीन, ऐसे व्यक्ति भाग नहीं पा सकते । केवल और भाई उनका पालन-पोषण करेंगे ॥ १२-१३ ॥

एषां तु पुत्राः पत्न्यश्चेच्छुद्वा भागमवास्तुयुः ।

दोषस्यापगमे त्वेषां भागार्हत्वं प्रजायते ॥ १४ ॥

अर्थ—यदि ऐसे दूषणोंवाले व्यक्तिके पुत्र तथा स्त्री दोषरहित हों तो उनका भाग उनको मिलेगा और यदि वे स्वयं दोषरहित हो गये हों तो भागकी योग्यता पैदा हो जाती है ॥ १४ ॥

विवादितोऽपि चेद्दत्तः पितृर्थ्या प्रतिकृतमाद् ।

भूपाद्वापुर्वकं स्मौ निःसार्थो जनमाक्षितः ॥ ९५ ॥

अर्थ— चिवाह विचे पश्च भी दत्त एव नाता इति के प्रतिकृत चले तो उपका तत्काल राजा की आद्वा लेकर गवाई दी माक्षिरे निकाल देना चाहिए ॥ ९५ ॥

पैतामहं दग्धुजानः दत्तुं शक्तो न क्लेऽपि दि ।

अनपृच्छय निर्वाणं पत्नीं पुमाद् भावाणं च च ॥ ९६ ॥

अर्थ— अपनी स्त्रीं, पत्र, भानाके पूर्वे विना दोहं पुरा दादाकी मम्पत्ति दियीको दे नहीं सकता ॥ ९६ ॥

पितामहार्तिते द्रव्ये निवन्धे च तथा गुदि ।

पितुः पुत्राय स्वामित्वं स्मृतं साक्षण् चतः ॥ ९७ ॥

अर्थ— जो द्रव्य पितामहा (पिताके सिनादा) अमाया होता है वह जाहे जड़म हो वा रथावर दस्यवर पिता ये पुत्र इन्हीं समान अधिकार हैं ॥ ९७ ॥

जातेनैकेन पुत्रेण पुत्रस्योऽविनाः दिशः ।

अन्यवस्था अपत्राया सूर्यो च सदर्वं दरेत् ॥ ९८ ॥

अर्थ— एक स्त्री के पुत्रया जन्म होनेसे (एहे पुत्रार्थी) मम्पूर्ण स्त्रियों पुत्रवती भगती जाती है। अब इनसे पूर्वि कोई स्त्री सर जाय और उपरो पुत्र न हो तो तो उससा इन्हें थही पुत्र ले ॥ ९८ ॥

पैतामहो च पौत्राणां भागः ग्युः पितृर्थ्याय ।

पितुर्द्रव्यय तेषां तु स्तेष्या भागददत्तः ॥ ९९ ॥

अर्थ— पितामह (दादा) के द्रव्यमें उपर्युक्त स्त्रिया या पोतोंको दिशा मिलता है और अर्थात् जर्खने दिनांक द्रव्यमें पोते जितने हाँ समान भाग पाते हैं ॥ ९९ ॥

पुत्रत्वेकम्य संजातः सोदरेपु च भूरिपु ।

तदा तेनैव पुत्रेण ते सर्वे पुत्रिणः स्मृताः ॥ १०० ॥

अर्थ— एकसे अधिक भाइयोंमेंसे यदि एक भाईके भी पुत्र उत्पन्न हो तो उसके कारण सकल भाई पुत्रवान होते हैं ॥ १०० ॥

अविद्यक्तं क्रमागातं श्वशुर वं नहि प्रभुः ।

कृत्ये जिजे व्यवीक्तुं सुतसम्मतिमंतरा ॥ १०१ ॥

अर्थ— परम्परासे चली आई ससुरेशी सम्पत्तिको अपने पुत्री सम्मति विना मृतक लड़केशी विधवाको अपने दार्यमें खर्चनेका अधिकार नहीं है ॥ १०१ ॥

विः क्ते तु व्यय कुर्याद्विर्गादिपु यथारुचि ।

न्त्यत्यपि मूनौ तस्य वतुं शक्ता तद्व्ययम् ॥ १० ॥

१. वीर्यात्रं गृहीयात्तद्व्ययस्य चासिषतः ।

प्रस्त्रेऽधिकारं सर्वत्र द्रव्ये व्यवहृतौ सुतः ॥ १ ३ ॥

अर्थ— स्वामीके भागमें जाये पश्च त स्त्री अपनी इच्छानुसार धर्मादिक और अन्य कार्योंमें व्यय कर सकती है । परन्तु यदि पति वाटेके पहिले ही मर गया हो तो वह केवल गुजारे मात्रके लिए उसकी जायदादको आमदनीके लेनेका हक रखती है । खर्चे खरनेका नहीं; शेष सब द्रव्यका अधिकारी पुत्र ही है ॥ १०२-१०३ ॥

नोट— यह नियम वहाँ लागू होगा जहाँ वाचा जीवित है और सृतक लड़केका लड़का जीवित है । नियम यह है कि अगर सृतक पुत्रको वाचाने हिस्सा देकर पृथक् कर दिया था तब विधवा उसकी वारिस होगी; नहीं तो जन् उसका पति अपने जीते जी विसी वस्तुका मालिक नहीं था तो वह किसी वस्तुही अधिकारिणी न होगी । क्योंकि वाचाके होते हुए उसके पतिका जायदादमें कोई अधिकार नहीं था ।

तथापीशो व्ययं पर्तुं न द्यंवानुमति विजा ।
सुते परामी तत्त्वत्त्वी भर्तुधंतटरी भृता ॥१०४॥

गदि ना शुभश्रीला च्छि श्रद्धनिर्देशनादिली ।
कुदुष्पालने शक्ता ग्वधर्मनिरता रुदा ॥१०५॥

जर्थ—कोई भी पुत्रको साताढ़ी मन्मति विजा गर्दै एतना उचित नहीं है। परन्तु उसके मरने पर उम्ही को भर्ताके धनवी स्वामिनी होगी। अगर वह सुशीला जात्तावत् इदुष्पालनमें तत्पर और ग्वधर्मानुगमिती है ॥ १०४—१०५ ॥

सानुक्रला च मर्वेषां स्वामिपर्वंकर्मदिवा ।
श्रद्धप्रया च मर्वेषु विजयाननदमन्त्रा ॥१०६॥
नहि सापि व्ययं कर्तुं समर्था तद्वत्तम्य च ।
निजेन्नक्षया निजां श्रद्धमनापृच्छय च कुव्रदितु ॥१०७॥

जर्थ—गदि उक्ता विधवा इदुष्पालीके लक्षण है, भर्ताकी दयाकी मेवक है, सामुदा लादर फरनेवाली है तो वो भासी आज्ञा (मन्मति) विजा अपने पतिरा इव्य गर्व नहीं हो गरनी है ॥ १०६—१०७ ॥

जोट—ये दोनों श्रेष्ठ पितृके दोनों श्रेष्ठ उपर्युक्त १०६—१०७ के सध मिलकर व्यानदानके लिये एक उमडा व्यया गायग फरने हैं जो बास्तवमें पेश्व एदृशा (अप्तन् अप्तम्) है।

अगुरम्यापिते इव्ये श्रद्धा श्वेडप्रा व्यया ।
नाधिदारमदाप्तोति गृहस्यक्षादनमन्त्रा ॥१०८॥

जर्थ—जिस विधवाकी सामुदीदित दो उमडों समर्वेष भवत्यै केवल भोजन वस्त्रा अधिकार है, विद्युप दायवा नहीं ॥ १०८ ॥
दत्तगृदादिकं सर्वं कार्यं श्रद्धमनाऽसुगम् ।
करणीयं सदा व्यव्या श्रद्धा मातृमना यतः ॥१०९॥

अर्थ—उक्त विधवा सासुके इच्छानुकूल सौंपा हुआ घरका कार्य उसकी प्रसङ्गताके लिये करती रहे, क्योंकि सासु माता समान होती है ॥ १०९ ॥

गृहीयाहत्तकं पुत्रं पतिवद्विधवा बधूः ।

न शक्ता स्थापितुं त च श्वशूनिंजपतेः पदे ॥ ११० ॥

अर्थ—विधवा वहुको दत्तक पुत्र अपने पतिकी तरह लेना चाहिए । सासु अपने पतिके स्थान पर किसीको दत्तक स्थापन नहीं कर सकती ॥ ११० ॥

स्वभर्त्रोपार्जितं द्रव्यं श्वशूश्वशुर इस्तगम् ।

विधवाप्तुं न शक्ता तत्त्वामिहत्ताधिपैव हि ॥ १११ ॥

अर्थ पतिके निजी धनमेंसे जो द्रव्य सासु श्वशुरके हाथ लग चुका है उसको विधवा वहु उनसे वापिस नहीं ले सकती । जो कुछ पतिने उसको अपने हाथसे दिया है वही उसका है ॥ १११ ॥

नोट—जो कुछ पतिने अपने पिता माताको दे डाला है उसकी मृत्यु पश्चात लौटाया नहीं जा सकता ।

अपुत्रपुत्रमरणे हद्रद्रव्यं लाति तद्वधूः ।

तन्मृतौ तस्य द्रव्यस्य श्वशूः स्यादधिकारिणो ॥ ११२ ॥

अर्थ—जो पुत्र सन्तान बिना मरे उसका द्रव्य उसकी विधवाको मिले, और उस विधवा वहुकी मृत्यु हो जाय तब उसका द्रव्य सासु लेवे ॥ ११२ ॥

रमणोपार्जितं वर्तु जंगमं स्थावरात्मवम् ।

देवथात्राप्रतिष्ठ दिधर्मकार्यं च सौहृदे ॥ ११३ ॥

श्वशूष्टवे नयनीवतुं शक्ता चेद्विनयान्विता ।

कुरुम्बन्य श्रिया नारी वर्णनीयान्यथा नहि ॥ ११४ ॥

अर्थ—पतिकी उपार्जित की हुई जङ्गम स्थान वासी
देववाचा प्रतिष्ठादिक धर्मकार्योंमें लगाने, वर्षने और छुट्टवी-
जनोंको दान देनेके लिए विधवाओं अधिकार है, अगर वह
विनयवान् व प्रशंसापात्र, वर्वप्रिय आदि गुणाली हो, अन्यथा
नहीं ॥ ११३-११४ ॥

आनपत्ये मृते पत्यो तद्यस्य न्यामिनी वधुः ।

मादि दत्तमनाद्याय र्वपूर्वीप्रेमपाशनः ॥ ११५ ॥

ज्येष्ठादिपुत्रदायादाभावे पञ्चदद्यभागता ।

चेतदा न्यामिनी पुत्री भवेत्पर्यन्धनस्य च ॥ ११६ ॥

तन्मृतो तद्वत् न्यामी तन्मृतो तन्मृतादयः ।

पितृपश्चायलोकानां न द्वि तत्राधिकारिता ॥ ११७ ॥

अथ—जो पुरुष सन्धान रहित मर जाय तो उसके समान
द्रव्यकी उमकी स्त्री मालिक होती । रहि यह स्त्री अपनी पुत्रीके
प्रेमबन्ध किसीको इत्तम् पुत्र न बनावे लौट यह मरा सूखे पाये
तो उसका धन उसके पतिके भतीजे आदिकी उपमितिमें भी
उमकी पुत्रांशो गिरेंगा । उस कल्याके सरे रहे उसका धन,
उसके मरे पीछे उसके पुत्रादिक बारिम दौड़ि । उसके पितृ-
पश्चके लोगोंसा कुछ अधिकार नहीं रहता है ॥ ११८-११९ ॥

जामाता भागिनेयश्च अस्त्रैव वर्धनम् ।

नैवेतेऽत्र दि दायादाः परमोत्तरमनुदयः ॥ १२० ॥

अर्थ—जमाई, भाजना और सामु यह दाय भागिके एकादिरि
अधिकारी नहीं हैं । क्योंकि यह मिथ गोदरे हैं ॥ १२० ॥

साधारणं च यद्यद्वयं तद्वत् ता कोडि गोपयेत् ।

भागयोस्यः स नास्त्येव दण्डनं यो गृष्ण दि ॥ १२१ ॥

अर्थ—भाग करनेयोग्य द्रव्यमेंसे यदि कोई भाई कुछ द्रव्य गुप्त कर दे तो हिम्मेंके अयोग्य होता है। और राजदबारसे दण्डका भागो होगा ॥ ११९ ॥

सप्तव्यसनमंशक्ताः स्वोदरा भागभागिनः ।

न भवन्ति च ते दण्डया धर्मध्रेण सज्जनैः ॥ १२० ॥

अर्थ—जो कोई भाई सप्त कुछसनोंके विषयी हों वे दायभागके भागी नहीं हो सकते, क्योंकि वह सज्जनों द्वारा धर्मध्रष्ट होनेके कारण दण्डके पुत्र हैं ॥ १२० ॥

गृहीत्वा दत्तकं पुत्रं स्वाधिकारं प्रदाय च ।

तस्मादात्मीयवित्तेषु मिथ्या चेऽधर्मकर्मणि ॥ १२१ ॥

कालचक्रेण सेऽनूढश्चेन्सृतो दत्तकस्ततः ।

न शक्ता स्थापितुं सा हि तत्पदे चान्यदत्तकम् ॥ १२२ ॥

अर्थ—यदि किसी निधवा स्त्रीने दत्तक पुत्र लिया हो और उसको अपना समूण द्रव्य देकर खुद धर्मकार्यमें लीन हुई हो और दैवयोगसे वह दत्तक मर जाय तो उक्त विधवा उसी दूसरा दत्तक पुत्र उसके पद पर नहीं बिठा सकती है ॥ १२१-१२२ ॥

जामातृभागिनेयेभ्यः सुतायै ज्ञातिभोजने ।

अन्यस्मिन् धर्मकर्ये वा दद्यात्स्वं रवं यथारुचि ॥ १२३ ॥

अर्थ—वह (सृतक पुत्रकी माता) चाहे तो सृतकके धनको अपने उमाई, भानजा या पुत्रोंको दे देया जातिभोजन तथा धर्म तर्फमें इच्छानुकूल लगा दे ॥ १२३ ॥

युक्तं स्थापयितुं पुत्रं स्वीयभर्तुपदे तया ।

कुमारस्य पदे नैव स्थापनाज्ञा जिनागमे ॥ १२४ ॥

अर्थ—अपने पतिके म्यानपर पुत्र गोद लेनेका उसके अधिकार है; कुमारके म्यानपर दत्तक म्यापित करनेकी ज्ञानागममें अत्र नहीं है ॥ १२४ ॥

विभवा हि विभक्ता चेद्ब्रह्मं कुर्याद्येच्छया ।

प्रतिषेद्वा न कोऽप्यत्र दायादश्च कर्थचन ॥ १२५ ॥

अर्थ—यदि विभवा क्वा जुड़ी हो तो अपना द्रव्य निज इच्छानुसार वय्य कर सकती है; दिसी अन्य दायादसे उसके रोकनेवा अधिकार नहीं ॥ १२५ ॥

अविभक्ता सुतामावे कार्ये त्राप्तप्रेते वा ।

कर्तुं शक्ता रवित्तस्य दातमादि च विक्रम् ॥ १२६ ॥

अर्थ—आवश्यकताके समय अन्य सेव्योंके साथ शामिल रहनेवाली पुत्ररहित विभवा भी द्रव्यज्ञ दान नथा गिर्वी वा घिकी कर सकेगी ॥ १२६ ॥

दाचा कर्त्ता प्रदत्ता चेष्टयोर्भे ततो हरेद् ।

सदण्ड्यो सृभृता दद्यद्वरस्य तद्वनव्यये ॥ १२७ ॥

अर्थ—तो कोई प्राणी अपनी कर्त्ता किसीको देनी करके लोभवश दूसरे पुरुषों देवे तो राजा उसको दण्ड दे और जो उसका गति हुआ हो वह प्रथम पतिको दिच्चा दे ॥ १२७ ॥

कर्त्ताभृती वयं शोध्य देवं पश्य तदनम् ।

मातामहादिभिर्दत्तं तद्गुह्यति सदादरः ॥ १२८ ॥

अर्थ—यदि सगाई किये पाए (और दियादसे प्रथम) कर्त्ता मर जाय तो जो शुल्क उसको दिया गया हो वह चर्च फाटफर (उसको भावी पतिको) लौटा देवे। जो शुल्क कर्त्ताके पास नामा आदिका दिया हुआ द्रव्य हो वह कर्त्ताके सहोदर भाइयोंको दिया जायगा ॥ १२८ ॥

निहुते कोऽपि चेज्ञाते विभागे तस्य निर्णयः ।
लेखयेन चन्द्रुचोकादिसाक्षिभिर्मिश्रर्कर्मभिः ॥ १२९ ॥

अर्थ—यदि विभाग करनेमें कोई संदेह हो तो उसका निर्णय किस तौरसे होगा ? उसका निर्णय किसी लेखसे, भाइयोंशी तथा अन्य लोगोंकी गवाहियोंसे, और अन्य तरीकोंसे करना चाहिए ॥ १२९ ॥

अविभागे तु भ्रतुणां व्यवहार चदाहृतः ।

एक एव विभागे तु सर्वः संजायते पृथक् ॥ १३० ॥

अर्थ—विना विभाग की हुई अवस्थामें सब भाइयोंका व्यवहार शामिल माना जाता है । यदि एक भाई अलग हो जाय तो सबका विभाग अलग अलग हो जायगा ॥ १३० ॥

भ्रातुवद्विवा मान्या भ्रातु जाया स्ववन्धुभिः ।

तदिच्छया सुनस्तस्य स्थापयेद्ब्रातृके पदे ॥ १३१ ॥

अर्थ—भाईकी विधवाको शेष भाई भाईके समान मानते रहें और उसके इच्छानुसार उसकी लिये दत्तक पुत्रको मृतक भाईके पद पर स्थापित करें ॥ १३१ ॥

यत्किंचिद्वस्तुजातं हि स्वारामाभूषणादिक्षम् ।

यस्मै दत्तं च पितृभ्यां तत्स्येव सदा भवेत् ॥ १३२ ॥

अर्थ—जो आभूषण आदिक माता पिताने किसी भाईकी चसकी ल्ली के लिए दिये हों वह खास उसके होंगे ॥ १३२ ॥

अविनाश्य पितुर्द्रव्यं भ्रतुणां सहायतः ।

हृतं कुलागतं द्रव्यं विना नैव यदुद्धतम् ॥ १३३ ॥

तदुद्धृत्य समानीतं लक्ष्यं विद्यावलेन च ।

प्राप्त मित्राद्विवाहे वा तद्य शौर्येण सेवया ॥ १३४ ॥

अर्जितं येन यत्क्षिचित्तस्यैवाचितं भवेत् ।

तत्र भागद्वारा न स्युरन्ये केऽपि च अत्तरः ॥ १३५ ॥

अर्थ— जो कोई भागदार पिताकी जायदादको व्यय दिये बिना और भाइयोंकी सहायता बिना धन प्राप्त करे, और जो कुछ कोई भाई पितामहके द्रव्यरूप, जो हाथसे निकल गया था और पिताके समयमें फिर नहीं मिल सका था, प्राप्त नहे, और जो कुछ विद्याकी आमदनी हो, या दैस्तोंसे विद्वाटके मौकेपर मिला हो, या जो बहादुरी या नौकरी इरके उत्तरार्जन शिया गया हो वह सब प्राप्त करनेवाले ही का है; उसमें और काई भाई द्वकदार नहीं हो सकता ॥ १३३-१३५ ॥

विद्याहक्षते वा पश्चात्प्रिया भाता च चन्द्रमिः ।

पितृव्यैश्च वृहत्स्वसा पितृप्रस्त्रा तथा परः ॥ १३६ ॥

मातृप्रस्त्रादिभिर्दत्तं तथैव पतिनापि यत् ।

मूर्पणांशुष्पात्रादि तत्सर्वं च धनं भवेत् ॥ १३७ ॥

अर्थ— विद्वाटके समय, अमचा पीछे पिताने, माताने, चन्द्रमिओंने, पिताके भाइयोंने, यहो पितृनने, युधाने, या और स्त्रीलोगोंने, या मौसी इत्यादिने, या पतिने, जो कुछ आभूतग उत्तरादिये लों सो सब खोणन है। उसकी स्वामिनी यही है ॥ १३६-१३७ ॥

विद्याहे यज वितृप्यां धनमाभूपगादिरम् ।

पित्राप्तिमाल्लियं दत्तं तदध्यात्रिहृतं भवेत् ॥ १३८ ॥

अर्थ— विद्वाटके समय भाता-पिताने त्राप्तग तथा उत्तरिके सम्मुख घपना कर्त्याको जो दग्ध-प्राभूपग शिये या सब अप्याप्ति स्त्रीधन है ॥ १३८ ॥

पुनः पितृगृहाद्याऽनीतं यद्मूरपगादिरम् ।

चन्द्रुभातृसमद्वे रथादप्यात्रनिर्व च तद् ॥ १३९ ॥

अर्थ—पुनः विवाह पश्चात् पित्रोंके घरसे ससुरालोंको जाते समय जो कुछ वह भाइयों और कुटुम्बजनोंके समक्ष लावे वह आभूषणादिक सब अध्याहनिक खी-धन कहलाता है ॥ १३९ ॥

प्रीत्य स्तुषायै यदत्त श्वेता च श्वशुरेण च
मुखेश्वणं द्वितमने तद्वनं प्रीतिजं भवेत् ॥ १४० ॥

अर्थ—मुख दिखाई तथा पग पड़नेपर सासु ससुरने जो कुछ दिया हो वह प्रीतिदान खीधन कहलाता है ॥ १४० ॥

पुनर्भ्रातुः सकाश द्यत्प्राप्तं पितुर्गृहात्तथा ।

उद्या स्वर्णरत्नादि तत्स्पादौदिविकं धनम् ॥ १४१ ॥

अर्थ—विवाह पेढ़े फिर जो सोना रत्नादि विवाहित खी अपने भाइयों अथवा मैंकेसे लावे वह आद्यक खी-धन कहलाता है ॥ १४१ ॥

परिकमणकाले यदतां रत्नांशुकादिकम् ।

जायापतिकुरुखीभिस्तदन्वाधेयमुच्यते ॥ १४२ ॥

अर्थ—और परिकमा समय जो कुछ रत्न, रेशमो वस्त्रादिक पतिके कुटुम्बकीलियां व विवाहित खी वा पुरुषसे मिले वह अन्वाधेय खो धन कहलाता है ॥ १४२ ॥

एतद् खीधनमादातु न शक्तः कोऽपि सर्वथा ।

भागा नाहै यतः प्रोक्तं सर्वनीतिविशारदैः ॥ १४३ ॥

अर्थ—उपर्युक्त प्रकारके खीधनको कोई दायाद नहीं ले सकता है । कारण कि सर्वनीतिशास्त्रोंके जाननेवालोंने इनको विभागके अयोग्य घोषिया है ॥ १४३ ॥

धारणार्थमलङ्कारो भैर्वा दत्तो न केनचिव ।

गृह्णः पतिमृतौ खोडिर व्रजेत्खीधनतां यतः ॥ १४४ ॥

अर्थ—जो आमूषण भर्तारने अपनी लंबोंके लिए वनवाप्त परन्तु उनको उसे देनेसे प्रबंध लाप मर गया तो उनको ऐसे हायाद नहीं ले सकता है। क्योंकि वह उनका न बन है ॥ १४४ ॥

व्याख्या धर्मे च दुर्भिक्षे विपक्षी प्रतिरोधके ।

भर्तीनन्यगतिः खोस्वं लात्वा दातुं न चार्टति ॥ १४५ ॥

अर्थ—धीमारीमें, धर्म-कामके लिए, दुर्भिक्षमें, लापके समयमें या वनधनके अवसर पर वहि पतिले पाम और ऐसे महारा न हो जौर वह खो-वनको ले ले हो इसका नीटाता आवश्यक नहीं है ॥ १४५ ॥

सम्भवेदत्र वेचित्यं देशाचारादिभेदतः ।

यत्र यथ्य प्रधानत्वं सत्र तद्वलवच्चम् ॥ १४६ ॥

अर्थ—विविध देशोंके रिकाजोंके कारण वीनिये भेद पाया जाता है। जो रिकाज जहाँ पर प्रयान होता है उटी उटी पर लाग दोगा ॥ १४६ ॥

इत्येवं वर्णितस्तद्र दायभागः समाप्ततः ।

यथाद्युतं विपछिर्द्वियोऽर्हस्त्रीतिश्चाप्नुः ॥ १४७ ॥

अर्थ—इस शीतिसे यहाँ सामान्यतः ज्ञानाद्युतार, जिसा सुना है यैसा, दायभागहा बर्णन किया। इस शीतिये बर्णिये देखना हो तो जैन मतके शीतिशास्त्रोंशे देखना चाहते ॥ १४७ ॥



तृतीय भाग

जैन धर्म और डॉक्टर गौड़का “हिन्दू कोड”

यह बात छिपी हुई नहीं है कि कोई वकील वैग्रहिक आनश्यकता पढ़ने पर मनसूखशुदा नज़ीरें भी पेश करनेमें सँझोच नहीं दरते, किन्तु यह किसीके ध्यानमें नहीं आता कि डॉक्टर गौड़ जैसे उच्च कोटि के कानूनदाँ कानून-गौरव-पद्धतिका ऐना निरादर और अनाचार करेंगे। विज्ञ डॉक्टरने अपने “हिन्दू कोड” में जैन धर्मके विषयमें कितनी ही बतें ऐसी लिखी हैं जो बेवल आश्वर्यजनक हैं और वैज्ञानिक खोज द्वारा सिद्धे सिद्धान्तोंके विरुद्ध हैं। “बह जैतियोंको” हिन्दू डिस्सेन्टर्ज अर्थात् हिन्दू धर्मच्युत भिन्न मतानुयायी कहते हैं, और जैन धर्मको बौद्ध-धर्मका बचा बतलाते हैं।

हिन्दू कोडका ३३१ वाँ पैराग्राफ इस प्रचार है—

“जैन धर्म बौद्ध धर्मसे अधिक प्राचीन होनेका दावा करता है, किन्तु वह उसका दंडा है। वास्तवमें वह बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्मके बीचमेंका व्युत्पन्न मत है, जो उन लोगोंने स्थापित किया है जिनको एक नूतन धर्म स्वीकार नहीं था, और जिन्होंने एक ऐसे धर्मकी शरण लो जिसने अपना पुराना नाता हिन्दू धर्मसे कायम रखा। और बौद्ध धर्मसे उसके धार्मिक आचार विचार ले लिये। समय पाके जैसे जैसे बौद्ध धर्मका प्रभाव भारतवर्षमें कम होता गया, उसकी गिरती हुई महिमा जैन धर्ममें बनी रही, और गिरते गिरते वह हिन्दू धर्मके एक ऐसे रूपान्तरमें परिणत हुआ कि जिसमें उसका स्वत्व मिलकर लोप हो गया।”!

डॉक्टर गोडने किसी एक भी हिन्दू अधिवा दीद गांध द्युगाने प्रथमका उल्लेख नहीं किया है जिसमें जैन धर्मके अध्ययनशास्त्र बर्णित हो और वह ऐसा थोड़ी भी धर्म-दिक्षार द्वा धर्म-आचार नहीं बतला सबतने हैं, जो जैन धर्मने योद्ध धर्ममें दिया द्वे, तथापि उनदो उत्तरुक्त क्लेश दिव्यने हुए बंदोच नहीं हुए।

उनके प्रमाण निम्नलिखित हैं—

- (१) मात्र रुद्रार्द एनिक्सटन् लिखित हिन्दू एनिक्स
- (२) हिन्दुमानकी अदाहरोक्त कुछ जिसमें
- (३) १८८२की वगाल मनुष्य-गणनारी रिपोर्ट प० ८०-८०

विन्तु ये समझालीन लेख नहीं हैं और लगभग तीन-चार वर्षों भी इस बातके निर्णय एकत्री रिपोर्ट नहीं ही नहीं है विजैन धर्म हिन्दू धर्म वा योद्ध धर्मदा सदा ही असह नहीं। उनमेंसे एक फैसलेमें देवल एनिक्सटनके भारत-एग्रिम धर्म हिन्दू लिखित पंक्तियोंकी आवृत्ति यी गई है और यह एवं समाप्तप्रकै रूपमें—

“जान पतना है वि जैनोरी जारनि टमारे (ईस्ट) सद्गुरी छठी वा मातर्दी शतादर्दीमें हुए। जाटी एवं नवी एवं दूसरी एवं बिहारी एवं, ग्यारहवीमि उपति नीम पर पर्वत गढ़े और ग्यारहवीके पीछे उत्तर एवं दक्षिण हुआ।”

यह दिव्यांश निरन्तर प्राचिनत लग्नेप्राचिनोंमा भा. ३३ जैन धर्मके दिव्यमें पट्टन एवं गाम रखते हैं, विन्तु विन्ती अधुनिक न्योज हुए हैं उस सदस्य निर्विदाद दिव्यांश नहीं है कि जैन धर्मदो योद्ध धर्मसी शत्र्या सरप्रता एवं सूक्ष्म थी। इस दिव्यमें योहरीय एवं भारतवर्षीय प्राचिन-दिव्यान्तों एवं योहरीय-कालीमें कुछ भी सर्वभेद वा लग्नत नहीं है।

प्रोफेसर टी० डब्ल्यु० रहिस डेविड्स (Prof T. W. Rhys Davids) अपनी पुस्तक 'बुद्धिस्ट इंडिया' (Buddhist India) में पृष्ठ १४३ पर लिखते हैं—

"भारत इतिहासमें बौद्ध धर्मोत्थानसे पहलेसे अब तक जैन जनता एक संगठित समाज रूपमें रहती आई है।"

एलिफ़स्टनके मतानुसार जैनियोंकी उत्पत्ति ईसाकी छठी शताब्दीमें हुई है, किन्तु रहिस डेविड्सने दिखला दिया है कि जैन शास्त्र ईसासे चौथी शताब्दी पहले पहले लिखे जा चुके थे। बुद्धिस्ट इण्डिया पुस्तकमें पृष्ठ १६४ पर वह लिखते हैं—

"वह शास्त्र वह है जो ईसासे चौथी शताब्दी पहले वन चुके थे जब कि भद्रबाहु समाजके गुरु थे।"

एलिफ़स्टनने तो इतना ही कहा था कि "मालूम पढ़ता है कि जैनियोंकी उपत्ति...इत्यादि" किन्तु डाक्टर गौड़ निश्चयके साथ कहते हैं कि जैन धर्म केवल बौद्ध धर्मका बचा है। "बास्तवमें वह बौद्ध और हिन्दू धर्मोंका समझौता है"।

डाक्टर गौड़ने किस आधार पर एक पुराने युरोपीय विचार-बाले लेखककी सम्मतिको, जो उसने संकुचित और विशेषणात्मक शब्दोंमें प्रकट की थी, बदलकर निश्चय बाक्य रूपमें ३३१ वें पैराग्राफमें हिन्दू कोडमें लिख डाला, यह उन्हींको मालूम होगा। किन्तु क्या वह कह सकते हैं कि वह उन बातोंसे अनभिज्ञ हैं जो १८८१ के पीछे पक्षपात रहित पिंडानोंने खोज करके सिद्ध की है? थोड़ा समय हुआ डाक्टर टी० के० लहुने जो एक हिन्दू विद्वान हुए हैं, कहा था—

"बर्द्धमान महाबीरके पहलेके किसी प्रामाणिक इतिहासका हमको पता नहीं लगता है, इतना तो निश्चित और सिद्ध है कि जैन धर्म बौद्ध धर्मसे पुराना है, और भ० महाबीरके समयसे पहले पार्श्वनाथ चा किसी और तीर्थकरने ईसको

स्थापित किया था” (देखो पूर्ण व्याल्यान हॉक्टर डी० ज० च० हूँ जिसको आनंदेरी सेक्रेटरी म्याहादाद नहाविद्यालय बनारसने प्रकाशित किया है)। ग्वार्डि य महामहोपाध्याय हॉक्टर मीशन्स विद्यामूषणने भी इसी बातको सिद्ध किया है कि “वह निर्देश होता है कि इन्द्रमृति गौतम जो कि महाकीरण निज शिष्य था, और जिसने उनके उपदेशोंका संग्रह किया, उन्हुंने गौतमहा ममकालीन था, जिसने कि चौंद धर्म चलाया; और अत्यधि गौतमका भी समकालीन था, जो कि ब्रह्मण था। और म्याय सूक्तका बनानेवाला था” (देखो जैन गेट विल्ड १० नं० १)।

हॉक्टर ज० जी० व्यूहूर (Dr. J. G. Buhler, C. I. E., LL. D., Ph. D.) बनवते हैं—

“जैनियोंके सीधैफर-सम्बन्धी व्याल्याओंदो योद्ध नहीं ही सिद्ध करते हैं। पुराने ऐतिहासिक शिलालेखोंने वह सिद्ध होना है कि जैन धर्मात्मा इतन्य स्थिरे बुद्धी गृह्यके बीच से पांच शताविंशीमें भी दरावर प्रचलित था, और कुछ शिलालेख तो ऐसे हैं कि जिनमें जैनियोंके धर्मपर घोर्ह सम्बेद घोला दरवा नहीं रह जाता है; वहिस उमड़ी सत्यता इतन्य से सिद्ध होती है।” (देखो “The Jainas” PP. 22-23) ॥

मेजर-जनरल ज० जी० अ० फोर्लॉग (J. G. R. Forlong, F. R. S. E., F. R. A. S., M. A. D., et. ctc) हिन्दूते हैं—

“प्राच्यके प्रसिद्ध विद्वान् दार्शनिकोंमें सर्वमहत्वी हिन्दू औपर्यातीय भूमिकामें विनाते हैं कि ‘उनमें जैन धर्म लगाए रखने की है कि पाद्मनाथ ऐतिहासिक बुद्ध हुए हैं।.....एवं अन्यां व भूतके २५ शुरु हुए हैं। ये सामान्य स्थिरे गृह्यके बहुती हैं। २५ वें सधार्व पाद्मनाथजीसे इस इतिहास की दर्शावामें लगते हैं।’—धर्मवादक

“ईसासे पहले १५०० से ८०० वर्ष तक, बल्कि एक अज्ञात समयसे उत्तरीय पश्चिमीय और उत्तरीय-मध्य भारत तूरानियोंके, जिनको सुझीतेके लिए द्राविड़ कहा गया है, राजा शासनमें था, और वहाँ वृज, सर्प और लिंग-पूजाका प्रचार था.....किंतु उस समयमें भी उत्तरीय भारतमें एक प्राचीन और अत्यन्त मंगठित धर्म प्रचलित था, जिसके सिद्धांत, सद्व्याधि और कठिन तपश्चयके नियम उच्च कोटिके थे । यह जैनधर्म था । जिसमेंसे ब्रह्मण और बौद्ध धर्मोंके प्रारम्भिक तपस्त्वियोंके आचार स्पष्टतया ले लिये गये हैं, (देखो Short Studies in the Science of Comparative Religion, PP. 243-244.) ।

अब वह दावा वहाँ रहा कि जैन हिन्दू डिसेंटर्ज हैं और जैन धर्म बौद्ध धर्मका बचा है । पुराने प्रच्य विद्वानोंकी भृत्यको एक मुख्य अन्तिम प्रामाणिक लेखमें इस प्रकार दिखलाया है—
(The Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. VII, P. 465.)—

“यद्यपि उनके सिद्धांतोंमें मूरसे ही अन्तर है, तथापि जैन और बौद्ध धर्मके साथू हिन्दू धर्मके वितरित होनेके कारण, वाह्य भेषमें कुछ एकसे दिखाई पड़ते हैं और इस कारण भारतीय लेखकोंने भी उनके विषयमें धोखा खाया है । अतः इसमें आश्वय ही क्या है कि कुछ यूरोपीय विद्वानोंने जिनको जैन धर्मका ज्ञान अपूर्ण जैन धर्मपुस्तकोंके नमूनोंसे हुआ, यह आसानीसे समझ लिया कि जैन मत बौद्ध धर्मकी शाखा है, किंतु तत्पश्चाद् यह निश्चयात्मक रूपसे सिद्ध हो चुका है कि यह उनकी भूल थी और यह भी कि जैन धर्म इतना प्राचीन तो अवश्य ही है जितना कि बौद्ध धर्म ।

बौद्धोंकी धर्म पुस्तकोंमें जैनोंका वर्णन बहुत करके मिलता

दृष्ट भाग-जन धर्म और 'हिन्दू चोट'



है, जहाँ उनको प्रतिपक्षी नातनुयायी और पृथग् नाम 'निर्विधि' (निर्विध) से नामाद्विन दिया गया है।.....बुद्धके समस्यें जैन गुरुओं नातपुत्र और उनके निर्दिग व्याख्या याद करा गया है। नात व नातिपुत्र जैनियोंके अन्तिम तीर्थकर महामान महाधीरका विशेषण था और इस प्रकार बौद्ध पुनर्जीवि इन धर्मके दधनका समर्थन होता है। इनके जनियोंके धर्म प्रभावमें महाधीर नामके सम्बन्धीय बड़ी साजा दर्श गये हैं जो दूरके समयमें आमत दर्शते थे, जो बुद्धका प्रतिरक्षी था। इस प्रकार यह मिल दो गया, कि महाधीर बुद्धका सम्बन्धीय था और वृद्ध उम्रमें कुछ बड़ा था। महाधीर नामकीके पात्रपृथिव्ये निर्दिग एवं उपाक बुद्ध जीवित रहे। बुद्ध नो बीज धर्म एवं वाद एवं भद्राद्य शायद जैतप्रमोक्ष संवापह या उत्तरनि नहीं होता। जो भनसो परम गुरु दर्के मानते हैं।...उनमें पूर्णपत्र पद्मरूप, जो अन्तिम तीर्थकरने पठले दूष हैं, साक्षम होता है जि इन धर्मके संवापक प्रवचन युक्तिके साथ आते जा सकते हैं....इन्हे ऐतिहासिक प्रमाण-स्रोतों द्वारा अनुरक्षितिमें इस इन विषयमें दो दो सहजते हैं।"

डायटर गोडेके दूसरे निष्ठानके विषयमें—जि जीवियों अपने धार्मिक वत्तव और व्यापार बींदू धर्ममें लिये हैं—इसमें इसके नितान्त प्रतिकूल है। सप्तमे जैनिय पद्मरूप विद्व इनका यशोपा गया है; देखा Encyclopedie, Vol. II, page 472, Ethics, Vol. VII, page 472—

"अब इस प्रथाका उत्तर दिया जाना। धार्मिक जीविय विचारणा, पाठ्यके भवमें व्यवह दोना। यह दो अवधिक फर्म-भित्तान्त...जैन-दर्शनका प्रारम्भिक बींदू व्यापारका एक भूमि है? यह मिलान्त पैरा भट्टन और इनिय विद्व नहीं है। इसीप्र ही भवमें यह पात आती है यह एक शान्तिकृत व्यवह

तत्त्व संग्रह है जो एक प्रारम्भिक धार्मिक दर्शनके मूलपर लगाया गया है, जिसका आशय जीव-रक्षा और सर्व प्राणियोंकी अहिंसाका प्रचार था । किन्तु ऐसे मतका प्रतिकार इस बातसे हो जाता है कि यह कर्म सिद्धान्त यदि पूर्ण ब्यौरेवार नहीं तो मूल तत्त्वोंकी अपेक्षासे तो जैन धर्मके पुरानेसे पुराने प्रन्थोंमें भी पाया जाता है, और उन प्रन्थोंके बहुतसे वाक्यों और पारिभाषिक शब्दोंमें इसका पूर्व अस्तित्व झलकता है । हम यह बत भी नहीं मान सकते कि इस विषयमें इन प्रन्थोंमें पश्च तके अधिष्ठृत तत्त्वोंका उल्लेख किया गया है । कथोंकि आस्त्र, संचर, निर्जरा आदि शब्दोंका अर्थ तभी समझमें आ सकता है जब यह मान लिया जावे कि वर्म एक प्रकारका सूक्ष्म द्रव्य है जो अत्मामें बाहरसे प्रवेश करता है (आस्त्र); इस प्रवेशनोंको दोका ल, मकना है या इसके द्वारोंको बन्द कर सकते हैं (संचर,); और जिस धार्मिक द्रव्यका आत्मामें प्रवेश हो गया है, उसका नाश व क्षय आत्माके द्वारा हो सकता है (निर्जरा) जैन धर्मावलम्बी इन शब्दोंका उनके शास्त्रिक अर्थमें ही प्रयोग करते हैं । और मोक्ष-मार्गका स्वरूप इसी प्रकार कहते हैं कि आस्त्रके संचर और निर्जरासे मोक्ष होता है । अब यह शब्द इतने ही पुराने हैं जितना कि जैनदर्शन । बौद्धोंने जैन-दर्शनसे असदवा सारगम्भित शब्द ले लिया है । वह उसका प्रयोग उसी अर्थमें करते हैं जिसमें कि जैनियोंने किया है, किन्तु शब्दार्थमें नहीं कथोंकि बौद्ध यह नहीं मानते कि वर्म कोई सूक्ष्म द्रव्य है और न वह जीवका अस्तित्व ही मानते हैं कि जिसमें वर्मका प्रवेश हो सके । यह स्पष्ट है कि बौद्धोंके मतमें 'आस्त्र'का शास्त्रिक अर्थ चालू नहीं है और इस कारण इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि उन्होंने इस शब्दको किसी ऐसे धर्ममें लिया है कि जहाँ इसका प्रारम्भिक भाव प्रचलित था, अर्थात् जैनदर्शनसे

ही लिया है...। इस तरह एक ही चुक्किसे माथ ही बार यह भी सिद्ध हो गया कि जनिवींका फर्म-सिद्धान्त उनके धर्मका वास्तविक (निजका) और आदर्शक अङ्ग है, और जैनदर्शन-बोध धर्मकी उत्पत्तिसे बहुत अधिक पहिलेता है।"

यदि हॉक्टर गोड़ पांडोंके शास्त्रोंके पढ़नेसे ६८ छठांते तो उनको यह ज्ञात हो गया होता कि बुद्धिने भृत्यः जनिवींके अन्तिम तीर्थकर महावीर परमात्मका रूप छड़ीमें उत्पन्न किया है—

'भाईयो ! कुछ ऐसे संन्यासी हैं (लंबला, लंजीदिल, निरंथ आदि) जिनका ऐसा अद्वान है जो ऐसा उत्तेज देते हैं कि प्राणी जो कुछ सुख दुःख या दोनोंके माध्यम भावका अनुभव करता है वह सब पूर्व वर्द्धक नियित्तसे होता है। और उपश्रण द्वारा पूर्व दर्मोंके नाशसे जो तये दर्मोंके न परतेहें, आगामी जीवनमें आम्रकं रोपनेमें पर्मदा क्षय होता है। और इस प्रकार पापका क्षय और सब दुःखका रिति य है। भाईयो, यह निर्मय [जैन] रहते हैं...मैंन उनसे पूछा रखा यह नहीं है कि तुम्हारा ऐसा अद्वान है जो तुम इसका अपार परो हो...उन्होंने उत्तर दिया...एम रे तुम मानवका अद्वान हो...मैंने अपने गहन दृष्टसे इसका अविद्या लिया है तिनुमने पूर्वमें वाय दिया है, इसको तुम इस लिन और दुर्घट लापारमें दूर परो। और मन बचन पायह प्रकृतिसा लियता लियता जाता है उत्तने ही आगामी जन्मके लिए दूरे धर्म बन जाते हैं...इस प्रकार सब एवं लगतमें क्षय हो जायें और उन्हें दुःखका रिति अ होगा। एम इसमें सर्वमन है' (महात्मन निकाय । २/२४ व ६। २३८ The Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. II, Page 70).

उपर्युक्त वाक्योंमें पूर्ण उत्तर निम्न वातोंका मिलता है—
 (१) परमात्मा महादीर मनोकालविनिक नहीं बरन् एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं, और (२) वह बुद्धके समकालीन थे। मेरी रायमें इस बातके अप्रमाणित करनेके लिए कि जैनियोंने अपने तत्त्व और धार्मिक आचार बौद्धोंसे लिये और जैन धर्म ईसाकी छठी शताब्दीमें उत्पन्न हुआ और वह हिन्दू और बौद्ध धर्मका समझौता है केवल इतना ही पर्याप्त है।

इस मतके सिद्ध करनेके लिए कि जैनी छिन्दू धर्मके अन्तर्गत भिन्न श्रद्धानी (डिसेंटर्ज) हैं, न डाक्टर गौड़ने, न और किसीने नाम मात्र भी प्रमाण दिया है। यह क्लेवल एक वल्पना ही है जो पुराने समयके योरोपीय लेखकोंके आधार पर खड़ी की गई है जिनकी जानकारी धर्मके विषयमें करीब करीब नहींके बराबर ही थी और जिनके विचार वैदिक धर्म और अन्य भारतीय धर्मोंके विषयमें बच्चों और भूखोंके से हास्योत्पादक हैं। यह सत्य है कि ऐतिहासिक पत्रों और शिलालेखोंके अभावमें, जो सामान्यतः ईस्त्री सन् ३०० वर्षसे अधिक पहिलेके नहीं मिलते हैं, कोई स्पष्ट साक्षी किसी और भी नहीं मिलती; किन्तु भिन्न धर्मोंके वास्तविक विद्वान्तों और तत्त्वोंके अन्तर्गत साक्षी इस विषयमें पूर्ण प्रमाणन्तर्प है। परन्तु ग्राम्यके अन्वेषकोंको इस प्रकारकी खोजकी पथ-रेखा पर चलनेकी योग्यता न थी। और इस मार्गसे उन्होंने लिया भी नहीं। मैंने अपनी प्रैक्टीकल पाथ (Practical Path) नामक पुस्तकके परिशिष्टमें, जो ५८ पृष्ठोंमें लिखा गया है, जैन और हिन्दू धर्मका वास्तविक सम्बन्ध प्रगट किया है और इसी विषयको अपनी की ऑफ कॉर्न नैलेज (Key of Knowledge) नामकी पुस्तकमें (देखो दूसरी आवृत्ति पृष्ठ १०६८ से १०८०) और Confluence of Opposites नामके ग्रन्थमें (विशेष करके अन्तिम छ्यायाको देखो) इस विषयको अधिकतया स्पष्ट किया

है। इति प्रबन्धोंमें यह स्पष्ट करके विवरणाचा गया है कि जैन धर्म सभ्यमें पुराना मत है और जैनधर्मके तत्त्व भिन्न दर्शनों और मनोंके आधारभूत हैं। मैं बिश्वास बताता हूँ कि जो कोई कपाय और इटरो लौकिक Cofluence of Opposites नामकी मेरी पुस्तककी पढ़ेगा और उसके पश्चात् उस शोषण पुस्तकोंकी पढ़ेगा जिनमें इल्लेख किया गया है कि इस विषयमें युत्सुक एवं अन्यथामत न होगा। जो लोग जैनियोंके हिन्दू धर्मसम्बन्ध मिलामनावलयों (हिस्टोर्ज) द्वारा हैं उनकी गृहकर्ता जिन प्रकार हो सकती हैं—

१—यह कि शान्ति, शीघ्र दया, पुरुषसम्म, सदृश, धर्म, मोक्षप्राप्ति और उसके उपाय विषयोंमें जैनियोंके प्रमिल विचार व्रायणोंके से हैं।

२—जाति-वस्थन दोनोंमें नमान सदमें हैं।

३—जैन हिन्दु देवताओंकी समान हैं; और उनकी पूजा करते हैं। यद्यपि वह उनके निवास अवश्य नीर्घाटमें हैं। इस समान हैं।

४—जैनियोंने हिन्दु धर्मकी विवरणियोंकी और ऐसी देखा है कि यह तक कि एक वर्ती ६४ इन्हें लोग ३२ देखिये हैं।

अपने हिन्दु शोटके पुष्ट १००-११५ एवं गहान्यव दोनों पुस्तकानन्दन दी नमानिके आधारभूत एवं उत्तिलयोंकी विवरण किया है। जिन्हें यह सुकृत्या दोनों परम्पराओंवालोंने। वर्णन जप 'ए' ए 'ए' दर्शनोंमें कुत विविध दर्शनोंमें एवं यही ए ही एक तो निश्चयतः यह नहीं यह नहीं। जो 'ए' ने 'ए' से इतरा है और 'ए' ने 'ए' से नहीं। यह हो सकता है कि इन दर्शनोंके जैनियोंने हिन्दुओंसे किया हो, तेन्तु यह भी हो सकता है कि हिन्दुओंने अपने धर्मके आधारको जैनियोंसे किया हो। १६२ सारांश इस बातके निष्ठानमें पर्याप्त नहीं है। और इस स्थानकी

भी जहाँ तक कि इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण जीवदयाका सम्बन्ध है मैं वह सकता हूँ कि अहिंसाको हिन्दू धर्मका चिह्न उभ प्रकारसे नहीं कह सकते जिस प्रकार वह जैन धर्मका लक्ष्य है । क्योंकि “ अहिंसा परमो धर्मः ” तो जैन धर्मका आदर्श वाक्य ही रहा है ।

तीसरी बात कि जैनी हिन्दू देवताओंको मानते और पूजते हैं बाहियात है । इसमें सबका आधार कुछ भी नहीं है । एलिफन्टनने १-२ हप्टान्त ऐसे पाये होंगे और उसीसे उन्होंने यह समझ लिया कि सामान्यतया जैनी लोग हिन्दू देवताओंको मानते हैं । ऐसे हश्य प्रत्येक धर्ममें पाये जाते हैं । हिन्दू जनता और विशेषकर खियाँ आजकल मुख्लमानोंके ताजियों और पीरोंकी दर्गाहोंको पूजते हैं । किन्तु क्या हम कह सकते हैं कि कतिपय व्यक्तियोंके इस प्रकार अपनी धर्म-शिक्षाके विरुद्ध आचरण करनेसे सर्व हिन्दू “ मुपलिम डिस्सेन्टर्ज ” हो गये ?

चौथी युक्ति सबसे भद्र है । उसका आधार इस कल्पना पर है कि हिन्दू-धर्म बेहूदा है और जैनियोंने उसकी बेहूदगीमें और भी अधिकता कर दी है । सुझे विश्वास है कि हिन्दू इससे सहमत न होंगे ।

सच तो यह है कि जिस बातको मिट्टर एलिफन्टन बाहियात समझते हैं वह स्वगके शासक देवताओंकी संख्या है जो इन्द्र कहलाते हैं । जैन धर्ममें इन्द्रोंकी संख्या ६४* है और देवांगनाओंसे संख्या भी नियत है । यदि यह माना जाय कि वास्तवमें अंर मर्गजा अस्तित्व ही नहीं है तो यह कथन निस्सन्देह बाहियात होगा । किन्तु जैनियोंका श्रद्धान है कि यह कथन उनके सर्वज्ञ तोथेकरका है और वह एसे लेखकके

* दिगम्बर मतानुसार इन्द्रोंकी संख्या सौ है ।

कहनेसे जो स्वपरधर्मसे अनभिन्न है अपने प्रदानसे चुनून न होंगे।

अब वह हन्दू जिसका उपाख्यान हिन्दू धर्मशास्त्रोंमें धारा म्यान पर है बर्गका शासक नहीं है किन्तु जीवात्मावा अर्लंगार (ऋषि-दर्शक) है (देखो Confluence of Opposites व्याख्यान ५) । यदि एलिफन्टन और वह अन्य व्यक्ति जिन्होंने क्षटपट यह अनुमान कर लिया कि जैनी हिन्दू हिन्दैन्टर्ज ये ऋग्वेदके अर्थको समझतेका प्रयत्न परते तो वह यह जान होते कि वह प्रथ एक गुद्ध भाषणमें बनाया गया है कि जो वह संख्यत शब्दोंके तीव्रे छिपी हुई है । + आधुनिक समसा इस गुद्ध भाषणसे नितान्त अनभिन्न है । यद्यपि यही टोली-यादिन, जैन्ड-अन्तर्या और कुरान समेत द्वितीय द्वितीय नभी धर्मप्रत्योगी वार्ताधिक भाषा है । किन्तु जैन धर्म किसी गुद्ध भाषणमें नहीं लिखा गया । और न उसमें असदूरयुक्त दोनों देवताओंशा कथन है ।

अब वह युक्ति जो जैन भगवान् द्विन सबसे लगिर प्राप्तीन मिठु करता है, यह है कि पठना असदूरसे पढ़िले होती है, अर्थात् वैष्णव मित्र ज्ञान असदूरसरी मित्रान्तर्जसे पूर्व होता है । यह यह है कि जैन प्रथ और वह सोन्मिं प्रायः एक ही वात वही गई है, जिसे जैन प्रथोंसे भाषा नहीं है और वैष्णव वैष्णवोंशा प्रथन गुप्त शब्दोंमें है जिनको पढ़िले समझ सेन्ट्री आवश्यकता होता है । मैंने इस वाताने असनी युक्ति कोन्फ्युएन्स ऑफ लोपोलिश्ट्रन (Confluence of Opposites) और प्रैक्टीकल पाथ (Practical Path) के परिशिष्टमें स्पष्ट कर दिया है और इस एकत्रणे के निष्ठ

+ उपर्युक्त पुस्तकोंके अन्तिरिक देखो कि अमेनेन्ट हिन्दू धर्म भारतवर्ष क्षौर रामायण ।

धर्मसंकार पूढ़य ग्रन्थोंसे व्यष्टान्त के लेकर दर्शा दिया है। दुर्भाग्यवश एलिफन्टनको स्वपरधर्मकी गुप्त भाषाका ज्ञान ही न था और जो मनमें आया वह कह गया। फौरलॉग (Forlong)ने यह दिखला दिया है कि ब्राह्मणोंका योगाभ्यास जैनियोंके तपश्चरणसे किस अकार लिया गया (देखो जौर्ट स्टडीज इन कृप्तपैरेटिव रिलीजन: Short Studies in Comparative Religion)।

जिन नज़ीरोंका डॉ० गौड़ने उल्लेख किया है उनमें १० दस्तई हाईकोर्ट रिपोर्ट पृष्ठ २४१-२६७ अपनी किसिमका सबसे प्रधान नमूना है। यह फैसला सन् १८७३में हुआ जब कि पुरानी भूलें पूर्णतया प्रचलित थीं। हम मानते हैं कि विद्वान् न्यायाधिशोंने अपने ज्ञानदीपकोंकी सहायतामें विचारपूर्वक न्याय किया, किन्तु उनके ज्ञानदीपक ठीक नहीं थे। उन्होंने एलिफन्टनके कथनका (जो हिन्दु कोडमें उल्लिखित है) पृष्ठ २४७, २४८, २४९ पर उल्लेख किया; और कुछ फौजी यात्रियोंके विवरण और कुछ और छोटे छोटे ग्रन्थोंका उल्लेख किया; और अन्तमें प.दरी डॉक्टर विल्सनकी नाम सहजमें ध्यानमें आ सके, हो सकता है।

डॉक्टर विल्सनकी सम्मति यह थी कि वह जैन जातिकी युस्तकोंमें अशब्दा हिन्दु लेखकोंके ग्रन्थोंमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं जानते थे जिससे उस रिवाजकी सिद्धि हो सके जो उस मुद्दमें चादी पक्ष प्रतिपादन करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनको जैन जातिके एक यति और उसके ब्राह्मण सहायकों (Assistants)ने यह बतलाया था कि वह लोग भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं जानते थे; और दत्त कुत्रके विषयमें हिन्दु धर्मश स्त्री समानतया आधारमूल था। हाईकोर्टने इस बात का मो सहारा

लिया कि विपाह संगकार आदि बहुत सी बातोंमें जैनी होग न्यायिकोंकी सहायता लेते हैं। इन्होंने कोलकाता निवास और अन्य लेखकोंका भी उल्लेख किया है जो उपर्युक्त युक्तियोंके साथार पर एलिफन्टनसे महमत है। विदित होता है कि जैन प्रथा पेश नहीं किये गये। यद्यपि उनमेंसे कुछके नाम जैन वर्धमान (जीति), गौतम प्रथा, पुन बघन (Poornawachun) आदि लिये गये थे (देखो पृष्ठ २५५—२५६)।

महाराज गोविन्दनाथ राय बनाम गुलालचन्द चर्चेरह कलकत्ताके मुकदमेमें सन् १८८३में इनमेंसे लुढ़के एवं उपर्युक्त प्रमाण रूपमें दिये गये थे। (देखो ५ मदर दीपानी रिपोर्ट पृष्ठ ३५६) इस गुवाहमेका उल्लेख हाईकोर्टकी नज़दीमें है और मिस्टर स्टीवेंसी “हिन्दू कास्ट्स” नामका पूर्वानका भी। मिस्टर मॉर्टनने दियालाया है कि जैनियोंके ग्रन्थ हिन्दुओंसे मिलते हैं। इन्हु एहिसोटने उन शाक्वोंके पेश होनेके दिए आपद नहीं दिया है और अबतः उनपो नहीं मंगवाया। जिस प्रश्ने पर्याप्त है कि उन्हें उपर्युक्त प्रमाण से दोती थी वह तो असाधनरी एवं रिपोर्टमें सहायता देनेका प्रयत्न स्वभावितः न परता, और लक्ष्मानन रिपोर्टः प्रत्यक्ष न्यायालयमें पेश होनेके लिए एटिजिनसें प्राप्त होनेवाला हमें लिखित जैन प्रथाओंकी प्राप्ति दृष्ट दीगी।

यदि है कि अधुनिक न्यायालय, पुनर्नै समयदे निम्नलिख “काजी”के समान अपना पर्याप्त या नहीं समझता (१) ऐसी निर्णय परनेके लिये सामग्रीका व्याप्रीण बरे; पर यही व्याप्री उपस्थित सामग्रीपर तो अधिक एक-दोषीम एवं असाधन है, इन्ह सामग्री उसके समक्ष संतुल नहीं हैं। पड़ती है। प्रत्यक्ष यह सुखदमात पर उसके निर्णयकी जोकिं प्रसारण एवं पढ़ाता है कौर एक पूर्व निश्चित प्रसारण उल्लेख इसका दिसी प्रसारण भी सहज कार्य नहीं है जैसा कि प्रत्येक दरीब जानता है।

हुआ जैनियोंने तो मुमलमानोंके आते ही दूर्जन बन्द कर दी और करीब करीब नामकी तखनी भी उठा दी । इस आक्रमण करनेवालोंने जैन धर्मके दिसद्व ऐसा तीव्र द्वेष किया कि उन्होंने जैन मन्दिरों और शास्त्रोंको जहां पाया नष्ट कर दिया । साधारणतः लोग जैनियोंको नास्तिक समझते थे (यद्यपि यह एक बड़ी मूल धी) और इसी कारणसे सम्भवतः उनको मुमलमान आक्रमण करनेवालोंके हाथसे इतना कष्ट सहना पड़ा । जो कुछ भी सही, परिणाम यह हुआ कि जैनियोंने अपने शास्त्रभण्डार रक्षार्थ मूर्गभर्म में छिपा दिये, और वह प्रथ्य वहां पड़े पड़े चूहों और दीमकोंका भोज्य बन गये और गलकर धूल हो गये ।

पिछले दुखद अनुभवका परिणाम यह हुआ कि मुगल राज्यके पश्चात जो विदेशी अधिकार हुआ, जैनी उसकी ओर भी भयभीत होकर तिरक्की आंखसे देखते रहे, और यह केवल पिछले २० वर्षकी बात है कि जैन-शास्त्र किसी भाषा में प्रकाशित होने लगे हैं । सुझे सन्देह है कि कोई जैनी आज भी एक हस्तलिपित प्रथ्यको मन्दिरजीमें से लेकर अदालतके किसी कर्मचारीको दे दे । कारण कि शास्त्र विनियका उसके मनमें बहुत बड़ा प्रभाव है और सर्वज्ञ वचनकी अवज्ञा और अविनयमें वह भयभीत है । जैन नीतिग्रन्थ ब्राह्मणीय प्रभावसे नितांत विमुक्त हैं, यद्यपि जैन कभी कभी ब्राह्मणोंकी अपने शास्त्रोंके बांचने अथवा धार्मिक तथा लौकिक कार्योंके लिए सहायता लेते हैं ।

मेरी समझमें यह नहीं अता कि इस बातसे कि जैनी ब्राह्मणोंसे काम लेते हैं यह कैसे अनुमान किया जा सकता है कि जैन “हिन्दू डिसेंटर्ज” हैं । क्या ऐसी आशा की जा सकती है कि ऐसी दो खमाजोंमें जो एक ही देशमें अज्ञात प्रांचीन कालसे साध साथ रहती सहती चली आई हैं, नितांत पारस्परिक ब्यवहार न होंगे । बात यह है कि जैन धर्मका संख्या-वर्षक-

क्षेत्र विशेष करके हिन्दू समाज ही रहा है, और अब समयमें जीनयों और हिन्दुओंमें पारस्परिक विवाद घटन हुआ एवं थे। ऐसे विवादोंमें उत्पत्ति सन्तान एभी एक धर्ममें इसी दृष्टिरे धर्मको मानती थी, और कभी उनके आचार-विचारमें दोनों धर्मोंके कुछ कुछ विटांत सम्मिलित रहते थे, और इस जागरणमें अनभिज्ञ विदेशी तो क्या अल्प-वुद्धि विदेशी भी धर्ममें पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं जैन धर्मानुगामी विनियुक्त नहीं रहे, किन्तु जैन मन्दिर वर्णां अभी पाये जाते हैं। इन मन्दिरोंके दैनिक पूजा-प्रथनयके बास्ते प्राप्तग पुजारीहो रहना ही पढ़ता है। इन सब पातोंसे ५०-६० वर्ष पूर्व तो गोर जानशार विदेशी अनभिज्ञ हो सकता था, किन्तु ज्ञानकर्त्ताके एक भारतीय प्रथमवर्त्तीसी ऐसी अनभिज्ञता क्षमतावधि नहीं है। उमड़ो तो अपने विचार प्रकाशित करनेके पूर्व इन सब पातोंहो विशेष दरके भावे प्रकार अध्ययन करना अनिवार्य है।

अब केवल शेष इनना ही रह गया है वि इस नियमकी— कि हिन्दू-त्वों जैनियोंपर लाग दोता, यदि उनका ऐसी विनोद विचाज प्रमाणित न हो—प्रारम्भिक इनियामकी गोपनीयता जाते। महाराजा गोविन्दनाथ राय १० गुरुदासजन्म एवं १८८६ में मुख्यमेहा जिमका पैसला मन् १८६३ में देवर्मेन्सी गहर ऐसे धर्माल्पने विद्या और जिममें जैन-त्वों व जैन शास्त्रों का अध्ययन करनेवाला, पहिले ही दृष्टाता दिया जा सुका है। हालुगामासी वद जैनियोंका सदसे एटिला मुख्यमा है जो स्तरा है। ये ने अप मुख्यमेहा भी जो अपर्याप्त हैरिंद्रियोंकी १०८ी विनियुक्ति एवं २४१ से २६७ पर एक एक तरह रायकर्ता एवं बीही।

मुसम्मात चिन्मीर्दाई १० गोदोदाईदा मुख्यमा जिमका पैसला सद १८५३ ईंमें हुआ (वलायसं पर ईंपनी अदालतके सूक्षे जात मगर्दी ए शुभाली १८६ ईंपिल्ड ८

एंडर्सन डल्लियू० पी० हाईकोर्ट रिपोर्टस सफा ३९४) इनके अधीनत हमारी तबल्जहका अधिकारी है। इस मुकदमेमें सपष्टतया द्रुत्खा जा सकता है कि जैनियोंके हिन्दू डिसेण्टर्स (Dissenters) समझे जानेका फल कितना बुरा जैन-लों के लिए हुआ। क्योंकि उसमें यह सिद्ध किया गया कि “जैनियोंके झगड़ोंमें जैन-लों के निर्णयार्थ अदालतके पण्डितकी सम्मति लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब कि एक ऐसे फिर्के सिद्धान्तके विषयमें जो स्वीकृत रीतिसे हिन्दू समाजमेंसे निकला (Dissenting sect) है उसको सम्मतिका आदार एक पक्षबाला नहीं करता है, बल्कि मुहूर्हियाके ऊपर इस बातका भार ढालता है कि वह असली मतके कानूनसे अपने फिर्केकी स्वतन्त्रताको जिस प्रकार उससे हो सके प्रमाणित करे। और यह बात अमर बाक्याती है।”

इस अन्तिम बाक्यका तात्पर्य यह है कि यदि जिलेकी दोनों कादालतें (इच्छितदाई व अपील) इस विषयमें सहमत हों कि मुहूर्हिया हिन्दू-लों से अपने फिर्केकी स्वतन्त्रताके प्रमाणित करनेमें अवमर्थ रही तो हाईकोर्ट ऐसी मुक्तिफिक तजबीजके बिरुद्ध कोई उल्लंघन नहीं सुनेगी। तिसपर भी इस मुकदमेमें यह करार दिया गया है कि जैनियोंका यह हक है कि “वह अपने हो शख्तोंके अनुसार अपने दायके झगड़ोंका निर्णय करा सकें।” फैपलेमें यह भी बताया गया है कि “जैनियोंके प्रमाणित नीति शख्तोंके न होनेके कारण अदालत इस बात पर बाध्य हुई कि साक्षीके आधार पर झगड़ेका निर्णय करेन।”

बमुकदमे हुलासराय व० भवानी जो छोपा नहीं गया है और जिसका फैसला ७ नवम्बर सन् १८५४ को हुआ था (इसका हुलाला ६ एंज० डल्लियू० पी० हाईकोर्ट रिपोर्टसमें पृष्ठ ३९६ पर है) फिर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जैनी किस लोंके पासन्द हैं। इसकी निस्वत तन्की है इन शब्दोंमें कायम की मत्ता—

“आया श्रावणी छीम हिन्दू-लोडों को मानते हैं या नहीं ? यदि वे हिन्दू-लोडों के पापन्द नहीं हैं तो क्या उनका उन्न विधवाओं पतिकी स्थावर स्मरति में अन्तकालका इच्छा देना है ? आया श्रावणी छीम के नियमोंके अनुसार विधवा सालिह के विवाह जायदादकी होती है, या उसका इक के बह जीवन पर्यन्त ही है ?”

दीराने सुन्दरमें न्यायाधीशोंके जैन शास्त्रोंके अधिनियम समाचार कुछ जैन गवाणों द्वारा, जिनका वयान क्षमीशन पर दिल्लीमें हुआ, मालूम हुआ । मगर टार्डोर्टमें इस व्यापारका पर आक्षेप किया गया कि गवाणने अपने वयान दिना सीमान्तके दिये थे । इसलिए घटांसे गुरुदमा फिर अदालत इन्द्रियोंमें नये सिरेमें सुने जानेके लिए वापिस हुआ । परन्तु जलनाम पारम्परिक पञ्चायत द्वारा उसका पैमला हो गया । मगर जैन-लोडों के पारेमें यह आदृश्यकीय व्यान पैमलेमें रखी है ति “पर्मिक विषयोंमें श्रावणी लोग बदने ही पर्मशस्त्रिय सिरमों पर कार्यपद्ध होते हैं ।”

इसके पश्चात् एक गुरुदमा मन् १८६० पा. है (गुरुदमा ब० गोपकर्मसाद जो नजायर सदर श्रावणी लाइब्रेरी एन० ल० ल० ल० पी० मन् १८६० में शूष्ट ३६६ पर दर्शाया है ल०) जिसका दबाला ६ एन० ल० ल० पी० ट० र० ल० है रिंगन० ३४ ३९६ पर मिलता है ।) इस सुन्दरमें पठिते पठित यह “ दुषा था कि “अपनो परिवेश (पश्चियों) के द्वापरे दर्जे हैं जैन-लोडों के अनुसार ने होने जाएिए, जिसका निर्णय ऐसू०म सरकारीसे जो प्राप्त हो सके एरना चाहिए । ”

इस व्यापरके माम पर गुरुदमा अदालत अन्तिमी तर्जे सिरेसे सुने जानेके लिए वापिस हुआ । जब फिर यह गुरुदमा टार्डोर्टमें पौत्रा तो एठे पर ही पश्चियोंसे लौटमें यह व्यान दिया गया कि “प्राइवियोंली हौमहे होई पर्मिह या नीकिहे

~~शास्त्र नहीं हैं~~ जिसके अनुसार इस प्रकारके विषयोंका निर्णय पूर्ण रीतिसे हो सके।”

खेद ! जैन शास्त्रोंकी दशा पर ! जैनियोंके अपने शास्त्रोंके छिपा डालनेके स्वभावकी बदौलत हिन्दू चक्रील जो मुकदमेमें पैरची करते थे जैन शास्त्रोंके अस्तित्वसे नितान्त ही अनभिज्ञ निकले । और तिस पर भी जैनियोंकी ओर निद्रा न खुले !

इसके पश्चात् विहारीलाल ब० सुखबासीलालका मुकदमा जो सन् १८६५ ई० में फैसला हुआ ध्यान देने योग्य है । इस मुकदमेमें यह तथा हुआ कि “जैन लोगोंके खानदान हिन्दू शास्त्रोंके पावन नहीं हैं।” पश्चात्के मुकदमे शम्भूनाथ ब० ज्ञानचन्द (१६ इलाहाबाद० ३७९—३८३ में इस निर्णयका अर्थ यह लगाया गया कि यह परिणाम माननीय होगा, यदि कोई रिवाज साधारण शास्त्र अर्थात् कानूनको स्पष्टतया तरमीम करता हुआ धाया जावे । परन्तु जहाँ ऐसा रिवाज नहीं है वहाँ हिन्दू-लों के नियम लागू होंगे ।

इसके पश्चात्का मुकदमा बझालका है (प्रेमचन्द्र पेपारा ब० हुलासचन्द्र पेपारा—१२ वीं कुं रिपोर्ट पृष्ठ ४९४) । इस मुकदमेकी तजवीजमें भी जैन शास्त्रोंका उल्लेख है और अदालतने तजवीज फरमाया है कि “न तो हिन्दू-लों में और न तो जैन शास्त्रों हीमें कोई ऐसा नियम पाया जाता है कि जिसके अनुसार पिता अपने वयःप्राप्त (बलिग) पुत्रोंकी परवरिश करनेके लिए व्याध्य कहा जा सके ।” निस्सन्देह यह नितान्त बही दशा नहीं है कि जहाँ एक सीधे (Affirmative) रूपमें किसी बातका अस्तित्व दिखाया जावे, अर्थात् यह कि फलों शास्त्रमें फलों नियम उल्लिखित है, परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि अदालतने यह नहीं फरमाया कि जैनियोंका कोई शास्त्र नहीं है और न यह कि जैनी छोग हिन्दू-लों के पावन हैं ।

सन् १८७३ ई० में हमको फिर हीरालाल ब० मोहन ब-

सु० भैरोके सुखदमें (जो छापा नहीं गया, परन्तु जिसका द्वचाला ६—एन० व्हर्क्यु० पी० हार्ट्स्टोर्ट रिपोर्टम् पुस्त ३९८—४०० पर दिया गया है) जैन लों का प्रृष्ठक स्वर्णसे अभिनव मिलता है। इसको अदालत अपील जिसने अधिकार दिया और इसकी नियत इन शब्दोंमें अपना फैसला फरमाया हि ‘हिन्दू-दमाका निर्णय जैनी लोगोंके दाननदीमें दोगा। हिन्दू-लोगों जैनियों पर इससे अधिक पावनदी नहीं हो सकती जिसनी योरोपियन खुदापरम्ता पर हो सकती है।’

मगर हार्ट्स्टोर्टमें घटनाओंने अपना रुद बढ़ा। दुष्किमन जज भद्रोदयोंने तजबीजमें लिखा है कि “बर्याहामदर्शी संस्कृते यह यहस नहीं की जाती है कि हिन्दू-लों व्हैमिन दिन्दू-लों के जैनियोंमें सम्बंधित है। परन्तु उनकी यह यहस है कि हिन्दू-लों और जैन लों में इस विषयकी नियत होई अनुमति है कि विधवा दिस प्रवारका अधिकार दिनही सम्बन्धित असी है।” अन्ततः अदालत मात्रता को दिनरात तरह ही सादस शुरू कर जिसमें एक तनकीद गट भी थी कि जैन ना के अनुमार विधवा दिस प्रवारका अधिकार सम्भवी है। लद्दूस अनीक जिसने किस यही तजबीज फरमाया हि जैन-विधवा भवित यागिर अल्पिन्यार इन्तस्त दोनी है।

जैन सुर्दृने यही थी कि अदालत ऐसी ही कि हिन्दू-लों सुखदमें सम्बद्धित है। परन्तु जज मटोदयमें इस एवं यह पौसला फरमाया हि “इस मामाटीने हिरटमें इस दानदी संस्कृत दिया है कि यह योई उदात्रण नहीं देता सदते ही कि यही हिन्दू-लोंके अनुमति निर्णय दिया गया है। और इनका अनुमति गान गानना पदा कि ऐसे उदात्रण नहीं देता सदते ही कि यही पर हिन्दू-लों की पादश्वी नहीं होई।” अली मरीह टोमे एवं हार्ट्स्टोर्टने निर्णय फरमाया हि इस यात्रे प्रमाणित इरनेहे हिंदू-लोंके जैनियोंके द्वारा हिन्दू-लोंसे पृष्ठक दानी आयेगा।

अपर्याप्त हैं। और जैन-विधवा के अधिकार हिन्दु-विधवा से विरुद्ध नहीं हैं। हाईकोर्टने बाक्यात पर भी जज से असम्मति प्रकट की और अपील डिगरी कर दिया।

यह मुद्दमा एक उदाहरण है उस विकल्पका जो एक पक्षीको उठानी पड़ती है जब वह किसी रिवाजके प्रमाणित करनेके लिए विवश होता है। इस प्रकारका एक और मुद्दमा छज्जूमल ब० कुन्दनलाल (पंजाब) ७० इन्डियन केसेज पृष्ठ ८३८ पर मिलता है। यह १९२२ ई० का है। आज कुछ भी सन्देह जैन-विधवा के अधिकारोंकी निम्बत नहीं है और सब अदालतें इस बात पर सहमत हैं कि वह मालिक कामिल व अखिलार इन्तकाल होतो है। मगर खेद ! कि जो शहादत मुदालेने मुकदमा जेरबहस (हीरालाल ब० मोहन व मु० भैरो)में पेश की थी वह अपर्याप्त पाई गई यद्यपि उसमें कुछ उदाहरण भी दिये गये थे और उनके विरोधमें कोई भी उदाहरण नहीं था।

यह दशा बतावरणकी थी और यह सूरत कानूनकी उस समय जब कि सब १८८८ ई० में ग्रीबी कौसिलके समक्ष यह विषय शिवसिंहराय ब० मु० दाखोके प्रसिद्ध मुद्दमेके अपीलमें निर्णय र्थ पेश हुआ (मुकदमाकी रिपोर्ट १ इलाहाबाद पृष्ठ ६८८ व पञ्चांतके पृष्ठों पर है)। अब यह मुकदमा एक प्रमाणित नजीर है जैसा कि ग्रीबी कौसिलके सब मुकदमात उचित रीतिसे होते हैं। मुद्दमा मेरठके जिलेमें लड़ा था और अपील सीधी इलाहाबाद हाईकोर्टमें हुई थी। हाईकोर्टकी तजबीज छठी जिलदृ एन० डब्ल्यू० पी० हाईकोर्ट रिपोर्टसमें ३८२ से ४१२ पृष्ठों पर उल्लिखित है।

मुद्दयाका जो एक जैन-विधवा थी दावा था कि वह अपने पतिकी सम्पत्तिकी पूर्णतया अधिकारिणी है और उसको विनाश आङ्गा व सम्मति किसी व्यक्तिके दत्तक लेनेका अधिकार प्राप्त है। जवाबदारामें इन बातोंसे इन्कार किया गया था और यह

उम्र उठाया गया था कि जैन लोगोंका कानून उम्र तीनिश से जो हिन्दु लोके नामसे विदित है विभिन्न नहीं है। पाइँडे एक केवल कानूनी शोषके पारण दावा अदाकृत अवश्यकत्वे व्याप्ति हुआ भगव अपील दोनों पर एर्हकोट्टे पुनः निर्णयके दिर दापस हुआ।

एर्हकोट्टे से दोनों पक्षियोंके वक्तीयोंने प्रार्थना की थी कि वह उचित हिदायात मुख्यमानके निर्णयार्थ लालाकृत इन्हींको दे, और तुल्यमान उज सटोदयोंने इन हिदायातके दोगात्मके प्रार्थना की कि “जैनियोंका दोहरे लिखा हुआ प्रार्थन दाव या नहीं है” और उनके कानूनका पता केवल रियाजोंके प्रहित बननेमें लो इनमें प्रचलित हो लग जाता है। उज सटोदय यटोदयने इन हिदायतों पर पूरा-पूरा अमल किया, और वही जैनिये प्रथा दावाको डिप्पी किया।

अपीलमें एर्हकोट्टे चर्चारियार और मेट्टनारे काठ एवं नभीरोंका निरीक्षण किया जां और उपर्युक्त हुक्म मुकाबला। और शायद उम्र दशमें जिसमें मुख्यमान हुआ था और वो एकम अधिक अधिक न था। इस प्रददम यह एक घटना है कि निर्णय जैनकीति नियमोंके अनुसार ही लौट रही थीये किंतु अ द्वेराका अपमर नहीं किल जाता है। परम्परा लालाकृतीय रथ्याम देने योग्य प्रते इस योग्यत्वे की उपलब्धि है और वह कि इसका जैन-तो के अधिक एवं उमरी रक्ततन्त्रामें विरोध करना प्रभाव पड़ा, और आगामी समयमें पद्मनेत्रा युवत टापूदरा हो।

इस फैसलेमें दो भारी विविधी एर्हकोट्टे की है। पहिली ओ यह उत्तरना है कि “यारट एरट फैसलेकीमें अधिकसे जैनी स्त्री वेदोंके नामसे एक ही मर्ये हैं” जो एर्हकोट्टे योरोपियन स्त्रीज्ञानीय उत्तराजीवा परिवाम है, और उनमें सम्मानसे अब भारतीय स्त्रीज्ञाना प्रत्येक स्त्री आनंदार व्याप्ति

होता है (देखो इन्साइक्लोपीडिया ओफ रिलीजन ब ईथिक्स
सिलेक्ट ७ पृष्ठ ४६५)। यह गलत राय भगवानदास तेजमल ब०
तेजमल (१० बम्बई डाईकोर्ट रिपोर्ट्स पृष्ठ २४१) के मुकदमेमें
एल्फस्टनकी हिमटी और कुछ अन्य युक्तियोंके आधारपर मान
ही गई थी और पश्चातके कुछ मुकदमातमें दोहराई भी गई
थी। मुख्य अंश इस गलतीका यह है कि जैन मजहब ईश्वी
संबद्धकी छठी शताब्दीमें बुद्ध मतको शाखाके तौरपर प्रारम्भ
हुआ और बारहवीं शताब्दीमें उसका पतन हुआ। परन्तु जैसा
कि पहिले कहा गया है आज यह बात नितांत निर्मूल मानी
जाती है।

दूसरी गलतीजो इस तजबीजमें हुई बह यह है कि जैनियोंके
कोई शास्त्र नहीं हैं। आज हम इस प्रकारकी व्याख्या पर केवल
हंस पढ़ेंगे। पचास वर्ष हुए जब कदाचित् इसके लिए कुछ
मौका हो दृक्ता था, यदि कुछ शास्त्रोंके नाम किन्हीं मुकदमातमें
न ले दिये गये होते। इससे अदालतके दिलमें रुकावट होनी
चाहिए थी। तो भी यह कहना आवश्यकीय है कि बुद्धिमान्
जन्म महोदयोंने पूरी पूरी छान-चीनकी खोशिश की थी और
तिसपर भी यदि जैन-लोग अप्राप्त रूपसे ही विख्यात रहा तो
ऐसी दशामें यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे विला
लिहाज समयके उभके उपलब्धकी प्रतीक्षा करते रहते। स्वयं
जैनियोंको अन्यायका बोझ अपने कन्धोंपर उठाना चाहिए। यह
नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी तनकोह जो इस मुकदमेमें हुई
थी इन शब्दोंमें थी—“जैनी लोग किस शास्त्र या टेक्स्ट बुक
(Text-book) के पावन्द हैं?” इस तनकीहके अन्तर्गत हर
दो पक्षवालोंको सुअवस्थर प्राप्त था कि वह जैन-लोग का अस्तित्व
आमानीसे प्रमाणित कर सकें। परन्तु एक पक्षको तो प्रलोभनने
अन्धा बना दिया था, और दूसरेको उन कुछ बाधाओंका सामना

करना पड़ता था जिन्होंने अमी तक पूर्णतया जैन आचारोंके अदालतोंमें पेश होनेवे रोक रखदा है।

प्रीषी धौसिलमें उद्घाटन वैरिक्तरीमें, जिन्होंने सुरुदमारी पैरवी की, यह आशा नहीं हो सकती थी कि वे जैन-लोक के अस्तित्वके बारेमें अधिक जानकारी रखते होंगे। और रेत्पांडेन्टके धौसिलके हृदयमें तो हिन्दुभानकी दीनीं अदालतोंकी तजबीजें सहमत थीं किर वह क्यों जैन-लोकी महायात्राहो अपने प्राकृतिक एसेक्यके बिठ्ठ चलाया जाता। इस लक्ष्यमें प्राप्ति। मगर उसके लिये वयान नारीरीके बिठ्ठ जैन-लोक के अस्तित्व और उसकी स्वतन्त्रताकी घोषणा दरना अपने नवाचारके अभिप्रायोंकी बिठ्ठता करना होता।

इस दशामें घटन सुल्यतः दिनों ताजीनी नियमों पर होती रही जिनका ममदम्य रिवाजमें है और शदादतकी तुलनात्मके जिससे रिवाज प्रमाणित हिया जाता है। तो भी प्रीषी धौसिलके लाट महोदयोंने कुछ दूरी गम्भीर जुमले इस सिलसिलेमें लिये हैं कि जैनियोंका लगावार है जि वह अपनी ही नीति व रिवाजोंके अनुसार कर्मण्डल ही। इस उद्देश्य पर वह फरमाते हैं—

"उन्होंने (एटिवेट्सके जर्नल) मृगपूर्ण नदीरेवि अन्यायमें यह परिणाम नियाता कि वह इस परिणामसे बिठ्ठ गई है कि दिन्ही दिनी विद्यमें जैनी कोग सुन्न रिवाज के नीति-योंके पास ही, और वह कि जब वह नियायामद दृढ़से प्रभावित हो जावें तो उनको साध् वरना बाटिए। अर्द्धामहते सूर्योदय धौसिलने जिमनं इस सुरुदमारी घटने प्राप्ती रीमिट्से नाट महोदयोंके समाप्त की इस परिणामकी गतिजात्मे दियी रख रख विदाद उठानिके द्वारा अपनेही नहीं पाया।

यह अपदेव लाल्यर्थक दृढ़ा यदि ऐसा बाया जाया तो दिन्हुत्तानमें लट्टी प्रिटिया गद्दन्सेटकी साध् सुझिमे हि फिल्से

अनुसार सार्वजनिक ढङ्ग से साधारण कानून से चाहे वह हिन्दूओं का हो या मुसलमानों का एक बृहद प्रथकृत्व की गुलाइश रखती गई है। अदालतोंने जैनियों की बड़ी और धनिक समाज को अपने मुख्य नियमों और रिवाजों के अनुसरण करने से रोक दिया हो, जब कि यह नियम व रिवाज यथेष्ट साक्षी के आधार पर पेश किये जा सकते हों और उचित रीति से बयान किये जा सकें, और सार्वजनिक आक्षेप के योग्य नहीं।”

इस प्रकार यह मुक्तदमा निर्णय हुआ जो उस समय से बराबर नजीर के तौर पर प्रत्येक अवसर में हिन्दुस्तानी अदालतों में जहाँ जैनी वादी प्रतिवादी में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह किस कानून से बद्ध हैं पेश होता है। यह कहना आवश्यकीय नहीं है कि प्रीवी कॉसिल के फैसले उच्चतम कोटि के प्रभागित नजायर होते हैं जो निःसन्देह उनके लिए उचित मान है, इस अपेक्षा से कि वह एक ऐसे बोर्ड (अदालत) के परिणाम होते हैं कि जिसमें संसार के योग्यतम न्यायविज्ञ व्यक्तियों में से कुछ न्यायाधीश होते हैं। और यह भी कहना अनावश्यकीय है कि प्रीवी कॉसिल के लाट महोदय जो युक्तियों के वास्तविक गुणों के समझने में कभी शिथिल नहीं प्रभावित हुए हैं आगामी काल में पूर्णतया उन नये और विशेष हालात (घटनाओं) पर जो शिवसिंहराय ब० सु० दाखो के फैसले की तिथि के पश्चात से प्रभागित हुए हैं।

संक्षेपतः यह राय कि जैनी हिन्दु-लोके अनुयायी हैं इस वस्तुपना पर निर्धारित है कि जैनी हिन्दु मत से विभिन्न होकर पृथक हुए हैं। मगर यह कल्पना स्वयं किस आधार पर निर्धारित है? केवल प्रारम्भिक अर्ध योग्यता प्राप्त योरोपियन खोजियों के मूलपूर्ण विचार के हृदय में बने रहने वाले प्रभाव पर, और इससे न न्यून पर न अधिक पर कि जैनियों का छठी शताब्दी ईस्ती सन् में आरम्भ हुआ जब कि बुद्ध मत का पतन प्रारम्भ हो गया था और जब प्रचलित धर्म हिन्दु मत था। अब यह गलती

दूर हो गई है। ज्ञाकोशी आदि पूर्वी शक्तियोंके न्योजनी व्यवहार जैन मतको २७०० वर्षोंसे अधिक आयुका मानते हैं परन्तु अभी उष्ण जैनी Dissentership (धर्मचयुत विभिन्न जगता होनेवाले भूमिका) से सुकृत नहीं हुए हैं।

यदि बुद्ध मतव्यी शास्त्रा नहीं तो तुम हिन्दू मतव्ये मन्त्रोन्मेष करके प्रादुर्भाव होनेवाले तो ठीक हो ! यदि बन्देमान कालके योग्य पुरुषोंकी सम्मति है। इस सम्मतिके अनुसारोदनमें प्रमाण क्या है ? मगर ही बुद्धिमानही सम्मतिके दिए प्रमाणही जावदयकता ही क्या है ? आन्तरिक साक्षी पूर्णतः इसके पिछले हैं और बाह्यवासमें एक ऐसे बुद्धिमानही सम्मतिको अनुसारोदनके दिए हुए हैं जिसने व्यंगी शास्त्रीयोंके पश्चात् भर्ती जायगेउपर वातको हृण्ड निकाला (देखो ग्रोट मठकीज इन ही साक्षम् लोक परम्परेरिव रेतीजन)+ जैन यत कीर्ति हिन्दू मतव्ये पारम्परिक सम्बन्धके बारेमें तीन यतों सम्बद्ध हो सकता है जासौंदि—

(१) जैन यत हिन्दू मतव्या यता है।

(२) हिन्दू मत जैन मतव्या दसा है।

(३) थोनीं तात्त्वाहीन गिरा धर्म है जो सत्त्व साम इन्हों रहे हैं जिनमेंमें थोरी भी एक दूसरेमें नहीं निरवा है।

इसमेंसे (१) बेचल एवना है और इसके अनुसारोदनमें थोरी आंतरिक या व्याध साक्षी नहीं है। (२) आंतरिक साक्षी पर

+ ला- इमन आक्षेत्री नाट्रियन वैशिष्ट लोक ही निरामी होने विद्युतम् (जब धर्मीके इनिहायकी विविध के ग्रन्थोंके अन्तर्वर्ती विद्युती निरामित गायत्र्य यहे— 'अनन्ते गुरुं भगवं विद्युतको इहो वहो दीमिति कि जैन पर्म एव व्याधीन गत है, जो अन्य साक्षीकोंमें निवालन भिन्न और रक्षाप्रद है। लीला इनिहा वह भाग विद्युति का विविध और भावित्व जीवनके सम्बन्धमें अन्यथा उपयोगी है।'

(जैनगड़ [अमरेशी] गत १९५८ दृष्टि ११८ — अनुवाद)

निर्धारित और इस-बातपर स्थिर है कि वेदोंका बास्तविक भाव अलङ्कारयुक्त है। और (३) वह आवश्यक परिणाम है जो उस दशामें निकलेगा जब इसी प्रबल युक्तिके कारण यह न माना जावे फिर हिन्दू शास्त्रोंके भाव अलङ्कारयुक्त हैं। दुर्भाग्यवश आधूनिक खोजी हिन्दू शास्त्रोंके अलङ्कारित भावसे नितान्त ही अनभिज्ञ रहे और उनको वेदोंके बास्तविक भावका पता ही नहीं लगा। परन्तु इस विषयका निर्णय कुछ पुस्तकोंमें, जिनका पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, किया गया है (देखो मुख्यतः दि की ऑफ नालेज व प्रैक्टिकल पाथ और कोन्फ्लुएन्स ऑफ ओपोजिट्स)। परन्तु यदि हम इस अलङ्कारयुक्त भावकी ओर दृष्टि न करें तो हिन्दू मत और जैन भतका किसी बात पर भी, जो बास्तविक धर्म सिद्धांतोंसे सम्बन्ध रखती हो, सहयोग नहीं मिलेगा और दोनों विभिन्न और पृथक होकर बहनेवाली सरिताओंकी भाँति पाये जावेंगे, यदि एक ही पकारके सामाजिक सम्यता और जीवनका ढङ्ग दोनोंमें पाया जावे।

अब जैन-लॉक्त्री सुनिए ! ये शास्त्र जो एकत्रित किये गये हैं, जाली नहीं हैं। इनमेंसे कुछका उल्लेख भी आरम्भके दो एक मुकदमोंमें आया है यद्यपि इसमें न्यायालयोंका योई दोष नहीं है यदि उनका अस्तित्व अब तक स्वीकार नहीं हो पाया है। जैनियोंने भी अपने धर्मको नहीं छोड़ा है और न हिन्दू मतको या हिन्दु-लॉक्त्रोंको स्वीकृत किया है। वृटिश ऐडमिनट्रैशनकी यह निष्पक्ष पोलिसी, कि सब जातियाँ और धर्म अपनी अपनी जीतियोंके ही बद्ध हों, जिसका वर्णन सर मोन्टेगो स्मिथने प्री० कौ० के दिनमें (व मुकदमा शिवसिंहराय ब० मु० दाखो) किया अभी तक न्यायालयोंका उद्देश्य है। तो क्या यह आशा करना कि श्रीद्वारा उस बड़ी भूलके दूर करनेके निमित्त, जो न्याय और नोतिके नामसे अनजान दशामें ही गई, सुअंवसरका लाभ उठाया जावेगा निर्थक है ?





